



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

संघ सरकार
राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर
2019 की प्रतिवेदन सं. 9

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार
राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर
2019 की प्रतिवेदन सं. 9

.....को लोक सभा और राज्य सभा में प्रस्तुत की गई।

विषय सूची

विषय	पृष्ठ
प्राक्कथन	i
मुख्य बातें	iii-viii
अध्याय I: प्रत्यक्ष कर प्रशासन	1-12
i. संघ सरकार के संसाधन	1
ii. प्रत्यक्ष करों का स्वरूप	1-4
iii. सीबीडीटी के कार्य एवं उत्तरदायित्व	4-5
iv. प्रत्यक्ष कराधान की बजटिंग	5-6
v. प्रत्यक्ष करों में वृद्धि	6-7
vi. कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव	7-8
vii. प्रतिदाय मामलों का निपटान	9
viii. बकाया मांग	9-10
ix. अपील मामलों के निपटान	10
x. अन्वेषण एवं जब्ती तथा सर्वेक्षण	11
xi. आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावकारिता	11-12
अध्याय II: लेखापरीक्षा अधिदेश, उत्पाद और प्रभाव	13-30
i. प्राप्तियों की लेखापरीक्षा हेतु सीएजी के प्राधिकार	13
ii. प्रणालियों और क्रियाविधियों की जांच और उनकी प्रभावोत्पादकता	13-16
iii. निगम कर और आय कर मामलों के संबंध में सतत् और व्यापक अनियमितताएं	16-23
iv. लेखापरीक्षा उत्पाद और लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया	23-26
v. लेखापरीक्षा प्रभाव	26
vi. समय बाधित मामले	26-27
vii. अभिलेखों को उपलब्ध न करना	27-30
अध्याय III: निगम कर	31-62
i. प्रस्तावना	31-32
ii. निर्धारणों की गुणवत्ता	32-45
iii. कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन	45-52
iv. चूकों के कारण निर्धारणों से छूटने वाली आय	52-59
v. कर/ब्याज का अधिक प्रभार	60-62

अध्याय IV: आयकर	63-81
i. प्रस्तावना	63-64
ii. निर्धारणों की गुणवत्ता	64-71
iii. कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन	71-76
iv. चूकों के कारण निर्धारणों से छूटने वाली आय	76-79
v. कर/ब्याज का अधिक प्रभार	79-80
vi. निष्कर्ष	80-81
अध्याय V: कृषि आय से संबंधित निर्धारणों	83-115
i. प्रस्तावना	83
ii. विधिक प्रारूप	83-84
iii. हमने यह विषय क्यों चुना	84
iv. लेखापरीक्षा उद्देश्य	84
v. लेखापरीक्षा कवरेज	84
vi. नमूना आकार	84-85
vii. अभिलेखों का उपलब्ध न कराया जाना	85-86
viii. अध्ययन परिणाम	86-88
ix. लेखापरीक्षा निष्कर्ष	89-113
x. निष्कर्ष	113-115
अध्याय VI: धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं को छूटों की अनुवर्ती लेखापरीक्षा	117-135
i. प्रस्तावना	117-118
ii. लेखापरीक्षा निष्कर्ष	118-133
iii. निष्कर्ष और सिफारिशें	133-135
अध्याय VII: एक समूह कंपनी के निर्धारणों की एकीकृत लेखापरीक्षा	137-151
i. प्रस्तावना	137
ii. लेखापरीक्षा निष्कर्ष	137-150
iii. निष्कर्ष	150-151
परिशिष्ट	153-157
संकेताक्षर	158-159

प्राक्कथन

मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में संघ सरकार के राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष करों की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम निहित हैं।

इस प्रतिवेदन में वह मामले उल्लिखित हैं जो 2017-18 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आये, साथ ही वो मामले भी, जो पूर्व वर्षों में ध्यान में आए थे, किन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे; 2017-18 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी, जहाँ आवश्यक समझा गया, शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

मुख्य बातें

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक संघ सरकार के प्राप्तियों की लेखापरीक्षा करते हैं। इस प्रतिवेदन में प्रत्यक्ष कर प्रशासन से संबंधित सभी पहलुओं पर यथा लागू आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों तथा सम्बद्ध नियमों, प्रक्रियाओं, निर्देशों आदि के अनुपालन की प्राथमिक रूप से चर्चा की गई है। इस प्रतिवेदन में सात अध्याय सम्मिलित हैं जिनकी मुख्य बातों की चर्चा नीचे की गई है:

अध्याय I: प्रत्यक्ष कर प्रशासन

वित्तीय वर्ष 2017-18 में संघ सरकार की प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां ₹ 10,02,738 करोड़ थीं, जिसमें वित्तीय वर्ष 2016-17 (₹ 8,49,801 करोड़) की तुलना में 18.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रत्यक्ष कर वित्तीय वर्ष 2017-18 में जीडीपी का 6.0 प्रतिशत था। सकल कर राजस्व में प्रत्यक्ष कर का भाग वि.व 2016-17 में 49.5 प्रतिशत से बढ़कर वि.व 2017-18 में 52.2 प्रतिशत हो गया।

प्रत्यक्ष कर के दो प्रमुख संघटकों में से, निगम कर से संग्रहण वि.व. 2016-17 में ₹ 4.85 लाख करोड़ से 17.8 प्रतिशत बढ़कर वि.व. 2017-18 में ₹ 5.71 लाख करोड़ हो गया। आयकर से संग्रहण वि.व 2016-17 में ₹ 3.41 लाख करोड़ से 19.9 प्रतिशत बढ़कर वि.व 2017-18 में ₹ 4.08 लाख करोड़ हो गया।

गैर-निगमित निर्धारितियों की संख्या 23.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वि.व. 2016-17 में 4.37 करोड़ से बढ़कर वि.व 2017-18 में 5.38 लाख करोड़ हो गई। निगमित निर्धारितियों की संख्या 12.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वि.व. 2016-17 में 7.13 लाख से बढ़कर वि.व 2017-18 में 7.99 लाख हो गई।

बकाया मांग वि.व. 2016-17 में ₹ 10.4 लाख करोड़ से बढ़कर वि.व. 2017-18 में ₹ 11.1 लाख करोड़ हो गई। विभाग ने दर्शाया कि 98.2 प्रतिशत से अधिक की असंग्रहीत मांग की वसूली मुश्किल है।

सीआईटी (अपील) के पास लम्बित अपीलों की संख्या वि.व. 2016-17 में 2.9 लाख से बढ़कर वि.व. 2017-18 में 3.0 लाख हो गई। इन मामलों में अवरूद्ध राशि वि.व. 2017-18 में ₹ 5.2 लाख करोड़ थी। उच्चतर स्तरों (आईटीएटी/उच्च न्यायालयों/सर्वोच्च न्यायालय) में अवरूद्ध राशि वि.व. 2016-17

में ₹ 4.40 लाख करोड़ (82,806 मामले) से बढ़कर वि.व. 2017-18 में ₹ 4.43 लाख करोड़ (82,643 मामले) हो गई।

अध्याय II: लेखापरीक्षा अधिदेश, उत्पाद और प्रभाव

वि.व 2016-17 के दौरान, आईटीडी ने वि.व 2017-18 की लेखापरीक्षा योजना के अनुसार लेखापरीक्षा की गई इकाईयों में 2.73 लाख संवीक्षा निर्धारण पूरे किये थे। जिसमें से 2.6 लाख मामलों की हमने जांच की। इसके अतिरिक्त, वि.व 2017-18 के दौरान पूर्व वित्तीय वर्षों में पूरे किये गये 1.07 लाख संवीक्षा निर्धारण में से हमने 0.47 लाख मामलों की भी लेखापरीक्षा की। वि.व 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा में जांच किये गये निर्धारणों में 0.20 लाख मामलों (विगत वर्ष 7.2 प्रतिशत के विपरीत इस वर्ष 6.45 प्रतिशत) में त्रुटियाँ थीं।

विगत वर्षों में निगम कर और आयकर निर्धारण मामलों के संबंध में सतत् और व्यापक अनियमितताएं रही हैं। पूर्व लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बार-बार इंगित करने के बावजूद ऐसी अनियमितताएं बार-बार होना, विभाग में संरचनात्मक कमजोरी के साथ-साथ इनमें सुधार के लिए आवश्यक सस्थांगत तंत्र की कमी की ओर इशारा करती हैं। ऐसी अनियमितताएं विशेषतः महाराष्ट्र और दिल्ली के निर्धारण प्रभागों में देखी गई थीं।

हमने इस रिपोर्ट के अध्याय III और IV में मंत्रालय को सूचित किये गये 472 उच्च मूल्य मामले शामिल किये हैं। इनमें से, 31 मार्च 2019 तक हमने 325 मामलों के संबंध में उत्तर प्राप्त किये जिनमें से 302 मामले (92.9 प्रतिशत) स्वीकार किये गये थे और 23 मामले अस्वीकृत किये गये थे। शेष मामलों में, मंत्रालय/आईटीडी ने उत्तर नहीं दिया। इसके अतिरिक्त, दो लंबे ड्राफ्ट पैरा नामतः 'धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं को छूटों की अनुवर्ती लेखापरीक्षा'; और 'एक समूह कंपनी के निर्धारणों की एकीकृत लेखापरीक्षा' इस रिपोर्ट के क्रमशः अध्याय VI और VII में अलग से शामिल किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट में 'कृषि आय से संबंधित निर्धारणों' पर एक विषय विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा पर भी चर्चा की गई है। जिसे अध्याय V में दिया है।

विगत तीन वर्षों में, आईटीडी ने निर्धारणों में त्रुटियां जिन्हें हमारे द्वारा उठाया गया था; सुधारने के लिए की गई मांगों से ₹ 1,076.06 करोड़ वसूल किए थे। 52,417 ऐसे मामले हैं जिनमें ₹ 1.13 लाख करोड़ के राजस्व प्रभाव शामिल हैं जो कि आईटीडी से उत्तर की प्रतीक्षा में 31 मार्च 2018 तक निपटाये नहीं गये थे।

वि.व 2017-18 के दौरान, ₹ 2,735.17 करोड़ के कर प्रभाव वाले 2,739 मामले किसी सुधारात्मक कार्रवाई किये जाने के लिए समय बाधित हो गये।

अध्याय III: निगम कर

हमने ₹ 4,866.66 करोड़ के कर प्रभाव सहित निगम कर से संबंधित 340 उच्च मूल्य मामले इंगित किये। हमने इन मामलों को चार वृद्ध श्रेणियों में विभाजित किया जैसे. (i) निर्धारणों की गुणवत्ता जिसमें ₹ 1,121.78 करोड़ (118 मामले) कर प्रभाव शामिल था; (2) कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन जिसमें ₹ 3,149.58 करोड़ (141 मामले) कर प्रभाव शामिल था; (3) चूकों के कारण निर्धारण से छूट गई आय जिसमें ₹ 359.47 करोड़ (56 मामले) कर प्रभाव शामिल था और (4) कर/ ब्याज के अधिक प्रभार जिसमें ₹ 235.83 करोड़ (25 मामले) शामिल थे।

अध्याय IV: आयकर

हमने ₹ 331.06 करोड़ के कर प्रभाव सहित आय कर के 132 उच्च मूल्य मामले इंगित किये। हमने इन मामलों को चार व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया जैसे. (i) निर्धारणों की गुणवत्ता जिसमें ₹ 276.53 करोड़ (85 मामले) कर प्रभाव शामिल था; (2) कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन जिसमें ₹ 39.23 करोड़ (26 मामले) कर प्रभाव शामिल था; (3) चूकों के कारण निर्धारण से छूट गई आय जिसमें ₹ 5.17 करोड़ (56 मामले) कर प्रभाव शामिल था और (4) कर/ ब्याज के अधिक प्रभार जिसमें ₹ 10.12 करोड़ (9 मामले) शामिल थे।

अध्याय V: कृषि आय से संबंधित निर्धारणों

i) हमने 6,778 मामलों की लेखापरीक्षा की और पाया कि 1,527 संवीक्षा निर्धारण (22.5 प्रतिशत) मामलों में, कृषि आय के संबंध में छूट के दावे उपयुक्त दस्तावेज और सहायक दस्तावेजों के सत्यापन के बिना ही अनुमत किए गए थे। हमने पाया कि 1,527 मामलों में से जहां निर्धारण अधिकारी द्वारा दस्तावेजीकरण और सत्यापन अपर्याप्त था, 716 मामलों में (10.6 प्रतिशत) भूमि दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे और कृषि आय और व्यय, जैसे बही खाता, बिल, बीजक आदि के प्रमाण 1,270 मामलों में (18.7 प्रतिशत) उपलब्ध नहीं थे। इसलिए, यह निर्धारित करना संभव नहीं था कि क्या मौजूदा प्रणाली यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुदृढ़ थी कि निर्धारितियों को निर्धारण प्रक्रिया में पर्याप्त जांच के बाद ही कृषि आय पर छूट की अनुमति दी जा रही थी।

यद्यपि, संवीक्षा मामलों में चयनित नमूनों की जांच के आधार पर अपर्याप्त जांच या अपूर्ण दस्तावेजीकरण के आधार पर कृषि आय की छूट अनुमति के बारे में बताया गया है, आयकर विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुमति केवल पात्र निर्धारितियों को दी गई है तथा यह उचित दस्तावेजों तथा उनकी जांच पर आधारित है, न केवल शेष संवीक्षा मामलों की पुनःजांच करनी चाहिए अपितु उन सभी मामलों की भी जांच करनी चाहिए, जहां आय एक

निश्चित सीमा से ऊपर जैसे ₹ 10 लाख या उससे अधिक है, कृषि आय के रूप में अनुमति की गयी है।

ii) हमने पाया कि नौ राज्यों में लेखापरीक्षा में की गई जांच के 3,133 मामलों में से, 48 मामलों में निर्धारण आदेश की तुलना में आईटीडी डेटाबेस में दर्शायी अनुमत छूट में अंतर था। आईटीडी डेटाबेस ऐसे मामलों में जहां अनुमत कृषि आय निर्धारितियों द्वारा किये गये दावों से अलग थी; में कृषि आय निर्धारितियों द्वारा विवरणी में दिखायी गई कृषि आय को दर्शा रहा था या अप्रासंगिक आंकड़ों को।

iii) डीजीआईटी (प्रणाली) ने उन 2,746 मामलों में जहां विवरणी में कृषि आय ₹ एक करोड़ से अधिक थी, के संबंध में विवरणी फाइल करते समय डाटा प्रविष्टि त्रुटियों से संबंधित स्थिति रिपोर्ट मांगी थी। 136 आयुक्तालयों में से केवल 26 आयुक्तालयों ने 327 मामलों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई थी। इस छोटे से नमूने में भी 36 अर्थात् 11 प्रतिशत मामलों में डाटा प्रविष्टि त्रुटियां देखी गई थी। इन 36 मामलों में से 12 मामलों में डेटा प्रविष्टि त्रुटियों में सुधार किया जाना (जनवरी 2019) था। डाटाबेस में त्रुटियां दोहरा जोखिम दर्शाती हैं; एक तरफ कर की हानि और दूसरी तरफ करदाता को परेशान करना। इसलिए विभाग को सभी आयुक्तालयों के लिए ऐसे मामलों में ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बिना किसी अपवाद के सभी मामलों में आंकड़ा प्रविष्टि की त्रुटियां सही कर दी गयी हैं।

ऐसी डेटा प्रविष्टि त्रुटियों का अस्तित्व एएसटी डेटा को अविश्वसनीय बना देगा। ऐसी निरंतर डाटा प्रविष्टि त्रुटियों का कारण जांच का विषय है। आयकर विभाग को यह भी जांचने की आवश्यकता है कि क्यों एक आईटी प्रणाली के साथ सह अस्तित्व में मैनुअल प्रक्रिया की अनुमति दी जाती है। इसे निर्धारित के साथ वास्तविक इंटरफेस समाप्त करने की दिशा में काम करना चाहिए।

iv) लेखापरीक्षा ने कृषि भूमि से प्राप्त आय के लिए गलत छूट, आंशिक कृषि आय के लिए छूट की गलत स्वीकृति, पुनः पौधारोपण व्यय/गलत निर्यात टर्नओवर अंगीकरण के कारण अधिक छूट की अनुमति और मछली विक्रय, बकरी विक्रय, सूखे अंगूर की विक्रय, दूध की बिक्री आदि सहित गैर कृषि आय की छूट आदि में, अधिनियम के प्रावधानों की अननुपालना भी देखी।

अध्याय VI: धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं को छूटों की अनुवर्ती लेखापरीक्षा

वि.व. 2017-18 के दौरान, धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं की छूट की अनुवर्ती नमूना जांच में, लेखापरीक्षा ने अनियमितताओं के मामले पाये जैसेकि

(i) संबंधित गुप ट्रस्टों/संस्थाओं को आय/संपत्ति के विपथन को आय का उपयोग मानना; (ii) उन निर्धारितियों को छूट दी गई जिनकी गतिविधियाँ धर्मार्थ प्रकृति

की नहीं थी; (iii) व्यय और संचय की अनुमति जहां छूट से मना किया गया था; (iv) अधिनियम में निर्दिष्ट उन प्रारूपों या स्वरूपों के अलावा ट्रस्टों द्वारा संचित धन के निवेश की निगरानी का अभाव; (v) विदेशी विश्वविद्यालयों को दी गई निधियों के उपयोग पर ट्रस्ट को छूट अनुमत; (vi) निर्धारिती को छूट प्रदान की जहां विदेशी मुद्रा दान सहित स्वैच्छिक योगदान को दाता के विशिष्ट निर्देश के बिना कॉर्पस कोष के रूप में माना गया था; (vii) पंजीकरण रद्द नहीं करना जहां ट्रस्ट और संस्थानों की गतिविधियां अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं हैं; और (viii) निर्धारण सूचना प्रणाली एसेसमेंट इन्फोमेशन सिस्टम का अधिभार उद्ग्रहण करने में विफलता।

पीएसी ने “धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं को छूट” पर अपनी 27^{वीं} रिपोर्ट (16^{वीं} लोकसभा) में शामिल समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर अपनी 104^{वीं} रिपोर्ट में भी यह सुझाव दिया था कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अंतरालों के उपाय और भविष्य में पुनरावृत्ति को कैसे रोके पर सिफारिशें दें। मुख्य सिफारिशें नीचे दी गई हैं।

- i. सीबीडीटी धर्मार्थ ट्रस्ट या संस्थान द्वारा विदेशी दान के लिए पूर्व अनुमोदन को एक पूर्व-शर्त बनाने के प्रावधान में संशोधित करने पर विचार कर सकता है। सीबीडीटी एक सीमा, जैसेकि इस तरह के दान के लिए आय की 5 से 10 प्रतिशत, भी निर्दिष्ट करे।
- ii. सीबीडीटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन नहीं करने के मामलों में ट्रस्टी को भी उत्तरदायी बनाने के प्रावधान शामिल करने पर विचार करे।
- iii. धर्मार्थ ट्रस्टों और संस्थानों को छूट के लिए कुछ प्रावधानों यथा 1.4.1952 को या उसके बाद धारा 11(1)(सी), 30 नवम्बर 1983 के बाद धारा 13(1)(डी)(iii), 1.6.1973 से अनंतिम धारा 13(1)(डी) (iii) विशिष्ट तिथियों से हैं और अलग-अलग ट्रस्टों पर अलग तरीके से लागू होते हैं जिसे एक स्तर पर प्लेईंग क्षेत्र प्रदान नहीं करते हैं। सीबीडीटी उन ट्रस्टों पर लागू ऐसे प्रावधानों के लिए एक समापक उपनियम को सम्मिलित करते हुए एक स्तर के प्लेईंग क्षेत्र में लाने पर विचार कर सकता है, जिन कार्यों के आधार पर लाभ को बरकरार रखा है, जो अब निषिद्ध हैं, पहले लिया जा चुका है। ऐसे प्रावधानों के लिए एक समापक उपनियम सुनिश्चित करेगा कि अब हितलाभ किसी के लिए उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार, सभी प्रकार के ट्रस्टों और संस्थानों के साथ समान तरह से बर्ताव किया गया है। यह ट्रस्टों के निर्धारण में कठिनाईयों को कम करेगा, जब विभिन्न ट्रस्टों से विभिन्न प्रकार से बर्ताव होता है, और निर्धारण में त्रुटियों को कम करेगा। सीबीडीटी प्रभावित ट्रस्टों को नये प्रावधानों के साथ अनुपालन के लिए जैसेकि तीन वर्षों की एक अवधि देने पर विचार कर सकता है।

iv. चूँकि पिछली 2013 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 20 में बताए गए मामले जारी हैं, अतः आयकर विभाग को बिना अपवाद के सभी ट्रस्ट मामलों की समीक्षा करने तथा यह सुनिश्चित करने का परामर्श दिया जाता है कि उनको अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार छूट तथा रियायत की अनुमति दी गई है और उन ट्रस्टों का, जो निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करते, पंजीकरण की समीक्षा की गई है।

अध्याय VII: एक समूह कंपनी के निर्धारणों की एकीकृत लेखापरीक्षा

हमने पाया कि किसी समूह में संबंधित कंपनियों के निर्धारण के दौरान सटीकता/व्यवहारिकता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पार्टियों के साथ क्रॉस लिंगिंग मैटीरियल लेन-देनों में आईटीडी द्वारा प्रयास की कमी थी। आईटीडी में अपने विभिन्न प्रभागों के बीच सूचना साझा करने की प्रणाली की कमी थी जिसके कारण स्थाई रूप से समूह कंपनियों के निर्धारण पूरे किये गये थे जिससे महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान नहीं दिया गया जिससे कर योग्य आय निर्धारण पर प्रभाव पड़ा।

सामान्य सिफारिशें

हालांकि, मंत्रालय ने लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए मामलों के संबंध में कार्रवाई शुरू की है फिर भी यह नोट किया जाए कि यह कुछ निदर्शी मामलों ही है। समस्त निर्धारणों के पूरे यूनीवर्स में, गैर-संवीक्षा निर्धारणों सहित, कई और मामलों में ऐसी त्रुटियां होने या किए जाने की पूरी संभावना है। सीबीडीटी को न केवल अपने निर्धारणों की फिर से देखने की आवश्यकता है अपितु तथा कथित 'त्रुटि' को समाप्त करने के लिए एक त्रुटिरहित आईटी सिस्टम और आंतरिक नियंत्रण तंत्र भी रखने की आवश्यकता है।

प्रत्यक्ष कर के लिए आईटी प्रणाली को इस प्रकार से तैयार किया जाना चाहिए कि निर्धारिती तथा आयकर अधिकारियों के मध्य शून्य या कम से कम व्यक्तिगत सम्पर्क हो। सरकार प्रत्यक्ष करों के लिए आईटी प्रणाली को सीबीडीटी से एक उचित दूरी पर, एक स्वतंत्र सरकारी संस्था या संगठन के साथ रखने पर विचार कर सकती है।

सीबीडीटी जांच करें कि क्या पाई गई 'गलतियां' चूक अथवा भूल की हैं और यदि ये भूल की हैं, तो आयकर विभाग को कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।

अध्याय 1

प्रत्यक्ष कर प्रशासन

1.1 संघ सरकार के संसाधन

1.1.1 भारत सरकार के संसाधनों में संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ट्रेजरी बिल जारी करके लिए गए सभी ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण तथा ऋण के पुनर्भुगतान में सरकार को प्राप्त सभी धन शामिल हैं। संघ सरकार के कर राजस्व संसाधनों में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त राजस्व शामिल हैं। निम्न तालिका 1.1 वित्तीय वर्ष (वि.व.) 2017-18 और वि.व. 2016-17 के लिए संघ सरकार के संसाधनों का सारांश प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.1: संघ सरकार के संसाधन	(₹ करोड़ में)	
	वि.व. 2017-18	वि.व. 2016-17
क. कुल राजस्व प्राप्तियां	23,64,148	22,23,988
i. प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां	10,02,738	8,49,801
ii. अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां ¹	9,16,445	8,66,167
iii. गैर-कर प्राप्तियाँ	4,41,383	5,06,721
iv. अनुदान सहायता और योगदान	3,582	1,299
ख. विविध पूँजी प्राप्तियां ²	1,00,049	47,743
ग. ऋणों और अग्रिमों की वसूली ³	70,639	40,971
घ. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां ⁴	65,54,002	61,34,137
भारत सरकार की प्राप्तियां (क + ख + ग + घ)	90,88,838	84,46,839

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखे। प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों और अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों की संगणना संघ वित्त लेखे से की गई है। कुल राजस्व प्राप्तियों में सीधे राज्यों को सौंपे गए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों की निवल प्राप्तियों के हिस्से के रूप में वि.व. 2017-18 में ₹6,73,005 करोड़ और वि.व. 2016-17 में ₹6,08,000 करोड़ शामिल हैं।

1.1.2 वि.व. 2017-18 में, भारत सरकार की प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों और कुल राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि द्वारा होती है। वि.व. 2017-18 में प्रत्यक्ष कर कुल राजस्व प्राप्तियों का 42.4 प्रतिशत था जिससे पिछले वर्ष की प्राप्तियों की तुलना में 18.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.2 प्रत्यक्ष करों का स्वरूप

1.2.1 संसद द्वारा उदग्रहीत प्रत्यक्ष करों में मुख्यतः शामिल हैं:

i. कम्पनियों की आय पर उदग्रहीत निगम कर;

- 1 अप्रत्यक्ष कर माल और सेवाओं पर लगाया गया जैसे कि सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय वस्तु और सेवा कर, एकीकृत माल और सेवा कर आदि;
- 2 इसमें बोनस शेयर का मूल्य, सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों के विनिवेश तथा अन्य प्राप्तियां शामिल हैं;
- 3 संघ सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली;
- 4 भारत सरकार द्वारा आंतरिक के साथ साथ बाह्य उधारियों;

- ii. व्यक्तियों की आय पर उद्ग्रहीत **आयकर** (कम्पनियों को छोड़कर);
- iii. प्रतिभूति लेनदेन कर⁵, धनकर⁶ आदि सहित **अन्य प्रत्यक्ष कर**।

1.2.2 तालिका 1.2 प्रत्यक्ष कर प्रशासन का एक आशुचित्र उपलब्ध कराती है।


तालिका 1.2: प्रत्यक्ष कर प्रशासन					
	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
₹ करोड़ में					
1. प्रत्यक्ष कर संग्रहण	6,38,596	6,95,792	7,42,012	8,49,801	10,02,738
क. निगम कर	3,94,678	4,28,925	4,53,228	4,84,924	5,71,202
ख. आयकर	2,37,870	2,58,374	2,80,390	3,40,592	4,08,202
ग. अन्य प्रत्यक्ष कर	6,048	8,493	8,394	24,285	23,334
2. प्रतिदाय	89,060	1,12,163	1,22,596	1,62,582	1,51,639
3. प्रतिदाय पर ब्याज	6,598	5,332	6,886	10,312	17,063
संख्या लाख में					
4. फाईल की गई वास्तविक रिटर्न					
क. गैर-निगमित निर्धारितियों	304.0	360.6	398.0	436.9	537.9
ख. निगमित निर्धारितियों	6.4	6.8	6.9	7.1	8.0
5. राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	3,687	4,148	4,689	5,623	6,172
स्रोत: क्रम सं. 1 और 5 संघ वित्त लेखे, क्रम सं. 2 प्र. सीसीए, सीबीडीटी और क्रम सं. 3 से 4 आयकर प्र. महानिदेशालय (प्रशा. एवं करदाता सेवाएं), शोध एवं सांख्यिकी विंग					

1.2.3 निम्न तालिका 1.3 में आय की विभिन्न श्रेणियों में गैर-निगमित निर्धारितियों के विवरण दर्शाये गये हैं-

तालिका 1.3: गैर-निगमित निर्धारिती						(आंकड़े लाख में)
वित्तीय वर्ष	क ⁷	ख ⁸	ख ⁹	ग ¹⁰	घ ¹¹	कुल
2013-14	117.23	135.79	34.24	16.72	0.05	304.03
2014-15	76.32	216.31	46.11	21.80	0.01	360.55
2015-16	55.93	264.47	52.94	24.69	0.01	398.04
2016-17	54.17	290.16	61.85	30.69	0.02	436.89
2017-18	61.16	360.63	79.04	37.05	0.02	537.90
स्रोत: आयकर प्र. महानिदेशालय (प्रशा. एवं करदाता सेवाएं), शोध एवं सांख्यिकी विंग। यह आंकड़े संबंधित वर्ष के दौरान वास्तविक फाईल की गई रिटर्न के आधार पर हैं।						

- 5 भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खरीदी गई और बेची गई कर योग्य प्रतिभूतियों के मूल्य पर कर।
- 6 निवल धन पर प्रभार्य कर में धनकर अधिनियम 1957 की धारा 2(ईए) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कुछ परिसम्पत्तियां शामिल हैं। धन कर को वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा समाप्त कर दिया गया है।
- 7 श्रेणी 'क' निर्धारिती - ₹ 2 लाख से नीचे की आय/हानि वाले निर्धारण;
- 8 श्रेणी 'ख'¹ निर्धारिती (निम्न आय समूह) - ₹ दो लाख और उससे अधिक परन्तु ₹ दो लाख से नीचे की आय/हानि वाले निर्धारण;
- 9 श्रेणी 'ख'² निर्धारिती (उच्च आय समूह) - ₹ पांच लाख और उससे अधिक; परन्तु ₹ 10 लाख से नीचे आय/हानि वाले निर्धारण;
- 10 श्रेणी 'ग' निर्धारिती - ₹ 10 लाख और उससे अधिक की आय/हानि वाले निर्धारण
- 11 श्रेणी 'घ' निर्धारिती - तलाशी और जब्ती निर्धारण

गैर-निगमित निर्धारितियों की संख्या में वि.व. 2016-17 में 9.8 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वि.व. 2017-18 में 23.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की थी। जैसा कि उपरोक्त तालिका 1.3 और चार्ट 1.1 से देखा जा सकता है, वि.व. 2016-17 की तुलना में वि.व. 2017-18 के दौरान श्रेणी 'ख₁', श्रेणी 'ख₂' और श्रेणी 'ग' में 24.3 प्रतिशत, 27.8 प्रतिशत और 20.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि, इन श्रेणियों में विगत वर्षों की तुलना में वि.व. 2016-17 के दौरान 9.7 प्रतिशत, 16.8 प्रतिशत और 24.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।



1.2.4 निम्न तालिका 1.4 में आय की विभिन्न श्रेणियों में निगमित निर्धारितियों के विवरण दर्शाये गये हैं।

तालिका 1.4: निगमित निर्धारित							(आंकड़े लाख में)		
वित्तीय वर्ष	क ¹²	ख ₁ ¹³	ख ₂ ¹⁴	ग ¹⁵	घ ¹⁶	कुल	₹ 25 लाख से अधिक आय वाले निर्धारित	31 मार्च को आरओसी अनुसार कार्य करने वाली कंपनियां	को के
2013-14	4.14	0.89	0.31	1.01	0.01	6.36	0.65	9.52	
2014-15	3.20	1.51	0.48	1.56	0.00*	6.75	0.69	10.16	
2015-16	3.08	1.59	0.50	1.71	0.00^	6.88	0.76	10.82	
2016-17	3.14	1.65	0.53	1.81	0.00#	7.13	1.44	11.11	
2017-18	3.57	1.85	0.58	1.99	0.00\$	7.99	1.31	10.49	

स्रोत: आयकर प्र. महानिदेशालय (प्रशा. एवं करदाता सेवाएं), शोध एवं सांख्यिकी विंग। यह आंकड़े संबंधित वर्ष के दौरान वास्तविक फाईल की गई रिटर्न के आधार पर हैं।

* 256 निर्धारित; ^ 337 निर्धारित; # 134 निर्धारित; \$ 195 निर्धारित

¹² श्रेणी 'क' निर्धारित - ₹ 50,000 से कम आय/हानि वाले निर्धारण;


¹³ श्रेणी 'ख₁' निर्धारित (निम्न आय समूह) - ₹ 50,000 और उससे अधिक परंतु ₹ पांच लाख से नीचे की आय/हानि वाले निर्धारण;

¹⁴ श्रेणी 'ख₂' निर्धारित (उच्च आय समूह) - ₹ पांच लाख और उससे अधिक; परंतु ₹ 10 लाख से नीचे की आय/हानि वाले निर्धारण;

¹⁵ श्रेणी 'ग' निर्धारित - ₹ 10 लाख और उससे अधिक की आय/हानि वाले निर्धारण;

¹⁶ श्रेणी 'घ' निर्धारित - तलाशी और जब्ती वाले निर्धारण;

निगमित निर्धारितियों में वि.व. 2016-17 में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वि.व. 2017-18 में 12.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।



1.2.5 कम्पनियों के रजिस्ट्रार (आरओसीज़)¹⁷ के डाटा के अनुसार कुल कार्यरत कम्पनियों के आंकड़े की आयकर विभाग के अनुसार कुल फाइलर्स के साथ तुलना से पता चला कि पहचाने गए नॉन फाइलर्स द्वारा अनुपालन सुनिश्चित कराना प्रभावी नहीं है। वि.व. 2016-17 के अनुसार आरओसी के साथ पंजीकृत 11.11 लाख कम्पनियां थी जिसके प्रति यह देखा गया कि वि.व. 2017-18 में, केवल 8.0 लाख कम्पनियों ने आयकर रिटर्न फाइल किया था। यद्यपि सभी कार्यरत कम्पनियों (चाहे लाभ अर्जन करने वाली या हानि करने वाली) को आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अनुसार अपनी आयकर रिटर्न फाइल करना अपेक्षित है, जबकि आरओसी में ऐसी पंजीकृत चालू कंपनियों ने वि.व. 2015-16 में 34.4 प्रतिशत के विपरीत वि.व. 2016-17 में 28.0 प्रतिशत ने अपनी आयकर रिटर्न फाइल नहीं की।

1.3 सीबीडीटी के कार्य एवं उत्तरदायित्व

1.3.1 वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग (डीओआर) के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) भारत में प्रत्यक्ष करों की नीति और योजना बनाने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। उसके साथ-साथ, यह आयकर विभाग (आईटीडी) के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन के लिए भी उत्तरदायी है। आयकर विभाग प्रत्यक्ष करों के उद्ग्रहण और संग्रहण से संबंधित मामलों के साथ कर अपवंचन, राजस्व आसूचना, कर आधार बढ़ाने, करदाताओं को

¹⁷ स्रोत: कॉरपोरेट मामला मंत्रालय, सांख्यिकीय डिविजन, नई दिल्ली

सेवाएं प्रदान करने, शिकायत निवारण तंत्र आदि से संबंधित मामलों को देखता है।

1.3.2 31 मार्च 2018¹⁸ को आईटीडी की समस्त स्टाफ संख्या और कार्यरत संख्या क्रमशः 74,336 तथा 41,338 हैं। अधिकारियों¹⁹ की संस्वीकृत और कार्यरत संख्या क्रमशः 10,865 और 9,445 है। वर्ष 2017-18 के लिए राजस्व व्यय ₹ 6,172 करोड़²⁰ हैं।

1.4 प्रत्यक्ष कराधान की बजटिंग

1.4.1 बजट सरकार की दृष्टि एवं उद्देश्य को प्रदर्शित करता है। राजस्व बजट में सरकार की राजस्व प्राप्तियां (कर राजस्व और अन्य राजस्व) और शामिल होती हैं। बजट अनुमानों के तदनुसारी वास्तविक से तुलना राजकोषीय प्रबंधन की गुणवत्ता का संकेतक है। वास्तविकता अप्रत्याशित और यादृच्छिक रूप से बाह्य घटनाओं या प्रणालीगत अपर्याप्तताओं या अवास्तविक धारणाओं के कारण अनुमानों से भिन्न हो सकती है।

1.4.2 निम्न तालिका 1.5 वि.व. 2013-14 से वि.व. 2017-18 के दौरान बजट अनुमानों (बीई), संशोधित अनुमानों (आरई) तथा प्रत्यक्ष करों के वास्तविक संग्रहण के ब्यौरे दर्शाती है।

तालिका 1.5: प्रत्यक्ष करों के वास्तविक संग्रहण की तुलना में बजट अनुमान, संशोधित अनुमान							(₹ करोड़ में)	
वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	वास्तविक माइनस बजट अनुमान	वास्तविक माइनस संशोधित अनुमान	बजट अनुमानों के प्रतिशत के रूप में अंतर	संशोधित अनुमानों के प्रतिशत के रूप में अंतर	
2013-14	6,68,109	6,36,318	6,38,596	(-) 29,513	2,278	(-) 4.4	0.4	
2014-15	7,36,221	7,05,628	6,95,792	(-) 40,429	(-) 9,836	(-) 5.5	(-) 1.4	
2015-16	7,97,995	7,52,021	7,42,012	(-) 55,983	(-) 10,009	(-) 7.0	(-) 1.3	
2016-17	8,47,097	8,47,097	8,49,801	2,704	2,704	0.3	0.3	
2017-18	9,80,000	10,05,000	10,02,738	22,738	(-) 2,262	2.3	(-) 0.2	

स्रोत: बीई और आरई आंकड़े संबंधित प्राप्ति बजट और वास्तविक संबंधित वित्तीय लेखाओं के अनुसार हैं।

1.4.3 संशोधित अनुमानों और वास्तविक संग्रहण के बीच भिन्नता वि.व. 2013-14 से वि.व. 2017-18 की अवधि के दौरान संशोधित अनुमानों के (-) 1.4 प्रतिशत से 0.4 प्रतिशत के बीच थी। बजट अनुमानों और वास्तविक के

¹⁸ एसीआईटी/एडीआईटी और उससे उपर के संस्वीकृत और कार्यरत संख्या के आंकड़े 25 अक्टूबर 2017 के हैं

¹⁹ प्र.सीसीआईटी/प्र.डीजीआईटी, सीसीआईटी/डीजीआईटी, प्र सीआईटी/प्र.डीआईटी, सीआईटी/डीआईटी, अपर सीआईटी/अपर डीआईटी, डीआईटी/जेसीआईटी/जेडीआईटी/डीसीआईटी/ डीडीआईटी, एसीआईटी/एडीआईटी तथा आईटीओज़

²⁰ वि.व. 2016-17 के संघ वित्त लेखे।

बीच भिन्नता उक्त अवधि में ही संशोधित अनुमानों और वास्तविक के बीच भिन्नता की तुलना में अधिक थी।

1.5 प्रत्यक्ष करों में वृद्धि

1.5.1 निम्न तालिका 1.6 वि.व. 2013-14 से वि.व. 2017-18 के दौरान सकल कर प्राप्तियों²¹ (जीटीआर) और सकल घरेलू उत्पादों (जीडीपी) के संदर्भ में प्रत्यक्ष करों (डीटी) की संबंधित वृद्धि को दर्शाती है।

तालिका 1.6: प्रत्यक्ष करों की वृद्धि					(₹ करोड़ में)	
वित्तीय वर्ष	डीटी	जीटीआर	जीटीआर के प्रतिशत के रूप में डीटी	जीडीपी	डीटी जीडीपी के प्रतिशत के रूप में	
2013-14	6,38,596	11,38,996	56.1	1,13,45,056	5.6	
2014-15	6,95,792	12,45,135	55.9	1,25,41,208	5.5	
2015-16	7,42,012	14,55,891	51.0	1,35,76,086	5.5	
2016-17	8,49,801	17,15,968	49.5	1,51,83,709	5.6	
2017-18	10,02,738	19,19,183	52.2	1,67,73,145	6.0	

स्रोत: प्रत्यक्ष कर तथा जीटीआर-संघ वित्त लेखे, जीडीपी-केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय; वि.व. 2017-18 के लिए जीडीपी-31 मई 2018 को सीएसओ द्वारा प्रकाशित प्रकाशित प्रैस नोट।

1.5.2 यद्यपि, वि.व. 2016-17 की तुलना में वि.व. 2017-18 में डीटी में 18.0 प्रतिशत तक वृद्धि हुई, फिर भी जीटीआर में प्रत्यक्ष करों के भाग में वि.व. 2016-17 की तुलना में वि.व. 2017-18 में (2.7 प्रतिशत) तक वृद्धि हुई। वि.व. 2016-17 में 5.6 प्रतिशत की तुलना में प्रत्यक्ष कर वि.व. 2017-18 के दौरान जीडीपी का 6.0 प्रतिशत था।

1.5.3 निम्न तालिका 1.7 वि.व. 2013-14 से वि.व. 2017-18 के दौरान प्रत्यक्ष करों और अपने प्रमुख संघटकों जैसे निगम कर (सीटी) और आयकर (आईटी) में वृद्धि को दर्शाती है।

तालिका 1.7: प्रत्यक्ष करों और इसके प्रमुख घटकों की वृद्धि							(₹ करोड़ में)
वित्तीय वर्ष	प्रत्यक्ष कर	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	निगम कर	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	आयकर	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	
2013-14	6,38,596	14.2	3,94,678	10.8	2,37,870	20.8	
2014-15	6,95,792	9.0	4,28,925	8.7	2,58,374	8.6	
2015-16	7,42,012	6.6	4,53,228	5.7	2,80,390	8.5	
2016-17	8,49,801	14.5	4,84,924	7.0	3,40,592	21.5	
2017-18	10,02,738	18.0	5,71,202	17.8	4,08,202	19.9	

स्रोत: संघीय वित्तीय लेखे

21 इसमें सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर शामिल हैं।

1.5.4 वि.व. 2016-17 में आयकर में 21.5 प्रतिशत तथा निगम कर में 7.0 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वि.व. 2017-18 में आयकर में 19.9 प्रतिशत तथा निगम कर में 17.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

1.5.5 निगम तथा आयकर दोनों के संबंध में प्रत्यक्ष कर संग्रहण के विभिन्न स्तरों पर कर कटौती (टीडीएस), अग्रिम कर, स्व-निर्धारण कर, नियमित निर्धारण कर हैं। टीडीएस, अग्रिम कर तथा स्व-निर्धारण कर के माध्यम से पूर्व निर्धारण संग्रहण, प्रणाली में स्वैच्छिक अनुपालन का सूचक है। नियमित निर्धारण स्तर के माध्यम से किया गया कर संग्रहण पश्च निर्धारण पर होता है।

1.5.6 निम्न तालिका 1.8 वि.व. 2013-14 से वि.व. 2017-18 के दौरान विभिन्न चरणों के तहत निगम और आय कर के संग्रहण को दर्शाती है।

तालिका 1.8: निगम और आयकर का संग्रहण								(₹ करोड़ में)	
वित्तीय वर्ष	टीडीएस	अग्रिम कर	स्व-निर्धारण कर	पूर्व मूल्यांकन संग्रहण (कॉ. 2 + 3 + 4)	कुल पूर्व-आकलन संग्रहण का प्रतिशत	नियमित मूल्यांकन कर	अन्य प्राप्तियां	कुल संग्रह (कॉ. 5 + 7 + 8)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
2013-14	2,48,547	2,92,522	44,123	5,85,192	81.1	72,528	63,884	7,21,604	
2014-15	2,59,106	3,26,525	52,050	6,37,681	79.8	80,189	81,589	7,99,459	
2015-16	2,87,412	3,52,899	54,860	6,95,171	81.2	63,814	96,940	8,55,925	
2016-17	3,44,134	4,06,769	68,160	8,19,063	82.8	74,138	95,886	9,89,087	
2017-18	3,80,641	4,70,242	83,219	9,34,102	82.6	92,044	1,04,897	11,31,043	

स्रोत: प्र.सीसीए, सीबीडीटी। अन्य प्राप्तियों में अधिभार तथा उपकर शामिल हैं। संग्रहण आंकड़ों में प्रतिदाय भी शामिल है। वि.व. 2016-17 में टीडीएस संग्रहण के आंकड़ों में ₹ 3,43,134 करोड़ से ₹ 3,44,134 करोड़ संशोधित किये गये हैं। वि.व. 2017-18 में, संघ वित्त लेखों की तुलना में आयकर संग्रहण में ₹ 79 लाख का अंतर है।

1.5.7 तालिका 1.8 के अनुसार स्रोत पर काटे गए कर का डाटा यह दर्शाता है कि टीडीएस में वि.व. 2013-14 से वि.व. 2017-18 तक की अवधि में 53.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए वि.व. 2013-14 में ₹ 2.5 लाख करोड़ से वि.व. 2017-18 में ₹ 3.8 लाख करोड़ की वृद्धि हुई है। उपरोक्त अवधि में स्वयं-निर्धारण कर और अग्रिम कर में क्रमशः 88.6 प्रतिशत और 60.8 प्रतिशत तक वृद्धि हुई।

1.6 कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव

1.6.1 किसी कर कानून तथा इसके प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य सरकारी व्ययों के वित्तपोषण हेतु राजस्वों को बढ़ाना है। सृजित राजस्व की राशि प्राथमिक रूप से कर आधार और प्रभावी कर दरों पर निर्भर करती है। इन दो कारकों के निर्धारक उपायों की श्रेणी है जिसमें विशेष कर दरें, छूटें, कटौतियाँ, रियायतें, आस्थगित अदायगी और क्रेडिट शामिल है। इन उपायों को सामूहिक रूप से 'कर

प्रोत्साहन या कर प्राथमिकता' कहा जाता है। इन्हें कर व्यय के रूप में भी संदर्भित किया जाता है।

1.6.2 आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम), अन्य विषयों के साथ-साथ, निर्यात संवर्धन, संतुलित क्षेत्रीय विकास, संरचनात्मक सुविधाओं का सृजन, रोजगार, ग्रामीण विकास, वैज्ञानिक शोध और विकास, सहकारी क्षेत्र में वृद्धि तथा व्यक्तियों द्वारा बचत तथा धर्मार्थ दान हेतु कर प्रोत्साहनों का प्रावधान करता है। इनमें से अधिकतर कर लाभों को निगमित और गैर-निगमित दोनों करदाताओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

1.6.3 संघ प्राप्ति बजट निगमित और गैर निगमित करदाताओं द्वारा केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल की गई रिटर्न के आधार पर प्रमुख प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव के विवरण को दर्शाता है। निम्न तालिका 1.9 वि.व. 2013-14 से वि.व. 2017-18 के दौरान प्रमुख कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव को दर्शाती है।

तालिका 1.9: कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव (₹ करोड़ में)				
वित्तीय वर्ष	कर प्रोत्साहनों का कुल राजस्व प्रभाव	प्रतिशत के रूप में राजस्व प्रभाव		
		जीडीपी	डीटी	जीटीआर
2013-14	93,047	0.8	14.6	8.2
2014-15	1,18,593	0.9	17.0	9.5
2015-16	1,38,658	1.0	18.7	9.5
2016-17	1,55,840	1.0	18.3	9.1
2017-18	1,67,603	1.0	16.7	8.7

नोट: कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव के आंकड़े वि.व. 2017-18 (अनुमानित) को छोड़कर वास्तविक हैं। इनमें धर्मार्थ संस्थान शामिल नहीं हैं। तथापि, धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा नवंबर 2017 तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल की गई 1,37,869 रिटर्न के संबंध में ₹ 3,33,972 करोड़ प्रयोग किये गये थे। स्रोत: संबंधित प्राप्ति बजट

वि.व. 2018-19 के प्राप्ति बजट में बताये अनुसार, 34.38 प्रतिशत की औसत सांविधिक दर के विपरीत वि.व. 2016-17 के लिए निगम कर की प्रभावी दर 26.89 प्रतिशत थी।

1.6.4 वि.व. 2017-18 में दिये गये मुख्य कर प्रोत्साहन के संबंध में धारा 32 के अंतर्गत तीव्र मूल्यहास कटौतियां (₹ 66,310 करोड़), धारा 80सी के अंतर्गत विशेष निवेश और भुगतान (₹ 58,933 करोड़), धारा 10एए के अंतर्गत एसईजेड एसईजेड इकाईयों के निर्यात लाभ की कटौतियां (₹ 22,344 करोड़), धारा 80-आईए के तहत ऊर्जा के उत्पादन/संचरण एवं वितरण में उपक्रमों में कटौतियां (₹ 13,321 करोड़), धारा 35(1), (2एए) और (2एबी) के अंतर्गत वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौतियां (₹ 11,022 करोड़) थीं।

1.6.5 विगत पांच वर्षों के दौरान, कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव में सुनिश्चित रूप से बढ़ रहे हैं। तथापि, वि.व. 2015-16 से प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों और निवल कर प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में ये कम होता जा रहा है।

1.7 प्रतिदाय मामलों का निपटान

1.7.1 तालिका 1.10 वि.व. 2013-14 से वि.व. 2017-18 के दौरान प्रत्यक्ष प्रतिदाय मामलों के निपटान एवं लम्बन की प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका 1.10: प्रत्यक्ष प्रतिदाय मामलों का निपटान				(संख्या लाख में)
वित्तीय वर्ष	निपटान हेतु बकाया प्रत्यक्ष प्रतिदाय मामले	निपटान किए गए प्रत्यक्ष प्रतिदाय मामले	लंबित प्रत्यक्ष प्रतिदाय मामले	प्रतिशतता में लम्बन
2013-14	34.5	25.7	8.8	25.5
2014-15	31.5	22.6	8.9	28.1
2015-16	38.9	33.4	5.5	14.2
2016-17	43.6	38.9	4.7	10.7
2017-18	44.6	39.8	4.8	10.8

स्रोत: आयकर प्र. महानिदेशालय (प्रशा. एवं करदाता सेवाएं), शोध एवं सांख्यिकी विंग

1.7.2 यह देखा गया कि 2013-14 से 2017-18 के दौरान प्रत्यक्ष प्रतिदायों मामलों के लंबन में काफी कमी आई है।

1.7.3 वि.व. 2017-18 में सरकार ने ₹ 1,51,639 करोड़ वापस किये जिसमें ₹ 17,063 करोड़ (11.3 प्रतिशत) ब्याज शामिल हैं। वि.व. 2016-17 में प्रतिदाय पर दिया गया ब्याज ₹ 1,62,582 करोड़ के प्रतिदाय पर ₹ 10,312 करोड़ (6.3 प्रतिशत) था।

1.8 बकाया मांग

1.8.1 वि.व. 2013-14 से वि.व. 2017-18 के दौरान लंबित मांग की बकाया राशि की प्रवृत्ति तालिका 1.11 में दर्शाई गई है।

तालिका 1.11: बकाया मांग				(₹ करोड़ में)
वित्तीय वर्ष	पिछले वर्षों की बकाया मांग	वर्तमान वर्ष की बकाया मांग	कुल बकाया मांग	वसूली हेतु दुष्कर मांग
2013-14	4,80,066	95,274	5,75,340	5,52,538
2014-15	5,68,724	1,31,424	7,00,148	6,73,032
2015-16	6,67,855	1,56,356	8,24,211	8,02,256
2016-17	7,33,229	3,11,459	10,44,688	10,29,725
2017-18	7,36,975	3,77,207	11,14,182	10,94,023

स्रोत: आयकर निदेशालय (संगठन एवं प्रबंधन सेवाएं), संबंधित वि.व. के मार्च माह हेतु मांग एवं संग्रहण रिपोर्ट (सीएपी-1)।

1.8.2 संबंधित वित्तीय वर्ष के मार्च माह के मांग एवं संग्रहण विवरण में विभिन्न कारकों अर्थात् वसूली हेतु कोई परिसम्पत्ति नहीं/अपर्याप्त परिसम्पत्तियां, परिसमापन/बीआईएफआर के तहत मामलों, निर्धारिती का पता न लगना, न्यायालयों/आईटीएटी/आईटी प्राधिकरणों द्वारा स्थगित मांग, टीडीएस/पूर्व भुगतान किए गए कर बेमेल थे, आदि, जिनके कारण मांग की वसूली दुष्कर हो गई, का विश्लेषण किया गया था। यह मांग वर्ष दर वर्ष बढ़ रही है और यह

वि.व. 2016-17 में 98.6 प्रतिशत के प्रति वि.व. 2017-18 में मांग के कुल बकाया का 98.2 प्रतिशत हैं।

1.9 अपील मामलों के निपटान

1.9.1 तालिका 1.12 वि.व. 2013-14 से वि.व. 2017-18 के दौरान सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील के मामलों के निपटान और लम्बन की प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका 1.12: सीआईटी (ए) द्वारा अपील के मामलों का निपटान					
वित्तीय वर्ष	निपटान हेतु	निपटाए	लंबित	प्रतिशतता में लम्बन	अपील मामलों में अवरुद्ध राशि
	बकाया अपील मामले	गए अपील मामले	अपील मामले		
	(संख्या लाख में)				(₹ करोड़ में)
2013-14	3.03	0.88	2.15	71.0	2,87,444
2014-15	3.06	0.74	2.32	75.8	3,83,797
2015-16	3.53	0.94	2.59	73.3	5,16,250
2016-17	4.08	1.18	2.90	71.1	6,11,227
2017-18	4.25	1.21	3.04	71.7	5,18,647

स्रोत: आयकर प्र. महानिदेशालय (प्रशा. एवं करदाता सेवाएं), शोध एवं सांख्यिकी विंग

1.9.2 वि.व. 2017-18 में सीआईटी (अपील) के पास अपील मामलों में अवरोधित राशि भारत सरकार के संशोधित राजस्व घाटे से अधिक है।

1.9.3 निम्न तालिका 1.13, 31 मार्च 2018 को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणों (आईटीएटीज)/उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में लंबित अपीलों/याचिकाओं और अन्य मामलों की स्थिति दर्शाती है।

तालिका 1.13: आईटीएटीज/उच्चन्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के साथ लंबित अपील/याचिकाएँ और अन्य मामले		
प्राधिकरण जिसके पास लंबित है	लंबित मामले (संख्या में)	अवरोधित राशि (₹ करोड़ में)
आईटीएटीज	37,353	2,34,999
उच्च न्यायालय	39,066	1,96,053
सर्वोच्च न्यायालय	6,224	11,773
कुल	82,643	4,42,825

स्रोत: आयकर प्र. महानिदेशालय (प्रशा. एवं करदाता सेवाएं), शोध एवं सांख्यिकी विंग

1.9.4 उच्चतर स्तरों (आईटीएटीज/उच्च न्यायालयों/सर्वोच्च न्यायालय पर अपीलों में अवरुद्ध राशि 31 मार्च 2017 को ₹ 4.40 लाख करोड़ (82,806 मामलों) की तुलना में 31 मार्च 2018 को ₹ 4.43 लाख करोड़ (82,643 मामलों) तक बढ़ गई थी।

1.10 अन्वेषण एवं जब्ती तथा सर्वेक्षण

अन्वेषण एवं जब्ती²² तथा सर्वेक्षण²³, मुख्य प्रमाण संग्रहण तंत्रों में से एक है जो कि उन मामलों में प्रयुक्त होते हैं जहाँ कर-वंचन के बारे में विश्वसनीय सूचना आईटीडी के अधिकार में है। निम्न तालिका 1.14, वि. व. 2013-14 से वि.व. 2017-18 तक के दौरान किए गए अन्वेषण एवं जब्ती तथा सर्वेक्षण और अप्रकटित आय स्वीकृत/पता लगाई गई को दर्शाती है।

तालिका 1.14: अन्वेषण एवं जब्ती तथा सर्वेक्षण के मामलों की स्थिति (₹ करोड़ में)				
वित्तीय वर्ष	अन्वेषण किए गए समूहों की संख्या	स्वीकार की गई अप्रकटित आय (तलाशी और जब्ती में)	किए गए सर्वेक्षणों की संख्या	पता लगाई गई अघोषित आय (सर्वेक्षणों में)
2013-14	569	10,792	5,327	90,391
2014-15	545	10,288	5,035	12,820
2015-16	447	11,226	4,428	9,700
2016-17	1,152	15,497	12,526	13,716
2017-18	577	15,913	13,487	9,634

स्रोत: जांच संकद, सीबीडीटी

वि.व. 2017-18 के दौरान, वि.व. 2016-17 से संबंधित आंकड़ों की तुलना में अन्वेषण एवं जब्ती के दौरान स्वीकृत की गई अप्रकटित आय 2.7 प्रतिशत तक बढ़ी और सर्वेक्षण के दौरान जांची गई दर्शाई न गई आय 29.8 प्रतिशत तक कम हुई।

1.11 आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावकारिता

1.11.1 आंतरिक लेखापरीक्षा विभागीय नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो यह आश्वासन प्रदान करता है कि अधिनियम के प्रावधानों के सही कार्यान्वयन द्वारा मांग/प्रतिदाय सही ढंग से संसाधित किए जा रहे हैं। आयकर विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा ने वि.व. 2016-17 में लेखापरीक्षित 1,88,110 मामलों के प्रति वि.व. 2017-18 में 1,89,409 मामलों की लेखापरीक्षा पूर्ण की।

1.11.2 तालिका 1.15 वि.व. 2013-14 से वि.व. 2017-18 तक प्रत्येक पाँच वर्षों के लिए उठाई गई, निपटाई गई और लम्बित आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों का विवरण दर्शाती है:

22 किसी भी अघोषित आय या कीमती वस्तुओं का पता लगाने के लिए अधिनियम की धारा 132 के तहत अन्वेषण एवं जब्ती की जाती है।

23 किसी भी जानकारी को एकत्र करने के लिए अधिनियम की धारा 133ए और 133बी के तहत सर्वेक्षण किया जाता है, जो आईटीडी के लिए कर अपवंचन रोकने में उपयोगी हो सकता है।

तालिका 1.15: आंतरिक लेखापरीक्षा टिप्पणियों का विवरण									(₹ करोड़ में)
वित्तीय वर्ष	प्रारंभिक शेष		वृद्धि		निपटान		लम्बन		
	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	
2013-14	36,212	10,677	14,423	8,951	26,322	8,610	24,313	11,018	
2014-15	20,834 [^]	8,368	9,927	2,292	15,586	3,805	15,175	6,855	
2015-16	19,137 [^]	8,023	13,148	6,463	12,891	2,205	19,394	12,281	
2016-17	19,405 [^]	12,283	12,972	2,451	11,256	3,352	21,121	11,382	
2017-18	21,129 [^]	11,295	13,297	2,562	9,062	1,283	25,364	12,575	

स्रोत: आयकर निदेशालय (आयकर एवं लेखापरीक्षा); [^]मार्च को समाप्त तिमाही समाप्त तिमाही हेतु तिमाही विवरण के प्रस्तुतीकरण के बाद संबंधित सीज़आईटी (लेखापरीक्षा) द्वारा सत्यापन के बाद संशोधित आंकड़े।

1.11.3 वि.व. 2016-17 में 12,439 मामलों में से 4,126 मामलों (33.2 प्रतिशत) की तुलना में आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए 6,267 मुख्य आपत्तियों के मामलों²⁴ में से निर्धारण अधिकारियों (एओज) ने, वि.व. 2017-18 में केवल 1,613 मामलों (25.7 प्रतिशत) पर कार्य किया। एओ द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों पर कार्य (फोलो अप) में सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

24 2017 के निदेश सं 6 (दिनांक 21.7.2017) के अनुसार, मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों की मौद्विक सीमा ₹ दो लाख से 10 लाख तक बढ़ा दिया गया है।

अध्याय II: लेखापरीक्षा अधिदेश, उत्पाद और प्रभाव

2.1 प्राप्तियों की लेखापरीक्षा हेतु सीएजी के प्राधिकार

भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 में प्रावधान है कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) संसद द्वारा बनाये गये या निर्धारित किसी भी कानून के अंतर्गत संघ और राज्य और किसी भी अन्य प्राधिकरण या निकाय के लेखों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। संसद ने 1971 में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षा का डीपीसी अधिनियम (सीएजी का डीपीसी अधिनियम) पारित किया था। सीएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारा 16, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को भारत सरकार और प्रत्येक राज्य की सरकारों और विधानसभा वाले प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की सभी प्राप्तियों (राजस्व और पूंजी दोनों) की लेखापरीक्षा करने और स्वयं की संतुष्टि के लिए कि नियमों और क्रियाविधियों को राजस्व के निर्धारण, संग्रहण और उचित आबंटन पर प्रभावी नियन्त्रण रखने के लिए बनाया गया है और उनका विधिवत् पालन किया जा रहा है, का प्राधिकार प्रदान करती है। लेखा और लेखापरीक्षा नियमावली, 2007 (विनियम) में प्राप्ति लेखापरीक्षा हेतु सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है।

2.2 प्रणालियों और क्रियाविधियों की जांच और उनकी प्रभावोत्पादकता

2.2.1 प्राप्तियों की लेखापरीक्षा में मुख्यतः निम्नवत के बारे में प्रणालियों एवं क्रियाविधियों और उनकी प्रभावकारिता की जांच को शामिल किया जाता है:

- क. संभावित कर निर्धारितियों की पहचान, कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के साथ-साथ कर अपवंचन का पता लगाना और रोकना;
- ख. शास्तियों के उदग्रहण और अभियोग चलाने सहित विवेकाधिकार शक्तियों का उपयुक्त रूप से प्रयोग करना;
- ग. विभागीय अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों पर सरकार के हितों को सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त कार्रवाई;
- घ. राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने या सुधारने के लिए आरंभ किये गये कोई उपाय;
- ड. राशि जो बकाया में हो, बकाया के अभिलेखों का रख-रखाव और बकाया राशियों की वसूली हेतु की गई कार्रवाई;

च. समुचित सावधानी से दावों का अनुसरण करना और यह सुनिश्चित करना कि उपयुक्त औचित्य और उचित प्राधिकार के अलावा उन्हें न तो परित्यक्त किया गया है, और न ही कम किया गया है।

उपरोक्त को प्राप्त करने के लिए, हमने वित्तीय वर्ष 2016-17 में आयकर विभाग द्वारा पूरे किये गए कुछ निर्धारणों की जांच की। इसके अतिरिक्त, पूर्व वर्षों में पूरे किये गए कुछ निर्धारणों को भी जांच के अंतर्गत रखा गया।

2.2.2 आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार निर्धारितियाँ द्वारा फाईल किये गये रिटर्नों का आईटीडी नमूना संवीक्षा निर्धारण करता है। संवीक्षा निर्धारण मामलों का चयन आईटीडी द्वारा निर्धारित गये तथा पूर्व पारिभाषित मानदंडों के आधार पर किया जाता है। तत्पश्चात इन मामलों का सही निर्धारण करने हेतु कटौतियों, हानियों, छूटों आदि के दावों के संबंध में गहनता से जांच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि करों का कोई अपवंचन नहीं हुआ है। निर्धारिती को उसके दावे की पुष्टि का अवसर दिया जाता है जिसके विफल रहने पर एओ जैसा उचित समझे निर्धारण करता है।

संवीक्षा निर्धारण मामलों की जांच के आधार पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि लेखापरीक्षा रिपोर्टों में बार-बार विशेष प्रकार की अनियमितताओं को इंगित किये जाने के बावजूद भी एओ द्वारा पूरे किये संवीक्षा निर्धारणों के दौरान कर कानूनों, और सीबीडीटी के अनुदेशों और निर्देशों का पालन करने में ये अनियमितताएँ बार-बार घटित हुईं जो कर प्रशासन की कुशलता पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। अग्रलिखित पैराग्राफ में इन से कुछ मामलों पर चर्चा की गई है।

2.2.3 विव. 2016-17²⁵ के दौरान कुल 4,44,02,413 रिटर्न फाईल की गई थी। आईटीडी ने उक्त वि.व. में 2,73,138 संवीक्षा निर्धारण उन युनिटों में, जिनकी लेखापरीक्षा वि.व. 2017-18 की लेखापरीक्षा योजना में की गई थी, पूरे किये। इन 2,73,138 संवीक्षा निर्धारणों में से हमने 2,64,125 निर्धारण मामलों की जांच की। इसके अतिरिक्त हमने वि.व. 2017-18 के दौरान 2016-17 से पिछले वित्तीय वर्षों में पूरे किए गए संवीक्षा निर्धारण के 1,06,498 मामलों में से 47,147 मामलों की भी लेखापरीक्षा की। 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षित कुल संवीक्षा निर्धारण 3,11,272 थे और जिन संवीक्षा निर्धारणों में लेखापरीक्षा ने त्रुटियां पाई उनकी संख्या 20,075 थीं। विव 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा में जांच किये गये निर्धारणों में गलतियों की घटनायें 6.45 प्रतिशत थी जो कि विगत वर्ष के 7.2 प्रतिशत से कम थी। हमारे द्वारा लेखापरीक्षा किये गये संवीक्षा निर्धारणों के मामलों में से आईटीडी की आंतरिक लेखापरीक्षा में

²⁵ वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान दाखिल किए गए रिटर्न की कुल संख्या 4,04,92,569 थी।

11,163 मामलों की जांच की गई थी। चूंकि हमारे नमूने के अनुसार हमने केवल सीमित संख्या में ही निर्धारण मामलों/रिकॉर्ड देखे थे, मंत्रालय द्वारा न केवल नमूने के मामलों की अपितु संपूर्ण रूप से इन की जांच करने की आवश्यकता है।

2.2.4 निर्धारण में गलतियों की राज्य-वार संख्या परिशिष्ट-2.1 में दी गई हैं। नीचे तालिका 2.1 शीर्ष दस राज्यों के विवरण दर्शाती है जहाँ 10,000 से अधिक निर्धारणों की जांच वि.व 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा में की गई थी।

तालिका 2.1: दस राज्यों का विवरण जिन में घटनाएं या त्रुटिपूर्ण आकलन (₹ करोड़ में) उच्चतम हैं, जहां पर 10,000 से अधिक निर्धारणों की जांच की गई थी					
राज्य	निर्धारण		त्रुटियों के साथ	लेखापरीक्षा टिप्पणियों का कुल राजस्व प्रभाव	त्रुटियों वाले निर्धारणों का प्रतिशत
	2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा के लिए चयनित इकाइयों में पूर्ण	2017-18 के दौरान लेखा परीक्षा में जांच			
क. तमिलनाडु	23,057	21,983	1,914	1,644.16	8.71
ख. मध्य प्रदेश	14,710	13,035	1,124	558.00	8.62
ग. कर्नाटक	13,710	13,380	1,071	1,634.84	8.00
घ. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	17,533	16,948	1,343	1,499.00	7.92
ङ. पश्चिम बंगाल	33,530	32,000	2,398	2,100.19	7.49
च. गुजरात	14,722	14,443	1,002	1,044.63	6.94
छ. महाराष्ट्र	1,34,203	79,273	4,311	13,597.38	5.44
ज. दिल्ली	30,264	27,382	1,342	2,556.98	4.90
झ. राजस्थान	18,328	17,424	825	134.60	4.73
न. उत्तर प्रदेश	24,247	23,905	952	776.18	3.98

यह दर्शाता है कि तमिलनाडू में गलतियों वाले निर्धारणों की प्रतिशतता उच्चतम (8.71 प्रतिशत) थी जिसके बाद मध्य प्रदेश (8.62 प्रतिशत) आता है। आईटीडी द्वारा निर्धारणों में पाई गई त्रुटियों के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है।

2.2.5 नीचे दी गई तालिका 2.2 में वि.व. 2017-18 के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा में देखी गई त्रुटियों का ब्यौरा दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: निर्धारणों में त्रुटियों का कर-वार विवरण		(₹ करोड़ में)
श्रेणी	त्रुटियों की संख्या	कर प्रभाव (टीई)
क. निगम कर (सीटी) और आयकर (आईटी)	21,565	28,509.57 ²⁶
ख. अन्य प्रत्यक्ष कर (ओडीटी)	504	61.86
कुल	22,069	28,571.43
नोट: उपरोक्त निष्कर्ष तथा सभी अनुवर्ती निष्कर्ष विशेष रूप से चयनित निर्धारणों की लेखापरीक्षा पर आधारित हैं।		

2.2.6 नीचे दी गई तालिका 2.3 निगम कर और आय कर से संबंधित कम निर्धारण के वर्ग-वार ब्यौरे दर्शाती है। परिशिष्ट-2.2 उनके तहत उप-श्रेणियों के संबंध में ब्यौरे दर्शाता है।

तालिका 2.3: त्रुटियों का श्रेणी-वार विवरण		(₹ करोड़ में)
श्रेणी	त्रुटियों की संख्या	कर प्रभाव
क. निर्धारणों की गुणवत्ता	6,778	5,628.19
ख. कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन	7,867	15,435.02
ग. चूक के कारण निर्धारणों से बचने वाली आय	2,779	3,067.95
घ. अन्य	3,655	3,220.59
कुल	21,079	27,351.75

2.3 निगम कर और आय कर मामलों के संबंध में सतत् और व्यापक अनियमितताएं

निर्धारण अधिकारियों (एओ) द्वारा पूरे गये निर्धारण मामलों की लेखापरीक्षा जांच के दौरान पाई गई अननुपालना और अनियमितताओं की घटनाएं प्रत्येक वर्ष हमारी अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट- राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर में दर्शाई जाती है। यदि कोई अनियमितता साल दर साल होती है तो वह सतत् समझी जाती है। यदि वह समस्त प्रणाली को प्रभावित करती है तो यह व्यापक बन जाती है और यह कई निर्धारण क्षेत्राधिकारों में फैल जाती है। हमने वर्ष दर वर्ष अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्टों में निगम और आय कर मामलों के निर्धारण के संबंध में (i) मूल्यहास/कारोबार हानियों/पूँजीगत हानियों आदि को अनुमत करने में अनियमितताओं, (ii) कारोबार व्यय की गलत अनुमति की घटनाओं, (iii) आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियां, और (iv) ब्याज के उद्ग्रहण में त्रुटियों सहित विभिन्न अनियमितताएं इंगित की और इनमें से कुछ अनियमितताएं सतत् और व्यापक दोनों हैं। लेखापरीक्षा आपत्तियाँ जो ड्राफ्ट पैरा के रूप में मंत्रालय को जारी की गईं और वर्ष 2014-15, 2015-16 और

²⁶ ₹ 1157.82 करोड़ के कर प्रभाव के अधिक निर्धारण के 486 मामले शामिल हैं।

2016-17 के दौरान अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट²⁷ में शामिल की गई के साथ 2017-18 के दौरान मंत्रालय को जारी किये गये ड्राफ्ट पैरा का प्रत्येक उप-श्रेणी के अंदर वर्ष दर वर्ष राज्य क्षेत्राधिकार के संबंध में मामलों का विश्लेषण किया। पूर्व लेखापरीक्षा रिपोर्टों में बार-बार इंगित किये जाने के बावजूद, ऐसी अनियमितताओं का बार-बार होना न केवल ऐसी दोहराई जाने वाली गलतियों के होने को रोकने के लिए विभाग द्वारा उपयुक्त प्रणाली संस्थापित करने के लिए गंभीर न होने का संकेत है अपितु प्रभावी निगरानी में कमी तथा प्रणालीबद्ध और संरचनात्मक कमियों से निपटने के लिए संस्थागत तंत्र की कमी को दर्शाता है जिसके कारण राजस्व की हानि होती है। उपर्युक्त निर्दिष्ट श्रेणियों में बताई गई ऐसी अनियमितताओं के मामलों की चर्चा नीचे की गई है।

यद्यपि विभिन्न राज्यों में देखी गई अनियमितताओं से राज्यों के बीच इनके घटित होने के किसी विशेष पैटर्न का पता नहीं चलता है, वे अन्य राज्यों की अपेक्षा कुछ राज्यों में बार-बार हो रही थी; ये घटनाएं दिल्ली और महाराष्ट्र में लगातार ज्यादा होती देखी गई थीं।

2.3.1 कर रियायत/छूट/कटौतियों का प्रशासन-मूल्यहास/कारोबार हानियों/पूंजीगत हानियों आदि में अनुमत की अनियमितताएं

हमने कारोबार हानियों, पूंजीगत हानियों और अनावशोषित मूल्यहास को अनुमत करने और समायोजित करने में और मूल्यहास आदि की गलत अनुमति से संबंधित अनियमितताएं देखीं। ऐसी त्रुटियों की प्रकृति में अग्रेषित कारोबार हानियों और अनावशोषित मूल्यहास जहां पूर्व निर्धारण वर्षों के संबंध में कोई हानि उपलब्ध नहीं थी; को समायोजित करने की गलत अनुमति, गलत आंकड़ों जैसे मौजूदा निर्धारण वर्ष में रिटर्न हानि के रूप में पूर्व वर्षों की कारोबार हानि को अपनाना, कारोबार हानि को अग्रेषित करने की गलत अनुमति जबकि उक्त निर्धारण वर्ष के लिए आय कर रिटर्न; रिटर्न फाईल करने की निर्धारित तिथि के बाद जमा की गई, मूल्यहास के संबंध में दोहरी कटौती आदि शामिल थी। निर्धारण अभिलेखों के परस्पर संबंधित न करने के कारण ये अनियमितताएं हुईं जो प्रभावी सहयोग की कमी और कमजोर आंतरिक नियंत्रण तंत्र को दर्शाती हैं। 2014-15 से 2016-17 के दौरान मूल्यहास/कारोबार हानियों/पूंजीगत हानियों आदि की अनुमति में देखी गई त्रुटियों को जिन्हें विगत तीन वर्षों की अनुपालन

²⁷ सी एंड एजी अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट (संघ सरकार - राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर) 2016 की संख्या 3 (मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु), 2017 की संख्या 2 (मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए) और 2017 की संख्या 40 (मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए)।

लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया गया है, मौजूदा वर्ष की लेखापरीक्षा रिपोर्ट (2017-18) के निष्कर्षों सहित नीचे तालिका 2.4 में सारबद्ध किया गया है।

तालिका 2.4: मूल्यहास/व्यापारिक हानियों/पूजीगत हानियों आदि की अनुमति देने में पाई गई गलतियां							(₹ करोड़ में)	
निर्धारण	निम्न समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट							
	मार्च 2015		मार्च 2016		मार्च 2017		मार्च 2018	
	त्रुटियों की संख्या	कर प्रभाव	त्रुटि की संख्या	कर प्रभाव	त्रुटि की संख्या	कर प्रभाव	त्रुटि की संख्या	कर प्रभाव
सीटी	77 ²⁸	1,359.20	71 ²⁹	590.75	81 ³⁰	1,144.10	66	1,796.86
आईटी	11	13.70	9	15.72	9	24.41	7	9.19

2014-15 और 2015-16 के दौरान, इस संबंध में अननुपालना, मूल्यहास/कारोबार हानियों/पूजीगत हानियों आदि के गलत अनुमति के संबंध में निगम कर पर ड्राफ्ट पैरा के कुल कर प्रभाव के संबंध में सर्वाधिक महाराष्ट्र में क्रमशः 85 प्रतिशत और 63 प्रतिशत थी। 2016-17 के दौरान, यह सर्वाधिक आंध्रप्रदेश और तेलंगाना (36 प्रतिशत) और महाराष्ट्र (32 प्रतिशत) में सर्वाधिक थी। 2017-18 के दौरान, इस संबंध में अनियमितताएं महाराष्ट्र (58 प्रतिशत) में सर्वाधिक थी।

आयकर के संबंध में, 2014-15 के दौरान ऐसी अनियमितताएं मूल्यहास/कारोबार हानियों/पूजीगत हानियों आदि की गलत अनुमति के संबंध में आय कर पर ड्राफ्ट पैरा के कुल कर प्रभाव के 38 प्रतिशत पर सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में थीं। 2015-16 के दौरान इस संबंध में कर प्रभाव सर्वाधिक महाराष्ट्र (68 प्रतिशत) में और 2016-17 के दौरान बिहार (67 प्रतिशत) में थी। 2017-18 के दौरान ये अनियमितताएं सर्वाधिक महाराष्ट्र (67 प्रतिशत) में थीं।

2.3.2 कर रियायतों/छूट/कटौतियों का प्रशासन/कारोबार व्यय की गलत अनुमति

हमने कारोबार व्यय के अयोग्य दावों जैसे पूजीगत व्यय, अदा न किये गये दावे और अनिश्चित देयता के रूप में माने गये प्रावधान आदि की गलत अनुमति से संबंधित अनियमितताएं देखीं। मौजूदा वर्ष की लेखापरीक्षा रिपोर्ट (2017-18) के निष्कर्षों सहित 2014-15 से 2016-17 के दौरान देखी गई व्यय की गलत

²⁸ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, असम, दिल्ली, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल

²⁹ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल।

³⁰ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल

अनुमति की त्रुटियां को जिन्हें विगत तीन वर्षों की अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दर्शाया गया है, नीचे तालिका 2.5 में सारबद्ध किया गया है।

तालिका 2.5: व्यापार व्यय की गलत अनुमति की देखी गई गलतियां								(₹ करोड़ में)	
निर्धारण	निम्न समाप्त वर्ष के लिए ऑडिट रिपोर्ट								
	मार्च 2015		मार्च 2016		मार्च 2017		मार्च 2018		
	त्रुटि की संख्या	कर प्रभाव	त्रुटि की संख्या	कर प्रभाव	त्रुटि की संख्या	कर प्रभाव	त्रुटि की संख्या	कर प्रभाव	
सीटी	56 ³¹	299.64	47 ³²	514.09	50 ³³	478.67	48	875.47	

2014-15 के दौरान ऐसी अनियमितताएं सर्वाधिक तमिलनाडू (कारोबार व्यय की गलत अनुमति से संबंधित ड्राफ्ट पैराग्राफों के कुल कर प्रभाव का 25 प्रतिशत) और कर्नाटक (23 प्रतिशत) थीं। 2015-16 के दौरान, इस संबंध में अननुपालना सर्वाधिक महाराष्ट्र (45 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (30 प्रतिशत) में थीं जबकि 2016-17 में ऐसी अननुपालना सर्वाधिक महाराष्ट्र (64 प्रतिशत) में थी। 2017-18 के दौरान, इस संबंध में अनियमितताएं सर्वाधिक महाराष्ट्र (60 प्रतिशत) और तमिलनाडू (28 प्रतिशत) में थीं।

2.3.3 निर्धारणों की गुणवत्ता- आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियां

हमने गणना त्रुटियों जैसे निर्धारित आय और कर मांग गणना करते समय गलत आंकड़ों का प्रयोग, निर्धारणों में किये गये अननुमति को वापस न जोड़ना, दोहरी कटौतियों की अनुमति, निर्धारण रिकॉर्डों के सह संबंध न होने के कारण पूर्व अनुमत दावों को अननुमति में चूक आदि के कारण आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियों से प्रकट हुई अनियमितताएं देखी। निर्धारण अधिकारियों ने अधिनियम के स्पष्ट प्रावधानों की अनदेखी करते हुए निर्धारणों में ऐसी त्रुटियां की थी जो कि आईटीडी की आंतरिक नियंत्रण में कमजोरी को स्पष्ट दर्शाती है, जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

इस श्रेणी में मौजूदा वर्ष की लेखापरीक्षा रिपोर्ट (2017-18) के निष्कर्षों सहित 2014-15 से 2016-17 के दौरान देखी गई त्रुटियां जिन्हें विगत तीन वर्षों की अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दर्शाया गया है, नीचे तालिका 2.6 में सारबद्ध किया गया है।

³¹ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल

³² आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, असम, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल।

³³ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल

तालिका 2.6: संगणना में अंकगणितीय त्रुटियां								(₹ करोड़ में)	
निर्धारण	समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन								
	मार्च 2015		मार्च 2016		मार्च 2017		मार्च 2018		
	त्रुटियों की संख्या	कर प्रभाव	त्रुटियों की संख्या	कर प्रभाव	त्रुटियों की संख्या	कर प्रभाव	त्रुटियों की संख्या	कर प्रभाव	
सीटी	43 ³⁴	164.63	45 ³⁵	922.95	36 ³⁶	310.04	46	539.34	
आईटी	16 ³⁷	83.40	19 ³⁸	33.44	26 ³⁹	75.89	14	52.03	

2014-15 के दौरान महाराष्ट्र (संगणना में अंकगणितीय त्रुटियों से संबंधित निगम कर पर ड्राफ्ट पैराग्राफों के कुल कर प्रभाव का 44 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश (24 प्रतिशत) में इस प्रकार की अनियमितताएं बहुत अधिक थी जबकि 2015-16 में दिल्ली (41 प्रतिशत) और महाराष्ट्र (28 प्रतिशत) में उच्चतम पाई गई। 2016-17 के दौरान दिल्ली (33 प्रतिशत) और महाराष्ट्र (25 प्रतिशत) में उच्चतम पाई गई। 2017-18 के दौरान उत्तर प्रदेश में (48 प्रतिशत)⁴⁰ ये अनियमितताएं उच्चतम थी।

आयकर के संबंध में, 2014-15 के दौरान उत्तर प्रदेश में (संगणना में अंकगणितीय त्रुटियों से संबंधित आय कर पर ड्राफ्ट पैराग्राफों के कुल कर प्रभाव का 63 प्रतिशत) इस प्रकार की अनियमितताएं उच्चतम पाई गई। इस प्रकार की त्रुटियों का कर प्रभाव 2015-16 (39 प्रतिशत) और 2016-17 (66 प्रतिशत) के दौरान महाराष्ट्र में उच्चतम पाया गया। 2017-18 के दौरान महाराष्ट्र में इस प्रकार की अनियमितताएं (91 प्रतिशत) उच्चतम थी। 2017-18 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हेतु पृथक ड्राफ्ट पैराग्राफों के रूप में ये सभी मामलें जारी किए गए हैं।

2.3.4 निर्धारणों की गुणवत्ता - ब्याज के उदग्रहण में त्रुटियां

हमने पाया कि आयकर विवरणियों को प्रस्तुत नहीं करने अथवा विलम्ब से प्रस्तुत करने, अग्रिम कर के भुगतान में चूक, अग्रिम कर की किस्तों के भुगतान में चूक, आयकर विभाग द्वारा उठाई गई कर मांग के भुगतान में चूक आदि

³⁴ बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

³⁵ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल।

³⁶ दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल

³⁷ दिल्ली, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल

³⁸ बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश

³⁹ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब और तमिलनाडु

⁴⁰ जहां भी महत्वपूर्ण का उल्लेख किया गया है, वह केवल कुल कर प्रभाव के संदर्भ में है, न कि मामलों की संख्या के संबंध में।

के संबंध में ब्याज के उदग्रहण में त्रुटियों से संबंधित अनियमितताएं थीं। इसके अतिरिक्त, 2017-18 के दौरान, ड्राफ्ट पैराग्राफों में आयकर अधिनियम 1961 की धाराएं 234ए, 234बी, 234सी और 244ए के तहत ब्याज की संगणना के संदर्भ में एसेसमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (एएसटी) मॉड्यूल/ इन्कम टैक्स बिजनेस एप्लीकेशनस (आईटीबीए) में दर्शाई गई गलतियों को इस प्रतिवेदन के पैरा 3.2.4, 3.5.1 और 4.2.4, 4.5.1 में दर्शाया गया है। 2014-15 से 2016-17 के दौरान ब्याज के उदग्रहण में देखी गई त्रुटियों को जिन्हें पिछले तीन वर्षों की अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाया गया है, चालू वर्ष की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2017-18) के निष्कर्षों के साथ नीचे दी गई तालिका 2.7 में संक्षेप में दर्शाया गया है।

तालिका 2.7: ब्याज के उदग्रहण में देखी गई त्रुटियां (₹ करोड़ में)								
निर्धारण	समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन							
	मार्च 2015		मार्च 2016		मार्च 2017		मार्च 2018	
	त्रुटियों की संख्या	कर प्रभाव	त्रुटियों की संख्या	कर प्रभाव	त्रुटियों की संख्या	कर प्रभाव	त्रुटियों की संख्या	कर प्रभाव
सीटी	22 ⁴¹	150.10	39 ⁴²	163.84	40 ⁴³	157.46	53	189.37
आईटी	29 ⁴⁴	54.65	36 ⁴⁵	61.97	37 ⁴⁶	130.12	47	60.84

2014-15 के दौरान, इस संबंध में अननुपालन महाराष्ट्र (ब्याज के उदग्रहण में निगम कर पर देखी गई त्रुटियों से संबंधित ड्राफ्ट पैराग्राफों के कुल कर प्रभाव का 52 प्रतिशत) और दिल्ली (37 प्रतिशत) में सर्वाधिक देखा गया। 2015-16 में, महाराष्ट्र (37 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (30 प्रतिशत) में अननुपालन सर्वाधिक था जबकि 2016-17 में इस प्रकार का अननुपालन महाराष्ट्र में (67 प्रतिशत) सर्वाधिक था। 2017-18 के दौरान, इस संबंध में दिल्ली में (47 प्रतिशत) सर्वाधिक अननुपालन पाया गया।

⁴¹ दिल्ली, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल

⁴² आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल

⁴³ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, केन्द्र शासित चंडीगढ़ और पश्चिम बंगाल

⁴⁴ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केन्द्र शासित चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल

⁴⁵ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल

⁴⁶ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, असम, बिहार, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, केन्द्र शासित चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल

आयकर के संबंध में, 2014-15 के दौरान महाराष्ट्र (ब्याज के उदग्रहण में आयकर पर देखी गई त्रुटियों से संबंधित ड्रॉफ्ट पैराग्राफों के कुल कर प्रभाव का 43 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (28 प्रतिशत) में इस प्रकार की अनियमितताएं सर्वाधिक पाई गई थीं। 2015-16 के दौरान इस संबंध में कर प्रभाव दिल्ली (27 प्रतिशत) और आन्ध्र प्रदेश तथा तेलंगाना (27 प्रतिशत) में सर्वाधिक पाया गया जबकि 2016-17 में, दिल्ली (82 प्रतिशत) में सर्वाधिक पाया गया। 2017-18 के दौरान, ओडिशा (33 प्रतिशत)⁴⁷ में ये अनियमितताएं सर्वाधिक थीं। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2017-18 हेतु मसौदा पैराग्राफों के रूप ऐसे मामलों को सूचित किया गया है।

ब्याज के उदग्रहण पर अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद इस प्रकार की अनियमितताएं वर्ष दर वर्ष होती रहीं हैं।

कर कानूनों और सीबीडीटी के अनुदेशों और विनिर्देशों का अननुपालन कर प्रशासन दक्षता को प्रभावित करने वाले प्रमुख जोखिम क्षेत्रों में से एक है। इसमें सुधार करने के लिए, प्रभावपूर्ण प्रसंस्करण और निर्धारण के सभी चरणों में बेहतर अनुपालन हेतु विभागीय प्रणालियों और प्रक्रियाओं को पिछले वर्षों में बहुत ज्यादा कम्प्यूटरीकृत किया गया है। आयकर विभाग एओ द्वारा किए जाने वाले संवीक्षा निर्धारण हेतु पूर्व-परिभाषित मानदण्डों के आधार पर कम्प्यूटर एंडिड स्क्रीनिंग सैलेक्शन (सीएएसएस) के माध्यम से मामलों का चयन करता है। संवीक्षा निर्धारण के दौरान, एओ निर्धारिती से आवश्यक सूचना मांगता है और अधिनियम के लागू प्रावधानों के परिपेक्ष्य में उनकी जांच करता है। हालांकि, उपरोक्त विश्लेषण से देखा गया कि उपरोक्त क्षेत्रों में अभी भी अननुपालन का जोखिम मौजूद है जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष-दर-वर्ष इस ओर इंगित करने के बावजूद काफी समय से इस प्रकार की अनियमितताओं की निरन्तरता से संकेत मिलते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि एओ को सदृश अथवा समरूप त्रुटियों की पुनरावृत्ति को, यदि समाप्त न किया जा सके तो कम से कम करने के लिए अधिक जवाबदेह बनाने के लिए कोई प्रणाली नहीं है। हमने 72 निर्धारितियों के मामलों में देखा कि विचाराधीन चार साल की अवधि के दौरान निर्धारण अधिकारियों ने एक ही निर्धारिती के निर्धारण में एक से अधिक वर्षों में गलतियों की थीं।

⁴⁷ जहां भी महत्वपूर्ण का उल्लेख किया गया है, वह केवल कुल कर प्रभाव के संदर्भ में है, न कि मामलों की संख्या के संबंध में।

निष्कर्ष और सिफारिश

उपरोक्त विश्लेषणों से और हमारे पूर्व अनुभवों से भी यह स्पष्ट होता है कि लेखापरीक्षा में बताये जाने के बाद भी करयोग्य आय की संगणना में समान प्रकार की त्रुटियों के दोबारा से नहीं होने देने और पुनरावृत्ति के जोखिम को कम से कम करने के लिए आवश्यक प्रणालियों और प्रक्रियाओं की विभाग में कमी थी। एओ के द्वारा किए गए निर्धारण में ऐसी अनियमितता को जब एक बार लेखापरीक्षा में दर्शाया जाता है तो यह अपेक्षा की जाती है कि भविष्य में निर्धारण में समान प्रकार की अनियमितताओं और त्रुटियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए विभाग द्वारा पर्याप्त उचित कदम उठाए जायेंगे, जो इस मामले में नहीं देखे गए। हमने 72 निर्धारितियों के मामलों में देखा कि विचाराधीन चार वर्षों की अवधि के दौरान निर्धारण अधिकारियों ने एक ही निर्धारिती के निर्धारण में एक से अधिक वर्षों में गलतियाँ की थीं।

यह सिफारिश की जाती है कि आयकर विभाग समान प्रकार की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति के जोखिम को कम से कम सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली संस्थापित करने और प्रक्रियात्मक जांच आरंभ करने के अतिरिक्त एओज की जिम्मेदारी तय करे।

2.4 लेखापरीक्षा उत्पाद और लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया

2.4.1 लेखापरीक्षा के विभिन्न चरणों पर हम लेखापरीक्षित इकाइयों से प्रतिक्रिया माँगते हैं। स्थानीय लेखापरीक्षा समाप्ति पर विनियम 193 के प्रावधानों के अनुसार टिप्पणियों हेतु हम आयकर विभाग को स्थानीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एलएआर) जारी करते हैं।

2.4.2 वि.व. 2015-16 से वि.व. 2017-18 के दौरान जारी की गई एलएआर में शामिल की गई आपत्तियों की संख्या की स्थिति और उन पर प्राप्त उत्तरों और स्वीकार की गई आपत्तियों को (संबंधित वित्त वर्ष के 31 मार्च तक के अनुसार) नीचे तालिका 2.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.8: स्थानीय लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया						
वित्तीय वर्ष	जारी की गई आपत्तियाँ	प्राप्त उत्तर		उत्तर प्राप्त नहीं हुआ	स्वीकृत आपत्तियों का प्रतिशत	उत्तर प्राप्त नहीं होने का प्रतिशत
		स्वीकृत आपत्तियाँ	अस्वीकृत आपत्तियाँ			
2015-16	20,737	3,281	5,196	12,260	15.80	59.10
2016-17	22,579	4,074	3,546	15,060	18.40	66.70
2017-18	24,502	3983 ⁴⁸	2,882	17,637	16.30	72.00

⁴⁸ 1,931-स्वीकृत आपत्तियाँ जिन पर सुधारात्मक कार्रवाई की गई, 2,052- आपत्तियों को स्वीकार किया गया परन्तु सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई

2.4.3 आपत्तियों के लंबन में अभिवृद्धि की प्रवृत्ति को नीचे तालिका 2.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.9: बकाया लेखापरीक्षा आपत्तियों का विवरण (₹ करोड़ में)								
अवधि	सीटी		आईटी		ओडीटी		कुल	
	सं.	टीई	सं.	टीई	सं.	टीई	सं.	टीई
मार्च तक 2015-16	14,251	48,307.35	11,620	7,596.72	3,556	715.54	29,427	56,619.61
2016-17	5,908	35,735.58	6,180	3,939.31	796	51.85	12,884	39,726.74
2017-18	4,584 ⁴⁹	13,806.70	5,049	2,457.89	473	69.09	10,106	16,333.68
कुल	24,743	97,849.63	22,849	13,993.92	4,825	836.48	52,417	112,680.03

प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा निष्कर्षों के उत्तरों के लम्बन में अभिवृद्धि के परिणामस्वरूप 31 मार्च 2018 तक ₹ 1,12,680.03 करोड़ के राजस्व प्रभाव वाले 52,417 मामलों का संचयीकरण हुआ।

विभाग के यह सुनिश्चित करने के प्रयास कि लेखापरीक्षा को उत्तर निर्धारित अवधि में भेजे जाएं, संतोषजनक नहीं है। विनियमन 202 और 203 के प्रावधान जिसमें निरीक्षण प्रतिवेदन/लेखापरीक्षा नोट्स में शामिल लेखापरीक्षा आपत्तियों पर पर्याप्त, रचनात्मक और समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली और प्रक्रियाओं को संस्थापित करने और लम्बित लेखापरीक्षा टिप्पणियों की मॉनिटरिंग और अनुपालन सुनिश्चित करने और निपटान हेतु लेखापरीक्षा समितियों की स्थापना करने की जरूरत का अक्षरशः पालन करने की आवश्यकता है।

2.4.4 हम विनियमन 205 से 209 के प्रावधानों के अनुसार लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने से पहले टिप्पणियों हेतु मंत्रालय को लेखापरीक्षा में पाये गए महत्वपूर्ण और उच्च मूल्य के मामले को जारी करते हैं। हम मंत्रालय को लेखापरीक्षा में उन मामलों को शामिल करने से पहले जारी किए गए मामलों पर अपनी टिप्पणी देने के लिए छः सप्ताह का समय देते हैं। हमने इस प्रतिवेदन के अध्याय III और IV में 472 उच्च मूल्य के मामलों को शामिल किया है, जिसमें से 325 मामलों में उत्तर प्राप्त हुए थे। मंत्रालय/आयकर विभाग ने 31 मार्च 2009 तक ₹ 3,006.01 करोड़ (82.8 प्रतिशत) के कर प्रभाव के 302 मामलों⁵⁰ (92.9 प्रतिशत) को स्वीकार कर लिया जबकि ₹ 626.20 करोड़

⁴⁹ आपत्तियाँ जारी होने के छः महीने बाद लंबित हो जाती हैं

⁵⁰ मंत्रालय-256 मामले; आयकर विभाग-46 मामले

के कर प्रभाव के 23 मामलों⁵¹ को स्वीकार नहीं किया। शेष मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे। इन मामलों⁵² के श्रेणी वार ब्यौरे नीचे तालिका 2.10 में दर्शाये गए हैं।

तालिका 2.10 उच्च मूल्य के मामलों की त्रुटियों का श्रेणीवार ब्यौरा						(₹ करोड़ में)	
श्रेणी	सीटी		आईटी		कुल		
	सं.	टीई	सं.	टीई	सं.	टीई	
क. निर्धारणों की गुणवत्ता	118	1,121.78	85	276.53	203	1,398.31	
ख. कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन	141	3,149.58	26	39.24	167	3,188.82	
ग. चूक के कारण निर्धारण से छूटी आय	56	359.47	12	5.17	68	364.64	
घ. कर/ब्याज का अधिभार	25	235.83	9	10.12	34	245.95	
	कुल	340	4,866.66	132	331.06	472	5,197.72

2.4.5 अध्याय III और IV में क्रमशः निगम कर और आयकर के संबंध में निर्धारणों में त्रुटियों के ब्यौरे दिये गए हैं। इन अध्यायों में पैरा 3.2.4, 3.5.1 और 4.2.4 शामिल हैं जिनमें एसेसमेंट इन्फोर्मेशन सिस्टम मॉड्यूल/इन्कम टैक्स बिजनेस एप्लीकेशन में अधिनियम की धारा 234ए, 234बी, 234सी और 244ए के तहत ब्याज की संगणना में देखी गई त्रुटियों को दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, दो लम्बे ड्राफ्ट पैराग्राफों यथा-‘धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं को छूटों की अनुवर्ती लेखापरीक्षा’ और ‘एक समूह कंपनी के निर्धारणों की एकीकृत लेखापरीक्षा’ को इस प्रतिवेदन में क्रमशः अध्याय VI और VII में पृथक रूप से शामिल किया गया है। अध्याय VI लेखापरीक्षा द्वारा देखे गए दृष्टांतों को स्पष्ट करता है जहां संबंधित ग्रुप ट्रस्टों/संस्थाओं को आय/संपत्ति के विपथन को आय का उपयोग मानना; उन निर्धारितियों को छूट दी गई जिनकी गतिविधियाँ धर्मार्थ प्रकृति की नहीं थी; अधिनियम में निर्दिष्ट उन प्रारूपों या स्वरूपों के अलावा ट्रस्टों द्वारा संचित धन के निवेश की निगरानी का अभाव; विदेशी विश्वविद्यालयों को दी गई निधियों के उपयोग पर ट्रस्ट को छूट अनुमत; और पंजीकरण रद्द नहीं करना जहां ट्रस्ट और संस्थानों की गतिविधियां अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं हैं। अध्याय VII में दर्शाया गया है कि एक समूह की संबंधित कंपनियों के निर्धारण के दौरान यथार्थता/प्रामाणिकता को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के बीच बड़े संव्यवहारों को क्रॉस लिंक

⁵¹ मंत्रालय-14 मामले; आयकर विभाग-9 मामले

⁵² उप-श्रेणी वार ब्यौरे परिशिष्ट-2.3 में दिए गए हैं


हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया जो एक निवारक के रूप में कार्य कर सकता था और कर योग्य आय के बचने की संभावना भी कम की जा सकती थी।

2.4.6 इसके अतिरिक्त, अध्याय V में 'कृषि आय से संबंधित निर्धारणों' पर विनिर्दिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा विषय पर हमारे प्रतिवेदन को दर्शाया गया है। अध्याय उन मामलों को इंगित करता है जहां आयकर विभाग डेटाबेस में परिलक्षित होने वाली छूटों और निर्धारणों में अनुमत छूटों के बीच मेल नहीं था। निर्धारणों की संवीक्षा के दौरान कृषि आय हेतु अनुमत छूटों को आयकर विभाग के डेटाबेस में सही ढंग से नहीं दर्शाया गया था।

2.5 लेखापरीक्षा प्रभाव

2.5.1 लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूली

आयकर विभाग ने निर्धारणों में हमारे द्वारा इंगित त्रुटियों को सुधारने हेतु उठाई गई मांगों से पिछले तीन वर्षों में (चार्ट 2.1) ₹ 1,076.06 करोड़ वसूले। इसमें वि.व. 2017-18 में वसूले गए ₹ 183.30 करोड़ शामिल हैं।



2.6 समय बाधित मामले

2.6.1 वि.व. 2015-16 से 2017-18 के दौरान समय-बाधित मामलों⁵³ के ब्यौरे तालिका 2.11 में नीचे दर्शाए गए हैं।

⁵³ संबंधित निर्धारण वर्ष की समाप्ति के छः साल बाद मामले को पुनः खोलने के लिए धारा 148 के तहत नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है।

तालिका 2.11 समय-बाधित मामलों के ब्यौरे		(₹ करोड़ में)
प्रतिवेदन का वर्ष	मामलें	कर प्रभाव
2015-16	2,074	1,230.70
2016-17	2,243	1,637.81
2017-18	2,739	2,735.17

2.6.2 वि.व. 2017-18 के दौरान, ₹ 2,735.17 करोड़ के कर प्रभाव वाले 2,739 मामलें सुधारात्मक कार्रवाई हेतु समय-बाधित हो गए, जिसमें से अकेले ओडिशा में इस कर प्रभाव का 34.57 प्रतिशत है इसके बाद तमिलनाडू 28.51 प्रतिशत पर है। परिशिष्ट-2.4 वि.व. 2017-18 में इस प्रकार के मामलों के राज्य-वार ब्यौरे दर्शाता है। इस प्रकार के मामलों में समय पर सुधारात्मक कार्रवाई नहीं करने के लिए जवाबदेही नियत की जानी चाहिए। विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि सुधारात्मक कार्रवाई समय पर की जाये जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो।

2.7 अभिलेखों को उपलब्ध न कराना

2.7.1 हमारे द्वारा सीएजी के (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के तहत करों के निर्धारण और संग्रहण की प्रभावी जांच करने के लिए और यह जांचने के लिए कि अधिनियमों और प्रक्रियाओं का पूर्णतः पालन किया गया है, निर्धारण अभिलेखों की संवीक्षा की गई। आयकर विभाग के लिए यह आवश्यक है कि वह लेखापरीक्षा को अविलंब अभिलेख उपलब्ध कराएं और लेखापरीक्षा हेतु प्रासंगिक सूचना प्रस्तुत करें।

2.7.2 आयकर विभाग ने वि.व. 2017-18 के दौरान मांगे गए 3,77,206⁵⁴ अभिलेखों में से 31,196 अभिलेख (8.27 प्रतिशत) प्रस्तुत नहीं किए जिसमें वि.व. 2016-17 (8.29 प्रतिशत) से मामूली सुधार हुआ है। अभिलेखों को उपलब्ध नहीं कराने में पिछले वर्ष की तुलना में वि.व. 2017-18 के दौरान दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान में काफी वृद्धि हुई है।

परिशिष्ट-2.5 में वि.व. 2015-16 से वि.व. 2017-18 के दौरान अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने के ब्यौरे दर्शाये गए हैं। तालिका 2.12 में तीन या अधिक लगातार लेखापरीक्षा चक्रों में एक ही निर्धारिती से संबंधित लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं किए गए अभिलेखों के ब्यौरे दर्शाए गए हैं।

⁵⁴ इसमें 29770 रिकॉर्ड शामिल हैं जो पिछले वर्षों में प्रस्तुत नहीं किए गए और चालू लेखापरीक्षा चक्र के दौरान फिर से मांग की गई थी।

तालिका 2.12: तीन या अधिक लेखापरीक्षा चक्रों में लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गए अभिलेख

राज्य	प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेख
क. महाराष्ट्र	346
ख. ओड़िशा	9
कुल	355

वि.व. 2017-18 में दो राज्यों में एक ही निर्धारिती से संबंधित 355 अभिलेख पिछले तीन या इससे अधिक लगातार लेखापरीक्षा चक्रों में लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

2.7.3 लेखापरीक्षा, संवीक्षा और उनके कवरेज हेतु चयनों की निर्धारित आय की तुलना में जांच करना चाहता था। संवीक्षा मामलों के डाटा से प्रतीत होता है कि प्रत्यक्ष कर संग्रहण के 25-30 प्रतिशत को कवर करते हुए एक प्रतिशत निर्धारितियों का चयन किया गया था। यह उच्च मूल्य पर आधारित चयन के पक्ष में विषमता को दर्शाता है। यद्यपि हमने लेखापरीक्षा जांच हेतु सीएएसएस से संबंधित सूचना की मांग की थी, आयकर विभाग द्वारा यह साझा नहीं की गई थी। उसके अभाव में, सीएएसएस के माध्यम से संवीक्षा हेतु विवरणियों के चयन की पद्धति की लेखापरीक्षा द्वारा जांच नहीं की जा सकी। अतः लेखापरीक्षा द्वारा यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि सीएएसएस चयन उद्देश्यपूर्ण था अथवा क्या क्षेत्र में की गई संवीक्षा सीएएसएस चयन के अनुसार थी। संवीक्षा हेतु चयन की पद्धति सीएजी और पीएसी के लिए पारदर्शी होनी चाहिए।

2.7.4 प्र.सीसीआईटी मुम्बई और नागपुर के संबंध में अभिलेखों को प्रस्तुत न किया जाना

संविधान के अनुच्छेद 149 के साथ पठित सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 13 और 16 नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) को समेकित निधि से सभी खर्चों और प्राप्तियों की लेखापरीक्षा करने का अधिकार यह पता लगाने के लिए देता है, कि क्या (i) खातों में दर्शाई गई निधियां जैसा उनको संवितरित किया गया था, वैधानिक रूप से उपलब्ध थी और उस सेवा या उद्देश्य जिसके लिए वे व्यय की गईं अथवा प्रभारित की गईं, के लिए उपलब्ध थीं और क्या व्यय उस प्राधिकरण के अनुरूप है जो इसे नियंत्रित करता है और कि (ii) राजस्व के निर्धारण, संग्रहण और उचित आवंटन पर प्रभावी नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए नियम और प्रक्रिया तैयार की गईं हैं और इनका विधिवत पालन किया जा रहा है और इस उद्देश्य के लिए खातों की ऐसी जांच करना, जैसा कि वह उचित समझते हैं और उस पर प्रतिवेदन देना है।

सीएजी अधिदेश के अनुरूप मुम्बई, पुणे, नागपुर में प्र. सीसीआईटी के कार्यालयों की लेखापरीक्षा वा.ले.प. 2017-18 में यह सुनिश्चित करने के लिए नियोजित की गई थी कि (i) राजस्व के निर्धारण, संग्रहण और उचित आवंटन के प्रभावी नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए नियम और प्रक्रियाएं को तैयार किया गया है और मॉनीटरिंग तंत्र यह देखने के लिए स्थापित किए गए थे कि क्या उनका पालन विधिवत किया गया और (ii) खातों में दर्ज किए गए व्यय कानूनी रूप से उस सेवा या उद्देश्य के लिए उपलब्ध थे, जिस पर उनको व्यय अथवा प्रभारित किया गया था और उस प्राधिकार के अनुरूप था जो इसे संचालित करते हैं।

प्र. सीसीआईटी मुम्बई और नागपुर ने अनेक अनुस्मारकों और उच्च स्तरीय व्यक्तिगत बैठकों के बावजूद मांगे गए अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये थे। इस मामले को जुलाई 2018 में डीओ पत्र (अप्रैल 2018) और ड्रॉफ्ट पैराग्राफ के माध्यम से राजस्व सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया था।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (सितंबर 2018) कि प्र. सीसीआईटी, मुम्बई से लेखापरीक्षा द्वारा मांगे गए सूचना/फाइलों और करों के निर्धारण/संग्रहण के बीच कोई संबंध नहीं है। बोर्ड द्वारा जारी किए गए आदेश/निर्देश/अनुदेश सार्वजनिक रूप से (पब्लिक डोमेन) उपलब्ध हैं और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए निर्धारण अधिकारियों के पास भी उपलब्ध हैं। निर्धारण करने वाले अधिकारियों के द्वारा किसी भी मामले में बोर्ड द्वारा जारी किए गए इस प्रकार के आदेश/निर्देश/अनुदेश के अधीन पारित किये गए निर्धारण आदेश सीएजी द्वारा नियमित रूप से लेखापरीक्षा के अधीन हैं।

निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है:

क) सीएजी की सबसे महत्वपूर्ण जबावदेही में से एक है कि वह स्वयं को संतुष्ट करें कि नियम और प्रक्रियाएं राजस्व के निर्धारण, संग्रहण और आवंटन पर प्रभावी नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए तैयार किए गए हैं। प्र. मुख्य सीआईटी के कार्य में बजट बनाने एवं व्यय नियंत्रण, शिकायतों का निवारण, कम्प्यूटीकरण, पर्यवेक्षण और प्रशासनिक नियंत्रण, आंतरिक नियंत्रण, पीएसी की सिफारिशों के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग आदि शामिल है और इन पर प्र. मुख्य सीआईटी कार्यालय द्वारा नजर रखी जाती है। प्र. सीसीआईटी मुम्बई कार्यालय से लेखापरीक्षा द्वारा मांगे गए अभिलेख जैसा कि उत्तर में उल्लेख किया गया था, यह संतुष्ट करने के लिए कि मजबूत आंतरिक नियंत्रण और मॉनटरिंग प्रणाली शीर्ष प्रशासनिक स्तर पर मौजूद हैं, प्रासंगिक अभिलेख थे।

ख) प्र. सीसीआईटी स्तर पर शीर्षस्थ इकाईयों के अभिलेखों की जांच किए बिना, लेखापरीक्षा हितधारकों को आश्वस्त करने के स्थिति में नहीं है कि आयकर के उदग्रहण, निर्धारण और संग्रहण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए नियम और प्रक्रियाएं अपने स्थान पर हैं और राजस्व के संग्रहण हेतु विभाग द्वारा वहन किए गए व्यय विधि अनुसार हैं।

अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं करने के कारण लेखापरीक्षा अपने संवैधानिक अधिदेश का निर्वाहन नहीं कर सका।

अध्याय III: निगम कर

3.1 प्रस्तावना

3.1.1 इस अध्याय में 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षित निगम कर से संबंधित निर्धारणों की लेखापरीक्षा के परिणाम पर चर्चा की गई है। नि.व. 2016-17 के दौरान निगम निर्धारितियों के द्वारा कुल 7,13,139 विवरणियां⁵⁵ दाखिल की गई थी। आयकर विभाग ने नि.व 2016-17 में एवं उन इकाईयों में पूर्व वर्षों में कुल 1,18,101 निगम कर संवीक्षा निर्धारणों को पूर्ण किया गया था जो 2017-18 की लेखापरीक्षा योजना के दौरान लेखापरिक्षित थे। 1,18,101 निगम कर संवीक्षा निर्धारणों में से, हमारे द्वारा 97,434 निगम कर संवीक्षा मामलों की जांच की गई और 7,947 निर्धारणों में गलतियां पाई गईं। 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा में जांच की गई निगम कर संवीक्षा निर्धारणों में शामिल त्रुटियां 8.15 प्रतिशत थी। चूंकि हमने अपने नमूने के अनुसार केवल सीमित संख्या में निर्धारण मामले/अभिलेख देखे हैं; मंत्रालय को न केवल नमूना मामलों परन्तु संपूर्णतया में सतयापित करने की आवश्यकता है।

3.1.2 अप्रैल 2018 से अक्टूबर 2018 के दौरान निगम कर के कुल 340 उच्च मूल्य के मामले मंत्रालय को प्रेषित किये गए थे। जिनमें से 315 मामलों में ₹ 4,630.83 करोड़ का कम प्रभार तथा 25 मामलों में ₹ 235.83 करोड़ का अधिक प्रभार⁵⁶ शामिल है। गलत निर्धारण के ये मामले आयकर विभाग द्वारा की गई निर्धारण प्रक्रिया पर आन्तरिक नियंत्रणों में कमजोरियों की ओर संकेत करते हैं।

3.1.3 गलतियों की श्रेणियों को व्यापक रूप से निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है:

- निर्धारणों की गुणवत्ता
- कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन
- चूकों के कारण निर्धारणों से छूटने वाली आय
- अन्य-कर/ब्याज इत्यादि का अधिक प्रभार

⁵⁵ स्रोत: प्रधान आयकर महानिदेशालय (प्रशासनिक और कर दाता सेवा), अनुसंधान और सांख्यिकी अनुभाग।

⁵⁶ सही आंकड़ों को अपनाने में गलतियां, आय की गणना में अंकगणितीय त्रुटियां, कर/ब्याज की दरों का गलत अनुप्रयोग आदि में त्रुटियों के कारण अधिभार

आयकर अधिनियम, 1961 की धाराएं 234ए, 234बी, 234सी और 244ए के तहत ब्याज की संगणना के संबंध में निर्धारण सूचना प्रणाली⁵⁷ (एएसटी) मॉड्यूल/आयकर कारोबार अनुप्रयोगो⁵⁸ (आईटीबीए) में कमियां देखी गई, जिनको इस अध्याय के पैरा 3.2.4 और 3.5.1 में सामने लाया गया है। तालिका 2.10 (पैरा 2.4.4) निर्धारणों में गलतियों की व्यापक श्रेणियों तथा उनके कर प्रभाव के ब्योरे दर्शाती है।

3.1.4 मंत्रालय ने ₹ 2,279.60 करोड़ कर प्रभाव को शामिल करते हुए 185 मामलों के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियों की अपनी स्वीकृति दी है जबकि ₹ 33.31 करोड़ के कर प्रभाव सहित 13 मामलों को स्वीकार नहीं किया है। शेष 142 मामलों में विभाग ने ₹ 526.87 करोड़ के कर प्रभाव सहित 37 मामलों स्वीकार किए जबकि ₹ 591.59 करोड़ (पैरा 2.4.4 में सन्दर्भित) के कर प्रभाव सहित 8 मामलों को स्वीकार नहीं किया गया। 340 मामलों में से, आयकर विभाग द्वारा ₹ 3,134.02 करोड़ के कर प्रभाव सहित 257 मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई पूर्ण की गई और ₹ 85.90 करोड़ के कर प्रभाव सहित मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई है।

3.2 निर्धारणों की गुणवत्ता

3.2.1 निर्धारण अधिकारियों (नि.अ.) ने अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद निर्धारणों में त्रुटियाँ की। आय एवं कर की संगणना में अंकगणितीय त्रुटियां, कर एवं अधिभार के गलत दरो का अनुप्रयोग, ब्याज के उदग्रहण में गलतियां, प्रतिदाय की अधिकता एवं अनियमितता आदि को शामिल करते हुए गलत निर्धारणों के इन मामलों से आयकर विभाग में आन्तरिक नियंत्रणों में कमियों का पता चलता है जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। तालिका 3.1 उन त्रुटियों की उप-श्रेणी दर्शाती है (संदर्भ परिशिष्ट 2.4) जिनसे निर्धारणों की गुणवत्ता प्रभावित हुई।

⁵⁷ एएसटी मॉड्यूल एक ऑनलाइन, मेन्यू संचालित सॉफ्टवेयर है जो सभी मूल्यांकन और संबंधित कार्यों को पूरा करने में सक्षम है।

⁵⁸ आईटीबीए आयकर विभाग की सभी आंतरिक प्रक्रियाओं को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए विकसित एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है।

तालिका 3.1: मूल्यांकन की गुणवत्ता के तहत गलतियों की उप-श्रेणियां			(₹ करोड़ में)
उप श्रेणियां	मामलें	कर प्रभाव	राज्य
क. आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियां	46	539.34	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, केन्द्र शासित चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल।
ख. कर और अधिभार की गलत दर का अनुप्रयोग	10	307.50	दिल्ली, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, यूटी चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल।
ग. ब्याज उदग्रहण में गलतियां	53	189.37	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, केन्द्र शासित चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल।
घ. अधिक या अनियमित प्रतिदाय/ प्रतिदाय पर ब्याज	4	30.98	महाराष्ट्र.
ङ. अपीलीय आदेश को प्रभावी करते हुए निर्धारण में गलतियां	5	54.59	कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल।
कुल	118	1,121.78	

3.2.2 आय और कर की संगणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ

हम ऐसे छः निदर्शी मामले नीचे दे रहे हैं:

आयकर अधिनियम, 1961, की धारा 143(3) में यह प्रावधान किया गया है कि निर्धारण अधिकारी, इस प्रकार के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कि निर्धारिती इस प्रकार के अन्य साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है जैसा निर्धारण अधिकारी को विनिर्दिष्ट बिंदुओं पर आवश्यकता हो सकती है और सभी प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखने के बाद जो उनके द्वारा संग्रहित की गई हैं। इस प्रकार के निर्धारण के आधार पर लिखित रूप में आदेश देकर, निर्धारिती की कुल आय या हानि का निर्धारण करेंगे और उसके द्वारा देय किसी भी राशि का निर्धारण करेंगे या उस पर देय किसी भी राशि के प्रतिदाय का निर्धारण करेंगे।

3.2.2.1 प्र. सीआईटी मेरठ प्रभार, उत्तर प्रदेश में, निर्धारण अधिकारी (एओ) ने ₹ 1,127.10 करोड़ की हानि का निर्धारण करते हुए मार्च 2016 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारण वर्ष (नि.व) 2013-14 के लिए एक कंपनी का निर्धारण पूर्ण किया था। निर्धारण प्रक्रियाओं के दौरान निर्धारिती ने ₹ 1,384.82 करोड़ की हानि पर अपनी आय की संगणना को संशोधित किया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि कर योग्य आय की संगणना करते समय, एओ ने ₹ 1,384.82 करोड़ की संशोधित हानि के बजाय ₹ 2,169.02 करोड़ की हानि के आंकड़े गलती से लिये थे। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 254.43 करोड़

के संभावित कर सहित ₹ 784.20 करोड़ की अधिक हानि को दर्शाया। विभाग (आयकर विभाग) ने अधिनियम की धारा 154 के तहत गलतियों का परिशोधन (सितंबर 2017) किया।

3.2.2.2 प्र. सीआईटी-1, भुवनेश्वर प्रभार, ओडिशा में, एओ ने दिसंबर 2016 में नि.व 2014-15 के लिए ₹ 63.70 करोड़ के संवर्धन करने के बाद ₹ 86.98 करोड़ पर हानि को निर्धारित करते हुए कंपनी का संवीक्षा निर्धारण पूर्ण किया। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि कुल आय की संगणना करते समय, एओ ने गलती से ₹ 32.09 करोड़ की कुल सकल आय के बजाय ₹ 150.68 करोड़ की हानि को मान लिया था जैसा कि निर्धारित ने अपने मूल और संशोधित विवरणियों में दिखाया था। इस प्रकार, निर्धारित आय को ₹ 95.79 करोड़ की आय के बजाय ₹ 86.98 की हानि पर गलती से निर्धारित की गई थी। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 64.35 करोड़⁵⁹ के कर प्रभाव सहित ₹ 182.77 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। आयकर विभाग ने बताया (फरवरी 2018) कि लेखापरीक्षा में दिखाई गई गलती का परिशोधन करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की गई। इसके बाद का उत्तर प्रतिक्षित था (मार्च 2019)।

3.2.2.3 प्र. सीआईटी-5, दिल्ली प्रभार में, एओ ने नि.व 2012-13 हेतु ₹ 86.10 करोड़ की हानि पर अधिनियम की धारा 144⁶⁰ के तहत मार्च 2015 में कंपनी का निर्धारण पूर्ण किया। निर्धारण आदेश में चर्चा के अनुसार, निर्धारिती द्वारा दावा किए गए चालू वर्ष की हानि पर आने वाले व्यय की पुष्टि नहीं की गई थी। व्यय के ब्यौरे न होने के कारण, एओ ने यह बताते हुए कि निर्धारिती के द्वारा दावा किए गए व्यय को कोई महत्व नहीं दिया, निर्धारिती के द्वारा दाखिल की गई आयकर विवरणी (आईटीआर) के अनुसार 10 प्रतिशत सकल विक्रयों के रूप में ₹ 16.38 करोड़ पर कर योग्य आय का निर्धारण किया। हालांकि, निर्धारित आय की संगणना करते समय, ₹ 16.38 करोड़ के कर योग्य लाभ को ₹ 102.48 करोड़ की वापस की गई हानि के साथ समायोजित किया गया था जो ₹ 86.10 करोड़ की हानि पर पहुंच गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 16.38 करोड़ के से आय का कम निर्धारण हुआ और साथ ही ₹ 27.93 करोड़ के संभावित कर प्रभाव और ₹ 7.22 करोड़ के सकारात्मक कर प्रभाव सहित (ब्याज को शामिल करते हुए) ₹ 86.10 करोड़ की हानि का अधिक निर्धारण

⁵⁹ ₹ 1,029.49 लाख (सकारात्मक कर प्रभाव) + ₹ 5,405.13 लाख (संभावित कर प्रभाव)

⁶⁰ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 144, उन मामलों में सर्वश्रेष्ठ निर्णय निर्धारण से संबंधित है, जहां करदाता द्वारा आय की विवरणी दाखिल नहीं की गई है या यदि करदाता द्वारा उसके निर्धारण से संबंधित जानकारी/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के मामले में करदाता द्वारा कोई सहयोग नहीं किया जाता है या यदि करदाता के खाता पुस्तकें विश्वसनीय नहीं हैं या अपूर्ण हैं।

हुआ। आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के तहत त्रुटियों का परिशोधन किया (दिसंबर 2017)।

आयकर अधिनियम, 1961, की धारा 115 बीबीई (1), प्रावधान करती है कि जहां एक निर्धारिती की कुल आय में अधिनियम की धारा 68 अथवा 69 में निर्दिष्ट कोई भी आय शामिल होती है, धारा 68 या 69 में निर्दिष्ट आय पर संगणित आयकर की राशि का कुल योग तीस *प्रतिशत* की दर से आयकर देय होगा और शेष आय पर प्रभार्य आयकर का राशि सामान्य प्रावधानों के तहत निर्धारित की जायेगी। इसके बाद उप-धारा(2) में प्रावधान है कि अधिनियम की धारा 68 अथवा 69 में निर्दिष्ट आय की संगणना करने में इस अधिनियम के किसी भी प्रावधानों के तहत किसी व्यय अथवा भत्ते के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3.2.2.4 प्र. सीआईटी-2 कोलकाता प्रभार, पश्चिम बंगाल में, एओ ने मार्च 2016 में नि.व 2013-14 के लिए अधिनियम की धारा 144 के तहत चालू वर्ष से ₹ 33.68 करोड़ की हानि पर और पिछले वर्ष से ₹ 18.08 करोड़ की हानि के समंजन की अनुमति देने के बाद 'शून्य' आय पर कंपनी का निर्धारण पूर्ण किया। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि, निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, एओ ने अधिनियम की धारा 68⁶¹ के प्रावधान के तहत अघोषित नकद क्रेडिट के रूप में ₹ 49.44 करोड़ का संवर्धन किया। हालांकि, ₹ 49.44 की राशि का कर अलग से नहीं लगाया गया और चालू वर्ष के व्यापार घाटे के साथ उसके समंजन की अनुमति दी गई और व्यापार हानि को अघोषित किया गया, जो नियमानुसार नहीं था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 16.04 करोड़ के कर प्रभाव सहित, धारा 234बी के तहत ब्याज को छोड़कर ₹ 49.44 करोड़ से आय का कम निर्धारण हुआ। आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 144 के साथ पठित धारा 154 के तहत (जनवरी 2018) त्रुटियों का परिशोधन किया।

3.2.2.5 प्र. सीआईटी-5 हैदराबाद प्रभार, आन्ध्रप्रदेश में, एओ ने नि.व 2014-15 के लिए अधिनियम की धारा 144 के तहत ₹ 3.21 करोड़ की अनुमानित आय के बजाय ₹1.60 करोड़ के अघोषित हानि को समंजन करते हुए ₹ 1.60 करोड़ की आय का निर्धारण दिसंबर 2016 में किया। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि एओ ने सकल प्राप्तियों के 5 *प्रतिशत* पर निर्धारिती की आय का आकंलन किया था। कारोबार की बिक्री/सकल प्राप्तियों को आयकर विवरणी में ₹ 551.42 करोड़ दर्शाया गया था। जिसका 5 *प्रतिशत* 3.21 करोड़ जैसा कि निर्धारण आदेश में लिया गया है के बजाय ₹ 27.57 करोड़ बनता है। विक्रय

⁶¹ अधिनियम की धारा, 1961 प्रावधान करती है कि जहां किसी भी पूर्व वर्ष के लिए निर्धारिती द्वारा अनुरक्षित खातों में जमा की गई किसी राशि के अनुसार, और निर्धारिती उसकी प्रकृति और स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है या उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण निर्धारण अधिकारी की राय में, संतोषजनक नहीं है, अतः वह जमा राशि पिछले वर्ष की निर्धारिती की आय के रूप में आयकर के लिए प्रभारित की जा सकती है।

प्राप्तियों के अतिरिक्त, निर्धारिती ने ₹ 2.08 करोड़ की 'अन्य आय' भी अर्जित की थी। परिणाम स्वरूप ₹ 29.65 करोड़ की कुल आय की गणना की गई। निर्धारण आदेश में निर्धारण हुए ₹ 1.61 करोड़ के बजाय ₹ 1.60 करोड़ की अग्रेषित हानि के समंजन के बाद ₹ 28.05 की कर योग्य आय की गणना की गई। परिणामस्वरूप ब्याज को शामिल करते हुए ₹ 12.16 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 26.44 करोड़⁶² की आय का कम निर्धारण हुआ। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (दिसंबर 2018) और अधिनियम की धारा 154 के तहत त्रुटि का परिशोधन (अगस्त 2018) किया।

3.2.2.6 प्र. सीआईटी-3 कोलकता प्रभार, पश्चिम बंगाल में, एओ ने ₹ 2.26 करोड़ की आय पर अधिनियम की धारा 144 के तहत दिसंबर 2016 में नि.व 2014-15 के लिए निर्धारण पूर्ण किया। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि, निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, एओ ने ₹ 2.25 करोड़ का संवर्धन किया यह बताते हुए कि असूचीबद्ध इक्विटी में निर्धारिती द्वारा किया गया सम्पूर्ण निवेश के विषय में निर्धारिती ने स्पष्ट नहीं किया गया था। हालांकि, तुलन-पत्र के अनुसार असूचीबद्ध इक्विटी में निर्धारिती द्वारा किए गए निवेश की सही राशि ₹ 2.25 करोड़ के बजाय ₹ 22.49 करोड़ थी। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 9.56 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 20.24 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ की थी। (जून 2018)

3.2.3 कर और अधिभार की गलत दरों को लागू करना

हमने ऐसे तीन निदर्शी मामले दर्शाए हैं

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 बीबीडी के अनुसार, जहां भारतीय कंपनी की कुल आय में किसी निर्दिष्ट विदेशी कंपनी द्वारा घोषित, वितरित अथवा भुगतान किए गए लाभांश के माध्यम से कोई आय शामिल है, भुगतान योग्य आयकर एकत्र किया जाना चाहिए (क) पंद्रह प्रतिशत की दर से ऐसे लाभांशों के माध्यम से आय पर गणना की गई आयकर की राशि पर और (ख) जिस आयकर की राशि निर्धारिती प्रभार्य हो जाता है उसकी कुल आय लाभांशों के माध्यम से पूर्वोक्त आय से कम हो गई है। धारा 115 बीबीडी की उप-धारा 3 (ii) 'विनिर्दिष्ट विदेशी कंपनी' एक विदेशी कंपनी के रूप में परिभाषित की गई है जिसमें कंपनी में भारतीय कंपनी 26 प्रतिशत अथवा इससे अधिक का इक्विटी शेयर पूंजी के नाम मात्र मूल्य का अधिकार रखती है।

⁶² ₹ 28.05 करोड़ - ₹ 1.61 करोड़

3.2.3.1 प्र. सीआईटी- एलटीयू मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, एओ ने अधिनियम की धारा 144सी (1)⁶³ के साथ पठित धारा 143(3) के तहत नि.व 2013-14 के लिए, अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत ₹ 3,696.63 करोड़ की हानि और ₹ 390.03 करोड़ के अंकित लाभ पर कंपनी का निर्धारण पूर्ण किया, जो कि धारा 115 जेबी के तहत कर के लिए प्रभारित था। आय की संगणना की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारिती कंपनी ने ₹ 1,422.11 करोड़ की राशि विदेशी कंपनियों से लाभांश के रूप में 'अन्य स्रोतों से आय' के शीर्ष के तहत दर्शाया था। प्राप्त लाभांश पर निर्धारिती द्वारा दिया गया विस्तृत विवरण दर्शाता है कि इसमें 'X' कंपनी से ₹ 1,421.98 करोड़ का लाभांश शामिल किया गया। वार्षिक खाते के अनुसार, 'X' कंपनी निर्धारिती की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी थी और धारा 115 बीबीडी के तहत परिभाषित एक विनिर्दिष्ट विदेशी कंपनी थी। तदनुसार, उपरोक्त धारा के प्रावधानों के अनुसार, ₹ 1,421.98 करोड़ की लाभांश राशि पर 15 प्रतिशत की दर से पृथक रूप से कर लगाना आवश्यक था जिसे नहीं लगाया गया था। चूक के परिणामस्वरूप धारा 234बी के तहत ₹ 22.61 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 278.54 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ, इसके अलावा धारा 244ए के तहत ₹ 25.25 करोड़ के अधिक ब्याज और ₹ 71.72 करोड़ के मैट क्रेडिट दोनों को वापस लेने की आवश्यकता थी। आयकर विभाग ने उत्तर दिया (नवंबर 2017) कि लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार्य थी। इसके आगे की कार्रवाई प्रतिक्रित थी (मार्च 2019)।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 4(1) प्रावधान करती है कि एक निर्धारिती की पिछले वर्ष की कुल आय के संबंध में प्रासंगिक वित्त अधिनियम के तहत निर्धारित की गई दरों के अनुसार प्रत्येक निर्धारण वर्ष हेतु आयकर प्रभार्य है। निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए प्रासंगिक वित्त अधिनियम में विदेशी कंपनियों के मामले में आयकर पर दो प्रतिशत की दर से अधिभार के उदग्रहण का प्रावधान है, यदि शुद्ध आय ₹ एक करोड़ से अधिक है।

3.2.3.2 सीआईटी (अन्तर्राष्ट्रीय कर)-2 प्रभार, दिल्ली में, नि.व 2013-14 के लिए कंपनी का निर्धारण जनवरी 2017 में संवीक्षा के बाद ₹ 3,859.92 करोड़ की आय और उस पर ₹ 397.57 करोड़ का कर निर्धारित करते हुए पूर्ण किया गया था। निर्धारण आदेश के अनुसार ₹ 3,859.92 करोड़ की रॉयल्टी आय पर लागू अधिभार और उपकर के साथ 10 प्रतिशत की दर पर कर का उदग्रहण किया जाना आवश्यक था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि, कर मांग की संगणना करते समय, दो प्रतिशत की दर से अधिभार वसूल करने योग्य था

⁶³ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 144सी, विवाद समाधान पैनल के संदर्भ के लिए प्रकिया प्रदान करती है। अधिनियम के धारा 144सी(1) के अनुसार, निर्धारण कार्यालय, पात्र निर्धारिती के निर्धारण के प्रस्तावित आदेश के मसौदे को अग्रहित करेगा यदि वह अक्टूबर 2009 के पहले दिन या उसके बाद आय या हानि में कोई बदलाव करना चाहता है जो ऐसे निर्धारिती के हित के लिए प्रतिकूल है।

जिसकी वसूली नहीं की गई। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 11.61 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ। आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के तहत त्रुटि का परिशोधन किया (मार्च 2018)।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 44डीए, व्यवसाय या कारोबार के लाभ और मुनाफे के रूप में तकनीकी सेवाओं हेतु रॉयल्टी या शुल्क के माध्यम से आय के कराधान हेतु प्रावधान है जब भारत में अनिवासी की स्थायी स्थापना में ऐसी आय सम्बद्ध होती है, निर्धारण वर्ष 2012-13 के निर्धारण के लिए प्रासंगिक वित्त अधिनियम, विदेशी कंपनियों के मामले में व्यापार अथवा कारोबार के लाभ और मुनाफे पर 40 प्रतिशत की दर से कर लगाने का प्रावधान करता है।

3.2.3.3 सीआईटी (अन्तर्राष्ट्रीय कर)-1 प्रभार, दिल्ली में, नि.व. 2012-13 हेतु ₹ 35.52 करोड़ की आय और उस पर ₹ 8.76 करोड़ के कर पर, कंपनी का निर्धारण दिसंबर 2015 में पूरा किया गया। निर्धारण आदेश के अनुसार धारा 44डीए के प्रावधानों के अनुपालन में लाभ और मुनाफे के रूप में ₹ 35.52 करोड़ की कुल आय मानी गयी और उसी अनुसार 40 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाना आवश्यक था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि, कर मांग की संगणना करते समय, एओ ने ₹ 14.21 करोड़ की उदग्रह्य राशि के बजाय केवल ₹ 8.10 करोड़ का कर लगाया गया। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 6.17 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ। आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के तहत त्रुटि का परिशोधन (फरवरी 2018) किया।

निर्धारण वर्ष 2011-12 से संबंधित वित्त अधिनियम, कंपनियों के मामलों में आयकर को 7.5 प्रतिशत की दर से अधिभार के उदग्रहण का प्रावधान करता है यदि शुद्ध आय ₹ एक करोड़ से अधिक है।

3.2.3.4 प्र. सीआईटी-2 चण्डीगढ़ प्रभार में, नि.व 2011-12 के लिए कंपनी का निर्धारण अधिनियम की धारा 143(3) के साथ पठित धारा 147⁶⁴ के तहत मार्च 2016 में ₹ 49.93 करोड़ की आय पर पूर्ण किया गया। आईटीएनएस-150 की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि यद्यपि एएसटी प्रणाली के माध्यम से कर मांग की संगणना और इसको सृजित किया गया, अधिनियम की धारा 234ए(3) के तहत ब्याज एक माह की देरी के लिए वसूली योग्य था और 7.5 प्रतिशत की दर पर अधिभार उदग्रह्य था, जिसे नहीं लगाया गया था।

⁶⁴ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 147 के अनुसार, यदि एओ के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कर के लिए प्रभार्य कोई आय किसी भी निर्धारण वर्ष में निर्धारण से बच गई है तो वह धारा 148 अथवा 153 के प्रावधानों के तहत ऐसी आय का निर्धारण एवं पुनः निर्धारण कर सकता है और इसके अतिरिक्त कर के लिए प्रभार्य किसी भी आय को जो निर्धारण से बच गई है और इस धारा के तहत कार्यवाही के दौरान उसकी सूचना में बाद में आते हैं, या हानि की पुनः गणना या मूल्यहास भत्ता या अन्य भत्ता जैसा भी मामला संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए हो सकता है।

तदनुसार प्रणाली अधिभार और ब्याज की राशि सहित कर मांग की संगणना में सक्षम नहीं था। इसके अतिरिक्त, प्रणाली के माध्यम से संगणना में हुई त्रुटि में सुधार भी एओ द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ब्याज को शामिल करते हुए ₹ 2.02 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ। आयकर विभाग ने बताया (सितंबर 2018) कि अधिनियम की धारा 154 के तहत त्रुटि का परिशोधन (अगस्त 2018) किया गया।

3.2.4 ब्याज के उदग्रहण में त्रुटियां

हमने इस प्रकार के चार निदर्शी मामले दर्शाए हैं:-

आयकर अधिनियम, 1961 में भारत सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दरों पर निर्धारिती की ओर से चूकों के कारण ब्याज के उदग्रहण के लिए प्रावधान है। अधिनियम की धारा 234ए में एक विनिर्दिष्ट दरों पर और विनिर्दिष्ट समय अवधि हेतु आय को विवरणी प्रस्तुत करने में चूक के संबंध में ब्याज के उदग्रहण हेतु प्रावधान किया गया है। अधिनियम की धारा 234बी में विनिर्दिष्ट दरों पर और विनिर्दिष्ट समय अवधि हेतु अग्रिम कर के भुगतान में चूक के संबंध में ब्याज के उदग्रहण हेतु प्रावधान किया गया है। अधिनियम की धारा 234सी में विनिर्दिष्ट दरों पर और विनिर्दिष्ट समय अवधि के लिए अग्रिम कर की किस्तों के भुगतान में चूक के संबंध में ब्याज के उदग्रहण हेतु प्रावधान किया गया है।

इसके अतिरिक्त, सभी आयकर विवरणियां संक्षिप्त रूप से केंद्रीय प्रसंस्करण केन्द्र⁶⁵ (सीपीसी), बेंगलुरु में धारा 143(1) के तहत संसाधित किये जाते हैं, इस प्रकार, सार निर्धारणों से संबंधित सभी डेटा निर्धारण सूचना प्रणाली (एएसटी) में प्रत्यक्ष रूप से लिए गए हैं। सीपीसी से हस्तांतरित सभी विवरणियों के लिए एएसटी मॉड्यूल, आयकर विभाग के भाग के मॉड्यूल, संवीक्षा मामलों के संबंध में प्रसंस्करण, परिशोधन, निर्धारण आदेश को पूरा करने का कार्य एओ के द्वारा किया जाता है। एएसटी विभिन्न निर्धारण के कार्य करता है जैसे कि कर की संगणना, आयकर अधिनियम, 1961 की विभिन्न धाराओं के तहत ब्याज की संगणना, समय बाधित चैक, कटौतियों की सीमा का वैधीकरण, देय तिथि की जांच, आदि। टीडीएस/टीसीएस और अग्रिम कर, आदि के संबंध में निर्धारिती द्वारा किए गए भुगतान क्रमशः 26एएस अनुप्रयोग और ओएलटीएस⁶⁶ अनुप्रयोग से स्वतः भर जाते हैं। संवीक्षा निर्धारण, परिशोधन, क्षेत्रीय कार्यालयों में अपील प्रभाव आदेशों के मामले में एओ के द्वारा आदेशों के आधार पर प्रणाली में डेटा-फीड किए जाते हैं। स्वर्धनों के तहत आय के विभिन्न शीर्षों में दर्ज किए गए नए आकड़ों के साथ अंतिम मांग हेतु संगणना पत्रक सृजित होता है। यदि एओ द्वारा उपरोक्त शीर्षों के मूल्य में कोई वृद्धि की जानी है, तो प्रणाली के माध्यम से अगामी उच्च प्राधिकारी से अनुमति की आवश्यकता होती है, हालांकि, एएसटी में उपरोक्त शीर्षों के तहत मूल्य को कम करने के लिए एओ को कोई अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। एएसटी मॉड्यूल एओ को 'संशोधित' शीर्ष के तहत धारा 234ए/बी/सी/डी और 244ए के तहत ब्याज के मूल्य में संशोधन

⁶⁵ बेंगलुरु में आयकर विवरणियों के लिए केंद्रीयकृत प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी आईटीआर) करदाता द्वारा देय कर और अंतिम प्रतिदाय की संगणना करने के लिए आयकर अधिनियम के अनुसार नियमों का उपयोग करके विवरणी के प्रसंस्करण के लिए एक व्यापक और अंतिम समाधान प्रदान करता है।

⁶⁶ ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम (ओएलटीएस) बैंकों के माध्यम से करदाताओं द्वारा किए गए कर भुगतानों की वास्तविक समय के सट्टे रिपोर्टिंग, निगरानी और पुनः मिलान को आसान कर देता है।

की अनुमति देता है। इन मूल्यों को किसी भी उच्च प्राधिकारी की अनुमति के बिना परिवर्तित किया (वृद्धि या कमी) जा सकता है। धारा 144 के तहत यथेष्ट निर्णय के तहत निर्धारण, यदि निर्धारित नॉन-फाइलर है तो विभिन्न शीर्षों के तहत डेटा मैनुअल रूप से फीड किया जाता है और तदनुसार संगणना की जाती है। यदि निर्धारिती धारा 148 के तहत नोटिस देने के बाद आयकर विवरणी देरी से फाइल करता है, तब संबंधित निर्धारण वर्ष हेतु मूल देय तिथि के आधार पर धारा 234एबीसी के तहत ब्याज की संगणना की जायेगी।

3.2.4.1 सीआईटी- केंद्रीय सर्कल, अहमदाबाद प्रभार, गुजरात में, दिसंबर 2016 में ₹ 50.42 करोड़ की आय को निर्धारित करते हुए अधिनियम की धारा 153ए(1)बी⁶⁷ के साथ पठित धारा 143(3) के तहत नि.व 2012-13 हेतु कंपनी का निर्धारण पूर्ण किया था। आईटीएनएस 150 की लेखापरीक्षा से पता चला कि धारा 234बी के तहत अग्रिम कर के भुगतान में चूक के कारण ब्याज की मैनुअल रूप से गणना की गई थी और एएसटी के माध्यम से इसकी गणना नहीं की गई थी, और ₹ 9.12 करोड़ के बजाय ₹ 2.28 करोड़ के रूप में अशुद्ध रूप से प्रभारित किया गया था। लेखापरीक्षा में आय और ब्याज पर कर की संगणना एएसटी के माध्यम के बजाय मैनुअल रूप से करने के कारणों का पता नहीं लग सका परिणामस्वरूप ब्याज की राशि का कम उदग्रहण हुआ। आईटीएनएस-150 में दर्शाए गए ब्याज की शुद्धता को सत्यापित करने में एओ द्वारा हुई चूक के परिणामस्वरूप ₹ 6.84 करोड़ के ब्याज का कम उदग्रहण हुआ। आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के तहत अगस्त 2017 में ब्याज की संगणना में चूक का परिशोधन किया।

3.2.4.2 प्र.सीआईटी-2 अहमदाबाद प्रभार, गुजरात में दिसंबर 2016 में नि.व 2009-10 हेतु अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत ₹ 15.18 करोड़ की आय को निर्धारित करते हुए कंपनी का निर्धारण पूर्ण किया था। निर्धारिती कंपनी द्वारा जैसा धारा 139(1)⁶⁸ में निर्धारित है अर्थात् 30.9.2009 तक नि.व 2009-10 हेतु अपनी आय की मूल विवरणी दाखिल नहीं की। मामले को पुनः खोला गया और मार्च 2016 में धारा 148 के तहत एक नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस के जवाब में अप्रैल 2016 में निर्धारिती द्वारा आय की विवरणी दाखिल की गई। आईटीएनएस-150 की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारित आय पर ₹ 5.16 करोड़ के कर की गणना

⁶⁷ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 153ए(1)(बी), में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति के मामले में जहां धारा 132 के तहत या बहि खातों या, अन्य दस्तावेजों या किसी परिसंपत्तियों की कोई जांच प्रारंभ की जाती है तो 31 मई 2003 के दिन के बाद धारा 132ए के तहत उनकी मांग अपेक्षित हैं, एओ ऐसे छः निर्धारण वर्षों के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक नि.व. के संबंध में कुल आय का निर्धारण अथवा पुनः निर्धारण करेगा।

⁶⁸ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति, जो एक कंपनी या एक व्यक्ति होने के नाते एक कंपनी के अलावा है जिसे पिछले वर्ष के दौरान या नियत तारीख से पहले अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है। निर्धारित फॉर्म में और निर्धारित तरीके से सत्यापित किया गया।

मैनयुअल रूप से की गई और एएसटी के माध्यम से नहीं की गई। हालांकि, आय की मूल विवरणी को दाखिल नहीं करने के कारण धारा 234ए के तहत ब्याज का उदग्रहण नहीं हुआ। चूंकि विवरणी दाखिल नहीं की गई थी इसलिए ब्याज 79 महीनों हेतु अर्थात् आयकर विवरणी दाखिल करने की देय तिथि (1 अक्टूबर 2009) के अगले दिन से विवरणी दाखिल करने की तिथि (28 अप्रैल 2016) तक लगाया जाना आवश्यक था। एएसटी के माध्यम के बजाय मैनयुअल रूप से आय पर कर की संगणना करने के कारणों का लेखापरीक्षा द्वारा पता नहीं लगाया जा सका, परिणामस्वरूप धारा 234ए के तहत ब्याज का उदग्रहण नहीं हुआ। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 4.07 करोड़ के ब्याज का उदग्रहण नहीं हुआ। मंत्रालय का उत्तर प्रतिक्षित था (मार्च 2019)।

3.2.4.3 प्र. सीआईटी-2 प्रभार, दिल्ली में, नि.व 2013-14 हेतु कंपनी की आय का निर्धारण दिसंबर 2016 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत पूर्ण किया गया और ₹ 9,441.09 करोड़ की आय और उस पर ₹ 3,058.76 करोड़ के कर का निर्धारण किया गया। आईटीएनएस-150 की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि धारा 234सी के तहत अग्रिम कर के आस्थगत हेतु एएसटी प्रणाली के द्वारा ₹ 3.61 करोड़ के ब्याज की संगणना नहीं की गई जो इस तथ्य का संकेत है कि, अग्रिम कर के भुगतान के आस्थगत के लिए ब्याज की संगणना में प्रणाली सक्षम नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 234सी के तहत ₹ 3.61 करोड़ के ब्याज का उदग्रहण नहीं हुआ। आयकर विभाग ने धारा 154 के तहत ब्याज की संगणना में त्रुटि का परिशोधन करते समय (फरवरी 2018) बताया कि एएसटी में तकनीकी समस्याओं के कारण, धारा 234सी के तहत प्रणाली द्वारा ब्याज को प्रभारित नहीं किया गया था। आयकर विभाग ने आगे बताया (जुलाई 2018) कि ब्याज की संगणना नहीं किए जाने का मामले में विभाग के प्रणाली प्रभाग से संबंधित है। लेखापरीक्षा का विचार है कि निर्धारिती के देय ब्याज अथवा प्रतिदाय सहित कर मांग का सही निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए इस विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

3.2.4.4. प्र. सीआईटी-2 चण्डीगढ़ प्रभार, नि.व. 2008-09 के लिए ₹ 100.29 करोड़ की आय पर मार्च 2016 में अधिनियम की धारा 143(3) के साथ पठित धारा 147 के तहत कंपनी का निर्धारण पूर्ण किया गया। 25 मार्च 2015 को धारा 148 के तहत 30 दिनों के अंदर आयकर विवरणी दाखिल करने के लिए निर्धारिती को एक नोटिस जारी किया गया था। निर्धारिती ने जवाब में बताया (जनवरी, 2016) कि मूल विवरणी 30 सितंबर 2008 को दाखिल की गई थी जिसको धारा 148 के तहत जारी किए गए नोटिस हेतु विवरणी के रूप में माना जाय। चूंकि आय विवरणी को 21 जनवरी 2016 तक

दाखिल किया जाना निर्धारित था, धारा 234ए(3) के तहत ब्याज के उदग्रहण के लिए विलंब की अवधि 9 महीने होगी। आईटीएनएस-150 की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि एएसटी के माध्यम से कर मांग की संगणना की गई थी और 9 महीनों के लिए ₹ 2.98 करोड़ की उदग्रह्य राशि के तुलना में हेतु धारा 234ए (3)⁶⁹ के तहत विवरणी को प्रस्तुत करने में चूक के कारण ब्याज का शून्य उदग्रहण हुआ। चूंकि एओ के द्वारा देरी की अवधि पर विचार करने में चूक हुई और इस तथ्य को आगे इंगित करता है कि धारा 234ए(3) के तहत ब्याज की विलंब की अवधि की गणना करने में यह प्रणाली अपूर्ण थी। इसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 234ए(3) के तहत ₹ 2.98 करोड़ के ब्याज का उदग्रहण नहीं हुआ। आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के तहत त्रुटि का परिशोधन (जुलाई 2018) किया।

3.2.4.5 प्र. सीआईटी-1, कोलकता प्रभार, पश्चिम बंगाल में, नि.व 2014-15 के लिए कंपनी का निर्धारण ₹ 234.46 करोड़ की आय पर दिसंबर 2016 में संवीक्षा निर्धारण के बाद पूर्ण किया गया। तत्पश्चात, धारा 143(3) के तहत संवीक्षा निर्धारण में किए गए ₹ 83.03 लाख के दोहरे संवर्धन को ध्यान में रखते हुए ₹ 233.63 करोड़ की आय पर फरवरी 2017 में धारा 154 के तहत निर्धारण को संशोधित किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि ₹ 0.63 लाख की टीडीएस राशि की कटौती करने के बाद आय विवरणी के अनुसार निर्धारिती की सकल कर देयता ₹ 79.91 करोड़ थी। निर्धारिती ने अधिनियम के द्वारा आवश्यक निर्धारित तिथियों के अन्तर्गत अग्रिम कर का भुगतान नहीं किया और इसलिए वह धारा 234सी के तहत ₹ 4.01 करोड़ की ब्याज राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। हालांकि, यह देखा गया कि धारा 154 के तहत आदेश पारित करते समय (फरवरी 2017), प्रणाली द्वारा गलती से ₹ 4.01 करोड़ की सही राशि के बजाय ₹ 1.07 करोड़ के ब्याज का उदग्रहण किया गया। यह दर्शाता है कि धारा 234सी के तहत ब्याज की संगणना करने में प्रणाली अपूर्ण थी। आईटीएनएस-150 में दर्शाए गए ब्याज की परिशुद्धता को सत्यापित करने में एओ द्वारा की गई चूक के परिणामस्वरूप ₹ 2.94 करोड़ के ब्याज का कम उदग्रहण हुआ। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया था (जनवरी 2019)। अधिनियम की धारा 154 के तहत ब्याज की संगणना में हुई त्रुटि का परिशोधन किया। (दिसंबर 2017)

⁶⁹ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234ए(3), उन मामलों में विवरणी के प्रस्तुत करने में चूक के लिए ब्याज की उगाही प्रदान करता है, जहां निर्दिष्ट दरों, पर और निर्दिष्ट समय अवधि के लिए धारा 147 या धारा 153ए के तहत आय निर्धारित की जाती है।

3.2.5 अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदाय पर ब्याज

हमने एक ऐसा निदर्शी मामला नीचे दर्शाया है:

आयकर अधिनियम 1961, की धारा 244ए (1)(ए) में निर्धारण वर्ष के पहले दिन से प्रतिदाय के अनुदान की तिथि तक एक निर्दिष्ट दर पर, प्रतिदाय की उस राशि पर जहां कर के अतिरिक्त भुगतान के कारण प्रतिदाय उत्पन्न होता है, ब्याज के उद्ग्रहण के लिए प्रावधान किए गए हैं।

3.2.5.1 प्र.सीआईटी-1 मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, नि.व. 2007-08 के लिए कंपनी का संवीक्षा निर्धारण कुल ₹ 52.88 करोड़ निर्धारित आय पर दिसंबर 2010 में पूर्ण किया गया जिसके विरुद्ध निर्धारिती द्वारा अपील की गई। अपील आदेश सितंबर 2016 में पारित किया गया था जिसे ₹ 32.28 करोड़ की आय को संशोधित करते हुए नवंबर 2016 में धारा 250 के तहत विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के माध्यम से लागू किया गया था। आईटीएनएस-150 की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि धारा 244ए के तहत प्रतिदाय पर ब्याज की गणना मैनुअल रूप से की गई और एएसटी के माध्यम से गणना नहीं की गई थी और ₹ 7.79 करोड़ के बजाय ₹9.38 करोड़ प्रतिदाय पर ब्याज की अनुमति दी। लेखापरीक्षा एएसटी के माध्यम से बजाय मैनुअल रूप से आय और ब्याज पर कर की संगणना हेतु कारणों को अभिनिश्चित नहीं किया जा सका। आईटीएनएस-150 में दर्शाए गए ब्याज की परिशुद्धता की पुष्टि करने में एओ द्वारा की गई चूक के परिणामस्वरूप प्रतिदाय पर ₹ 1.59 करोड़ के ब्याज के आधिक्य को अनुमत किया गया। आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के तहत त्रुटि का परिशोधन किया। (नवंबर 2017)

3.2.6 अपील आदेशों को लागू करते समय निर्धारण में त्रुटियां

हमने ऐसे दो निदर्शी मामले नीचे दर्शाये हैं:

3.2.6.1 प्र. सीआईटी-2 मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, नि.व. 2004-05 के लिए ₹ 402.18 करोड़ की सीमा तक धारा 36(1)(vii)⁷⁰ के तहत अशोध्य ऋण के निर्धारिती के दावे के अस्वीकरण के साथ-साथ ₹ 1,827.19 करोड़ की आय का निर्धारण करते हुए एओ ने बैंकिंग कंपनी का संवीक्षा निर्धारण दिसंबर 2005 में पूर्ण किया गया। निर्धारण आदेश के विरुद्ध अपील पर, सीआईटी (अपील) के आदेश के लागू करते हुए धारा 36(i)(vii) के तहत ₹ 134.68 करोड़ की आंशिक राहत की अनुमति देते हुए ₹ 1,496.87 करोड़ की संशोधित निर्धारित आय को फरवरी 2011 में एक आदेश पारित किया गया था। उपरोक्त आदेश से असंतुष्ट, निर्धारिती ने आईटीएटी में एक अपील दायर की गई, जिसे मामले को पुनः अधिनिर्णयन हेतु

⁷⁰ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (vii) के अनुसार, अधिनियम में निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति के अधीन किसी भी अशोध्य ऋण या उसके हिस्से की राशि कटौती के रूप में स्वीकार्य है।

एओ को वापस भेज दिया गया था (जून 2013)। धारा 14ए⁷¹ के तहत अननुमत राहत के बाद निर्धारण योग्य आय को पुनः ₹ 1,454.79 करोड़ से संशोधित किया गया (मार्च 2015)। इसके बाद, मार्च 2015 के उपरोक्त आदेश के धारा 154 के तहत इस आधार पर परिशोधित किया गया कि धारा 36(i)(viii)⁷² के तहत निर्धारिती को कटौती को आंशिक अनुपात में वापस लिया जाना था। इस स्तर पर ₹ 1,457.95 करोड़ से आय का पुनः निर्धारित किया गया। जून 2013 में आईटीएटी के द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार, एओ ने मामले को नए सिरे से निपटाया (मार्च 2017) और दिसंबर 2005 में ₹ 402.18 करोड़ के सम्पूर्ण अस्वीकृति को अननुमत करके और संवीक्षा निर्धारण को रद्द कर दिया। धारा 36(i) (vii) के तहत इसकी अनुमति देकर अधिनियम की धारा 250⁷³ के तहत ₹ 1,085.92 करोड़ पर आय की पुनः संगणना की गई थी। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि अधिनियम की धारा 250 के तहत आदेश हेतु आय की संगणना में, एओ द्वारा ₹ 1,457.94 करोड़ प्रारंभिक बिंदु के रूप में लिया गया, जिसमें फरवरी 2011 के सीआईटी (अपीलें) के आदेश में दी गई ₹ 134.68 करोड़ की आंशिक राहत शामिल थी। इस प्रकार, ₹ 402.18 करोड़ की कटौती की अनुमति देते समय, एओ ने ₹ 134.68 करोड़ की अधिक कटौती अनुमत की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 48.32 करोड़ के कम कर के उद्ग्रहण सहित ₹ 134.68 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। मंत्रालय का उत्तर प्रतिक्षित था। (मार्च 2019)

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 254 प्रावधान करती है कि अपीलीय प्राधिकरण, अपील में दोनों पक्षों को सुनने के बाद, इस प्रकार के आदेशों को पारित करें जैसा वह उचित समझते हैं। इसके अतिरिक्त, आयकर विभाग के कार्यालय क्रियाविधि की नियमावली के अध्याय 18 के पैरा 24.1 में प्रावधान किया गया है कि निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में अपील आदेश की प्राप्ति पर, आदेश के मद्देनजर निर्धारण को संशोधित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं।

3.2.6.2 प्र. सीआईटी-2 कोलकता प्रभार, पश्चिम बंगाल में नि.व. 2006-07 के लिए ₹ 108.20 करोड़ की हानि का निर्धारण करते हुए नवंबर 2008 में संवीक्षा के बाद एक बीमा कंपनी के निर्धारण को पूर्ण किया गया था। निर्धारण को अप्रैल 2012 में सीआईटी (अपील) के आदेश को लागू करने हेतु ₹ 666.21 करोड़ की

⁷¹ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 14ए के अनुसार, आय के संबंध में निर्धारिती द्वारा किए गए व्यय हेतु में किसी भी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी जो कुल आय का हिस्सा नहीं है।

⁷² आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अनुसार, अधिनियम में निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर कटौती के रूप में एक अनुसूचित या गैर-अनुसूचित भारतीय बैंक द्वारा स्वीकार्य किए गए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान है।

⁷³ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 250, आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील की सुनवाई और निपटान के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया प्रदान करती है।

निवल हानि पर संशोधित किया गया था और अप्रैल 2016 में धारा 251⁷⁴ और 143(3) के साथ पठित धारा 254 के तहत ₹ 672.64 करोड़ की निवल हानि पर आगे संशोधित किया गया। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि एओ द्वारा अप्रैल 2016 में अपील आदेश को लागू करते समय, धारा 14अ के तहत ₹ 6.43 करोड़ की राहत गलती से अनुमत की गई थी। हालांकि, आईटीएटी सीआईटी (अपील) के केवल उस आदेश से समर्थित था जिसमें ₹ 30.28 से ₹ 6.43 करोड़ से धारा 14अ के तहत इस अस्वीकृति को घटाने के लिए निर्देशित किया गया था और अप्रैल 2012 में धारा 143(3) के साथ पठित धारा 251 के तहत पारित किए गए आदेश को देखते हुए इसे पहले से ही लागू किया गया था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 2.17 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 6.43 करोड़ से हानि का अधिक निर्धारण हुआ। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (सितंबर 2018) और बताया कि अधिनियम की धारा 254/251/143(3) के साथ पठित धारा 154 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की गई (जुलाई 2017)।

3.3 कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन

3.3.1 अधिनियम, इसके प्रासंगिक प्रावधानों के तहत व्यय की कुछ श्रेणियों हेतु और अध्याय VI-ए के तहत कुल आय की संगणना में निर्धारिती के लिए रियायतों/छूटों/कटौतियों को अनुमत करता है। हमारे द्वारा देखा गया कि निर्धारण अधिकारियों ने लाभार्थियों को कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के लाभ को अनियमित रूप से बढ़ाया जो इसके हकदार नहीं थे। ये अनियमितताएं आयकर विभाग की ओर से कर रियायतों/कटौतियों/छूटों के प्रबंधन में कमियों को इंगित करती हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यक है। उप-श्रेणियों के ब्यौरे तालिका 3.2 दर्शाए गए हैं जिससे कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रबंधन प्रभावित हुआ।

तालिका 3.2: कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रबंधन के तहत वृद्धियों की उप-श्रेणियां				(₹ करोड़ में)
उप-श्रेणी	संख्या	टीई	राज्य	
क. मूल्यहास/व्यापार/हानियों पूंजीगत हानियों की अनुमति देने में अनियमितताएं	66	1,796.86	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, असम, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, केन्द्र शासित चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल।	

⁷⁴ आयकर अधिनियम की धारा 251 अपील के निपटान में आयकर आयुक्त (अपील) की शक्तियों को निर्दिष्ट करती है।

उप-श्रेणी	संख्या	टीई	राज्य
ख. अनियमित छूटें/कटौतियां/रिबेट/राहत/ मैट क्रेडिट	27	477.25	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, केन्द्र शासित चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल।
ग. व्यापार व्यय का गलत भत्ता	48	875.47	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल।
कुल	141	3,149.58	

3.3.2 कारोबार/पूंजीगत हानियों के मूल्यहास और समंजन और अग्रेषण की अनुमति प्रदान करने में अनियमितताएं।

हमारे द्वारा चार निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 72 में प्रावधान है कि, जहां कारोबार या व्यापार के लाभ और हानि शीर्ष के तहत संगणना के सकल परिणाम में निर्धारिती को हानि होती है और मूल्यहास सहित इस प्रकार की हानि को प्रासंगिक वर्ष के किसी भी शीर्ष के तहत आय हेतु पूर्ण रूप से समंजन नहीं किया जा सकता, इसलिए अत्यधिक हानि जिसका समंजन नहीं किया गया को कारोबार और व्यवसाय के लाभ और हानियों हेतु समंजन करना होगा और आगामी निर्धारण वर्ष/वर्षों के लिए अग्रेषित किया जाएगा।

3.3.2.1 प्र. सीआईटी-3 मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, नि.व. 2014-15 के लिए, बीमा कंपनी का संवीक्षा निर्धारण ₹ 834.95 करोड़ की अर्जित हानि के समंजन के बाद ₹ 1940.70 करोड़ की कर योग्य आय तथा अधिनियम के विशेष प्रावधानों के तहत अंकित लाभ ₹ 1124.80 करोड़ पर दिसंबर 2016 में पूर्ण किया गया। ₹ 1,333.84 करोड़ पर नि.व. 2014-15 की आय को समायोजित करने के बाद अग्रेषित अंतिम हानि का निर्धारण करते हुए जनवरी 2017 में धारा 154 के तहत संवीक्षा निर्धारण का परिशोधन किया गया था। हालांकि, नि.व. 2012-13 और 2013-14 के अभिलेखों की जांच से पता चला कि ₹ 1,124.80 करोड़ पर नि.व. 2014-15 के लिए पूर्वोक्त कर योग्य आय का निर्धारण करने में ₹ 834.95 करोड़ की उपलब्ध अग्रेषित हानि को समायोजित करने के बाद, अग्रेषित करने के लिए कोई हानि नहीं थी। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 453.37 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 1,333.84 करोड़ की अधिक हानि अग्रेषित की गई। इसके अतिरिक्त, इसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 115 जेएए के तहत ₹ 382.32 करोड़ के मैट क्रेडिट का अधिक अग्रेषण हुआ। मंत्रालय ने

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (सितंबर 2018) और बताया कि अधिनियम 154 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की गई (जुलाई 2017)।

3.3.2.2 सीआईटी (केंद्रीय)-1 दिल्ली प्रभार, नि.व-2012-13 के लिए नवंबर 2016 में ₹ 471.71 करोड़ के अनवशोषित मूल्यहास के समंजन को अनुमत करने के बाद ₹ 324.72 करोड़ की आय और उस पर ₹ 105.35 करोड़ के कर का निर्धारण करते हुए अधिनियम की धारा 144सी(5)⁷⁵ के साथ पठित धारा 143(3) के तहत नवंबर 2016 में कंपनी का निर्धारण पूर्ण किया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि पूर्ववर्ती नि.व. अर्थात् नि.व. 2011-12 में ₹ 415.88 करोड़ के अग्रेषित अघोषित मूल्यहास के समंजन के बाद ₹ 231.96 करोड़ की आय पर धारा 144सी (5) के साथ पठित धारा 143(3) के तहत निर्धारण पूर्ण किया (जुलाई 2016) गया था। अतः नि.व. 2011-12 से संबंधित कोई भी अग्रेषित हानि नि.व. 2012-13 में समंजन के लिए उपलब्ध नहीं थी। चूक के परिणामस्वरूप ब्याज को शामिल करते हुए, ₹ 238.75 करोड़ के कर का कम उदग्रहण सहित ₹ 471.71 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (सितंबर 2018) और बताया कि अक्टूबर 2017 में अधिनियम की धारा 154 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की गई थी।

3.3.2.3. प्र. सीआईटी-2 अहमदाबाद प्रभार, गुजरात में, नि.व. 2014-15 के लिए ₹ 32.26 करोड़ की आय का निर्धारण करते हुए दिसंबर 2016 में कंपनी का संवीक्षा निर्धारण पूर्ण किया। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारिती ने ₹ 252.14 करोड़ के अघोषित मूल्यहास के समंजन का दावा किया और उसे अनुमति दी गई। नि.व. 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए निर्धारण आदेशों के अनुसार समंजन के रूप में अनुमत ₹ 252.14 करोड़ के दावे हेतु केवल नि.व. 2014-15 में समंजन के लिए उपलब्ध स्वीकार्य अघोषित मूल्यहास ₹ 28.98 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 223.17 करोड़ के अघोषित मूल्यहास के अधिक समंजन की अनुमति दी गई और ब्याज को शामिल करते हैं ₹ 100.89 करोड़ की कर राशि के कम उदग्रहण सहित, समान राशि से आय का कम निर्धारण हुआ। मंत्रालय का उत्तर प्रतिक्षित था (मार्च 2019)।

⁷⁵ आयकर अधिनियम की धारा 144सी(5) के अनुसार, विवाद सामाधान पैनल, ऐसे मामले में जहां इस धारा की उप-धारा (2) के तहत निर्धारिती से कोई आपत्ति प्राप्त होती है, निर्धारण अधिकारी के दिशा-निर्देश के लिए जो उसे निर्धारण पूर्ण करने में सक्षम बनाने के लिए जैसा वह उचित समझता है ऐसे निर्देश जारी करें।

3.3.2.4. प्र. सीआईटी मँगलौर प्रभार, कर्नाटक में, नि.व. 2011-12 के लिए ₹ 1,349.89 करोड़ का निर्धारण करते हुए फरवरी 2013 में बैंकिंग कंपनी का संवीक्षा निर्धारण पूर्ण किया। निर्धारण अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि ₹ 831.72 करोड़⁷⁶ की वास्तविक उपलब्ध हानि की जगह ₹ 1,025.45 करोड़⁷⁷ की हानि के समंजन को अनुमत किया गया था। परिणामस्वरूप ₹ 72.28 करोड़ के परिणामी कर प्रभाव के साथ ₹ 193.73 करोड़ की सीमा तक हानि का अधिक समंजन हुआ। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया (जुलाई 2018) और बताया कि अधिनियम की धारा 154 के तहत परिशोधन आदेश पारित करके सुधारात्मक कार्रवाई की गई (मार्च 2017)।

3.3.3. अनियमित छूटों/कटौतियों/रिबेट/रियायत/मैट क्रेडिट

हमारे द्वारा दो निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं:

आयकर अधिनियम की धारा 115 जेएए, जब सामान्य प्रावधानों के तहत देय कर विशेष प्रावधानों के तहत कर से अधिक है। तब एक निर्धारिती को मैट क्रेडिट के अग्रोषण की अनुमति देती है। चूंकि, इस प्रकार का क्रेडिट अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत और अधिनियम के विशेष प्रावधानों के तहत कर के अंतर तक सीमित होगा।

3.3.3.1. पीसीआईटी-1 चैन्नई प्रभार के तहत, तमिलनाडू में, नि.व. 2011-12 के लिए ₹ 606.35 करोड़ की कुल आय पर अधिनियम की धारा 143(3) के तहत मार्च 2015 में कंपनी का निर्धारण पूर्ण किया गया, जिसे बाद में ₹ 573.25 करोड़ की कुल आय पर अगस्त 2016 में धारा 154 के तहत संशोधित किया गया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि संशोधन आदेश में एओ ने ₹ 38.67 करोड़ का मैट क्रेडिट अनुमत किया था यद्यपि नि.व. 2011-12 में समंजन के लिए कोई भी मैट क्रेडिट उपलब्ध नहीं था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 38.67 करोड़ का अधिक मैट क्रेडिट अनुमत किया गया इसके फलस्वरूप ₹ 38.67 करोड़ की कर मांग का कम उदग्रहण हुआ। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया (फरवरी 2019) और बताया कि अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 143 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की गई है (दिसंबर 2018)।

3.3.3.2. प्र. सीआईटी, दिल्ली में, नि.व. 2013-14 के लिए अधिनियम की धारा 143(3) के तहत जनवरी 2017 में पूर्ण किया गया उस पर ₹ 199.30 करोड़ की आय और ₹ 79.03 करोड़ के कर का निर्धारण किया गया। निर्धारिती

⁷⁶ नि.व. 2005-06: ₹ 552.21 करोड़, नि.व. 2007-08: ₹ 279.51 करोड़

⁷⁷ नि.व. 2008-09: ₹ 341.77 करोड़ नि.व. 2009-10: ₹ 158.22 करोड़, नि.व. 2010-11: ₹ 237.75 करोड़ और नि.व. 2011-12: ₹ 287.71 करोड़

को धारा जेएए के तहत ₹ 21.38 करोड़ के कर क्रेडिट अनुमत किया गया था, जिसमें से ₹ 3.59 करोड़ नि.व. 2010-11 से संबंधित थे और ₹ 17.79 करोड़ नि.व. 2011-12 से संबंधित थे। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत क्रमशः ₹ 86.86 करोड़ और ₹ 63.57 करोड़ की आय का निर्धारण करते हुए नि.व. 2010-11 और 2011-12 के लिए निर्धारण अप्रैल 2014 और अप्रैल 2015 में पूर्ण किये गए थे। चूंकि, धारा 115 जेएए के तहत नि.व. 2013-14 में समंजन के लिए उपलब्ध नि.व. 2010-11 और 2011-12 से संबंधित कोई भी कर क्रेडिट नहीं था। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 31.22 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया है (अक्टूबर 2018) तथा यह कहा कि चूक को अधिनियम की धारा 154 के तहत एक आदेश पारित करके संशोधित किया गया है (जुलाई 2017)।*

3.3.4 व्यवसाय व्यय की गलत अनुमति

हमने नीचे ऐसे पांच निदर्शी मामले दिए हैं:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 145 की उप-धारा (1) के तहत शीर्ष 'कारोबार या व्यवसाय के लाभ तथा प्राप्तियां' अथवा 'अन्य संसाधनों से आय' के अन्तर्गत प्रभार्य आय को या तो नकद के अनुसार या निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से नियोजित लेखांकन की वाणिज्यिक प्रणाली के अनुसार संगणित किया जाएगा। न्यायिक रूप से यह निर्णय⁷⁸ दिया गया है कि पिछले वर्ष के समायोजनों को लेखांकन की वाणिज्यिक प्रणाली के तहत वर्तमान वर्ष में नहीं किया जा सकता।

3.3.4.1 पीसीआईटी-3 चेन्नई प्रभार, तमिलनाडु में, नि.व. 2012-13 के लिए कम्पनी का संवीक्षा निर्धारण ₹ 13,479.90 करोड़ की कुल हानि पर मार्च 2015 में पूर्ण हुआ। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारिती ने संबंधित वित्तीय वर्ष के लाभ तथा हानि लेखा में ₹ 576.81 करोड़ के निवल पूर्व अवधि क्रेडिटों/प्रभारों को डेबिट किया। चूंकि निवल पूर्व अवधि क्रेडिट/प्रभार वर्तमान निर्धारण वर्ष से संबंधित नहीं थे अतः ₹ 576.81 करोड़ के दावे को अस्वीकृत किया जाना चाहिए था। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 187.14 करोड़ के परिणामी संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 576.81 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया है (फरवरी 2019) तथा यह कहा कि दिसम्बर 2017 में अधिनियम की धारा 263 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की गई है।*

⁷⁸ सीआईटी बनाम मै. सदरन केबल्स एंड इंजीनियरिंग वर्कस (289 आईटीआर 167) (केरल उच्च न्यायालय)

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35एबीबी प्रावधान करता है कि दूर संचार सेवाओं के प्रचालन के कोई अधिकार प्राप्त करने के लिए संचित किसी पूंजीगत व्यय और जिसके लिए वास्तव में भुगतान कोई लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किया गया है, के संबंध में प्रासंगिक प्रत्येक विगत वर्ष के लिये कटौती स्वीकृत होगी। कटौती की राशि ऐसे व्यय की राशि के उपयुक्त भाग के समान होगी।

3.3.4.2 प्रधान सीआईटी-14 मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, नि.व. 2013-14 तथा 2014-15 के लिए एक कम्पनी का संवीक्षा निर्धारण क्रमशः ₹ 2,476.63 करोड़ तथा ₹ 2,597.93 करोड़ की आय पर पूरा हुआ। निर्धारिती ने क्रमशः ₹ 5,768.59 करोड़ तथा ₹ 2,077.92 करोड़ की राशि 20 वर्षों के लिए 3जी तथा 2जी स्पेक्ट्रम फीस का एकमुश्त भुगतान किया था जिसे लेखा बहियों में परिशोधित किया गया था। हालांकि, आय कर प्रयोजनों हेतु, निर्धारिती ने दावा किया तथा नि.व. 2013-14 से नि.व. 2014-15 तक से संबंधित अवधि हेतु 3जी तथा 2जी स्पेक्ट्रम फीस पर क्रमशः ₹ 1,650.74 करोड़ तथा ₹ 259.74 करोड़ की राशि के 25 प्रतिशत की दर पर मूल्यहास की स्वीकृति दी गई। यह सही नहीं था क्योंकि धारा 35एबीबी के प्रावधान दूरसंचार सेवाओं का परिचालन करने के लिए अधिग्रहण अधिकार हेतु किए गए भुगतानों के मामले में लागू है जिसमें ऐसे व्यय का परिशोधन किया जाना आवश्यक था। इसके अलावा, नि.व. 2011-12 में, उसी निर्धारिती के मामले में विभाग ने स्पेक्ट्रम फीस पर मूल्यहास अस्वीकृत किया था तथा धारा 35एबीबी के तहत परिशोधन स्वीकृत किया गया था। परिशोधन के बजाय मूल्यहास स्वीकृत करने में चूक के परिणामस्वरूप ₹ 425.53 करोड़ के कर के परिणामी कम उद्ग्रहण के साथ ₹ 1,281.69 करोड़ की राशि की आय का कम निर्धारण हुआ। *मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2019)।*

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(vii) में प्रावधान है कि कटौती को किसी अशोध्य ऋण अथवा उसके भाग की राशि के संदर्भ में स्वीकृत किया जाएगा जिसे उस प्रावधान के अधीन पिछले वर्ष के लिए निर्धारिती के लेखों में अवसूलीयोग्य के रूप में बड़े खाते में डाला जाता है, एक निर्धारिती जिस पर धारा 36(1)(vii) लागू होती है (अनुसूचित बैंक इत्यादि) के मामले में, ऐसे किसी ऋण अथवा उसके भाग से संबंधित कटौती की राशि को ऐसी राशि तक सीमित किया जाएगा जिससे ऐसा ऋण अथवा उसका भाग उस खण्ड के तहत अशोध्य तथा संदेहात्मक ऋण लेखा के लिए बनाए गए प्रावधान में क्रेडिट शेष से अधिक होता है।

3.3.4.3 प्रधान सीआईटी त्रिशूर प्रभार, केरल में, नि.व. 2013-14 के लिए एक बैंकिंग कम्पनी का निर्धारण ₹ 660.03 करोड़ की आय निर्धारित करते हुए फरवरी 2016 में संवीक्षा के पश्चात् पूरा किया गया तथा ₹ 7.02 करोड़ के प्रतिदाय को अधिकृत किया गया। निर्धारिती ने दावा किया तथा गैर-ग्रामीण शाखाओं से संबंधित बड़े खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के संबंध में धारा

36(1)(vii) के तहत ₹ 234.23 करोड़ की कटौती को स्वीकृत किया गया। तुलन पत्र से जुड़े तथा इसके संगठित भाग के नोट्स की अनुसूची 14 के अनुसार, प्रावधान लेखा में डेबिट किए गए वास्तविक बड़े खाते में डाली गई राशि केवल ₹ 144.49 करोड़ थी। इसमें से गैर-ग्रामीण शाखाओं से संबंधित अशोध्य ऋण केवल ₹ 140.84 करोड़ के थे तथा बड़े खाते में डाली गई ₹ 3.65 करोड़ की शेष राशि उन ग्रामीण शाखाओं से संबंधित थी जिसके लिए निर्धारिती ने धारा 36(1)(viiए) के तहत कटौती का दावा किया था। इस प्रकार, केवल ₹ 140.84 करोड़ की राशि अधिनियम की धारा 36(1)(vii) के तहत वास्तव में स्वीकृत ₹ 234.23 करोड़ के प्रति कटौती की पात्र थी। कटौती की गलत स्वीकृति के परिणामस्वरूप ₹ 30.30 करोड़ के कर के कम उद्ग्रहण सहित ₹ 93.39 करोड़⁷⁹ की आय का कम निर्धारण हुआ। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (जुलाई 2018) तथा अधिनियम की धारा 154 के तहत चूक का सुधार किया (नवम्बर 2017)।*

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 37 के अनुसार, पूंजीगत व्यय के अलावा कोई अन्य व्यय तथा धारा 30 से 36 में उल्लिखित प्रकृति का हो अथवा जो कारोबार या व्यवसाय के उद्देश्य हेतु पूर्णरूप से या विशेष रूप से निर्धारित व्यय को 'कारोबार या व्यवसाय के लाभ तथा प्राप्ति' शीर्ष के तहत प्रभार्य आय की गणना करते समय स्वीकृति दी जाएगी। सहायक व्यय की ओर से किए गए व्यय को निर्धारिती के व्यवसाय हेतु व्यय किए जाने के लिए नहीं कहा जा सकता।

3.3.4.4 प्रधान सीआईटी-2 मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, एओ ने सामान्य प्रावधानों के तहत ₹ 601.08 करोड़ तथा विशेष प्रावधानों के तहत ₹ 1,303.55 करोड़ की आय का निर्धारण करते हुए अप्रैल 2016 में अधिनियम की धारा 144सी(3) के साथ पठित धारा 143(3) के तहत नि.व. 2012-13 के लिए कम्पनी का निर्धारण पूर्ण किया। हैदराबाद तथा मुम्बई के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संस्वीकृत विलीनीकरण योजना के आधार पर, 'X' कम्पनी निर्धारिती के साथ अप्रैल 2011 में मिल गई। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि सामान्य प्रावधानों के तहत करयोग्य आय की संगणना करते समय एओ ने यूएसए में 'X' कम्पनी की सहायक कम्पनी के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति लाभ योजना की वजह से लाभ तथा हानि खाते में डेबिट किए गए ₹ 59 करोड़ के व्यय को गलत स्वीकृति दी थी। 'X' कम्पनी अपनी सहायक कम्पनी में नहीं अपितु निर्धारिती कम्पनी में विलीन हुई। इसके अलावा, कर लेखापरीक्षक रिपोर्ट ने पहले की 'X' कम्पनी के इस तर्क को दर्शाया था कि कथित देयता का प्रमुख रूप से इनके द्वारा व्यय किया गया था तथा राशि को कथित संशोधनों का अनुमोदन प्राप्त करने

⁷⁹ ₹ 234.23 करोड़ - ₹ 140.84 करोड़

के पश्चात इसकी यूएस सहायक कम्पनी से वसूल किया जा सकता है। इस प्रकार, ₹ 59 करोड़ का व्यय एक स्वीकार्य कटौती नहीं था क्योंकि यह निर्धारिती से संबंधित नहीं था अपितु यूएसए में गैर-आवासीय सहायक कम्पनी से संबंधित था। चूँकि धारा 115 जेबी के विशेष प्रावधानों के तहत निर्धारण पूर्ण किया गया, अतः ₹ 59 करोड़ के अमान्य व्यय की कटौती को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप ₹ 19.14 करोड़ के मैट क्रेडिट के अधिक अग्रेषण सहित समान राशि की आय का कम निर्धारण हुआ। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (मार्च 2019) तथा अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के अन्तर्गत सुधारात्मक कार्रवाई (दिसम्बर 2018) की गई।

3.4 चूकों के कारण निर्धारणों से छूटने वाली आय

3.4.1 अधिनियम यह प्रावधान करता है कि किसी विगत वर्ष हेतु किसी व्यष्टि की कुल आय में वास्तविक रूप से प्राप्त या संचित या प्राप्त या संचित मानी गई सभी आय चाहे वे किसी स्रोत से प्राप्त हैं, शामिल होंगी। हमने अवलोकन किया कि एओ ने कर के लिए प्रस्तावित होने वाली कुल आय का निर्धारण नहीं किया/कम निर्धारण किया। तालिका 3.3 उन उप-श्रेणियों को दर्शाती है जो आय निर्धारण से रह गई।

तालिका 3.3: चूक के कारण निर्धारण से रह गई आय के अंतर्गत त्रुटियों की उप-श्रेणियां			(₹ करोड़ में)
उप-श्रेणियां	सं.	कर प्रभाव	राज्य
क. विशिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित न की गई/ कम निर्धारित की गई आय	28	100.43	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल
ख. सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित न की गई/कम निर्धारण की गई आय	5	50.80	गुजरात, महाराष्ट्र तथा ओडिशा
ग. पूंजीगत प्राप्ति का गलत वर्गीकरण तथा संगणना	4	19.13	केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु
घ. आर्म्स लेंथ कीमत का गलत आकलन	11	15.29	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल
ड. टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों को लागू करने में चूक	3	127.26	गुजरात, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल
च. अस्पष्ट निवेश नकद क्रेडिट	5	46.56	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब
कुल	56	359.47	

3.4.2 विशेष प्रावधानों के तहत निर्धारित न की गई/कम निर्धारित की गई आय हमने ऐसे दो निदर्शी मामले नीचे दिए हैं:

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 जेबी प्रावधान करती है कि यदि सामान्य प्रावधानों के तहत संगणित कुल आय पर देय आय कर मैट से कम हो तो बुक लाभ की निर्धारित प्रतिशतता पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) का उद्ग्रहण होता है। धारा 115 जेबी के तहत विवरण 1 के अनुसार, "बुक लाभ" से तात्पर्य निश्चित संवर्धनों/हटाने के अधीन संबंधित पिछले वर्ष के लाभ तथा हानि खाते में दर्शाए अनुसार निवल लाभ से है। संवर्धनों में अन्य बातों के साथ-साथ धारा 10 से 12 के तहत किसी आय से संबंधित व्यय की राशि सम्मिलित है। इसके अलावा नि.व. 2008-09 के बाद से, कुल आय का भाग न बनने वाले आय से संबंधित व्यय की संगणना आयकर नियमावली के नियम 8डी के अनुसार की जाएगी।

3.4.2.1 प्रधान सीआईटी-8 मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, निर्धारिती ने कम्पनी सामान्य प्रावधानों के तहत ₹ 3,046.23 करोड़ की हानि तथा धारा 115जेबी के तहत ₹ 340.02 करोड़ की बुक हानि घोषित करते हुए नि.व. 2012-13 की अपनी आय की विवरणी फाइल की। अधिनियम की धारा 144सी(13)⁸⁰ के साथ पठित धारा 92सीए के साथ पठित धारा 143(3) के तहत निर्धारण सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत ₹ 2,098.93 करोड़ की हानि का निर्धारण करते हुए जनवरी 2017 में पूरा हुआ। यद्यपि धारा 115जेबी के तहत बुक आय/हानि की संगणना निर्धारण के दौरान एओ द्वारा नहीं की गई थी। संवीक्षा से पता चला कि एओ ने अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत आय की संगणना करते समय नियम 8डी के अनुसार धारा 14ए के तहत ₹ 402.94 करोड़ की राशि अस्वीकृत की थी। इस अस्वीकृति को धारा 115जेबी के तहत बुक लाभ की गणना करने के लिए ₹ 340.02 करोड़ की वापिस की गई बुक हानि हेतु दिए जाने की आवश्यकता थी जिसे नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप मैट (धारा 234बी के तहत ब्याज सहित) के तहत ₹ 19.89 करोड़ के कर के परिणामी अनुद्ग्रहण के साथ ₹ 62.92 करोड़⁸¹ के बुक लाभ की संगणना नहीं हुई। आयकर विभाग ने धारा 115जेबी के तहत बुक लाभ की संगणना करने के लिए 14ए की अस्वीकृति को शामिल न करने के संदर्भ में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (मई 2018) तथा यह कहा कि चूक का सुधार किया जाएगा। आगे प्रगति प्रतीक्षित थी (मार्च 2019)।

⁸⁰ आयकर अधिनियम 1961 की धारा 144सी(13) के अनुसार अधिनियम की धारा 144सी(5) के तहत विवाद समाधान पेनल द्वारा जारी निर्देशों की प्राप्ति पर, एओ द्वारा निर्देशों के अनुरूप उस माह के अन्त जिसमें ऐसे निर्देश प्राप्त किए गए हैं, से एक माह के अन्दर निर्धारिती की सुनवाई किए जाने का कोई अन्य अवसर प्रदान किए बिना निर्धारण पूर्ण किया जाएगा।

⁸¹ (-) ₹ 340.02 करोड़+ ₹ 402.94 करोड़

3.4.2.2 प्रधान सीआईटी-2 बड़ोदा प्रभार, गुजरात में, नि.व. 2012-13 तथा 2013-14 के लिए कम्पनी का निर्धारण मार्च 2015 तथा जनवरी 2016 में क्रमशः ₹ 36.12 करोड़ तथा ₹ 14.24 करोड़ की हानि का निर्धारण करते हुए अधिनियम की धारा 143(3) के तहत पूर्ण किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने न तो धारा 115जेबी के तहत बुक लाभ की संगणना की और न ही नि.व. 2012-13 तथा नि.व. 2013-14 के लिए फॉर्म 29बी⁸² प्रस्तुत किया। इस प्रकार, एओ धारा 115 जेबी के तहत मैट के प्रावधानों का उपयोग करने में विफल रहा। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 12.42 करोड़ (₹ 7 करोड़: नि.व. 2012-13 तथा ₹ 5.42 करोड़: नि.व. 2013-14) के कर के कम उद्ग्रहण सहित क्रमशः ₹ 34.99 करोड़ तथा ₹ 27.11 करोड़ के बुक लाभ की संगणना नहीं हुई। आयकर विभाग ने नि.व. 2012-13 तथा 2013-14 दोनों के लिए नवम्बर 2017 में धारा 154 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की।

3.4.3 सामान्य प्रावधानों के तहत आय का निर्धारण न होना/कम निर्धारण होना हमने ऐसे दो निदर्शी मामले नीचे दिए हैं:

3.4.3.1 प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय)-1 मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, एओ ने ₹ 1,513.83 करोड़ पर आय का निर्धारण करते हुए अधिनियम की धारा 143(3) के साथ पठित धारा 153सी⁸³ के तहत मार्च 2016 में नि.व. 2009-10 के लिए कम्पनी का निर्धारण पूरा किया। आय की संगणना की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने दावा किया था तथा इसे पूंजीगत प्राप्ति के रूप में व्यवहारित करते हुए 'गारंटी दिए गए निष्पादन में कमी के लिए मुआवजे' की वजह से ₹ 22.22 करोड़ की कटौती अनुमत की गई। यद्यपि, पिछले निर्धारण वर्ष अर्थात् नि.व. 2008-09 में, एओ ने पूंजीगत प्राप्ति के रूप में व्यवहारित किए जाने के लिए ₹ 19.28 करोड़ के 'गारंटी दिए हुए निष्पादन में कमी के लिए मुआवजे' हेतु निर्धारिती के दावे को इस आधार पर अस्वीकार किया था कि मुआवजा विंडमिल की किसी स्थाई हानि या विंडमिल के उन्नयन हेतु नहीं दिया गया था। नि.व. 2009-10 के लिए निर्धारण योग्य आय की संगणना करते समय मुआवजे को नामंजूर करने की एओ द्वारा चूक के परिणामस्वरूप ₹ 7.55 करोड़ के कर के परिणामी कम उद्ग्रहण सहित ₹ 22.22 करोड़ की

⁸² आयकर नियमावली 1962 के तहत निर्धारित फॉर्म 29बी एक रिपोर्ट है जिसे कम्पनी के बुक लाभ की संगणना करने के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115जेबी के अन्तर्गत एक सनदी लेखाकार द्वारा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

⁸³ आयकर अधिनियम 1961 की धारा 153सी उन व्यक्ति के अलावा एक अन्य व्यक्ति की आय के निर्धारण की प्रक्रिया हेतु प्रावधान करती है जिसके मामले में अधिनियम की धारा 153ए के अनुसार अन्वेषण आरम्भ किया गया है।

आय का कम निर्धारण हुआ। आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 263 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई आरम्भ की (मार्च 2018)।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 14ए आयकर नियमावली 1962 के नियम 8डी के अनुसार अर्जन छूट आय हेतु किए गए व्यय को अस्वीकार करने का प्रावधान करती है।

3.4.3.2 प्रधान सीआईटी-14 मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, एओ ने धारा 14ए के तहत ₹ 25.85 करोड़ को अस्वीकार करने के पश्चात् ₹ 44.20 करोड़ की आय का निर्धारण करते हुए दिसम्बर 2016 में धारा 144सी(13) के साथ पठित धारा 143(3) के तहत नि.व. 2013-14 के लिए कम्पनी का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह पता चला कि कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट ने धारा 14ए के अनुसार ₹ 35.97 करोड़ की अस्वीकार्य कटौती राशि दर्शाई। कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार धारा 14ए के तहत अस्वीकृति की मात्रा अपनाने के लिए एओ द्वारा चूक के परिणामस्वरूप ₹ 3.28 करोड़ के कर के कम उद्ग्रहण सहित ₹ 10.12 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (जनवरी 2018)। सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रतीक्षित था (मार्च 2019)।

3.4.4 पूंजीगत लाभ की अनुचित संगणना/वर्गीकरण

हमने ऐसा एक निदर्शी मामला नीचे दिया है:

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 48 (तीसरा परंतुक) में यह प्रावधान है कि यदि दीर्घावधि पूंजीगत लाभ सरकार द्वारा जारी इंडेक्सड बांड के अलावा दीर्घावधि पूंजीगत परिसम्पत्ति वाले बांड या डिबेंचर से उत्पन्न होता है तो सूचीकरण का लाभ उपलब्ध नहीं होगा।

3.4.4.1 प्रधान सीआईटी-2 मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, एओ ने दिसम्बर 2016 में ₹ 4,672.95 करोड़ की आय का निर्धारण करते हुए नि.व. 2014-15 के लिए कम्पनी का संवीक्षा निर्धारण पूर्ण किया। लेखापरीक्षा जांच से यह पता चला कि एओ ने ₹ 4,672.95 करोड़ की आय का निर्धारण करने में निर्धारिती द्वारा किए दावे के रूप में ₹ 71.87 करोड़ के पूंजीगत लाभ से हानि स्वीकृत की थी। ₹ 71.87 करोड़ के पूंजीगत लाभ से कथित हानि में सरकार द्वारा जारी न किए गए बांड तथा डिबेंचरों के हस्तांतरण से ₹ 66.89 करोड़ की दीर्घावधि पूंजीगत हानि सम्मिलित थी जिसके लिए इंडेक्सेशन का लाभ उक्त प्रावधानों के अनुसार अनुज्ञेय नहीं था। इंडेक्सेशन का लाभ अस्वीकृत करने की एओ की चूक के परिणामस्वरूप ₹ 65.87 करोड़ तक पूंजीगत हानि का अधिक निर्धारण हुआ जिसे ₹ 14.93 करोड़ के कर के संभावित कम उद्ग्रहण सहित अग्रेषित किए जाने के लिए स्वीकृत किया गया था। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2019)।

3.4.5 आर्म्स लेंथ कीमत का गलत आकलन

हमने ऐसे तीन निदर्शी मामले नीचे दिए हैं:

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 92सी के तहत एक अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में आर्म्स लेंथ कीमत⁸⁴ (एएलपी) की संगणना ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर (टीपीओ) से संबंधित होगा, यदि अधिनियम की धारा 92बी के तहत परिभाषित रूप में अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहार का मूल्य ₹ 15 करोड़ से अधिक हो। निर्धारिती की सुनवाई तथा किसी निर्दिष्ट बिन्दुओं पर अपेक्षित अनुसार उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् तथा सभी सुसंगत सामग्रियों जिसे उसने एकत्र किया है, का ध्यान रखने के पश्चात् टीपीओ धारा 92सी(3) के प्रावधानों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में एएलपी का निर्धारण लिखित में आदेश द्वारा करेगा तथा अपने आदेश की एक प्रति एओ को तथा निर्धारिती को भेजेगा।

3.4.5.1 सीआईटी (टीपी)-4 मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, टीपीओ ने अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहारों के लिए ₹ 8.24 करोड़ के समायोजन का निर्धारण करके सितम्बर 2016 में अधिनियम की धारा 92 सीए (3) के तहत नि.व. 2013-14 के लिए एक कम्पनी पर ट्रांसफर प्राइसिंग आर्डर पारित किया। 'इंजीनियरिंग तथा सहायक सेवाओं के प्रावधान' के आर्म्स लेंथ प्राइस (एएलपी) का निर्धारण ₹ 64.22 करोड़ पर किया गया जिस पर सहयोगी उद्यम (एई) से वास्तविक प्राप्ति ₹ 48.08 करोड़ थी। समायोजन ₹ 64.22 करोड़ के एएलपी तथा ₹ 48.08 करोड़ की वास्तविक प्राप्ति की राशि के बीच की भिन्नता होंगी जिसकी गणना ₹ 16.14 करोड़ की गई। यद्यपि, यह देखा गया कि ट्रांसफर प्राइसिंग आर्डर में निकाली गई समायोजन राशि केवल ₹ 8.24 करोड़ थी जिसके फलस्वरूप ₹ 2.56 करोड़ के कर के परिणामी कम उद्ग्रहण सहित ₹ 7.90 करोड़ का कम समायोजन हुआ। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया है (सितम्बर 2018) तथा यह कहा कि मार्च 2017 में अधिनियम की धारा 92सीए(5)⁸⁵ के साथ पठित धारा 154 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की गई थी।*

⁸⁴ आयकर अधिनियम 1961 की धारा 92एफ (ii) के अनुसार, आर्म्स लेंथ कीमत से तात्पर्य उस कीमत से है जो अनियंत्रित शर्तों में सहयोगी उद्यमों के अलावा अन्य व्यक्तियों के बीच संव्यवहार में लागू होती है अथवा लागू किए जाने हेतु प्रस्तावित होती है।

⁸⁵ आयकर अधिनियम 1961 की धारा 92सीए(5) के अनुसार, टीपीओ रिकॉर्ड से स्पष्ट किसी चूक को संशोधित करने के उद्देश्य से धारा 92सीए(3) के तहत अपने द्वारा पारित किसी आदेश को संशोधित कर सकता है तथा तदनुसार जहां तक धारा 154 के प्रावधान लागू हो।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 92सी(1) में प्रावधान है कि एक अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में आर्म्स लेंथ कीमत (एएलपी) को संव्यवहार की प्रकृति या संव्यवहार की श्रेणी या सहयोगी व्यक्तियों की श्रेणी या ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों या ऐसे अन्य संबंधित कारकों जैसाभी बोर्ड वर्णित करें, से संबंध रखने वाली सबसे उपयुक्त प्रक्रिया होने के नाते किसी भी प्रक्रिया द्वारा निश्चित किया जाएगा। निर्दिष्ट प्रक्रिया बोर्ड द्वारा वर्णित अनुसार (क) तुलनीय अनियंत्रित कीमत प्रक्रिया, (ख) पुनः बिक्री कीमत प्रक्रिया, (ग) लागत सह प्रक्रिया, (घ) लाभ बंटवारा प्रक्रिया, (ङ) संव्यवहारात्मक निवल मार्जिन प्रक्रिया तथा (च) ऐसी अन्य प्रक्रिया में से कोई भी हो सकती है।

3.4.5.2 पीसीआईटी-1 प्रभार, दिल्ली में, टीपीओ ने विवाद समाधान पेनल (डीआरपी) के निर्देशन के अनुसार ₹ 86.37 करोड़ के एक समायोजन का निर्धारण करते हुए जनवरी 2016 में अधिनियम की धारा 92सीए(3) के तहत नि.व. 2011-12 के लिए कम्पनी पर एक आदेश पारित किया। लेखापरीक्षा जांच से यह पता चला कि विज्ञापन विपणन तथा उन्नयन (एएमपी) व्ययों के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग समायोजन की संगणना करते समय, सामान्य एएमपी व्ययों को ₹ 40.36 करोड़ की सही राशि के बजाय ₹ 41.75 करोड़ लिया गया। एएमपी व्ययों पर ट्रांसफर प्राइसिंग समायोजन को ₹ 90.59 करोड़ की सही राशि के बजाय ₹ 84.20 करोड़ संगणित किया गया। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 2.12 करोड़ के कर के परिणामी कम उद्ग्रहण सहित ₹ 6.39 करोड़ तक एएमपी व्ययों की वजह से कम ट्रांसफर प्राइसिंग समायोजन हुआ। आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के तहत एक आदेश पारित करके अगस्त 2016 में चूक का सुधार किया।

3.4.5.3 प्रधान सीआईटी (आईटी एंड टीपी) हैदराबाद प्रभार, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में, टीपीओ ने आईटी सक्षम सेवाओं पर ₹ 239.31 करोड़ तथा 'प्राप्यों पर ब्याज' पर ₹ 99.92 लाख के समायोजन का प्रस्ताव करते हुए अक्टूबर 2017 में अधिनियम की धारा 92सीए (3) के तहत नि.व. 2014-15 के लिए कम्पनी पर एक आदेश पारित किया। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि परिचालन राजस्व में अन्य आय के समावेश की वजह से परिचालन राजस्व ₹ 1,511.05 करोड़ की बजाय ₹ 1,516.72 करोड़ अपनाया गया। इसके फलस्वरूप ₹ 1.93 करोड़ के कर के कम उद्ग्रहण सहित ₹ 5.67 करोड़ तक समायोजन में परिणामी कमी के साथ ₹ 244.98 करोड़ के सही समायोजन की बजाय ₹ 239.31 करोड़ के समायोजन का निर्धारण हुआ। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (फरवरी 2019) तथा यह कहा कि जनवरी 2018 में अधिनियम की धारा 154 के साथ पठित धारा 92सीए(5) के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की गई है।

3.4.6 टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों के क्रियान्वयन में चूक

हमने ऐसा एक निदर्शी मामला नीचे दिया है:

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 201 के अनुसार जहां कम्पनी के प्रमुख अधिकारी सहित कोई भी व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी राशि की कटौती करना अपेक्षित है, वह कटौती नहीं करता अथवा भुगतान नहीं करता अथवा ऐसी कटौती के पश्चात इस अधिनियम के द्वारा अथवा उसके तहत अपेक्षित रूप में सम्पूर्ण कर या कर के किसी भाग का भुगतान करने में विफल होता है तब ऐसे व्यक्ति को ऐसे कर के संदर्भ में एक चूककर्त्ता निर्धारिती माना जाएगा। इसके अलावा अधिनियम की धारा 201(1ए) प्रावधान करती है कि ऐसा चूककर्त्ता निर्धारिती अधिनियम के तहत निर्धारित निर्दिष्ट समयावधि के लिए निर्दिष्ट दरों पर सामान्य ब्याज का भुगतान करने का पात्र होगा।

3.4.6.1 सीआईटी (अन्तर्राष्ट्रीय कराधान)- 1(1), बैंगलुरु प्रभार, कर्नाटक में, नि.व. 2009-10 से 2012-13 के लिए निर्धारिती कम्पनी का संवीक्षा निर्धारण धारा 201(1ए) के तहत ₹ 304.43 करोड़ का ब्याज निर्धारित करते हुए दिसम्बर 2015 में अधिनियम की धारा 201(1ए) के साथ पठित धारा 201(1) के तहत पूर्ण किया गया। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारिती के संदर्भ में टीडीएस विंग द्वारा अधिनियम की धारा 133ए के तहत सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण अवधि के दौरान यह पाया गया कि निर्धारिती कम्पनी ने गैर आवासीय को किए गए भुगतान के लिए ₹ 375.37 करोड़⁸⁶ की राशि की अधिनियम की धारा 195 के तहत टीडीएस की कटौती की थी परन्तु उसे सरकारी खाते में प्रेषित नहीं किया। आगे यह पता चला कि एओ ने ₹ 427.05 करोड़ (30 जून 2010 तक 1 प्रतिशत तथा 01.07.2010 से प्रभावी 1.5 प्रतिशत की दर पर) की उद्ग्राह्य राशि के बजाय ₹ 304.43 करोड़ (नि.व. 2009-10 से 2012-13 तक के बीच की अवधि हेतु एक प्रतिशत की दर पर) धारा 201(1ए) के तहत ब्याज उद्ग्रहित किया था जिसके फलस्वरूप ₹ 122.62 करोड़ की सीमा तक धारा 201(1ए) के तहत ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (अगस्त 2018) तथा यह कहा कि अधिनियम की धारा 154 के तहत नवम्बर 2017 में एक आदेश पारित करके सुधारात्मक कार्रवाई की गई है।

⁸⁶ ₹ 121.78 करोड़ (2009-10), ₹ 191.29 करोड़ (2010-11), ₹ 37.25 करोड़ (2011-12), ₹ 25.05 करोड़ (2012-13)

3.4.7 अस्पष्ट निवेश/नकद क्रेडिट

हमने ऐसा एक निदर्शी मामला नीचे दिया है:

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 68 प्रावधान करती है कि यदि निर्धारिती, निर्धारिती की बहियों में क्रेडिट की गई किसी राशि की प्रकृति तथा स्रोत के विषय में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करता तो निर्धारिती की आय के अनुसार क्रेडिट की गई ऐसी राशि आयकर हेतु प्रभारित की जाए।

3.4.7.1 प्रधान सीआईटी-4 हैदराबाद प्रभार, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में, नि.व. 2014-15 के लिए कम्पनी का निर्धारण सकल प्राप्तियों के 1 प्रतिशत आय का आकलन करने तथा अस्वीकृतियों जिसके लिए निर्धारिती द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया था, की निश्चित राशियों को जोड़ने के पश्चात ₹ 92.84 करोड़ की कुल आय निर्धारित करके मार्च 2017 में अधिनियम की धारा 143(3) के साथ पठित धारा 144 के तहत पूर्ण किया गया। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारण अधिकारी ने कुछ अस्वीकृतियां प्रस्तावित की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 'अन्य ऋण तथा अग्रिमों' से संबंधित ₹ 49.16 करोड़ की राशि अस्वीकृत करना शामिल है। निर्धारिती प्रस्तावित संवर्धनों से संबंधित किसी राशि के समर्थन में कोई स्पष्टीकरण/कोई साक्ष्य देने में विफल हुआ। तथापि धारा 68 के तहत 'अस्पष्ट क्रेडिट' के रूप में उन्हें व्यवहारित करते हुए अन्य राशि के संदर्भ में संवर्धन करते समय निर्धारण अधिकारी से 'ऋण तथा अग्रिमों' से संबंधित ₹ 49.16 करोड़ की राशि को अस्वीकृत करने की चूक हुई। इसके फलस्वरूप धारा 234बी के तहत ब्याज सहित ₹ 23.61 करोड़ की परिणामी कम मांग सहित ₹ 49.16 करोड़ की सीमा तक आय की कम संगणना हुई है। आयकर विभाग ने अपने उत्तर में यह कहा (जनवरी 2018 तथा अप्रैल 2018) कि धारा 144 के तहत निर्धारण पूरा किया गया तथा इस मामले में एकपक्षीय निर्धारण के संदर्भ में एओ का अपना विवेकाधिकार है। आयकर विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निर्धारण अधिकारी ने रिटर्न की गई आय हेतु प्रस्तावित चार संवर्धनों में से तीन मदों को जोड़ने हेतु अपने विवेक का उपयोग किया तथा चौथी मद को छोड़ दिया अर्थात् ऋणों और अग्रिमों को अपरिष्कृत रहने दिया, तथापि, निर्धारिती ने किसी प्रस्तावित संवर्धनों पर प्रतिक्रिया नहीं दी थी। इसके अलावा, एओ ने उस मद जिसके लिए कोई संवर्धन नहीं किया गया था, के लिए निर्धारण आदेश में अपना संस्करण दर्ज/चर्चित नहीं किया है।

3.5 कर/ब्याज का अधिक प्रभार

3.5.1 हमने देखा कि एओज ने आंध्र प्रदेश एवं तेलंगना, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में ₹ 235.83 करोड़ के कर तथा ब्याज के अधिक प्रभार वाले 25 मामलों में आय का अधिक निर्धारण किया। हमने ऐसे पांच निदर्शी मामलों नीचे दिए हैं:

3.5.1.1 प्रधान सीआईटी-एलटीयू मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, नि.व. 2013-14 के लिए एक बैंकिंग कम्पनी का संवीक्षा निर्धारण दिसम्बर 2016 में ₹ 3,567.95 करोड़ की निर्धारित आय के साथ पूर्ण किया गया। आईटीएनएस-150 फॉर्म दिनांक 29.12.2016 की लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह पता चला कि विभाग ने ₹ 1,070.38 करोड़ की कर राशि पर 5 प्रतिशत की सही दर के बजाय 10 प्रतिशत की दर पर अधिप्रभार उद्ग्रहित किया था। इसके फलस्वरूप ₹ 55.12 करोड़ तक अधिप्रभार का अधिक उद्ग्रहण हुआ। आगे यह देखा गया कि अधिप्रभार की गलत दर के कारण, धारा 234बी के तहत ₹ 56.37 करोड़ के ब्याज का उद्ग्रहण किया गया जो अन्यथा उद्ग्रह्य नहीं था क्योंकि कुल पूर्व प्रदत्त कर वास्तविक देय मांग से 90 प्रतिशत अधिक था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 111.49 करोड़⁸⁷ तक कर का अधिक निर्धारण हुआ था। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया है (अगस्त 2018) तथा यह कहा कि अप्रैल 2018 में सीआईटी (अपील) के आदेश को प्रभावित करने का आदेश पारित करते समय सुधारात्मक कार्रवाई की गई है।*

3.5.1.2 प्रधान सीआईटी-वल्साड़ प्रभार, गुजरात में, नि.व. 2012-13 के लिए कम्पनी का निर्धारण मार्च 2016 में अधिनियम की धारा 144 के तहत ₹ 68.17 करोड़ की अग्रेषित हानि का समायोजन करने के पश्चात ₹ 4.54 करोड़ के अन्य स्रोतों से आय सहित ₹ 58.45 करोड़ की कुल आय निर्धारित करके पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह पता चला कि एओ ने विभिन्न आधारों पर ₹ 96.39 करोड़ के संवर्धन किए हैं। तथापि, कर संगणना करते समय, एओ ने ₹ 32.76 करोड़ की बजाय ₹ 58.45 करोड़ निर्धारित आय की गणना की थी जिसके फलस्वरूप ₹ 7.94 करोड़ के कर के परिणामी अधिक प्रभार सहित ₹ 25.69 करोड़ की आय का अधिक निर्धारण हुआ। *आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया तथा जुलाई 2017 में अधिनियम की धारा 154 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की।*

⁸⁷ ₹ 55.12 करोड़ + ₹ 56.37 करोड़

3.5.1.3 प्रधान सीआईटी-1 भोपाल प्रभार, मध्य प्रदेश में, नि.व. 2014-15 हेतु कम्पनी का निर्धारण दिसम्बर 2016 में ₹ 2.00 करोड़ की हानि पर संवीक्षा के पश्चात् पूर्ण किया गया। आयकर संगणना फॉर्म (आईटीएनएस-150) की लेखापरीक्षा जांच से यह पता चला कि अग्रिम कर के भुगतान में चूक हेतु ब्याज को ₹ 33.83 करोड़ पर एएसटी प्रणाली में एओ द्वारा इस तथ्य के बावजूद मानवीय रूप से प्रविष्ट किया गया था कि निर्धारिती का निर्धारण हानि पर हुआ था तथा इसीलिए कोई कर तथा ब्याज उद्ग्रहित नहीं होना था। जैसाकि, इसने प्रणाली के उल्लंघन की सूचना दी थी जिसके फलस्वरूप ₹ 33.83 करोड़ के ब्याज का अधिक उद्ग्रहण हुआ। इस प्रकार से निर्धारिती को देय प्रतिदाय रोक कर रखा गया। *आयकर विभाग ने अपने उत्तर में यह कहा (जनवरी 2018) कि लेखन चूक तथा अधिक कार्य दबाव की वजह से ब्याज संगणना में चूक हुई थी तथा अनिवार्य सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। आगे उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2019)।*

3.5.1.4 प्रधान सीआईटी-1 भोपाल प्रभार, मध्य प्रदेश में, नि.व. 2014-15 हेतु कम्पनी का निर्धारण सामान्य प्रावधानों के तहत ₹ 11.44 करोड़ तथा अधिनियम की धारा 115 जेबी के विशेष प्रावधानों के तहत ₹ 47.63 करोड़ पर दिसम्बर 2016 में संवीक्षा के पश्चात् पूरा किया गया। आईटीएनएस-150 की लेखापरीक्षा जांच से यह पता चला कि एओ द्वारा अग्रिम कर के भुगतान में चूक हेतु ब्याज को एएसटी प्रणाली में ₹ 22.11 करोड़ पर इस तथ्य के बावजूद मानवीय रूप से प्रविष्ट किया गया था कि अग्रिम कर के भुगतान के संदर्भ में निर्धारिती के ओर से कोई चूक नहीं थी। जैसाकि इसने प्रणाली के उल्लंघन की सूचना दी थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 22.11 करोड़ के ब्याज का अधिक उद्ग्रहण हुआ तथा इस प्रकार निर्धारिती को देय प्रतिदाय को रोककर रखा गया। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया है (जनवरी 2019)। *अधिनियम की धारा 154 के तहत नवम्बर 2018 में ब्याज की संगणना में चूक का सुधार किया गया है।*

3.5.1.5 सीआईटी (केन्द्रीय)-। दिल्ली प्रभार में, नि.व. 2014-15 हेतु कम्पनी का संवीक्षा निर्धारण सामान्य प्रावधानों के तहत ₹ 1.44 करोड़ की हानि तथा अधिनियम की धारा 115 जेबी के तहत ₹ 3.96 करोड़ के न्यूनतम वैकल्पक कर पर दिसम्बर 2016 में पूरा किया गया था। आईटीएनएस-150 की लेखापरीक्षा जांच से यह पता चला कि धारा 234बी के तहत अग्रिम कर के भुगतान में चूक हेतु ब्याज को एएसटी प्रणाली द्वारा गलती से ₹ 1.70 करोड़ पर इस तथ्य के बावजूद संगणित किया गया कि निर्धारिती को स्वीकृत कुल टीडीएस क्रेडिट (₹ 72.08 लाख), अधिनियम की धारा 90 के तहत स्वीकृत राहत (₹ 1.97 करोड़) तथा प्रदत्त अग्रिम कर (₹ 3.00 करोड़) ₹ 3.96 करोड़ के निर्धारित कर से अधिक था। एओ ने एएसटी प्रणाली में ब्याज राशि हेतु उपलब्ध 'मोडीफाई' विशेषता का उपयोग

2019 की प्रतिवेदन संख्या 9 (प्रत्यक्ष कर)

करके धारा 234बी के तहत ₹ 1.70 करोड़ की ब्याज राशि को मानवीय रूप से प्रविष्ट किया था। इसके परिणामस्वरूप धारा 234बी के तहत ₹ 1.70 करोड़ के ब्याज का अधिक प्रभार हुआ। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया है (जनवरी 2019) तथा अधिनियम की धारा 154 के तहत चूक का सुधार किया है (नवम्बर 2017)।

अध्याय IV: आयकर

4.1 प्रस्तावना

4.1.1 यह अध्याय 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षित आयकर से संबंधित निर्धारणों की लेखापरीक्षा के परिणामों की चर्चा करता है। गैर-निगमित निर्धारितियों द्वारा वि.व. 2016-17 के दौरान कुल 4,36,89,274 आयकर विवरणियां⁸⁸ फाइल की गई थी। आयकर विभाग ने वि.व. 2016-17 या इससे पूर्व के वर्षों में उन इकाइयों में कुल 2,61,535 गैर-निगमित संवीक्षा निर्धारण पूर्ण किए जिनकी लेखापरीक्षा 2017-18 की लेखापरीक्षा योजना के दौरान की गई थी। 2,61,535 गैर-निगमित संवीक्षा निर्धारणों में से, हमने 2,13,838 गैर-निगमित संवीक्षा मामलों की जांच की तथा 12,128 निर्धारणों में चूकें पाई। लेखापरीक्षा में 2017-18 के दौरान जांच किए गए गैर-निगमित संवीक्षा निर्धारणों में चूक के मामले 5.67 प्रतिशत थे। त्रुटियों की प्रकृति एएसटी में मानवीय हस्ताक्षेप की ओर संकेत करती है। विभाग को ऐसी त्रुटियों की जांच करने तथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

4.1.2 अप्रैल 2018 से अक्टूबर 2018 के दौरान कुल 132 उच्च मूल्य के आयकर मामले मंत्रालय को संदर्भित किए गए। इनमें से, 123 मामलों में ₹ 320.94 करोड़ का कम प्रभार शामिल था तथा नौ मामले ₹ 10.12 करोड़ के अधिक प्रभार वाले थे। गलत निर्धारण के ये मामले आयकर विभाग द्वारा किए जा रहे निर्धारण प्रक्रिया पर आन्तरिक नियंत्रणों में कमी का संकेत देते हैं। ऐसी चूकों को पुराने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी बार-बार बताया गया है। लेखापरीक्षा विभाग यह सुनिश्चित करे कि क्या की गई अथवा हुई चूक ध्यान में आए अनियमितताओं के दृष्टांत हैं जिसमें की गयी चूकों वाले मामलों में विधि के अनुसार आवश्यक कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाए।

4.1.3 चूकों की श्रेणियों को व्यापक रूप में निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

- निर्धारणों की गुणवत्ता
- कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन
- चूकों के कारण निर्धारणों से वंचित आय
- अन्य-कर/ब्याज का अधिक प्रभार आदि

⁸⁸ स्रोत: आयकर (प्रशासन एवं करदाता सेवाएं), अन्वेषण एवं सांख्यिकीय विंग के प्रधान महानिदेशालय

आयकर अधिनियम, 1961 की धाराएं 234ए, 234बी, 234सी तथा 244ए के तहत ब्याज की संगणना के संदर्भ में निर्धारण सूचना प्रणाली (एएसटी) मॉड्यूल/इनकम टैक्स बिजनेस एप्लिकेशन (आईटीबीए) में देखी गई कमियां इस अध्याय के पैरा 4.2.4 में बताई गई हैं। इस प्रतिवेदन की तालिका 2.10 (पैरा 2.4.4) निर्धारणों तथा उनके कर प्रभाव में चूकों की व्यापक श्रेणियों का विवरण दर्शाती है। आयकर विभाग को एएसटी के माध्यम से ब्याज की संगणना में त्रुटियों विशेषकर उच्च अधिकारी के अनुमोदन के बिना आईटी सिस्टम में विद्यमान हाथ से किए गए आशोधन अनुमत करने के कारणों की जांच करने की आवश्यकता है। सिस्टम के माध्यम से सृजित करमांग की परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए एएसटी में त्रुटियों को दूर करने की आवश्यकता है।

4.1.4 मंत्रालय ने ₹ 142.59 करोड़ के कर प्रभाव (टीई) सहित 71 मामलों में अपनी स्वीकृति दी है। मंत्रालय ने ₹ 1.0 करोड़ के कर प्रभाव वाले एक मामले को स्वीकार नहीं किया है। शेष 60 मामलों में, आयकर विभाग ने ₹ 56.95 करोड़ के कर प्रभाव वाले नौ मामलों को स्वीकार किया है जबकि ₹ 0.30 करोड़ के कर प्रभाव वाले एक मामले को स्वीकार नहीं किया (इस प्रतिवेदन के पैरा 2.4.4 में उल्लिखित)। 132 मामलों में से, आयकर विभाग ने ₹ 213.56 करोड़ के कर प्रभाव वाले 102 मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई पूर्ण की है तथा ₹ 51.48 करोड़ के कर प्रभाव वाले 14 मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई आरम्भ की।

4.2 निर्धारणों की गुणवत्ता

4.2.1 एओ ने अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद निर्धारणों में चूक की थी। गलत निर्धारण के ये मामले आयकर विभाग की आन्तरिक नियंत्रणों में निरन्तर कमी को दर्शाते हैं जिसे प्राथमिकता के आधार पर संबोधित किए जाने की आवश्यकता है। अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों की अवहेलना करते हुए निर्धारण अधिकारियों (एओ) ने निर्धारणों में त्रुटियां की। आय और कर की संगणना में अंकगणितीय त्रुटियों वाले गलत निर्धारण के मामलों को केलकुलेटर और कम्प्यूटर के समय में मात्र त्रुटियों के रूप में स्वीकार करना कठिन है। इसके अतिरिक्त कर और अधिभार की गलत दरों का लागू करना, ब्याज के उद्ग्रहण में चूकें, अधिक या अनियमित प्रतिदाय आदि के उद्ग्रहण में गलतियां या तो अदक्षता अथवा गलती के साथ-साथ आयकर विभाग में आंतरिक नियंत्रण में कमियों की ओर इंगित करते हैं जिसे सम्बोधित किए जाने की आवश्यकता है। आयकर विभाग यह सुनिश्चित करे कि क्या ध्यान में आए अनियमितताओं के दृष्टांत की गयी या हुई त्रुटियां हैं जिसमें की गई त्रुटियों वाले मामलों में

विधि के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तालिका 4.1 उन चूकों की उप-श्रेणियों को दर्शाती है जिन्होंने निर्धारणों की गुणवत्ता को प्रभावित किया।

तालिका 4.1: निर्धारण की गुणवत्ता में त्रुटियों का विवरण			(₹ करोड़ में)
उप-श्रेणियां	मामले	टीई	राज्य
क. आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ	14	52.03	दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तर प्रदेश
ख. कर, अधिभार आदि की दरों का गलत प्रयोग	24	163.66	आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश
ग. ब्याज के उद्ग्रहण में त्रुटियाँ	47	60.84	आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, यूटी चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
कुल	85	276.53	

4.2.2 आय और कर की संगणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ

हमने ऐसे दो निदर्शी मामले नीचे दिये हैं:

आयकर अधिनियम, 1961 में यह प्रावधान है कि निर्धारण अधिकारी (एओ) को निर्धारिती की कुल आय या हानि का सही निर्धारण करना चाहिए तथा कर या प्रतिदाय जैसा भी मामला हो, की सही राशि निर्धारित करनी चाहिए है।

4.2.2.1 सीआईटी (छूट) मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, एओ ने ₹ 255.78 करोड़ की हानि पर मार्च 2016 में संवीक्षा के पश्चात नि.व. 2013-14 हेतु एओपी का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच से यह पता चला कि निर्धारण आदेश में एओ ने 'वसूल न किए गए भूमि किराए हेतु बनाए गए प्रावधान' की वजह से ₹ 111.39 करोड़ की वृद्धि की थी। यद्यपि, निर्धारिती की करयोग्य आय संगणना करते समय ₹ 111.39 करोड़ के बजाय ₹ 1.11 करोड़ को जोड़ा गया था। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 34.08 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 110.28 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। *आईटीडी ने अधिनियम की धारा 154 के तहत चूक का सुधार किया (मार्च 2018)।*

4.2.2.2 प्रधान सीआईटी शिमला प्रभार, हिमाचल प्रदेश में, एओ ने ₹ 2.15 करोड़ की आय पर फरवरी 2015 में अधिनियम की धारा 148 के साथ पठित धारा 143(3) के प्रावधान के तहत नि.व. 2010-11 के लिए एक निर्धारिती का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच से यह पता चला कि निर्धारित आय

की संगणना करते समय, एओ ने ₹ 1.92 करोड़ की सही राशि के बजाय ₹ 1.29 करोड़ पर 'व्यय पर आय की अधिकता' के आंकड़े लिए थे। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 30.95 लाख के कर प्रभाव के साथ ₹ 63 लाख की आय का कम निर्धारण हुआ था। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (जनवरी 2019) तथा अधिनियम की धारा 154 के तहत चूक का सुधार किया (दिसम्बर 2017)।*

4.2.3 कर तथा अधिक प्रभार की गलत दरों का प्रयोग

हमने ऐसे चार निदर्शी मामले नीचे दिए हैं:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 4(1) में प्रावधान है कि सुसंगत वित्त अधिनियम के तहत निर्धारित दरों के अनुसार एक निर्धारित के पिछले वर्ष की कुल आय के संबंध में प्रत्येक निर्धारण वर्ष हेतु आयकर प्रभार्य है। निर्धारण वर्ष 2008-09 से संबंधित वित्त अधिनियम यदि निवल आय ₹ दस लाख से अधिक हो, तो व्यक्तियों के संगठन (एओपी) के मामले में आयकर की दस प्रतिशत दर पर अधिक प्रभार के उद्ग्रहण हेतु प्रावधान करता है। इसी प्रकार, निर्धारण वर्ष 2014-15 से संबंधित वित्त अधिनियम यदि निवल आय ₹ एक करोड़ से अधिक हो, तो व्यक्तियों के संगठन (एओपी) अथवा स्थानीय प्राधिकरण के मामलों में आयकर के दस प्रतिशत की दर पर अधिक प्रभार के उद्ग्रहण हेतु प्रावधान करता है।

4.2.3.1 प्रधान सीआईटी पंचकूला प्रभार, हरियाणा में, एओ ने ₹ 1,733.09 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2015 में संवीक्षा के पश्चात् नि.व. 2014-15 के लिए एक स्थानीय प्राधिकरण का निर्धारण पूरा किया। इसके पश्चात्, सीआईटी (अपील) ने जनवरी 2017 में ₹ 377.29 करोड़ की राहत देने के पश्चात् ₹ 1,355.80 करोड़ की आय निर्धारित की। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि अपीलीय आदेश को लागू करते समय (फरवरी 2017), एओ ने संबंधित वित्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 10 प्रतिशत की दर पर उद्ग्रहण अधिभार का उद्ग्रहण नहीं किया। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 50.87 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। *आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के तहत चूक का सुधार किया (दिसम्बर 2017)।*

4.2.3.2 प्रधान सीआईटी-छूट लखनऊ प्रभार, उत्तर प्रदेश में, एओ ने ₹ 4.24 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2010 में संवीक्षा के पश्चात् नि.व. 2008-09 के लिए एओपी का निर्धारण पूरा किया जिसे बाद में ₹ 452.36 करोड़ की आय पर मार्च 2016 में अधिनियम की धारा 147 के तहत पुनः निर्धारित किया गया। लेखापरीक्षा जांच से यह पता चला कि कर मांग की संगणना करते समय, एओ ने संबंधित वित्त अधिनियम प्रावधानों के अनुसार 10 प्रतिशत की दर पर अधिभार का उद्ग्रहण नहीं किया। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 36.46 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ था।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (जनवरी 2019) तथा अधिनियम की धारा 154 के तहत चूक का सुधार किया (अक्टूबर 2017)।

4.2.3.3 प्रधान सीआईटी कटक प्रभार, ओडिशा में, एओ ने ₹ 817.69 करोड़ की आय निर्धारित करके दिसम्बर 2016 में संवीक्षा के पश्चात् नि.व. 2014-15 हेतु एक स्थानीय प्राधिकरण का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच से यह पता चला कि कर मांग की संगणना करते समय एओ ने संबंधित वित्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 10 प्रतिशत की दर पर अधिभार का उद्ग्रहण नहीं किया। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 33.60 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ था। आयकर विभाग ने चूक को स्वीकार किया (अक्टूबर 2017) तथा यह कहा कि धारा 154 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही थी।

4.2.3.4 प्रधान सीआईटी-छूट, अहमदाबाद प्रभार, गुजरात में, एओ ने ₹ 436.16 करोड़ की आय निर्धारित करके दिसम्बर 2016 में संवीक्षा के पश्चात् नि.व. 2014-15 हेतु एक एओपी का निर्धारण पूरा किया। आयकर संगणना फॉर्म (आईटीएनएस-150) जिसका प्रणाली के माध्यम से सृजन किया गया था, की लेखापरीक्षा जांच से यह पता चला कि यद्यपि निर्धारिती की निर्धारित आय एक करोड़ रूपए से अधिक थी तथापि, प्रणाली ने निर्धारित आय के आयकर पर अधिभार उद्ग्रहित नहीं किया था। कर की सही राशि की गणना करने में प्रणाली की विफलता तथा कर की यथार्थता प्रमाणित करने के लिए एओ द्वारा चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 18.19 करोड़ के अधिभार का उद्ग्रहण नहीं हुआ। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (जनवरी 2019) तथा अधिनियम की धारा 154 के तहत चूक का सुधार किया (सितम्बर 2017)।

4.2.4 ब्याज उद्ग्रहण में चूकें

हमने ऐसे पांच निदर्शी मामले नीचे दिए हैं:

आयकर अधिनियम 1961 समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर निर्धारिती की ओर से चूक हेतु ब्याज के उद्ग्रहण हेतु प्रावधान करता है। धारा 234ए निर्दिष्ट दरों तथा निर्दिष्ट समयावधि हेतु आय की विवरणी प्रस्तुत करने में चूक की वजह से ब्याज के उद्ग्रहण हेतु प्रावधान करती है। धारा 234बी निर्दिष्ट दरों पर तथा निर्दिष्ट समयावधि हेतु अग्रिम कर का भुगतान करने में चूक की वजह से ब्याज के उद्ग्रहण हेतु प्रावधान करती है।

इसके अलावा, सभी आयकर (आईटी) विवरणियों को पहले संवीक्षा निर्धारणों से पूर्व केन्द्रीयकृत संसाधित केन्द्र (सीपीसी), बेंगलुरु पर धारा 143(1) के तहत सारतः संसाधित किया जाता है, इस प्रकार सार निर्धारणों से संबंधित सारा डाटा निर्धारण सूचना प्रणाली (एएसटी) में सीधा प्रविष्ट किया जाता है। संवीक्षा मामलों के संदर्भ में निर्धारण आदेश का संसाधन, सुधार, पूर्णता का कार्य सीपीसी से स्थानांतरित सभी विवरणियों के लिए एएसटी मॉड्यूल, आयकर विभाग मॉड्यूल के भाग में एओज द्वारा किया जाता है। एएसटी आयकर अधिनियम 1961

की विभिन्न धाराओं के तहत कर की संगणना, ब्याज की संगणना, समय बाधित चैक, कटौती सीमा वैधता, देय तिथि जांच आदि जैसे विभिन्न निर्धारण कार्यों को करता है। टीडीएस/टीसीएस तथा अग्रिम कर आदि के संदर्भ में निर्धारिती द्वारा किए गए भुगतान फार्म 26एस आवेदन तथा ओएलटीएस आवेदन से क्रमशः ऑटो पोपुलेटिड है। क्षेत्रीय कार्यालयों में संवीक्षा निर्धारण, सुधार, अपील प्रभाव आदेशों के मामलों में, आंकड़े आदेशों के आधार पर एओ द्वारा सिस्टम में डाटा-फीड होते हैं। संवर्धनों के तहत आय के विभिन्न शीर्षों के अन्दर प्रविष्ट नए आंकड़ों के साथ, अंतिम मांग हेतु संगणना शीट सृजित की जाती है। यदि उक्त शीर्षों के मूल्य में एओ द्वारा कोई वृद्धि की जानी होती है तो सिस्टम के माध्यम से अगले उच्च प्राधिकारी से अनुमति आवश्यक होती है। यद्यपि एएसटी में उक्त शीर्षों के तहत मूल्य कम करने के लिए एओ द्वारा किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। एएसटी मॉड्यूल धारा 234ए/बी/सी/डी के तहत तथा शीर्ष 'संशोधित' के तहत 244ए के तहत ब्याज के मूल्य को संशोधित करने के लिए एओ को अनुमति देता है। ये मूल्य किसी उच्च प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना बदले (वृद्धि/कमी) किए जा सकते हैं। धारा 144 के तहत बेहतर निर्णय के अन्तर्गत किए गए निर्धारणों के मामलों में, डाटा को विभिन्न शीर्षों के तहत मानवीय रूप से प्रविष्ट किया जाता है यदि निर्धारिती नॉन-फाइलर्स हो तथा तदनुसार संगणना की जाती है। यदि निर्धारिती विलम्ब से फाइल करने वाला हो, धारा 148 नोटिस के पश्चात् आईटी रिटर्न फाइल की गई हो तो धारा 234ए/बी/सी के तहत ब्याज की संगणना संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए मूल देय तिथि के आधार पर की जाती है।

4.2.4.1 प्रधान सीआईटी कटक प्रभार, ओडिशा में, एओ ने ₹ 38.14 करोड़ की आय निर्धारित करके अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 144 के प्रावधानों के तहत मार्च 2016 में नि.व. 2008-09 के लिए एक फर्म का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच से यह पता चला कि निर्धारिती फर्म ने न तो अधिनियम की धारा 139(1) के तहत अपनी आय की विवरणी भरी थी और न ही अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस की प्रतिक्रिया में इसे फाइल किया था। इस प्रकार, निर्धारिती अक्टूबर 2008⁸⁹ से मार्च 2016 तक 90 माह हेतु धारा 234ए के तहत ब्याज भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। तथापि कर देयता की संगणना करते समय, एओ ने 90 माह के बजाय 12 माह के लिए ब्याज का उद्ग्रहण किया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 10.11 करोड़ ब्याज का कम प्रभार हुआ। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि ब्याज की राशि की गणना मानवीय रूप से की गई थी तथा इसे सिस्टम (एएसटी) में प्रविष्ट किया गया था। इस प्रकार एएसटी के माध्यम से ब्याज के मानवीय रूप से संशोधन करने के परिणामस्वरूप ब्याज का गलत उद्ग्रहण हुआ। यह स्पष्ट नहीं है कि मानवीय रूप से संशोधन क्यों अनुमत किया गया है वह भी स्पष्ट रूप से यदि अपवादात्मक मामलों में मानवीय रूप से हस्तक्षेप की आवश्यकता है तो वरिष्ठ स्तर पर अनुमोदन प्राप्त करने के प्रोटोकॉल के बिना वास्तव में यदि प्रत्येक

⁸⁹ नि.व. 2008-09 हेतु आय की रिटर्न फाइल करने की निर्धारित तिथि 30 सितम्बर 2008 थी।

स्तर पर मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता है तो यह या तो खराब आईटी सिस्टम की ओर अथवा विवेकाधिकार बनाए रखने के जानबूझकर प्रयास की ओर बिना स्पष्ट कारण के इंगित करता है। यह इस तथ्य को भी इंगित करता है कि विलम्ब की अवधि की संगणना करने में प्रणाली त्रुटिपूर्ण थी। आयकर विभाग ने बताया (अक्टूबर 2017) कि ब्याज की संगणना में गलती का सुधार अधिनियम की धारा 154 के तहत आरम्भ किया जा रहा था। *आयकर विभाग ने कहा (अक्टूबर 2017) कि ब्याज की गणना में चूक का सुधार अधिनियम की धारा 154 के तहत आरम्भ किया जा रहा था।*

4.2.4.2 प्रधान सीआईटी-15 कोलकाता प्रभार, पश्चिम बंगाल में, एओ ने ₹ 20.12 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2016 में सर्वोत्तम निर्णय पद्धति⁹⁰ में नि.व. 2009-10 हेतु एक व्यक्ति का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारिती ने नि.व. 2009-10 हेतु आय की अपनी रिटर्न फाइल नहीं की थी तथा अधिनियम की धारा 148 या 142(1) के तहत जारी नोटिस का उत्तर भी नहीं दिया था। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि कर मांग की गणना करते समय, सिस्टम ने आय की रिटर्न फाइल न करने के लिए धारा 234ए के तहत ब्याज की गणना नहीं की क्योंकि एओ द्वारा विलम्ब की अवधि प्रविष्ट नहीं की गई थी। इसने यह दर्शाया कि धारा 234ए के तहत ब्याज की गणना करने में सिस्टम में कमी थी। एओ द्वारा विलम्ब की अवधि को प्रविष्टि करने की चूक के फलस्वरूप ₹ 6.08 करोड़ के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं हुआ। आयकर विभाग को यह जांच करनी चाहिए कि एओ द्वारा त्रुटि क्यों की गयी और विधि के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जानी चाहिए। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (दिसम्बर 2018)। ब्याज की गणना में चूक को अधिनियम की धारा 154 के तहत सुधारा गया है (दिसम्बर 2017)।* चूंकि लेखापरीक्षा योजना 2017-18 के दौरान केवल योजनागत और लेखापरीक्षित इकाइयों के सम्बन्ध में निर्धारण मामले हमने देखे हैं, मंत्रालय को ब्याज के उद्ग्रहण के सभी मामलों की जांच करने की आवश्यकता है और ना कि केवल लेखापरीक्षा में कवर की गयी इकाइयों से सम्बन्धित मामलों में।

4.2.4.3 पीसीआईटी-17 प्रभार, दिल्ली में, एओ ने ₹ 11.92 करोड़ की आय तथा इस पर ₹ 4.05 करोड़ के कर को निर्धारित करके दिसम्बर 2016 में धारा 144 के तहत नि.व. 2009-10 हेतु एक फर्म का निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने न तो नि.व. 2009-10 हेतु आय की अपनी रिटर्न भरी थी और न ही निर्धारण की तिथि तक धारा 148 के तहत जारी नोटिस के उत्तर में रिटर्न प्रस्तुत की

⁹⁰ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 147/143(3)/144 के तहत

थी, इस प्रकार, धारा 234ए के तहत ₹ 4.05 करोड़ के निर्धारित कर पर 87 माह हेतु ब्याज उद्ग्रहित किया जाना अपेक्षित था। आयकर गणना फार्म (आईटीएनएस-150) की लेखापरीक्षा जांच से यह पता चला कि यद्यपि आईटीएनएस को एएसटी के माध्यम से सृजित किया गया था तथापि, रिटर्न प्रस्तुत करने में चूक हेतु ब्याज की एएसटी सिस्टम द्वारा गणना नहीं की गई थी जो इस तथ्य का संकेत देता है कि सिस्टम में रिटर्न प्रस्तुत करने में चूक हेतु ब्याज की गणना करने में कमी थी। आईटीएनएस में दर्शाए गए ब्याज की यथार्थता को सत्यापित करने हेतु एओ द्वारा चूक के परिणामस्वरूप ₹ 3.53 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (फरवरी 2019) तथा अधिनियम की धारा 154 के तहत चूक का सुधार किया (मार्च 2018)।*

4.2.4.4 प्रधान सीआईटी-केन्द्रीय, हैदराबाद प्रभार, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्य में, एओ ने ₹ 10.19 करोड़ की आय निर्धारित करके दिसम्बर 2016 में नि.व. 2009-10 के लिए एक व्यक्ति का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच से यह पता चला कि धारा 234बी के तहत अग्रिम कर के भुगतान में चूक हेतु ब्याज की गणना एएसटी के माध्यम से नहीं अपितु मानवीय रूप से की गई थी तथा ₹ 3.17 करोड़ की सही राशि के बजाय गलती से ₹ 94.72 लाख का उद्ग्रहण किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.22 करोड़ के कर की कम मांग हुई। लेखापरीक्षा एएसटी के माध्यम के बजाय मानवीय रूप से आय तथा ब्याज पर कर की गणना करने के कारणों को सुनिश्चित नहीं कर सकी। आईटीएनएस में दर्शाए गए ब्याज की यथार्थता सत्यापित करने के लिए एओ द्वारा चूक के परिणामस्वरूप ₹ 2.22 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (फरवरी 2019) तथा अधिनियम की धारा 154 के तहत चूक का सुधार किया गया (अक्टूबर 2017)।*

4.2.4.5 प्रधान सीआईटी-2 चंडीगढ़ प्रभार में, एओ ने नि.व. 2008-09 तथा 2009-10 के लिए क्रमशः ₹ 3.55 करोड़ तथा ₹ 2.16 करोड़ की आय पर मार्च 2016 में धारा 147 के साथ पठित धारा 144 के तहत एक व्यक्ति का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारिती ने दोनों निर्धारण वर्षों के लिए आय की विवरणी फाइल नहीं की थी। निर्धारिती को मार्च 2015 में धारा 148 के तहत उसे नि.व. 2008-09 तथा 2009-10 हेतु अपनी आय की रिटर्न प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किए गए थे। तथापि, निर्धारिती द्वारा निर्धारण की तिथि अर्थात् मार्च 2016 तक कोई उत्तर नहीं दिया गया था। चूँकि निर्धारिती ने नि.व. 2008-09 तथा 2009-10 हेतु अपनी आय की विवरणी फाइल नहीं की थी, अतः निर्धारिती धारा 234ए(1) के तहत नि.व. 2008-09 तथा 2009-10

हेतु क्रमशः ₹ 1.20 करोड़ तथा ₹ 72.34 लाख की कर देयता पर ₹ 1.10 करोड़ तथा ₹ 57.87 लाख की राशि के ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। नि.व. 2008-09 तथा 2009-10 के आईटीएनएस-150 की लेखापरीक्षा जांच से यह पता चला कि आईटीएनएस-150 की गणना एएसटी के माध्यम से नहीं अपितु दोनों निर्धारण वर्षों में मानवीय रूप से की गई थी तथा आय की विवरणी प्रस्तुत न करने हेतु धारा 234ए(1) के तहत ब्याज को प्रभारित करने की चूक हुई थी। लेखापरीक्षा एएसटी के माध्यम की बजाय मानवीय रूप से आय पर कर तथा ब्याज की गणना करने के कारणों को सुनिश्चित नहीं कर सका। इसके फलस्वरूप नि.व. 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान अधिनियम की धारा 234(1) के तहत ₹ 1.68 करोड़ के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं हुआ। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (जनवरी 2019)। अधिनियम की धारा 154 के तहत ब्याज की गणना में चूक का सुधार किया गया है (फरवरी 2017)।*

4.2.4.6 जबकि मंत्रालय ने इन मामलों में सुधार करने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ की है, यह उल्लेख किया जाता है कि ये मात्र कुछेक निदर्शी मामले हैं। समस्त निर्धारणों के पूरे यूनीवर्स में, गैर-संवीक्षा निर्धारणों सहित, कई और मामलों में ऐसी त्रुटियां होने या किए जाने की पूरी संभावना है। सीबीडीटी को न केवल अपने निर्धारणों की पुनः जांच करने की आवश्यकता है बल्कि इस प्रकार की त्रुटियों को समाप्त करने के लिए एक त्रुटिरहित आईटी सिस्टम और आंतरिक नियंत्रण तंत्र भी रखने की आवश्यकता है।

प्रत्यक्ष कर के लिए आईटी प्रणाली को इस प्रकार से तैयार किया जाना चाहिए कि निर्धारिती तथा आयकर अधिकारियों के मध्य शून्य या कम से कम व्यक्तिगत सम्पर्क हो। सरकार प्रत्यक्ष करों के लिए आईटी प्रणाली को सीबीडीटी से एक उचित दूरी पर, एक स्वतंत्र सरकारी संस्था या संगठन के साथ रखने पर विचार कर सकती है।

4.3 कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन

4.3.1 आयकर अधिनियम, 1961 अध्याय VI-ए के तहत कुल आय की संगणना करने में तथा इसके सुसंगत प्रावधानों के तहत व्यय की कुछ श्रेणियों के लिए निर्धारिती को रियायतों/छूटों/कटौतियाँ अनुमत करता है। हमने पाया कि एओ ने अयोग्य लाभार्थियों को कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के अनियमित लाभ दिए हैं। ये अनियमितताएं आयकर विभाग की ओर से कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रशासन की कमजोरी को दर्शाते हैं जिन्हें संबोधित किया जाना आवश्यक है। आयकर विभाग यह सुनिश्चित करे कि क्या पाए गए अनियमितताओं के दृष्टांत की गयी अथवा हुई त्रुटियां हैं तथा त्रुटियों वाले

मामलों में विधि के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तालिका 4.2 उन उप-श्रेणियों को दर्शाती है जिन्होंने कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रशासन को प्रभावित किया है।

तालिका 4.2: कर रियायतों कटौतियों/छूटों के प्रशासन के तहत व्रुटियों की उप-श्रेणियां			(₹ करोड़ में)
उप-श्रेणियां	सं.	टीई	राज्य
क. व्यक्तियों को दी गई अनियमित छूटें/कटौतियां/राहत	02	0.58	महाराष्ट्र और तमिलनाडु
ख. ट्रस्टों/फर्मों/सोसाइटियों/एओपीज को दी गई अनियमित छूट/कटौती/ राहत	06	3.66	गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश
ग. व्यापार व्यय की गलत अनुमति	11	25.80	असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल
घ. मूल्यहास/व्यवसायिक हानियों/ पूंजीगत हानियों को स्वीकृत करने में अनियमितताएं	07	9.19	बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल
कुल		26	39.23

4.3.2 व्यक्तियों को अनियमित छूटें/कटौतियां/राहत

हमने ऐसा एक निदर्शी मामला नीचे दिया है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 एफ की उप-धारा (i) के अंतर्गत उप-धारा (4) के प्रावधानों के विषयाधीन, जहां निर्धारिती एक व्यक्ति या अविभाजित हिंदू परिवार हो, के मामले में, कि दीर्घावधि पूंजीगत परिसंपत्ति, जो आवासीय न हो के हस्तांतरण से पूंजीगत लाभ अर्जित हो (यहां से आगे इस धारा में मूल परिसंपत्ति के रूप में संदर्भित) और निर्धारिती द्वारा जिस दिनांक को हस्तांतरण हुआ हो उससे पूर्व एक वर्ष की अवधि के या दो वर्षों के पश्चात था, आवासीय घर (यहां से आगे धारा में नई परिसंपत्ति के रूप में संदर्भित) निर्माण की तिथि के तीन वर्षों की अवधि के भीतर पूंजीगत लाभ का निपटान इस धारा को निम्नलिखित, प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। (क) यदि नई सम्पत्ति की लागत कुल सम्पत्ति लाभ पूंजीगत निवल प्रतिफल वास्तविक सम्पत्ति के संबंध में कम नहीं है तब इस सम्पूर्ण पूंजीगत लाभ पर धारा 45 के अंतर्गत शुल्क नहीं लिया जाएगा (ख) यदि नई सम्पत्ति की लागत मूल परिसंपत्ति के संबंध में निवल प्रतिफल कम है तब, सम्पूर्ण पूंजीगत का लाभ वहन इस प्रकार होगा जैसे निवल विचारार्थ कुल पूंजीगत लाभ के समान अनुपात में वहन होगा जैसे वही नई सम्पत्ति का प्रतिफल धारा 45 के तहत शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह भी प्रावधान किया गया है कि इस उप-धारा में कुछ भी निहित नहीं होने पर भी लागू होगा जहां. (क) निर्धारिती..... (i) मूल सम्पत्ति के हस्तांतरण की तिथि को नई सम्पत्ति के अतिरिक्त स्वयं का एक से अधिक आवासीय घर हो; अथवा (ii) वास्तविक सम्पत्ति के हस्तांतरण की तिथि के एक वर्ष की अवधि के दौरान नई सम्पत्ति के अतिरिक्त अन्य आवासीय घर खरीदा हो; अथवा (iii) वास्तविक सम्पत्ति के हस्तांतरण की तिथि के तीन वर्ष

की अवधि के पश्चात नई सम्पत्ति के अतिरिक्त कोई आवासीय घर का निर्माण किया हो; और (ख) मूल सम्पत्ति के हस्तांतरण की तिथि से स्वयं के आवासीय घर के अतिरिक्त उस आवासीय घर की आय "उस घर की सम्पत्ति से आय" इस मद के अन्तर्गत भारित होगी।

4.3.2.1 प्रधान सीआईटी-7 चेन्नई प्रभार, तमिलनाडु में, एओ ने ₹ 61.77 लाख की आय निर्धारित करके नवम्बर 2016 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2014-15 हेतु एक व्यक्ति का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि निर्धारिती ने खाली भूमि की बिक्री से ₹ 82.46 लाख का दीर्घावधि पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) अर्जित किया था। इसके अतिरिक्त, निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2013-14 में पहले किए दावे में धारा 54एफ की उप-धारा(3) के तहत छूट को वापिस लेकर ₹ 20.08 लाख का एलटीसीजी का प्रस्ताव दिया था। निर्धारिती ने दावा किया तथा वर्ष हेतु ₹ 1.03 करोड़ (₹ 82.46 लाख जमा ₹ 20.08 लाख) की राशि के कुल एलटीसीजी के प्रति धारा 54एफ के तहत छूट स्वीकृत की थी क्योंकि निर्धारिती ने गृह सम्पत्ति का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया था। लेखापरीक्षा जांच से यह पता चला कि धारा 54एफ के तहत निर्धारिती छूट हेतु योग्य नहीं था क्योंकि निर्धारिती के पास पहले ही स्व धारित सम्पत्ति के अलावा अन्य दो आवासीय गृह सम्पत्ति थी। चूँकि निर्धारिती ने धारा 54एफ के तहत छूट हेतु निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं किया था, इसलिए धारा 54एफ के तहत स्वीकृत छूट क्रमानुसार नहीं थी। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 23.24 लाख के कर के परिणामी कम उद्ग्रहण सहित ₹ 1.03 करोड़ की छूट की गलत स्वीकृति हुई। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (फरवरी 2019) तथा धारा 148 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई आरम्भ की (जनवरी 2019)।

4.3.3 ट्रस्टों/फर्मों/सोसायटियों/एओपीज को अनियमित छूटें/कटौतियां/राहत

हमने ऐसा एक निदर्शी मामला नीचे दिया है:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10ए(1ए) निर्दिष्ट कुछ शर्तों के अधीन दस क्रमागत वर्षों की अवधि के लिए एक मद या वस्तु या कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात से एक उपक्रम से उत्पन्न लाभ एवं प्राप्ति की कटौती हेतु प्रावधान करती है। तथापि इस धारा के तहत कटौती केवल नि.व. 2011-12 तक उपलब्ध है।

4.3.3.1 प्रधान सीआईटी गाजियाबाद प्रभार, उत्तर प्रदेश में, एओ ने जनवरी 2015 तथा दिसम्बर 2015 में क्रमशः ₹ 3.22 करोड़ तथा ₹ 3.87 करोड़ की आय निर्धारित करके संवीक्षा के पश्चात फर्म का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच से यह पता चला कि एओ ने अधिनियम की धारा 10ए (1ए) के तहत निर्धारिती को नि.व. 2012-13 के लिए ₹ 1.59 करोड़ तथा नि.व. 2013-14 के लिए ₹ 0.22 करोड़ की कटौती स्वीकृत की थी जबकि इस धारा के तहत कटौती

नि.व. 2011-12 तक उपलब्ध थी। त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 74.72 लाख के कर प्रभाव सहित ₹ 1.81 करोड़ की कटौती की अनियमित स्वीकृति हुई। आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (जून 2018) तथा अधिनियम की धारा 154 के तहत चूक का सुधार किया (नवम्बर 2017)।

4.3.4 व्यवसायिक व्यय की गलत स्वीकृति

हमने ऐसे दो निदर्शी मामलें नीचे दिए हैं।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(vii) के तहत प्रावधान के अनुसार, किसी अशोध्य ऋण या उसके भाग जिसे पिछले वर्ष हेतु निर्धारिती के खातों में अवसूलीयोग्य के रूप में बट्टे खाते में डाला गया है, की राशि कटौती योग्य है, बशर्ते कि निर्धारिती जिस पर धारा 36(1) का खण्ड (vii) लागू होता है, के मामले में ऐसा कोई ऋण या उसके भाग से संबंधित कटौती की राशि उस राशि तक सीमित होगी जिससे ऐसा ऋण या उसका भाग इस खण्ड के तहत बनाए अशोध्य तथा संदेहास्पद ऋण खाते के लिए प्रावधान में क्रेडिट शेष से अधिक होती है। इसके अलावा धारा 36 की उप-धारा (2) के खण्ड (v) में यह प्रावधान है कि जहां ऐसा ऋण अथवा ऋण का भाग उस एक निर्धारिती द्वारा दिए अग्रिमों से संबंधित है जिसके लिए उप-धारा (1) का खण्ड (vii) लागू होता है, वहां ऐसी कटौती तब तक स्वीकृत नहीं होगी जब तक निर्धारिती उस खण्ड के तहत बनाए अशोध्य तथा संदेहात्मक ऋण खाते के लिए प्रावधान हेतु उस पिछले वर्ष में ऐसे ऋण या ऋण के भाग की राशि को डेबिट न करें।

4.3.4.1 प्रधान सीआईटी कटक प्रभार, ओडिशा में, एओ ने ₹ 23.28 करोड़ की कुल आय निर्धारित करके दिसम्बर 2016 में नि.व. 2014-15 हेतु सहकारी बैंक का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच से यह पता चला कि एओ ने 'एक बारगी निपटान' (ओटीएस) पर हानि के प्रति ₹ 17.03 करोड़ के एक व्यय को स्वीकृत किया था जो कुछ नहीं था अपितु वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया अशोध्य ऋण था। निर्धारिती ने दावा किया था तथा ओटीएस के प्रति अधिनियम की धारा 36(1)(vii) के तहत कटौती प्रदान की थी, यद्यपि यह अशोध्य तथा संदेहास्पद ऋण खाते के लिए प्रावधान में ₹ 38.43 करोड़ के क्रेडिट शेष से अधिक नहीं थी। बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण को स्वीकार करने में अधिनियम के प्रावधानों के अननुपालन के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 7.89 करोड़ के कर प्रभाव को शामिल करते हुए ₹ 17.03 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (फरवरी 2018) तथा यह बताया कि अधिनियम की धारा 263 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही थी।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी(एफ) के अनुसार अवकाश नकदीकरण हेतु बनाया गया कोई प्रावधान केवल तभी स्वीकार्य होता है जब इसका भुगतान वास्तव में किया जाता है। इसके अलावा, सीबीडीटी ने दिनांक 26.11.2008 को 2008 की निर्देश संख्या 17 द्वारा यह स्पष्ट किया है कि अधिनियम की धारा 37 यह परिकल्पित करती है कि एक उपार्जित अथवा सुनिश्चित देयता के संदर्भ में लाभ एवं हानि खाते में डेबिट की गई राशि एक स्वीकार्य कटौती होती है जबकि किसी अनिश्चित देयता या ऐसी देयता जो उपार्जित न हुई हो, के संदर्भ में कोई प्रावधान कटौती के योग्य नहीं है।

4.3.4.2 प्रधान सीआईटी । पटना प्रभार, बिहार में, एओ ने ₹ 16.35 करोड़ की आय निर्धारित करके फरवरी 2016 में संवीक्षा के पश्चात नि.व. 2013-14 हेतु एक सहकारी समिति का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच से यह पता चला कि निर्धारिती ने दावा किया था तथा तदर्थ आधार पर लेखाबहियों में अवकाश नकदीकरण के प्रति बनाए गए प्रावधान की वजह से ₹ 8.50 करोड़ का व्यय स्वीकृत किया था। चूँकि तदर्थ आधार पर बनाया गया प्रावधान एक निश्चित देयता नहीं था अतः इसे अस्वीकृत करना अपेक्षित था। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 3.55 करोड़ के कर के कम उद्ग्रहण को शामिल करते हुए ₹ 8.50 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ था। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (फरवरी 2019) तथा अधिनियम की धारा 263 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई आरम्भ की (मार्च 2018)।

4.3.5 मूल्यहास/व्यवसाय हानियों/पूँजीगत हानियों को स्वीकृत करने में अनियमितताएं

हमने ऐसा एक निदर्शी मामला नीचे दिया है:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 72 के तहत, जहां शीर्ष 'व्यवसाय अथवा कारोबार के लाभ एवं प्राप्तियां' निर्धारिती की हानि है तथा ऐसी हानि का संबंधित वर्ष के किसी अन्य शीर्ष के तहत आय के प्रति पूर्ण रूप से समंजन नहीं किया जा सकता है, समंजन न की गई ऐसी अधिक हानि को उन वर्षों के व्यवसाय तथा कारोबार के लाभ तथा प्राप्तियों के प्रति समंजन किए जाने के लिए आगामी निर्धारण वर्ष/वर्षों में अग्रेषित किया जाएगा।

4.3.5.1 प्रधान सीआईटी-32 मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, एओ ने नि.व. 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 से संबंधित ₹ 9.33 करोड़ की अग्रेषित हानियों का समंजन स्वीकार करने के पश्चात् ₹ 41.42 लाख की आय पर नवम्बर 2016 में नि.व. 2014-15 हेतु एक फर्म का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया गया। लेखापरीक्षा ने देखा कि नि.व. 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 हेतु निर्धारण क्रमशः ₹ 26.38 लाख, ₹ 33.41 लाख तथा ₹ 13.26 लाख की आय पर पूरा हुआ। इस प्रकार, नि.व. 2014-15 हेतु निर्धारित आय के प्रति समंजन हेतु उपलब्ध अग्रेषित हानियां नहीं थी। अग्रेषित हानियों के गलत समंजन के

परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 4.18 करोड़ के कर के कम उद्ग्रहण को शामिल करते हुए ₹ 9.33 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2019)।

4.4 चूकों के कारण निर्धारणों से छूटने वाली आय

4.4.1 आयकर अधिनियम, 1961 में प्रावधान है कि किसी पिछले वर्ष हेतु एक व्यक्ति की कुल आय में वास्तविक रूप से प्राप्त अथवा उपार्जित सभी आय चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, अथवा प्राप्त या उपार्जित होने के लिए मानी गई आय सम्मिलित होगी। हमने अवलोकन किया कि एओज ने उस कुल आय का निर्धारण नहीं किया/कम निर्धारण किया जिसे कर हेतु प्रस्तुत करना अपेक्षित था। तालिका 4.3 उन उप-श्रेणियों को दर्शाती है जिसके परिणामस्वरूप आय निर्धारण से वंचित हुई।

तालिका 4.3: चूकों की वजह से निर्धारण से वंचित आय के तहत चूकों की उप-श्रेणियां (₹ करोड़ में)			
उप-श्रेणियां	संख्या	टीई	राज्य
क. पूंजीगत प्राप्तियों का गलत वर्गीकरण तथा संगणना	08	3.79	हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान और तमिलनाडु
ख. आय की गलत संगणना	02	0.92	असम और गुजरात
ग. विशेष प्रावधानों के तहत निर्धारित न की गई/कम निर्धारित की गई आय	01	0.22	जम्मू एवं कश्मीर
घ. उल्लेख न किए गए निवेश/नकद क्रेडिट	01	0.23	हरियाणा
कुल	12	5.16	

4.4.2 पूंजीगत प्राप्तियों का गलत वर्गीकरण तथा संगणना

हमने ऐसा एक निदर्शी मामला नीचे दिया है:

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 45(1) के अनुसार, पूंजीगत परिसम्पत्ति की बिक्री अथवा हस्तांतरण से उत्पन्न लाभ अथवा प्राप्तियां शीर्ष "पूंजीगत प्राप्तियां" के तहत कर हेतु प्रभार्य हैं। इसे उस पिछले वर्ष की आय माना जाता है जिसमें पूंजीगत परिसम्पत्ति का हस्तांतरण किया गया है। अचल परिसम्पत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न पूंजीगत प्राप्तियां उस पिछले वर्ष में कर हेतु प्रभार्य होती हैं जिसमें स्वामित्व के हस्तांतरण के प्रभाव को सूचित तथा पंजीकृत किया गया हो। इसके अलावा, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 112 के अनुसार एक व्यक्तिगत या एक हिन्दू अविभाजित परिवार के मामले में, दीर्घावधि पूंजीगत प्राप्तियों पर कर की दर 20 प्रतिशत है तथा यह अधिक प्रभार, शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर के अधीन है।

4.4.2.1 प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), पटना प्रभार झारखण्ड में, एओ ने ₹ 3.55 करोड़ की आय निर्धारित करके मार्च 2016 में अधिनियम की धारा 144 के साथ पठित धारा 153ए के तहत नि.व. 2012-13 हेतु एक व्यक्ति का निर्धारण पूरा किया। निर्धारण अभिलेखों के अनुसार, निर्धारिती ने नि.व. 2012-13 के संबंध में 2011-12 के दौरान एक पैतृक सम्पत्ति (भूमि) की बिक्री पर ₹ 3.54 करोड़ की दीर्घावधि पूंजीगत प्राप्तियां की थी। लेखापरीक्षा जांच से यह पता चला कि कर मांग की संगणना करते समय, एओ ने गलती से बीस प्रतिशत की लागू दर पर ₹ 1.39 करोड़ के कर की उद्ग्रहण राशि के बजाय दस प्रतिशत की दर पर ₹ 3.54 करोड़ की दीर्घावधि पूंजीगत प्राप्तियों पर ₹ 54.19 लाख का कर उद्ग्रहित किया था। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 84.94 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (अगस्त 2018) तथा अधिनियम की धारा 154 के तहत चूक का सुधार किया (अप्रैल 2017)।

4.4.3 आय की गलत संगणना

हमने ऐसा एक निदर्शी मामला नीचे दिया है:

धारा 145(3) यह प्रावधान करती है कि जहां निर्धारण अधिकारी (एओ) निर्धारिती के लेखों की यथार्थता अथवा पूर्णता के विषय में संतुष्ट नहीं होता अथवा जहां निर्धारिती द्वारा उप-धारा (1) में प्रदत्त लेखांकन पद्धति का अनुसरण नियमित रूप से नहीं किया जाता अथवा आय की संगणना उप-धारा (2) के तहत अधिसूचित मानकों के अनुसार नहीं की जाती, वहां एओ धारा 144 में प्रदत्त तरीके से निर्धारण कर सकता है। इसके अलावा धारा 144 यह प्रावधान करती है कि सभी संबंधित सामग्री जो एक एओ एकत्रित करता है, पर विचार करने के पश्चात् निर्धारिती को सुनवाई का एक अवसर देने के बाद एओ अपने बेहतर निर्णय अनुसार कुल आय या हानि का निर्धारण करेगा तथा ऐसे निर्धारण के आधार पर उसके द्वारा देय अथवा उसको प्रतिदेय सही राशि निर्धारित करेगा।

4.4.3.1 प्रधान सीआईटी-4 अहमदाबाद प्रभार, गुजरात में, एओ ने ₹ 1.34 करोड़ की आय निर्धारित करके नवम्बर 2015 में धारा 144 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत नि.व. 2013-14 के लिए एक फर्म का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच से यह पता चला कि एओ ने धारा 145(3) के तहत लेखा बहियां अस्वीकृत की थी तथा निर्धारिती की आय ₹ 16.75 करोड़ की सकल प्राप्तियों के आठ प्रतिशत की दर पर ₹ 1.34 करोड़ पर निर्धारित की थी। तथापि एओ ने कराधार हेतु अन्य स्रोत से हो रही ₹ 1.95 करोड़ की आय की ब्याज आय पर विचार नहीं किया। इस चूक के फलस्वरूप ब्याज सहित ₹ 79.58 लाख के कर के परिणामी कम उद्ग्रहण सहित ₹ 1.95 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया

(जनवरी 2019) तथा अधिनियम की धारा 147 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की (सितम्बर 2018)।

4.4.4 विशेष प्रावधान के तहत निर्धारित न की गई आय

हमने ऐसा एक निदर्शी मामला नीचे दिया है:

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115जेसी में यह प्रावधान है कि जहां एक कम्पनी के अलावा एक व्यक्ति द्वारा पिछले वर्ष हेतु देय नियमित आयकर उस पिछले वर्ष हेतु देय वैकल्पिक न्यूनतम कर से कम होता है, वहां समायोजित कुल आय को उस पिछले वर्ष हेतु व्यक्ति की कुल आय माना जाएगा तथा वह साढ़े अठारह प्रतिशत की दर पर उस कुल आय पर आय कर का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा।

4.4.4.1 प्रधान सीआईटी जम्मू प्रभार, जम्मू एवं कश्मीर में, एओ ने ₹ 1.59 लाख की आय पर अक्टूबर 2016 में संवीक्षा के पश्चात् नि.व. 2014-15 हेतु एक व्यक्ति का निर्धारण पूरा किया था। लेखापरीक्षा जांच से यह पता चला कि लाभ एवं हानि खाते के अनुसार निर्धारिती का निवल लाभ ₹ 1.03 करोड़ था। निर्धारिती ने निवल लाभ के प्रति अग्रेषित व्यवसाय हानियों तथा अनावशेषित मूल्यहास को समायोजित करने के पश्चात् 'शून्य' आय पर 18 मार्च 2015 को नि.व. 2014-15 हेतु संशोधित विवरणी फाइल की थी। चूँकि विशेष प्रावधानों के तहत देय वैकल्पिक न्यूनतम कर पिछले वर्ष हेतु देय नियमित आयकर से अधिक था अतः एक कम्पनी के अलावा अन्य व्यक्ति पर लागू धारा 115जेसी के तहत विशेष प्रावधानों के अनुसार निर्धारिती कर लगने का पात्र था। तथापि, संवीक्षा निर्धारण पूरा करते समय, एओ ने धारा 115जेसी के तहत विशेष प्रावधानों के अनुसार वैकल्पिक न्यूनतम कर की संगणना नहीं की। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 21.61 लाख के वैकल्पिक न्यूनतम कर का उद्ग्रहण नहीं हुआ। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2019)।

4.4.5 उल्लेख न किए गए निवेश/नकद क्रेडिट

हमने ऐसा एक निदर्शी मामला नीचे दिया है:

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 68 के अनुसार, जहां एक निर्धारिती की पिछले किसी वर्ष हेतु अनुरक्षित लेखा बहियों में किसी राशि का क्रेडिट पाया जाता है तथा निर्धारिती इसकी प्रकृति और स्रोत के विषय में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करता अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण निर्धारण अधिकारी के मत से संतोषजनक न हो, वहां क्रेडिट की गई ऐसी राशि पर उस पिछले वर्ष की निर्धारिती की आय के अनुसार आयकर प्रभारित किया जा सकता है।

4.4.5.1 सीआईटी (छूट) चण्डीगढ़ प्रभार, हरियाणा में एओ ने ₹ 4.68 लाख की आय पर मार्च 2015 में संवीक्षा के पश्चात् नि.व. 2012-13 हेतु एओपी का निर्धारण पूरा किया। नि.व. 2012-13 हेतु आय तथा व्यय लेखे के अनुसार,

₹ 91.35 लाख की प्राप्ति के प्रति, ₹ 67.88 लाख का व्यय ₹ 23.47 लाख की अधिशेष प्राप्ति को छोड़ते हुए किया गया था। लेखापरीक्षा जांच से यह पता चला कि निर्धारिती ने 31 मार्च 2012 तक तुलन पत्र (अनुसूची VI) में देय विश्वविद्यालय फीस के वास्ते ₹ 55.36 लाख की देयता दर्शाई थी। पिछले वर्ष के दौरान किए गए ₹ 0.35 लाख के समान प्रावधान की कटौती करके, नि.व. 2012-13 हेतु विश्वविद्यालय फीस की देयता ₹ 55.01 लाख संगणित की गई। चूँकि विश्वविद्यालय फीस के वास्ते व्ययों को लाभ तथा हानि खाते के माध्यम से नहीं भेजा गया था, अतः यह स्पष्ट हुआ कि विश्वविद्यालय फीस के वास्ते प्राप्तियों को हिसाब में नहीं लिया गया था। इस प्रकार, ₹ 55.01 लाख पर देय व्ययों के समान राशि को उल्लेख न किए गए नकद क्रेडिट के रूप में माना जाना चाहिए था। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 23.12 लाख के कर प्रभाव को शामिल करते हुए ₹ 55.01 लाख की आय का कम निर्धारण हुआ था। आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 147 के तहत चूक का सुधार किया (जून 2017)।

4.5 कर/ब्याज का अधिक प्रभार

4.5.1 हमने दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूटी चण्डीगढ़, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में ₹ 10.12 करोड़ के कर/ब्याज के अधिक प्रभार वाले नौ मामलों में आय का अधिक निर्धारण पाया। हमने ऐसे तीन निदर्शी मामले नीचे दिए हैं।

4.5.1.1 प्रधान सीआईटी छूट लखनऊ प्रभार, उत्तर प्रदेश में एओ ने ₹ 200.84 करोड़ की आय पर मार्च 2016 में संवीक्षा के पश्चात नि.व. 2013-14 हेतु स्थानीय प्राधिकरण का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच से यह पता चला कि कर मांग की संगणना करते समय एओ ने धारा 234ए के तहत ₹ 4.34 करोड़ के ब्याज का उद्ग्रहण इस तथ्य के बावजूद किया था कि निर्धारिती ने नियत तिथि के अन्दर अपनी आय की विवरणी भरी थी। चूक के परिणामस्वरूप धारा 234ए के तहत ₹ 4.34 करोड़ के ब्याज का अधिक प्रभार हुआ। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (फरवरी 2019) और अधिनियम की धारा 154 के तहत (जनवरी 2017) चूक का सुधार किया।*

4.5.1.2 प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), भोपाल प्रभार, मध्यप्रदेश में, एओ ने ₹ 7.55 करोड़ की आय पर जनवरी 2017 में अधिनियम की धारा 245डी (4) के तहत आयकर निपटान आयोग के आदेश को लागू करने के बाद नि.व. 2013-14 के लिए एक व्यक्ति का निर्धारण पूरा किया। आयकर संगणना फॉर्म (आईटीएनएस-150) जो एएसटी के माध्यम से सृजित नहीं था अपत्ति

मैनुअल रूप से तैयार किया गया था, की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि आय की विवरणी फाइल करने में चूक हेतु ₹ 1.34 करोड़ की राशि के ब्याज का उद्ग्रहण गलती से इस तथ्य के बावजूद किया गया कि निर्धारिती ने 30 सितम्बर 2013 की रिटर्न फाइल करने की निश्चित तिथि के प्रति 29 सितम्बर 2013 को अपनी आयकर रिटर्न भरी थी। लेखापरीक्षा एएसटी के बदले आय पर कर और ब्याज की संगणना करने के लिए मैनुअल रूप से करने के कारणों को सुनिश्चित नहीं कर पाया। चूक के फलस्वरूप अधिनियम की धारा 234ए के तहत ₹ 1.34 करोड़ के ब्याज का अधिक उद्ग्रहण हुआ। *अधिनियम की धारा 154 के तहत आयकर विभाग ने ब्याज की संगणना में चूक का सुधार किया।(जून 2017)*

4.5.1.3 प्रधान सीआईटी अलवर प्रभार, राजस्थान में एओ ने ₹ 8.64 करोड़ की आय निर्धारित करके नवम्बर 2016 में धारा 144 के साथ पठित धारा 147 के तहत नि.व 2010-11 में एक व्यक्ति का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि एओ ने निर्धारिती द्वारा बैंक में जमा की गई नकदी के कारण निर्धारिती के आय में ₹ 6.96 करोड़ की वृद्धि की थी। तथापि निर्धारिती की कुल आय की संगणना करते समय एओ ने गलती से ₹ 6.96 करोड़ की सही राशि के बदले ₹ 8.62 करोड़ की राशि स्वीकार की। चूक के फलस्वरूप ब्याज सहित ₹ 1.31 करोड़ की कर प्रभाव वाली ₹ 1.66 करोड़ आय का अधिक निर्धारण हुआ। *आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और अधिनियम की धारा 154 के तहत चूक का सुधार किया (अक्टूबर 2017)।*

4.6 निष्कर्ष

- (i) निर्धारण अधिकारियों (एओ) ने अधिनियम में प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना करते हुए निर्धारणों में त्रुटियां कीं। आय और कर की संगणना में अंकगणितीय त्रुटियों वाले गलत निर्धारणों के मामले केलकुलेटर और कम्प्यूटर के समय में मात्र त्रुटियों के रूप में स्वीकार किए जाने कठिन हैं। इसके अतिरिक्त कर और अधिभार की गलत दरों का लागू करना, ब्याज के उद्ग्रहण में त्रुटियां अधिक अथवा अनियमित प्रतिदाय आदि या तो अक्षमता अथवा गलती की और साथ ही आयकर विभाग में आंतरक नियंत्रणों में कमियों की और इंगित करते हैं जिसे सम्बोधित किए जाने की आवश्यकता है। मौजूदा संवीक्षा निर्धारण पद्धति अपारदर्शी है।

- (ii) एएसटी मॉड्यूल ब्याज राशी के मानवीय रूप से संशोधन को अनुमत करता है जिसके परिणामस्वरूप ब्याज की संगणना में गलतियां हुईं। आयकर विभाग को एएसटी के माध्यम से ब्याज की संगणना में त्रुटियों के कारणों और आईटी सिस्टम में सह-विद्यमान मानवीय रूप से किए गए संशोधनों को अनुमत करने वाले कारणों की जांच करने की आवश्यकता है। आयकर विभाग यह सुनिश्चित करे कि क्या पायी गयी अनियमितताओं के दृष्टांत की गयी त्रुटियां हैं और ऐसे मामलों में विधि के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए।
- (iii) त्रुटियों की पुनरावृत्ति के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए आयकर विभाग को ऐसी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपचारी कदम उठाने चाहिए।

अध्याय V: कृषि आय से संबंधित निर्धारणों

5.1 प्रस्तावना

संविधान का अनुच्छेद 366(1) प्रावधान करता है कि संविधान में वाक्यांश 'कृषि आय' का तात्पर्य भारतीय आय कर से संबंधित व्यवस्था के उद्देश्य हेतु यथा परिभाषित कृषि आय से है। आय कर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 2 (1क) के अनुसार 'कृषि आय' का तात्पर्य (क) भूमि, जो भारत में स्थित है और कृषि उद्देश्य हेतु उपयोग की जाती है, से प्राप्त कोई किराया या राजस्व; (ख) कृषि उत्पाद के संसाधन सहित कृषि प्रचालनों, जिससे उत्पादों को बाजार या बिक्री के लिए उपयुक्त बनाया जा सके, द्वारा ऐसी भूमि से प्राप्त कोई आय; (ग) अधिनियम में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के विषयाधीन फार्म हाऊस पर आरोप्य कोई आय और (घ) नर्सरी में उगाई गई पौध या पौधे से प्राप्त कोई आय है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(1) के अनुसार कृषि आयकर-आयकर आय को कर से छूट दी गई है। कृषि आय पर कर भारतीय संविधान के अंतर्गत 'राज्य सूची' में प्रविष्टि 46 के तहत आता है। इस प्रकार, केवल राज्य सरकारें कृषि आय के कराधान हेतु कानून बनाने में सक्षम हैं। केंद्र सरकार कृषि आय पर आय कर उद्ग्रहण नहीं कर सकती। तथापि, आय कर देयता अर्थात् व्यक्तियों की, अविभाजित हिंदु परिवारों (एचयूएफ), व्यक्तियों के संगठन (एओपी), व्यक्तियों के निकायों (बीओआई) और बनावटी न्यायिक व्यक्तियों की अन्य करयोग्य आय पर लागू कर की दर⁹¹ निर्धारित करते समय दर उद्देश्यों के लिए कृषि आय पर विचार किया जाता है। आयकर कानून के अंतर्गत छूट का दावा कृषि आय, कृषि भूमि की बिक्री से आय, कृषि भूमि के अधिग्रहण हेतु सरकार से प्राप्त क्षतिपूर्ति के रूप में अर्जित आय आदि के रूप में किया जा सकता है।

5.2 विधिक प्रारूप

अधिनियम की धारा 2(1क) में कृषि आय को परिभाषित किया गया है। वित्त अधिनियम की धारा 2(2) और 2(13) तथा भाग IV कुछ गैर-कॉर्पोरेट निर्धारितियों पर लागू आय कर की दर निर्धारित करने के उद्देश्य से निवल कृषि आय की गणना से डील करता है। धारा 10(1) किसी व्यक्ति की कुल आय की गणना में कृषि आय से छूट का प्रावधान करती है। आयकर नियमावली, 1962

⁹¹ बशर्ते निवल कृषि आय पिछले वर्ष से ₹ 5,000 बढ़ गई है और निवल कृषि आय को छोड़कर कुल आय मूल छूट सीमा से अधिक हो गई (वित्त (सं.2) अधिनियम, 2014 द्वारा पश्च संशोधित)

के नियम 7, 7क, 7ख और 8 उस आय से डील करते हैं जो आंशिक रूप से कृषि और आंशिक रूप से व्यवसाय से प्राप्त आय है।

5.3 हमने यह विषय क्यों चुना

5.3.1 तीसरे कर प्रशासन सुधार आयोग की रिपोर्ट (2014) ने टिप्पणी की कि गैर-कृषकों की कृषि आय का कर से बचने तथा धन की लूट के लिए वाहक के रूप में लगातार उपयोग किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष करोड़ों का राजस्व रिसाव हुआ। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी काले धन पर श्वेत पत्र पर रिपोर्ट (2012) में उद्धृत था कि कृषि का देश की जीडीपी में योगदान लगभग 14 प्रतिशत है।

5.3.2 चूंकि कृषि आय को आय कर अधिनियम के प्रावधानों के तहत छूट दी गई है, अतः दावे की पर्याप्त जांच के बिना आय कर उद्देश्यों हेतु कृषि आय को क्रेडिट देने से अपात्र आय पर छूट की अनुमति का जोखिम हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप सरकार को राजस्व की हानि होगी। केवल योग्य आय पर छूट की अनुमति सुनिश्चित करने के लिए कृषि आय के लेखा पर छूट के दावे हेतु जांच के लिए आयकर विभाग के लिए सुदृढ़ तंत्र की स्थापना करना आवश्यक है।

5.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि विभाग इसके नि.अ. के माध्यम से संवीक्षा निर्धारणों हेतु चयनित मामलों के कृषि आय के संबंध में दावा की गई छूटों की यथार्थता तथा सटीकता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करेगा।

5.5 लेखापरीक्षा कवरेज

इस लेखापरीक्षा में उन निर्धारितियों के नमूनों के संवीक्षा निर्धारण शामिल किए गए थे जिन्होंने वि.व. 2014-15 से वि.व. 2016-17 के दौरान समाप्त कृषि आय पर छूट का दावा किया था। लेखापरीक्षा में कवरेज अधिनियम की धारा 2(1क) में कृषि आय की परिभाषा के साथ पठित धारा 10(1) के तहत दावा की गई छूटों तक सीमित थी।

5.6 नमूना आकार

आयकर विभाग ने ₹ 5 लाख से अधिक के कृषि आय-दावों पर निर्धारण संवीक्षा के आधार पर नि.अ.-अनुसार (निर्धारण इकाई) समस्त डाटा प्रस्तुत किया जो वि.व. 2014-15 और वि.व. 2016-17 के बीच संसाधित किये गए थे। 22,195

मामलों का संवितरण जिसके संबंध में डीजीआईटी (प्रणाली) द्वारा प्रस्तुत किया गया समस्त डाटा निम्न प्रकार है:

राज्य/क्षेत्र	₹ 5 लाख से अधिक के कृषि आय दावों को शामिल करते हुए निर्धारणों की कुल संख्या
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	1,470
बिहार	145
छत्तीसगढ़	207
दिल्ली	719
गुजरात	3,196
झारखंड	44
कर्नाटक	2,886
केरल	1,418
मध्य प्रदेश	683
महाराष्ट्र	4,077
पूर्वोत्तर क्षेत्र	174
उत्तर पश्चिमी क्षेत्र ⁹²	2,405
ओडिशा	97
राजस्थान	680
तमिलनाडु	2,892
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	666
पश्चिम बंगाल	436
कुल	22,195

लेखापरीक्षा ने डीजीआईटी (प्रणाली)⁹³ के आधार पर दावेदारों की अपेक्षाकृत अधिक संख्या के साथ (प्रत्येक कमिश्नरी हेतु निर्धारण ईकार्डों में दावेदारों की संख्या को संग्रहित किया जा रहा है) 136 कमिश्नरियों का चयन किया। आयकर महानिदेशक (प्रणाली), नई दिल्ली द्वारा निर्धारितियों की सूची प्रस्तुत की जिनके द्वारा ₹ 5 लाख और अधिक की कृषि आय हेतु धारा 10(1) के तहत छूट का दावा किया गया था और जिनके संवीक्षा निर्धारण चयनित आयुक्तालय हेतु वि.व. 2014-15 से वि.व. 2016-17 के दौरान पूर्ण किये गए थे। तदनुसार, 136 आयुक्तालय से 835 इकार्डों⁹⁴ के 7,082 मामले लेखापरीक्षा में थे।

5.7 अभिलेखों का उपलब्ध न कराया जाना

7,082 अधिगृहित मामलों में से 6,778 मामलों को लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया था। अप्रस्तुत अभिलेख में अधिगृहित अभिलेखों का 4.3 प्रतिशत

⁹² उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के राज्य/केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।

⁹³ आयकर महानिदेशक (प्रणाली) नई दिल्ली

⁹⁴ 266 सर्कल और 569 वार्ड

शामिल था। अभिलेखों का अप्रस्तुतिकरण चयनित नमूनों की पूर्ण कवरेज में बाधा था।

5.8 अध्ययन परिणाम

लेखापरीक्षा के दौरान समीक्षा किए गए मामलों के संबंध में निर्धारितियों की उनकी विवरणियों के अनुसार उनकी प्रवृत्ति सहित मूल सूचना, जैसे रिटर्न आय, निर्धारित आय, दावे के अनुसार एवं अनुमत कृषि आय, भी एकत्र की गई थी। एकत्रित सूचना के विश्लेषण पर नीचे चर्चा की गई है।

5.8.1 कृषि आय का वितरण

कृषि आय के वितरण का दो की पैमानों पर अध्ययन किया गया था, दावे के अनुसार कृषि आय और अनुमति की गई कृषि आय। उक्त का राज्यों में इसके वितरण हेतु अध्ययन किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा जांच किए गए 6,778 मामलों का विवरण निम्नानुसार है:

राज्य	जांच किए गए मामलों की संख्या
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	506
बिहार	122
चंडीगढ़	129
छत्तीसगढ़	170
दिल्ली	462
गुजरात	425
हरियाणा	592
हिमाचल प्रदेश	223
जम्मू और कश्मीर	42
झारखंड	46
कर्नाटक	502
केरल	503
मध्य प्रदेश	418
महाराष्ट्र	484
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	171
ओडिशा	102
पंजाब	383
राजस्थान	200
तमिलनाडु	565
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	337
पश्चिम बंगाल	396
कुल	6,778


लेखापरीक्षित मामलों के संबंध में दावा की गई एवं अनुमति दी गई कृषि आय सहित रिटर्न आय और निर्धारित आय के वितरण निम्नानुसार है:

राज्य	रिटर्न आय	निर्धारित आय	दावा की गई कृषि आय	अनुमत कृषि आय
(₹ करोड़ में)				
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	340.67	402.80	164.95	145.76
बिहार	43.71	58.36	42.91	23.84
चंडीगढ़	29.46	42.97	23.04	22.93
छत्तीसगढ़	59.47	129.25	54.73	53.39
दिल्ली	642.62	1139.43	548.70	205.12
गुजरात	145.14	509.65	131.14	86.13
हरियाणा	157.83	232.12	144.49	143.78
हिमाचल प्रदेश	24.66	53.39	61.41	48.82
जम्मू और कश्मीर	4.16	10.39	9.71	9.71
झारखंड	47.42	76.96	9.72	9.44
कर्नाटक	115.36	138.07	141.32	134.37
केरल	180.04	233.12	271.91	264.32
मध्य प्रदेश	198.97	443.24	232.50	220.46
महाराष्ट्र	560.21	723.76	307.94	233.11
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	32.70	70.84	71.90	62.02
ओडिशा	34.64	59.38	24.79	17.03
पंजाब	67.82	716.20	571.63	116.79
राजस्थान	106.93	185.85	43.04	38.02
तमिलनाडु	734.15	876.78	224.15	217.13
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	141.18	342.99	80.10	59.14
पश्चिम बंगाल	80.22	518.45	496.17	432.89
कुल योग	3747.36	6964.00	3656.25	2544.20

5.8.2 लेखापरीक्षित मामलों के संबंध में एओ द्वारा दावा की गई और अनुमति दी गई कृषि आय के पैर श्रेणी-वार वितरण निम्नानुसार है:

निर्धारितियों के प्रकार	निर्धारितियों की संख्या	दावा की गई कृषि आय	अनुमत कृषि आय (₹ करोड़ में)
एओपी	13	4.32	4.32
बीओआई	1	0.15	0.15
कंपनी	729	2,093.82	1,161.47
फर्म	160	69.18	68.24
एचयूएफ	365	111.73	99.50
अवास्तविक न्यायिक व्यक्ति	1	14.63	14.63
स्थानीय अधिकारी	1	0.15	0.15
व्यक्ति	5,410	1,349.39	1,185.82
ट्रस्ट	10	6.55	3.63
गैर पैर मामले ⁹⁵	88	6.33	6.30
कुल योग	6,778	3,656.25	2,544.21

लेखापरीक्षित मामलों के संबंध में एओ द्वारा दावा एवं अनुमति दी गई कृषि आय का विवरण चार्ट 5.1 में दर्शाया गया था।



⁹⁵ हरियाण-52, हिमाचल प्रदेश-1, मध्य प्रदेश-1, पंजाब-33, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड-1 में निर्धारण अभिलेखों में पैर के ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे।

5.9 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

5.9.1 कृषि आय से संबंधित दावों की जांच

एओज़ को स्वयं को संतुष्ट करना अपेक्षित था कि निर्धारिती अधिनियम की धारा 2(1क) के साथ पठित धारा 10(1) के अंतर्गत दावा की गई छूट की अनुमति के पात्र थे। धारा 2(1क)(ख) प्रावधान करती है कि कृषि आय में अन्य बातों के साथ-साथ कृषि उत्पाद के संसाधन सहित कृषि प्रचालनों, उसी प्रकार से किराए के रूप में उठाए गए या प्राप्त या कृषक द्वारा सामान्यतः विनियोजित किसी प्रक्रिया या किराए के प्रापक, ताकि इसे बाजार के लिए या ऐसे उत्पाद की बिक्री के लिए उपयुक्त बनाया जा सके, द्वारा भारत में भूमि से प्राप्त कोई आय शामिल है। इस प्रवृत्ति की कृषि आय की गणना व्यापक रूप से इस प्रकार की जाएगी जैसाकि यह “कारोबार या व्यवसाय की लाभ एवं हानि” शीर्ष की अंतर्गत कर पर प्रभाय थी। दावा की गई इस छूट को निर्धारितियों द्वारा फाइल की गई आईटीआर और अनुसूची ईआई के अंतर्गत दर्शाया गया है।

विस्तृत संवीक्षा से डील करने वाले इस अधिनियम की धारा 143(3) परिकल्पना करती है कि निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य और ऐसे अन्य साक्ष्य जिनकी एओ को आवश्यकता हो, को सुनने के बाद और उसके द्वारा एकत्र की गई सभी प्रासंगिक सामग्री पर विचार करने के बाद एओ निर्धारिती की कुल आय का लिखित आदेश में निर्धारण करेगा तथा ऐसे निर्धारण के आधार पर उसके द्वारा देय राशि या उसको देय किसी राशि के प्रतिदाय को निर्धारित करेगा। इस प्रकार, एओज़ को ऐसे निर्धारण के आधार पर निर्धारिती की आय निर्धारित करने और उसके द्वारा देय/उसको प्रतिदाय कर निर्धारित करने के लिए कानून द्वारा अधिदेश दिया गया है। विवरणी के साथ संलग्न लेखों, अभिलेखों तथा दस्तावेजों के साथ विभिन्न प्रकार के दावों की संवीक्षा निर्धारणों में विस्तृत जांच करना आवश्यक है। निर्धारिती की निवल कृषि आय की गणना के उद्देश्य हेतु एओ को वही शक्तियां प्राप्त होंगी जैसाकि कुल आय के निर्धारण उद्देश्य हेतु आय कर अधिनियम के तहत उसे प्राप्त है।

इसके अलावा, कार्यालय की कार्यप्रणाली नियमपुस्तक⁹⁶ के अनुसार, धारा 143(2) के अंतर्गत या धारा 142(1) या धारा 131 के अंतर्गत निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान नोटिस जारी करके सुनवाई हेतु प्रेषित मामले के कार्यवृत्त आदेश पत्र में तारीख सहित दर्ज किए जाने चाहिए। प्रविष्ट में अन्य बातों के

⁹⁶ कार्यालय कार्यप्रणाली नियमपुस्तक, संस्करण II (तकनीकी), फरवरी 2003, पैरा 3.4.5, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, सीबीडीटी

साथ-साथ निर्धारिती की तरफ से सुनवाई में भाग लेने वाले व्यक्तियों के नाम एवं उनका व्यवसाय, प्रस्तुत दस्तावेजों (जांच किए गए और रिटर्न किए गए तथा फाइल किए गए दस्तावेजों का उल्लेख करते हुए), मांगे गए दस्तावेजों, चर्चा एवं पुनः प्रेषित मामलों, यदि कोई है⁹⁷, को शामिल किया जाना चाहिए। निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों (वापस किए जाने वाले दस्तावेजों को छोड़ कर) को अवश्य ही एमआर⁹⁸ में दर्ज किया जाना चाहिए। इस प्रकार कानून में यथा निर्धारित विस्तृत संवीक्षा में न केवल अभिलेखों की विस्तृत जांच शामिल है अपितु निर्धारण आदेश हेतु संवीक्षा किए गए दस्तावेजों आदि के उचित अभिलेख का रख-रखाव भी शामिल है।

लेखापरीक्षा ने देखा भी कृषि आय छूट दावों की संवीक्षा हेतु सीबीडीटी द्वारा कोई विशेष अनुदेश नहीं दिए गए हैं। सीआईटी बनाम आर वेंकटस्वामी नायडु⁹⁹ मामले में शीर्ष न्यायालय ने निर्णय लिया है कि यह दायित्व निर्धारिती की है जिसने इसके लिए छूट का दावा किया है। कर योग्य आय और देय कर निर्धारित करते समय एओ को कृषि आय के आधार पर दावा की गई छूट के लिए भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत करने पर बल देना चाहिए। दावे की सत्यता प्रमाणित करने हेतु प्रणाली अपनाने में विफलता के परिणामस्वरूप अधिक छूट की अनुमति और कर योग्य आय का अवनिर्धारण हुआ।

5.9.2 समर्थक दस्तोवजों की जांच के बिना छूट

चयनित मामलों में संवीक्षा निर्धारणों की समीक्षा ने दर्शाया कि जैसे नीचे तालिका में दर्शाया गया है 6,778 संवीक्षा निर्धारणों में से 1527 (22.5 प्रतिशत) में कृषि आय के आधार पर छूट के दावों की अनुमति समर्थक दस्तावेजों जैसे भूमि अभिलेख, आय एवं व्यक्त विवरण, फसल सूचना, कृषि आय और व्यय के प्रमाण जैसे खाता बही, बिल, बीजक आदि की जांच किए बिना दी गई थी या निर्धारिती द्वारा दावा की गई कृषि आय के समर्थन में दावे की सत्यता प्रमाणित करने के लिए कोई दस्तावेजी प्रमाण निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था जैसे नीचे तालिका बद्ध किया गया है (तालिका 5.1)।

⁹⁷ एओ, निर्धारिती और/या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।

⁹⁸ एमआर - विविध अभिलेख

⁹⁹ (1956) 29 आईटीआर 529 (एससी)

तालिका 5.1: कृषि आय दावे का दस्तावेजीकरण एवं जांच				
राज्य/क्षेत्र	लेखापरीक्षा में जांच किए गए मामलों की कुल संख्या	मामलों की संख्या जहां एओ द्वारा किया गया दस्तावेजीकरण एवं जांच अपर्याप्त थी	कॉलम 3 में से मामलों की संख्या जहां भूमि अभिलेख उपलब्ध नहीं थे	कॉलम 3 में से मामलों की संख्या जहां कृषि आय और व्यय के प्रमाण जैसे खाता बही, बिल, बीजक आदि के अभिलेख संलग्न नहीं थे
कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3	कॉलम 4	कॉलम 5
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	506	164	0	164
बिहार	122	14	7	7
छत्तीसगढ़	170	28	28	28
दिल्ली	462	52	28	36
गुजरात	425	44	40	39
झारखंड	46	13	13	13
कर्नाटक	502	229	104	157
केरल	503	57	43	40
मध्य प्रदेश	418	47	47	45
महाराष्ट्र	484	303	97	281
उत्तर पश्चिमी क्षेत्र	1,369	126	49	66
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	171	8	2	6
ओडिशा	102	35	23	30
राजस्थान	200	56	39	50
तमिलनाडु	565	286	152	264
पश्चिम बंगाल	396	26	13	5
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	337	39	31	39
कुल	6,778	1,527	716	1,270

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख

यह देखा गया कि 1527 मामलों में एओ द्वारा प्रलेखन एवं जांच अपर्याप्त थी, 716 मामलों (10.6 प्रतिशत) में भूमि अभिलेख उपलब्ध नहीं थे और 1270 मामलों (18.7 प्रतिशत) में कृषि आय और व्यय के प्रमाण जैसे खाता बही, बिल, बीजक आदि उपलब्ध नहीं थे। अतः यह स्पष्ट नहीं था कि एओ यह कैसे सुनिश्चित कर रहे थे कि छूट केवल योग्य निर्धारितियों को दी गई थी और यह कि निर्धारितियों के दावे प्रमाणिक है।

लेखापरीक्षा ने ऐसे मामले देखे जहां कृषि आय के आधार पर छूट की अनुमति कृषि आय अर्जित करने पर किए गए व्यय का लेखा/जाँच किए बिना दी गई

थी, जो ग्राम प्रशासन/प्रशासन अधिकारी के प्रमाण पत्र, मंडी समीति के प्रमाण-पत्र आदि जैसे दस्तावेजों, जिन से संबंधित सीबीडीटी अनुदेशों के बिना इन पर विश्वास करना विवाद का विषय है, के आधार पर कृषि आय के रूप में वित्तीय प्रणाली में बेहिसाबी आय/काले धन को लाने का संभावित अबाधित मार्ग भी हो सकता है। लेखापरीक्षा ने ऐसे मामले देखे जहां कृषि भूमि से प्राप्त किराए या राजस्व को अभिलेखों की उचित जांच के बिना छूट की अनुमति दी गई थी। लेखापरीक्षा ने ऐसे मामले भी देखे जिनमें विभिन्न निर्धारण वर्षों के संबंध में तर्कहीन ढंग से छूट की अनुमति दी गई थी। इस प्रकार, निर्धारिती का कृषि भूमि के स्वामित्व/अधिकार, कृषि की लागत, निर्धारिती की रोकड़ पुस्तक और/या बैंक विवरण, निर्धारिती द्वारा दावा न की गई प्राप्तियों एवं व्यय के ब्यौरों की जांच के बिना कृषि आय हेतु छूट की अनुमति दी गई थी। अधिनियम की धारा 143(3) और कार्यालय कार्यप्रणाली की नियमपुस्तक, संस्करण II के पैरा 3.4.5 में परिकल्पित प्रावधान के बावजूद न तो निर्धारण आदेश और न ही आदेश पत्र में यह दर्शाया गया कि उपरोक्त संदर्भित ऐसे दस्तावेजों/डाटा या अन्य दस्तावेजों पर पर्याप्त विश्वास किया गया था जो प्रत्येक मामले में एओ द्वारा प्राप्त संतुष्टि के बारे में आश्वासन प्रदान कर सकता था। ऐसी विसंगतियों सहित छूट की अनुमति दिए गए बारह मामलों पर नीचे चर्चा की गई है:

**(क) प्रभार: प्र. सीआईटी, कोट्टायम; नि.व. 2012-13;
अनुमत कृषि आय: ₹ 39 लाख**

एओ ने 15 एकड़ में कॉफी और 20 एकड़ में काली मिर्च सहित 60 एकड़ भूमि में उगाई गई रबड़, ईलाइची, कॉफी, काली मिर्च से अर्जित कृषि आय के प्रति नि.व. 2012-13 के लिए निर्धारिती को ₹ 39 लाख की छूट दी थी (फरवरी 2015)। निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2011-12 के लिए आय विवरण के अनुसार निर्धारिती के पास 60 एकड़ भूमि थी जिसके प्रति निर्धारिती ने कृषि आय का दावा किया था। तथापि, निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत संपत्ति ब्यौरों के अनुसार निर्धारिती के पास कॉफी हेतु केवल 8.88 एकड़ और काली मिर्च हेतु 9.17 एकड़ भूमि थी जिसका छूट अनुमति से पूर्व मिलान किया जाना था। संवीक्षा निर्धारण आदेश में संपत्ति ब्यौरों में विसंगति या आय विवरण के अनुसार ब्यौरों पर विचार हेतु स्पष्टीकरण का उल्लेख नहीं किया गया था। ऐसे ब्यौरों के अभाव में, लेखापरीक्षा छूट की अनुमति की सटीकता की पुष्टि नहीं कर सका। आयकर विभाग ने उत्तर दिया कि यह इस मामले की जांच-पड़ताल करेगा (मार्च 2018)।

(ख) प्रभार: प्र. सीआईटी-1, मदुरई, तमिलनाडु; नि.व. 2012-13;
अनुमत कृषि आय: ₹ 68.16 लाख;

निर्धारिती ने नारियल, सहजन, मिर्च, मक्का और कनवल्ली के बीज से अर्जित कृषि आय के प्रति नि.व. 2012-13 के लिए ₹ 68.16 लाख की छूट का दावा किया और उसे छूट अनुमति दी गई (मार्च 2015)। संवीक्षा निर्धारण आदेश के अनुसार कृषि आय की खाता बहियों का सत्यापन एवं जांच की गई थी। ब्यौरे मांगे गए और इन पर चर्चा की गई तथा निर्धारिती द्वारा रिटर्न कृषि आय स्वीकार कर ली गई। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि यद्यपि निर्धारिती ने कनवल्ली के बीजों की खेती से 85 प्रतिशत से अधिक आय प्राप्त की थी, फिर भी ब्यौरे जैसे कुल भूमि क्षेत्र जिस पर कनवल्ली के बीजों का उत्पादन हुआ था, प्राप्त प्रति एकड़ आदि, अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा अदंगल लेखा, पट्टा आदि जैसे दस्तावेज/सूचना भी अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। चूँकि जांच किए गए अभिलेखों के ब्यौरों का निर्धारण आदेश में उल्लेख नहीं था यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या कनवल्ली के बीजों की बिक्री से प्राप्त कृषि आय का एओ द्वारा सत्यापन किया गया था। ऐसे ब्यौरों के अभाव में लेखापरीक्षा छूट की अनुमति की सटीकता की पुष्टि नहीं कर सका। आयकर विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2018)।

(ग) प्रभार: प्र. सीआईटी-1, मदुरई, तमिलनाडु;
नि.व. 2012-13, 2013-14 और 2014-15
अनुमत कृषि आय: ₹ 25.38 लाख; ₹ 25.38 लाख; ₹ 25.48 लाख;

निर्धारिती ने समर्थक दस्तावेजों जैसे बिक्री बीजकों, कृषि व्ययों, भूमि उपयोग हेतु भूमि स्वामित्व/अधिकार और उगाई गई फसलों, कृषि क्षेत्र जैसे डाटा प्राप्त एवं इन्हे सत्यापित किए बिना कृषि आय के प्रति नि.व. 2012-13, 2013-14, 2014-15 के लिए क्रमशः ₹ 25.38 लाख, ₹ 25.38 लाख और ₹ 25.48 लाख की छूट का दावा किया और उसे इसकी अनुमति दी गई (मार्च 2015, मार्च 2016 और दिसम्बर 2016)। नि.व. 2012-13 और 2013-14 के संवीक्षा निर्धारण आदेश के अनुसार कृषि कार्यकलापों और भूमि धारण के ब्यौरों का सत्यापन एवं जांच की गई थी तथा कृषि आय दावों को रिटर्न्ड के रूप में स्वीकार किया गया था। हालांकि, दस्तावेज ब्यौरे अर्थात् भूमि दस्तावेज, अदंगल, पट्टा, बिक्री, बीजक आदि को दोनों वर्षों के निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं पाया गया था। इसके अलावा, नि.व. 2014-15 के संवीक्षा निर्धारण आदेश में एओ ने उल्लेख किया कि ब्यौरें मांगे गए थे तथा इनकी जांच की गई थी हालांकि, दस्तावेजी साक्ष्य निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं पाए गए थे। ऐसे ब्यौरों के अभाव

में लेखापरीक्षा छूट की अनुमति की परिशुद्धता की पुष्टि नहीं कर सका। आयकर विभाग ने उत्तर दिया कि यह मामले की जांच पड़ताल करेगा (मई 2018)।

(घ) प्रभार: प्र. सीआईटी-4, कोलकाता, पश्चिम बंगाल; नि.व. 2012-13

अनुमत कृषि आय: ₹ 1.90 करोड़;

एओ ने कृषि आय और व्यय के विवरण के अलावा निर्धारिती से कोई अभिलेख प्राप्त किए बिना और कृषि आय की परिशुद्धता और यथार्थता का सत्यापन किए बिना कृषि आय के प्रति ₹ 1.90 करोड़ की छूट की अनुमति दी थी (मार्च 2015)। हालांकि, धारा 142(1) के अंतर्गत जारी नोटिस (नवम्बर 2014) के माध्यम से स्पष्टीकरण एवं साक्ष्य सहित निर्धारिती द्वारा दावा की गई विभिन्न कटौतियों और छूटों के ब्यौरे मांगे गए थे फिर भी संवीक्षा निर्धारण आदेश में कृषि आय के आधार पर अनुमत दावे का कोई संदर्भ नहीं था। इसके अलावा, निर्धारिती को आईटीएनएस-150 में अनुमत दावे की पुष्टि करने हेतु अभिलेखों में कोई समर्थक दस्तावेज नहीं था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से आगे पता चला कि निर्धारिती के नि.व. 2013-14 के लिए ₹ 2.19 करोड़ (मार्च 2016) और नि.व. 2014-15 के लिए ₹ 7.20 करोड़ (दिसम्बर 2016) की छूट के दावे को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि निर्धारिती कृषि भूमि के धारण के लिए साक्ष्य, कृषि उत्पाद की बिक्री और कृषि व्ययों के ब्यौरे प्रस्तुत करने में विफल रहा। नि.व. 2012-13 के लिए ब्यौरों के अभाव में लेखापरीक्षा छूट की अनुमति की परिशुद्धता की पुष्टि नहीं कर सका।

(ङ) प्रभार: प्र. सीआईटी, मुज्जफरपुर, बिहार; नि.व. 2014-15

अनुमत कृषि आय: ₹ 1.60 करोड़;

एओ ने कृषि आय के आधार पर निर्धारिती द्वारा किए गए दावे को स्वीकारते हुए कृषि आय के प्रति ₹ 1.60 करोड़ की छूट की अनुमति (अगस्त 2016) दी थी। निर्धारण आदेश में टिप्पणियों के अनुसार, “नि.व. 2014-15 से संबंधित वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान निर्धारिती को कृषि आय की बड़ी राशि प्राप्त हुई थी। कृषि आय की प्रमाणिकता की निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान जांच नहीं की गई थी क्योंकि पिछले वर्ष में नि.व. 2006-07 से 2011-12 के निर्धारिती के मामले को कृषि आय की प्रमाणिकता और यह विश्वास करने के कारण, कि कर पर प्रभार्य आय निर्धारण से बच गई थी, की जांच करने के लिए धारा 147 के तहत दुबारा खोला गया था। विभिन्न वर्षों के लिए धारा 147 के अंतर्गत निर्धारण उपयुक्त जांच के पश्चात पूरा हुआ था और निर्धारिती की कृषि आय को स्वीकार कर लिया गया था।” एओ ने निष्कर्ष निकाला कि निर्धारिती के

पास पिछले वर्षों के संशोधित निर्धारण के आधार पर ऐसी बड़ी कृषि आय निकालने के लिए प्रमाणयोग्य स्रोत था। उसी रूप में नि.व. 2014-15 के लिए छूट की अनुमति ब्यौरे, जैसे भूमि उपयोग, कृषि उत्पाद के संव्यवहार ब्यौरो, बीजों, उर्वरकों की खरीद, कृषि कार्यकलापों में उपयोग किए गए श्रमबल/मशीनरी, प्राप्त एवं इनकी जांच किए बिना दी गई थी। नि.व. 2014-15 के संबंध में ऐसे ब्यौरों के अभाव में लेखापरीक्षा छूट की अनुमति की परिशुद्धता की पुष्टि नहीं कर सका।

(च) प्रभार: प्र. सीआईटी, कटक, ओडिशा; नि.व. 2008-09

अनुमत कृषि आय: ₹ 1.47 करोड़;

आईटीओ, कुल्लु वार्ड की रिपोर्ट के आधार पर निर्धारिती के मामले को दुबारा खोला गया (मार्च 2016) कि नि.व. 2008-09 से संबंधित पिछले वर्ष के दौरान निर्धारिती ने कोई कृषि संबंधी कार्यकलाप नहीं किए थे। पुनः निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान निर्धारिती ने दावा किया कि उसने कुल्लु जिला में पट्टे पर छः एकड़ भूमि अधिगृहित की थी जहां सेब उगाए थे तथा सोलन जिला में अन्य 32 एकड़ जहां टमाटर, प्याज, आलू और शिमला मिर्च उगाए गए थे। निर्धारिती ने आगे बताया कि उसने कृषि उत्पाद तथा बीजों, कीटनाशकों, उर्वरकों आदि की खरीद पर किए गए व्यय के बारे में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए थे। तथापि, एओ ने निम्नलिखित कारण (क) निर्धारिती ने एचपी कृषि बोर्ड, शिमला की मंडी रसीद के अलावा कोई प्रमाणित साक्ष्य नहीं दिया था (ख) नि.व. 2009-10 की निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान ₹ 5 लाख की तदर्थ अननुमति की पुष्टि करते समय सीआईटी (अपील) ने इस तथ्य का उल्लेख किया कि निर्धारिती ने सेब जैसे कृषि उत्पादों की बिक्री के संबंध में मंडी समिति द्वारा जारी प्रमाण-पत्र सहित पट्टा करार की प्रतियां प्रस्तुत की थी, बताते हुए जाली आय के रूप में ₹ 16 लाख की सीमा तक कृषि आय के हिस्से की अननुमति के पश्चात कृषि आय के प्रति नि.व. 2008-09 के लिए ₹ 163.10 लाख के निर्धारिती के दावे के प्रति ₹ 147.10 लाख की छूट अनुमत की थी।

निर्धारण आदेश के अनुसार निर्धारिती ने पिछले नि.व. अर्थात् नि.व. 2007-08 के लिए मंडी रसीद प्रस्तुत की थी। इससे पता चला कि निर्धारिती ने नि.व. 2007-08 के दौरान किसी कृषि आय का दावा नहीं किया था और नि.व. 2009-10 के लिए ₹ 40 लाख की कृषि आय के समस्त दावे को धारा 143(3) के तहत निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान अनुमति नहीं दी गई थी। तत्पश्चात, सीआईटी (अपील) ने नि.व. 2009-10 की कृषि आय से केवल ₹ 5 लाख की अनुमति नहीं दी थी। इसके अलावा, नि.व. 2010-11 से 2014-15

की कृषि आय (क्रमशः ₹ 37.05 लाख, ₹ 76.77 लाख, ₹ 57.26 लाख, ₹ 36.96 लाख तथा ₹ 40.26 लाख) के लिए निर्धारिती के छूट के दावे को अनुमति नहीं दी गई थी क्योंकि निर्धारिती उसके दावे को प्रमाणित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा। नि.व. 2008-09 के ऐसे ब्यौरों के अभाव में लेखापरीक्षा छूट की अनुमति की परिशुद्धता की पुष्टि नहीं कर सका था।

**(छ) प्रभार: प्र. सीआईटी, कोझीकोड, केरल; नि.व. 2012-13 से 2015-16;
अनुमत कृषि आय: ₹ 23.50 लाख; ₹ 22.03 लाख; ₹ 22.51 लाख
और ₹ 23.01 लाख**

निर्धारिती ने नि.व. 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए मूल विवरणियों में क्रमशः ₹ 0.48 लाख, ₹ 4.03 लाख और ₹ 15.51 लाख के पिछले दावे के प्रति धारा 133ए के अंतर्गत सर्वेक्षण करने के बाद धारा 148 के तहत जारी नोटिस के प्रति दर्ज की गई विवरणी में कृषि आय के आधार पर ₹ 23.50 लाख, ₹ 22.03 लाख और ₹ 22.51 लाख की छूट का संशोधित दावा प्रस्तुत किया था। इस प्रकार, सर्वेक्षण के दौरान अतिरिक्त आय का प्रस्ताव रखा गया था जिस पर विवरणी की फाइलिंग के समय पर निर्धारिती द्वारा विचार नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती द्वारा दावा किए गए सभी चार निर्धारण वर्षों में छूट की अनुमति (दिसम्बर 2015 - 3 नि.व. और दिसम्बर 2016) दी गई थी जिसके लिए निर्धारण अभिलेखों में कोई दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद नहीं थे। ऐसे ब्यौरों के अभाव में लेखापरीक्षा छूट की अनुमति की परिशुद्धता की पुष्टि नहीं कर सका था। आयकर विभाग ने उत्तर दिया कि यह मामले की जांच करेगा (अप्रैल 2018)।

**(ज) प्रभार: प्र. सीआईटी, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना;
नि.व. 2014-15; अनुमत कृषि आय: ₹ 32.46 लाख**

निर्धारिती ने भूमि अभिलेखों की प्रति तथा क्षेत्राधिकारी तहसीलदार द्वारा सादे कागज पर जारी इस प्रमाण-पत्र, कि निर्धारिती के पास भूमि का स्वामित्व था और वह केले के बागानों की खेती करता था जो प्रति एकड़ ₹ 1.25 लाख से ₹ 1.50 लाख के बीच वार्षिक आय देगी, के आधार पर केले के बागानों की खेती से अर्जित कृषि आय के प्रति ₹ 32.46 लाख की छूट का दावा किया था और उसे इसकी अनुमति दी गई थी (दिसम्बर 2016)। कृषि आय की जांच हेतु सीमित संवीक्षा हेतु निर्धारिती के मामले को लेने के बावजूद कृषि आय का विवरण भी उपलब्ध नहीं पाया गया जिससे पता चलता कि ₹ 32.46 लाख की निवल कृषि आय पर कैसे पहुँचा गया था। निर्धारण आदेश में की गई टिप्पणियों

के अनुसार निर्धारिती मूल रूप से कृषक था और केले उगा रहा था। निर्धारिती ने कृषि आय के समर्थन में पट्टादार पास बुक प्रस्तुत की थी। सभी सूचनाओं को अभिलिखित कर लिया गया था। तथापि, दावा की गई कृषि आय के समर्थन में विस्तृत दस्तावेजीकरण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। ऐसे ब्यौरों के अभाव में लेखापरीक्षा छूट की अनुमति की सटीकता की पुष्टि नहीं कर सका था। आयकर विभाग ने उत्तर दिया (मार्च 2018) कि दस्तावेज प्राप्त करने के लिए भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा।

(झ) प्रभार: प्र. सीआईटी-6, बेंगलुरु, कर्नाटक; नि.व. 2013-14;

अनुमत कृषि आय: ₹ 85.60 लाख

एओ ने कृषि उत्पाद की बिक्री प्राप्तियों में से निर्धारिती द्वारा बैंक में कराए गए नकद जमा की जांच किए बिना कृषि आय के प्रति ₹ 85.60 लाख की छूट की अनुमति दी थी (मार्च 2016)। निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान नकद प्रवाह विवरण में कृषि आय (अर्थात्) ₹ 95.05 लाख और आय गणना के विवरण (अर्थात्) ₹ 85.60 लाख में निर्धारिती के कृषि आय के दावे के बीच के अंतर की ₹ 9.45 लाख की राशि को अस्पष्ट आय माना गया था। अधिनियम की धारा 143(2) के तहत जारी नोटिस (मार्च 2016) पर दिए गए उत्तर में निर्धारिती के प्रस्तुतिकरण (मार्च 2016) के अनुसार कृषि उत्पाद की बिक्री के आधार पर बैंक में किया गया नकद जमा ₹ 2.56 करोड़ था जो ₹ 85.60 लाख की घोषित कृषि आय से काफी अधिक था। तथापि, निर्धारिती के प्रस्तुतिकरण के अनुसार नकद जमा के ब्यौरों पर संवीक्षा निर्धारण आदेश में न तो विचार किया गया और न ही चर्चा की गई। निर्धारिती के प्रस्तुतिकरण कृषि आय और व्यय विवरण के अनुसार बैंक जमा की जांच करने में चूक के परिणामस्वरूप न केवल छूट की गलत अनुमति दी गई अपितु 'अन्य स्रोतों से आय' का अवनिर्धारण भी हुआ।

(ण) प्रभार: प्र. सीआईटी-6, बेंगलुरु, कर्नाटक; नि.व. 2014-15;

अनुमत कृषि आय: ₹ 63.43 लाख

इस मामले में वाउचरों/बीजकों के अप्रस्तुतिकरण के लिए आठ प्रतिशत कृषि आय की अननुमति के पश्चात ₹ 36.48 लाख पर आय और ₹ 63.43 लाख की कृषि आय के निर्धारण द्वारा संवीक्षा निर्धारण का निष्कर्ष निकाला गया था। यह देखा गया कि 01 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 के दौरान गणना के अनुसार निर्धारिती को ₹ 68.95 लाख की कृषि आय प्राप्त हुई थी जबकि रोकड़ बही के अनुसार कृषि आय ₹ 4.50 लाख ही थी जिससे पता चला कि ₹ 64.45 लाख की अंतर राशि अन्य स्रोतों से आय से संबंधित है। अन्य स्रोतों

से प्राप्त आय के रूप में इस पर कर लगाने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 58.93 लाख (₹ 64.45 लाख - 143(3) आदेश में अननुमत ₹ 5.52 लाख) तक कम आय गणना हुई जिसका कर प्रभाव ₹ 24.22 लाख है।

(ट) प्रभार: प्र. सीआईटी, मैसूर, कर्नाटक; नि.व. 2014-15;

अनुमत कृषि आय: ₹ 9.99 लाख

निर्धारिती ने कृषि आय के प्रति ₹ 9.99 लाख की छूट का दावा किया और उसे इसकी अनुमति प्राप्त हुई (अगस्त 2016)। निर्धारिती के पूंजीगत लेखा से यह देखा गया कि उसे कृषि भूमि के हस्तांतरण पर ₹ 116.27 लाख मिले थे जबकि परिसंपत्ति सूची में किसी कृषि भूमि को बिका हुआ नहीं दर्शाया गया था उससे संकेत मिलता है कि अन्य कार्यकलापों से प्राप्त आय को कृषि आय माना गया तथा छूट की गलत अनुमति दी गई थी। आय को अन्य स्रोतों से प्राप्त आय माना गया और कर लगाया गया। ऐसा करने में चूक के परिणामस्वरूप ₹ 35,92,786 के कर प्रभाव सहित आय की कम गणना हुई।

(ठ) प्रभार: प्र. सीआईटी, रायपुर, छत्तीसगढ़; नि.व. 2012-13;

अनुमत कृषि आय: ₹ 109.06 लाख

निर्धारिती ने कृषि भूमि के हस्तांतरण पर अर्जित लाभ के प्रति ₹ 109.06 लाख (बिक्री प्रतिफल ₹ 110.65 लाख घटा अधिग्रहण की लागत ₹ 1.59 लाख) की छूट का दावा किया और इसकी अनुमति दी गई (मार्च 2015)। निर्धारण अभिलेखों में धारा 2 (1ए) के अंतर्गत व्याख्या 1 में अनुबंधित शर्तों की पूर्णता के समर्थन में न तो दस्तावेज उपलब्ध थे और न ही निर्धारण आदेश में इस पर चर्चा की गई थी। ऐसे ब्यौरों के अभाव में लेखापरीक्षा छूट की अनुमति की परिशुद्धता की पुष्टि नहीं कर सका।

जबकि नमूना तौर पर 6,778 मामलों की नमूना जांच के आधार पर 1,527 मामलों (22.5 प्रतिशत) में अपर्याप्त जांच अथवा अधूरे प्रलेखन के आधार पर कृषि आय दावों की छूट का अनुमत करना बताया गया है, आयकर विभाग को सभी कमिशनरियों में आंतरिक रूप से उन सभी मामलों में जांच करने की आवश्यकता है जहां कृषि आय ₹ 10 लाख या अधिक जैसे एक निश्चित सीमा से ऊपर की हो, ताकि उपयुक्त दस्तावेजों की जांच के आधार पर केवल पात्र निर्धारितियों को छूट अनुमत की जा सकें।

5.9.2.1 दावा किये गये 1,527 मामलों के संबंध में और अनुमत कृषि आय के संवितरण का आगे विश्लेषण किया गया जहां राज्य वार, जांच अपर्याप्त थी/ प्रलेखन संतोषजनक नहीं था, जो निम्न प्रकार है:

राज्य/क्षेत्र	मामलों की संख्या जिनकी जांच अपर्याप्त थी	दावा की गई कृषि आय (₹ करोड़ में)	अनुमत कृषि आय (₹ करोड़ में)
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	164	18.09	17.85
बिहार	14	3.20	3.11
चंडीगढ़	1	0.20	0.20
छत्तीसगढ़	28	8.50	8.44
दिल्ली	52	39.10	39.11
गुजरात	44	7.73	7.66
हरियाणा	63	19.18	18.80
हिमाचल प्रदेश	18	10.05	7.15
जम्मू और कश्मीर	21	6.14	6.14
झारखंड	13	2.08	1.79
कर्नाटक	229	65.75	62.03
केरल	57	30.11	29.51
मध्य प्रदेश	47	7.49	7.43
महाराष्ट्र	303	194.44	156.01
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	8	1.87	1.87
ओडिशा	35	8.26	7.95
पंजाब	23	212.77	4.64
राजस्थान	56	11.29	11.28
तमिलनाडु	286	90.81	88.16
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	39	3.37	3.35
पश्चिम बंगाल	26	17.62	17.50
कुल योग	1,527	758.06	499.99

इसके अतिरिक्त, दावा किये गए 1,527 मामलों के संबंध में दावे के अनुसार निर्धारण अनुसार कृषि आय, निम्न प्रकार है:

निर्धारिती का प्रकार	दावाकृत कृषि आय (₹ करोड़ में)	अनुमत कृषि आय (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या
एओपी	1.44	1.44	4
कंपनी	434.28	194.24	142
फर्म	12.75	12.63	28
एचयूएफ	16.31	15.98	56
व्यक्ति	292.05	274.51	1,292
न्यास	0.73	0.73	1
गैर-पेन	0.50	0.47	4
कुल योग	758.06	499.99	1,527

आगे यह देखा गया कि 1527 मामलों में, से 1046 मामलों (68.5 प्रतिशत) में कृषि आय का दावा फार्म आईटीआर-4¹⁰⁰ में किया गया था जिसमें ₹ 222.91 करोड़ के दावे¹⁰¹ के प्रति कृषि आय के आधार पर ₹ 210.19 करोड़ की छूट अनुमति दी गई थी। आईटीआर-4 का सर्वाधिक उपयोग दर्शाता है कि कृषि आय का व्यापक रूप से दावा किया गया एवं इस पर अनुमति दी गई जहां कारबार तथा व्यवसाय से आनुमानिक आय शामिल है। आयकर विभाग को संवीक्षा के अंतर्गत चयनित मामलों में विशेष रूप से आईटीआर-4 के माध्यम से किए गए दावों की संपूर्ण जांच सुनिश्चित करनी चाहिए।

5.9.3 आयकर विभाग के डाटाबेस में कृषि आय को गलत रूप से दर्शाना

लेखापरीक्षा ने ऐसे मामले देखे जहां निर्धारण आदेश में अनुमत छूटों की तुलना में आयकर विभाग डाटा में दर्शाई गई छूटों के बीच मेल नहीं था। संवीक्षा निर्धारणों के दौरान कृषि आय अनुमत छूट को आयकर विभाग के डाटाबेस में उचित रूप से नहीं दर्शाया गया था। आयकर विभाग में कृषि आय को निर्धारितियों द्वारा रिटर्न्ड के रूप में दर्शाया जाता रहा या उन मामलों में असंगत आकड़े दर्शाए गए जहां अनुमत कृषि आय निर्धारिती के दावे से भिन्न थी। नौ राज्यों में लेखापरीक्षा में नमूना जांच किए गए 3,133 मामलों¹⁰² में से 48 मामलों [(बिहार (02), झारखंड (02), कर्नाटक (12), केरल (07), राजस्थान (01), पश्चिम बंगाल (06), तमिलनाडु (09), उत्तर प्रदेश (04), नई दिल्ली (05)] में त्रुटियां देखी गई थी जिसे निम्नलिखित तालिका 5.2 में दिया गया है:

तालिका 5.2 : आयकर विभाग डाटा बेस में कृषि आय गलत रूप से दर्शाया गया

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	राज्य	पूर्ण यूनिट ब्यौरों के साथ पीसीआईटी यूनिट	नि.व.	रिटर्न्ड आय	निर्धारण के पश्चात कृषि आय	डाटाबेस में दर्शाई गई कृषि आय
1	बिहार	पीसीसीआईटी, पटना / आईटीओ वार्ड 2 (1) मुजफ्फरपुर	2012-13	14.49	0	14.49
2	बिहार	पीसीसीआईटी, पटना / एसीआईटी सर्कल -1 मुजफ्फरपुर	2014-15	22.03	6.14	22.03

¹⁰⁰ आईटीआर-4 कारोंबार एवं व्यवसाय से अनुमानित आय हेतु लागू आय विवरणी है।

¹⁰¹ आईटीआर-4 को सर्वाधिक कृषि आय के संबंध में छूट दावे हेतु विवरणी फाइल करने हेतु प्रयोग किया गया था क्योंकि नमूने 6780 मामलों (अनुमत कृषि आय- ₹ 2545.16 करोड़ और दावा की गई कृषि आय - ₹ 3657.30 करोड़) में से 3643 निर्धारितियों (अनुमत कृषि आय - ₹ 695.44 करोड़ तथा दावा की गई कृषि आय ₹ 787.01 करोड़) ने आईटीआर-4 फार्म में आय की उनकी विवरणी फाइल की थी।

¹⁰² बिहार-122, झारखंड-46, कर्नाटक-502, केरला-503, राजस्थान-200, पश्चिम बंगाल-396, तमिलनाडु-565, उत्तर प्रदेश-337, नई दिल्ली-462

क्र. सं.	राज्य	पूर्ण यूनिट ब्यौरों के साथ पीसीआईटी यूनिट	नि.व.	रिटर्न्ड आय	निर्धारण के पश्चात कृषि आय	डाटाबेस में दर्शाई गई कृषि आय
3	झारखंड	पीसीसीआईटी - पटना, सर्कल- 1, रांची	2015-16	23.62	0	23.62
4	झारखंड	पीसीसीआईटी - पटना, आईटीओ वार्ड 3 (1), रांची	2015-16	48.2	0	20.9
5	कर्नाटक	पीसीसीआईटी -6- सीआईटी -6-आईटीओ वार्ड 6 (3) (4)	2014-15	24.51	22.05	24.51
6	कर्नाटक	पीसीसीआईटी -6- सीआईटी -6-डीसीआईटी सर्कल 6 (3) (1)	2014-15	8.74	4.37	8.74
7	कर्नाटक	पीसीसीआईटी -6- सीआईटी -6-आईटीओ वार्ड 6 (2) (1)	2013-14	9.7	6.7	9.7
8	कर्नाटक	पीसीसीआईटी -6- सीआईटी -6-आईटीओ वार्ड 6 (2) (1)	2013-14	25.96	20.77	23.95
9	कर्नाटक	पीसीसीआईटी -6- सीआईटी -6-आईटीओ वार्ड 6 (2) (1)	2014-15	21.74	19.24	21.74
10	कर्नाटक	पीसीसीआईटी -6- सीआईटी -6-आईटीओ वार्ड 6 (2) (1)	2014-15	13	11	13
11	कर्नाटक	पीसीसीआईटी -6- सीआईटी -6-आईटीओ वार्ड 6 (2) (1)	2014-15	8	6.4	8
12	कर्नाटक	पीसीसीआईटी -6- सीआईटी -6-आईटीओ वार्ड 6 (2) (1)	2014-15	27.78	22.22	27.78
13	कर्नाटक	पीसीसीआईटी -6- सीआईटी -6-आईटीओ वार्ड 6 (2) (1)	2014-15	20.16	18.14	20.16
14	कर्नाटक	पीसीसीआईटी -6- सीआईटी -6-आईटीओ वार्ड 6 (2) (1)	2014-15	34.63	33.13	34.63

2019 की प्रतिवेदन संख्या 9 (प्रत्यक्ष कर)

क्र. सं.	राज्य	पूर्ण यूनिट ब्यौरों के साथ पीसीआईटी यूनिट	नि.व.	रिटर्न्ड आय	निर्धारण के पश्चात कृषि आय	डाटाबेस में दर्शाई गई कृषि आय
15	कर्नाटक	पीसीसीआईटी -6- सीआईटी -6- डीसीआईटी सर्कल 6 (2) (1)	2014-15	159.4	144.4	159.4
16	कर्नाटक	पीसीसीआईटी -6- सीआईटी -6-आईटीओ वार्ड 6 (3) (2)	2014-15	32.96	32.96	11.02
17	केरल	पीसीआईटी, कोझीकोड, आईटीओ वार्ड 2, कलपेट्टा	2014-15	450.60	435.60	450.60
18	केरल	पीसीआईटी, कोच्चि, एसीआईटी नॉन कॉर्प सर्कल 1 (1), कोच्चि	2014-15	21.35	16.00	21.35
19	केरल	पीसीआईटी, कोझीकोड, एसीआईटी, सर्कल 1 (1), कोझीकोड	2013-14	20.83	18.20	20.83
20	केरल	पीसीआईटी, कोझीकोड, एसीआईटी, सर्कल 1 (1), कोझीकोड	2012-13	25.91	20.91	25.91
21	केरल	पीसीआईटी, कोझीकोड, एसीआईटी, सर्कल 1 (1), कोझीकोड	2012-13	38.37	13.37	38.37
22	केरल	पीसीआईटी, कोझीकोड, एसीआईटी, सर्कल 1, कन्नूर	2012-13	21.80	11.80	21.80
23	केरल	पीसीआईटी, कोझीकोड, आईटीओ वार्ड 2, कलपेट्टा	2014-15	59.46	54.46	59.46
24	नई दिल्ली	नई दिल्ली, पीसीसीआईटी -7, वार्ड 61 (1)	2014-15	23	0	23
25	नई दिल्ली	नई दिल्ली, पीसीसीआईटी -4, वार्ड 33 (2)	2013-14	15.63	0	15.63
26	नई दिल्ली	नई दिल्ली, पीसीसीआईटी -7, वार्ड 61 (1)	2014-15	35.09	0	35.09
27	नई दिल्ली	नई दिल्ली, सर्कल 27 (1)	2014-15	20.65	0	20.65

क्र. सं.	राज्य	पूर्ण यूनिट ब्यौरों के साथ पीसीआईटी यूनिट	नि.व.	रिटर्न्ड आय	निर्धारण के पश्चात कृषि आय	डाटाबेस में दर्शाई गई कृषि आय
28	नई दिल्ली	पीसीआईटी 14, दिल्ली, वार्ड 40 (3)	2013-14	78.39	78.39	0
29	राजस्थान	पीसीआईटी -1, जयपुर, आईटीओ वार्ड 3 (1), जयपुर	2009-10	5.88	4.54	0
30	तमिलनाडु	पीसीआईटी-3, कोयंबटूर, डीसीआईटी, एनसीसी-1, सीबीई	2013-14	36.05	0	36.05
31	तमिलनाडु	पीसीआईटी-3, कोयंबटूर, डीसीआईटी, एनसीसी -1, सीबीई	2013-14	7.92	4.88	7.92
32	तमिलनाडु	पीसीआईटी-3, कोयंबटूर, डीसीआईटी, एनसीसी -1, सीबीई	2013-14	43.8	27.27	43.8
33	तमिलनाडु	पीसीआईटी-1 त्रिची, सर्कल -1, त्रिची	2012-13	38.41	34.57	38.41
34	तमिलनाडु	पीसीआईटी -3, कोयंबटूर, वार्ड 2 (1), तिरुपुर	2014-15	44.33	43.06	44.33
35	तमिलनाडु	पीसीआईटी 1, त्रिची, सर्कल 1, त्रिची	2013-14	25	21.26	28.74
36	तमिलनाडु	पीसीआईटी / सीआईटी 1 मदुरै, वार्ड 1, डिंडीगुल	2013-14	21.2	19.21	21.2
37	तमिलनाडु	सीसीआईटी 1, त्रिची, सर्कल 2, त्रिची	2013-14	19.77	9.77	19.77
38	तमिलनाडु	पीसीआईटी-3, कोयंबटूर, सर्कल -1, तिरुपुर	2014-15	74.88	68.32	74.88
39	उत्तर प्रदेश	पीसीआईटी, अलीगढ़	2014-15	40.44	38.44	78.88
40	उत्तर प्रदेश	पीसीआईटी, अलीगढ़	2014-15	27.37	26.37	53.74
41	उत्तर प्रदेश	पीसीआईटी, अलीगढ़	2013-14	20.99	12.48	20.99
42	उत्तर प्रदेश	पीसीआईटी, लखनऊ	2014-15	5.32	3.99	5.32
43	पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी -2, डीसीआईटी, सर्कल 4 (1), कोलकाता	2013-14	136.68	138.23	136.68

क्र. सं.	राज्य	पूर्ण यूनिट ब्यौरों के साथ पीसीआईटी यूनिट	नि.व.	रिटर्न्ड आय	निर्धारण के पश्चात कृषि आय	डाटाबेस में दर्शाई गई कृषि आय
44	पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी -2, डीसीआईटी, सर्कल 4 (1), कोलकाता	2012-13	132.65	143.65	132.65
45	पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी -2, डीसीआईटी, सर्कल 4 (1), कोलकाता	2014-15	138.98	142.22	141.24
46	पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी -2, डीसीआईटी, सर्कल 4 (1), कोलकाता	2013-14	166.89	163.89	166.89
47	पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी -2, डीसीआईटी, सर्कल 4 (1), कोलकाता	2012-13	196.42	187.42	196.42
48	पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी -2, डीसीआईटी, सर्कल 4 (1), कोलकाता	2014-15	55.76	55.76	57.99

लेखापरीक्षा ने देखा कि डाटाबेस में दर्शाई गई कृषि आय राशि को 48 मामलों में से 42 मामलों में एएसटी के माध्यम से ऑटो-पाप्युलेट किया गया था और छः मामलों¹⁰³ में हस्त्य रूप से किया गया था। निर्धारण के दौरान कृषि आय को आयकर विभाग के डाटाबेस में नहीं लिया गया था। उसी रूप में, कृषि आय की गलत रिपोर्टिंग और डाटाबेस को अद्यतित न करने के कारण एमआईएस उद्देश्यों हेतु निर्धारिती को अनुमत छूट का जोखिम हो जाता है।

यद्यपि आयकर विभाग ने निम्नलिखित पैरा 5.9.4 में चर्चानुसार डाटा प्रविष्टि की त्रुटियों से हुई विसंगतियों को समझ लिया है, फिर भी ऐसी त्रुटियां जारी रही।

5.9.4 विभाग द्वारा जांच की स्थिति

माननीय पटना उच्च न्यायालय में फाइल किए गए जनहित वाद (पीआईएल), जिसमें मुद्दे उठाए गए थे कि कुछ निर्धारिती न केवल अपने बेहिसाबी/अवैध धन की कृषि आय के रूप में रूटिंग में लिप्त हो सकते हैं अपितु धन शोधन कार्यकलापों में भी लिप्त हो सकते हैं, के आधार पर आय कर विभाग ने उन मामलों की विवरणियों की जांच की कार्यवाही शुरू की थी जहां निर्धारितियों की ₹ 1 करोड़ से अधिक की विवरणी आय कृषि से संबंधित है। माननीय पटना

¹⁰³ पश्चिम बंगाल

उच्च न्यायालय को तथ्यात्मक साख्यिकी प्रस्तुत करने के लिए आयकर निदेशालय (प्रणाली) ने सभी पीसीसीआईटी/सीसीआईटी (सीसीए) को पहलुओं, जैसा कि क्या करदाताओं से विवरणी फाइल करते समय डाटा प्रविष्टि में त्रुटि हुई थी, की जांच के पश्चात डीजीआईटी को स्थिति रिपोर्ट भेजने का अनुदेश दिया था। उन मामलों में जहां संवीक्षा निर्धारण पूरा हो गया है, वह एओ को निर्धारण अभिलेखों के आधार पर प्रतिपुष्टि उपलब्ध करानी थी। जहां धारा 143(3) के अंतर्गत कार्यवाहियां लंबित थी वहां एओ को दावे की अच्छी तरह से जांच करनी थी डीजीआईटी (प्रणाली) ने निर्धारण वर्षों 2007-08 से 2014-15 की आयकर विवरणियों में ₹ 1 करोड़ से अधिक की कृषि आय दर्शाने वाले 2746 मामलों को चिन्हित किया और एओज को ऐसी आयकर विवरणियों में कृषि आय पर छूट के दावे की जांच करने के लिए निर्देश¹⁰⁴ दिया तथा ऐसे मामलों की स्थिति रिपोर्ट मांगी।

लेखापरीक्षा द्वारा चयनित 136 पीसीआईटी डीजीआईटी को (प्रणाली) प्रस्तुत की गई की गई स्थिति रिपोर्ट मांगी गई थी, दस राज्यों में से केवल 26 पीसीआईटी ने लेखापरीक्षा स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। बिहार एवं झारखंड, गुजरात, राजस्थान, केवल, पूर्वोत्तर क्षेत्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम में 327 मामलों के संबंध में लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गई स्थिति रिपोर्ट, जैसे डीजीआईटी (प्रणाली) को भेजी गई थी, के अनुसार मामलों में निर्धारिती द्वारा फाइल की गई आईटीआर और एएसटी प्रणाली 36 में दर्ज राशि के अनुसार कृषि आय की राशि में अंतर डाटा प्रविष्टि में त्रुटि के कारण था जिसके ब्यौरे निम्नलिखित तालिका 5.3 में दिए गए हैं। क्षेत्रीय जांच के अनुसार (2019 जनवरी) 36 मामलों में से 12¹⁰⁵ मामलों में डाटा प्रविष्टि त्रुटि को सही करना शेष था। लेखापरीक्षा ने देखा कि आंध्र प्रदेश एवं तेलगाना, कर्नाटक एवं गोवा, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, नई दिल्ली पूर्वोत्तर क्षेत्र और ओडिशा में चयनित पीसीआईटी द्वारा स्थिति रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की (2018 नवम्बर) जानी है।

¹⁰⁴ एफ सं. डीजीआईटी (एस)/डीआईटी (एस)-3/एएसटी/पीआईएल/2015-16 दिनांक 10 मार्च 2016 द्वारा जारी अनुदेश

¹⁰⁵ यूपी एंड यूके-6, राजस्थान-2, पश्चिम बंगाल-2 और एनईआर-2

तालिका 5.3 : डीजीआईटी (प्रणाली) को प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट में सूचित डाटा प्रविष्टि संबंधी त्रुटियां

क्र. सं.	पीसीआईटी प्रभार	नि.व.	एओ द्वारा डीजीआईटी को रिपोर्टिड के रूप में रिटर्न्ड कृषि आय	एएसटी प्रणाली के अनुसार कृषि आय	डाटा प्रविष्टि त्रुटि	क्या धारा 143(3)/147 के अंतर्गत निर्धारण पूर्ण थे	यदि निर्धारण 143(3)/ 147 के तहत पूर्ण थे तो निर्धारित कृषि आय
1	पीसीआईटी, इलाहाबाद	2010-11	45000	45000450	हाँ	नहीं	उपलब्ध नहीं
2	पीसीआईटी, इलाहाबाद	2010-11	58500	58500585	हाँ	नहीं	उपलब्ध नहीं
3	पीसीआईटी, इलाहाबाद	2010-11	30000	3000030000	हाँ	नहीं	उपलब्ध नहीं
4	पीसीआईटी, इलाहाबाद	2008-09	शुन्य	10274780	हाँ	नहीं	उपलब्ध नहीं
5	पीसीआईटी, इलाहाबाद	2008-09	शुन्य	1640700	हाँ	नहीं	उपलब्ध नहीं
6	पीसीआईटी, इलाहाबाद	2008-09	शुन्य	10274175	हाँ	नहीं	उपलब्ध नहीं
7	पीसीसीआईटी, बिहार और झारखंड	2010-11	22500	2250026594	हाँ	नहीं	उपलब्ध नहीं
8	पीसीसीआईटी, बिहार और झारखंड	2009-10	26300	2630096170	हाँ	नहीं	उपलब्ध नहीं
9	पीसीसीआईटी, बिहार और झारखंड	2008-09	125000	12500033600	हाँ	नहीं	उपलब्ध नहीं
10	पीसीसीआईटी, बिहार और झारखंड	2010-11	65000	80000262	हाँ	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
11	पीसीसीआईटी, बिहार और झारखंड	2009-10	450000	45000023100	हाँ	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
12	पीसीसीआईटी, बिहार और झारखंड	2010-11	43400	434000262	हाँ	नहीं	उपलब्ध नहीं
13	पीसीसीआईटी, बिहार और झारखंड	2010-11	60000	6000015060	हाँ	नहीं	उपलब्ध नहीं

क्र. सं.	पीसीआईटी प्रभार	नि.व.	एओ द्वारा डीजीआईटी को रिपोर्टिड के रूप में रिटर्न्ड कृषि आय	एसटी प्रणाली के अनुसार कृषि आय	डाटा प्रविष्टि त्रुटि	क्या धारा 143(3)/147 के अंतर्गत निर्धारण पूर्ण थे	यदि निर्धारण 143(3)/ 147 के तहत पूर्ण थे तो निर्धारित कृषि आय
14	पीसीसीआईटी, बिहार और झारखंड	2010-11	174900	174900121000	हाँ	नहीं	उपलब्ध नहीं
15	पीसीसीआईटी, बिहार और झारखंड	2010-11	180000	18000060000	हाँ	नहीं	उपलब्ध नहीं
16	पीसीसीआईटी, बिहार और झारखंड	2010-11	105000	105000155	हाँ	नहीं	उपलब्ध नहीं
17	पीसीसीआईटी, बिहार और झारखंड	2011-12	34000	34000151	हाँ	नहीं	उपलब्ध नहीं
18	पीसीसीआईटी, बिहार और झारखंड	2011-12	32400	324007708	हाँ	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
19	पीसीसीआईटी, बिहार और झारखंड	2011-12	42000	42000520	हाँ	नहीं	उपलब्ध नहीं
20	पीसीसीआईटी, बिहार और झारखंड	2011-12	50200	50200154093	हाँ	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
21	पीसीआईटी -3, जयपुर	2013-14	268632	23027645	हाँ	हाँ	268632
22	पीसीआईटी -1, जयपुर	2012-13	शून्य	82619934	हाँ	हाँ	शून्य
23	पीसीआईटी -1, जयपुर	2012-13	शून्य	18924521	हाँ	हाँ	शून्य
24	पीसीआईटी -1, जयपुर	2009-10	145000	14500000	हाँ	हाँ	145000
25	पीसीआईटी -1, जयपुर	2010-11	उपलब्ध नहीं	57206210912	हाँ ¹⁰⁶	हाँ	शून्य

¹⁰⁶ नि.व. 2008-09 और 2009-10 के लिए आईटीआर के अनुसार कृषि आय को ₹ 48,415 और ₹ 50,264 के रूप में दर्शाया गया था। अतः डाटा प्रविष्टि त्रुटि स्पष्ट है।

क्र. सं.	पीसीआईटी प्रभार	नि.व.	एओ द्वारा डीजीआईटी को रिपोर्टिड के रूप में रिटर्न्ड कृषि आय	एएसटी प्रणाली के अनुसार कृषि आय	डाटा प्रविष्टि त्रुटि	क्या धारा 143(3)/147 के अंतर्गत निर्धारण पूर्ण थे	यदि निर्धारण 143(3)/ 147 के तहत पूर्ण थे तो निर्धारित कृषि आय
26	पीसीआईटी -1, जोधपुर	2009-10	149860	149860149860	हाँ	नहीं	--
27	पीसीआईटी -2, जोधपुर	2008-09	4371122	43711220	हाँ	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
28	पीसीआईटी (सी) -2, कोलकाता	2010-11	28769720	शुन्य	हाँ	हाँ	24962330
29	पीसीआईटी (सी) -2, कोलकाता	2007-08	26114750	शुन्य	हाँ	हाँ	23103850
30	पीसीआईटी (सी) -2, कोलकाता	2008-09	शुन्य	39104354	हाँ	हाँ	शुन्य
31	पीसीआईटी -17, कोलकाता	2015-16	शुन्य	17393270	हाँ ¹⁰⁷	नहीं	--
32	पीसीआईटी, बर्दवान	2008-09	5000	5000105700	हाँ	नहीं	--
33	पीसीआईटी (सी) -1, कोलकाता	2011-12	शुन्य	14644701	हाँ	हाँ	शुन्य
34	पीसीआईटी -9, कोलकाता	2008-09	20000	20000137697	हाँ	नहीं	--
35	पीआर। सीआईटी, शिलांग	2012-13	0	29152800	हाँ	नहीं	0
36	पीसीआईटी, डिब्रूगढ़	2013-14	16825686	20677808	हाँ	हाँ	16825686

चूँकि, उपरोक्त सूचित डाटा प्रविष्टि त्रुटियाँ दस राज्यों में केवल कुछ चयनित आयुक्तालय द्वारा प्रस्तुत सूचना पर आधारित थी तथा डीजीआईटी (प्रणाली) को स्थिति रिपोर्टों के प्रस्तुतिकरण के पालन को लेखापरीक्षा हेतु चयनित सभी कमिश्नरियों में सुनिश्चित नहीं किया जा सका, अतः ₹एक करोड़ से अधिक के कृषि आय दावों के लिए एएसटी डाटाबेस में कृषि आय में डाटा प्रविष्टि त्रुटियों से संबंधित सुधारों की स्थिति की जांच नहीं की जा सकी।

¹⁰⁷ भारत सरकार द्वारा कृषि भूमि के अधिगृहण के आधार पर निर्धारित द्वारा मुआवजे के रूप में प्राप्त राशि को नि.व. 2015-16 के लिए आय विवरणी में कृषि आय के रूप में गलत रूप से दर्शाया गया था।

जैसाकि लेखापरीक्षा में पाया गया, 36 मामलों में से 12 मामलों में आंकड़े प्रविष्टि त्रुटियों का सुधार विभाग द्वारा पता लगाए जाने के बावजूद अभी किया जाना था। इस प्रकार निर्धारिती द्वारा विवरणी दाखिल की गयी कृषि आय की तुलना में एएसटी डाटाबेस की परिशुद्धता विश्वसनीय नहीं मानी जा सकी। डाटाबेस में त्रुटियां दोहरा जोखिम दर्शाती हैं; एक तरफ कर की हानि और दूसरी तरफ करदाता को परेशान करना। इसलिए विभाग को सभी कमिश्नरियों के लिए ऐसे ही मामलों में ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपवाद को छोड़कर सभी मामलों में आंकड़ा प्रविष्टि की त्रुटियां सही कर दी गयी हैं।

सीबीडीटी को ऐसी त्रुटियों से बचने के लिए प्रविष्टि डाटा के साथ-साथ निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत डाटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए रोक हेतु कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।

5.9.5 अनुपालन मुद्दे - निर्धारणों में त्रुटियां

लेखापरीक्षा ने 20 मामलों में अधिनियम के प्रावधानों का आंशिक अननुपालन देखा जिसमें कृषि भूमि से प्राप्त आय हेतु गलत छूट अनुमति, आंशिक कृषि आय के लिए छूट की गलत अनुमति, गलत निर्यात टर्नओवर अपनाते के कारण पुनः बुआई व्यय की गलत अनुमति और मछली की बिक्री, बकरी की बिक्री, सुखे अंगूरों की बिक्री, दूध की बिक्री आदि के आधार पर गैर-कृषि आय को दी गई छूट शामिल है। ऐसे नौ मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

(क) प्रभार: प्र. सीआईटी-1, कोयम्बटूर, तमिलनाडु; नि.व. 2013-14;

अनुमत कृषि आय: ₹ 734.04 लाख

अधिनियम की धारा 2(1क)(क) प्रावधान करती है कि कृषि आय में भारत में अवस्थित और कृषि उद्देश्य हेतु उपयोग की गई भूमि के किसी किराए या उससे प्राप्त राजस्व को शामिल किया जाता है। धारा 2(1क) के अंतर्गत व्याख्या 1 बताती है कि भूमि से प्राप्त राजस्व को भूमि के हस्तांतरण से सृजित किसी आय को शामिल नहीं किया जाएगा जोकि पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्धारण का भाग बनता है।

एक कंपनी के मामले में एओ ने फरवरी 2016 में धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण ₹ 2.82 लाख की आय पर पूरा किया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारिती ने ₹ 8.74 करोड़ के बिक्री प्रतिफल जिसमें पंजीकृत बिक्री विलेख में दर्शाए गए बिक्री प्रतिफल के ₹ 5.32 करोड़ और ₹ 3.42 करोड़ का प्रीमियम, जिसे पंजीकृत बिक्री विलेखों में नहीं दर्शाया गया था और इसमें

प्रीमियम भुगतान के लिए किसी स्टैंप शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था, के लिए बिलपट्टी गांव, कोडाई कनाल तालुक, डिंडिगुल जिला में कृषि भूमि बेची थी। निर्धारिती ने कृषि भूमि के हस्तांतरण पर अर्जित लाभ के प्रति धारा 2 (1क)(क) के अंतर्गत ₹ 7.34 करोड़ की छूट का दावा किया था और उसे इसकी अनुमति मिली थी। चूँकि अचल संपत्ति के हस्तांतरण हेतु बिक्री प्रतिफल को पंजीकृत बिक्री विलेखों के अनुसार लिया जाना था, विक्रेता द्वारा पंजीकृत बिक्री प्रतिफल के अतिरिक्त प्राप्त किया गया प्रीमियम 'अन्य स्रोतों से प्राप्त आय' माना जाना था। ऐसा करने में हुई चूक के परिणामस्वरूप ₹ 1.11 करोड़ के कम उद्ग्रहण के साथ ₹ 3.42 करोड़ की अस्वीकार्य छूट अनुमति दी गई। आयकर विभाग ने मामले की जांच करने पर सहमति दी (अक्टूबर 2018)।

(ख) प्रभार: प्र. सीआईटी-2, पुणे, महाराष्ट्र; नि.व. 2012-13;

अनुमत कृषि आय: ₹ 23.50 लाख

एओ ने मार्च 2015 में धारा 143(3) के अंतर्गत नि.व. के लिए निर्धारण ₹ 3.49 करोड़ पर पूरा किया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारिती ने देवलाली में कृषि भूमि बेची थी और इससे अर्जित लाभ के लिए धारा 2(1क)(क) के अंतर्गत ₹ 172.74 लाख की छूट का दावा किया था चूँकि, यह भूमि देवलाली छावनी बोर्ड से आठ किलोमीटर क्षेत्र में अवस्थित थी, अतः भूमि को पूंजीगत परिसंपत्ति माना जाना था। ऐसा करने में हुई चूक के परिणामस्वरूप ₹ 35.58 लाख के कम कर उद्ग्रहण सहित ₹ 172.74 लाख की अस्वीकार्य छूट अनुमति दी गई।

(ग) प्रभार: प्र. सीआईटी-1, कोयम्बटूर, तमिलनाडु;

नि.व. 2012-13; नि.व. 2013-14 और नि.व. 2014-15;

अनुमत कृषि आय: ₹ 246.68 लाख, ₹ 291.85 लाख और ₹ 436.50 लाख

एओ ने उगाई गई एवं विनिर्मित चाय की बिक्री से प्राप्त कृषि आय के प्रति मार्च 2015, दिसम्बर 2015 और दिसम्बर 2016 में क्रमशः नि.व. 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए निर्धारिती को ₹ 2.47 करोड़, ₹ 2.92 करोड़ और ₹ 4.37 करोड़ की छूट की अनुमति दी थी। विक्रेता द्वारा भारत में उगाई गई एवं विनिर्मित चाय की बिक्री से प्राप्त आय की गणना ऐसे की जाएगी जैसे कि यह व्यावसायिक आय है और इस आय के चालीस प्रतिशत को कर हेतु दायी माना जाएगा। शब्दावली 'से प्राप्त' का व्यापक अभिप्राय नहीं हो सकता जिससे कि ऐसी आय को शामिल किया जा सके जिसे किसी तरीके से व्यवसाय से जोड़ा जा सके। आय के स्रोत को सीधे व्यवसाय और उसके उत्पादन से जोड़ा

जाना चाहिए। यह न्यायिक रूप¹⁰⁸ से कहा गया कि ब्याज आय, शुल्क वापसी प्राप्तियों एवं डीईपीबी लाभों, सरकार से प्राप्त मालभाड़ा सब्सिडी/परिवहन सब्सिडी को सीधे ग्राह्य व्यवसाय से प्राप्त नहीं माना जाएगा।

व्यवसाय के करयोग्य लाभ की गणना करते समय नि.व. 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए क्रमशः ₹ 80.30 लाख, ₹ 60.44 लाख और ₹ 70.75 लाख तक की शुल्क वापसी और डीईपीबी लाइसेंस आय को व्यवसाय से प्राप्त आय के रूप में गलत रूप से हिसाब में लिया गया था और ऐसी आय के 60 प्रतिशत पर छूट अनुमति दी गई थी। ऐसी आय को शामिल न करने के कारण ₹ 41.17 लाख के कर प्रभाव सहित ₹ 126.89 लाख की अधिक छूट अनुमति दी गई थी।

(घ) प्रभार: प्र. सीआईटी, डिब्रुगढ़, असम; नि.व. 2014-15;

अनुमत कृषि आय: ₹ 11.01 लाख

एओ ने उगाई गई एवं विनिर्मित चाय की बिक्री से प्राप्त कृषि आय के प्रति ₹ 11.01 लाख की छूट की अनुमति दी थी (मार्च 2016)। खरीदी गई पत्तियों से चाय के विनिर्माण से प्राप्त व्यावसायिक आय के करयोग्य लाभ की गणना करते समय ₹ 39.54 लाख के कृषि व्यय की गलती से अनुमति दी गई थी। ऐसे व्ययों को शामिल न करने के कारण व्यवसाय आय का ₹ 23.48 लाख तक अवनिर्धारण हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.25 लाख का कम कर उद्ग्रहण हुआ था।

(ड.) प्रभार: प्र. सीआईटी-6, बेंगलुरु, कर्नाटक; नि.व. 2013-14;

अनुमत कृषि आय: ₹ 353.37 लाख

एओ ने निर्धारिती को ₹ 3.53 करोड़ की कृषि आय के प्रति छूट की अनुमति दी थी (मार्च 2016) जिसमें छायादार वृक्षों (अर्थात्) सिल्वर ओक के वृक्ष तथा नीलगिरी वनों की बिक्री से प्राप्त ₹ 26.86 लाख की आय शामिल थी। यह न्यायिक रूप¹⁰⁹ से कहा गया कि चाय/काँफी एस्टेट के मालिक ग्रेविलिया वृक्षों को कोई आय प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं अपितु चाय/काँफी के पौधों को छाया प्रदान करने हेतु उगाते हैं तथा यह छाया चाय/काँफी की उचित कृषि हेतु आवश्यक है। इन वृक्षों को काटा गया और इन्हें समय के साथ बेकार होने के बाद बेच दिया गया था। चाय/काँफी एस्टेट में सिल्वर ओक के वृक्ष पूंजीगत

¹⁰⁸ लिबर्टी इंडिया-[2009] 317 आईटीआर 218 (एससी); पांडियन केमिकल्स लिमिटेड, 262 आईटीआर 278 (एससी); स्टर्लिंग फूड्स 237 आईटीआर 53 (एससी); कैम्बे इलेक्ट्रिकल सप्लाय कंपनी लिमिटेड 113 आईटीआर 84 (एससी)

¹⁰⁹ (1966) 60 आईटीआर 275 (एससी) और (1995) 222 आईटीआर 799 (कर)।

संपत्ति होते हैं और बिक्री द्वारा इनसे प्राप्त आय अधिनियम के तहत कृषि आय नहीं होगी।

छायादार वृक्षों की बिक्री को पूंजीगत प्रवृत्ति की मानने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 26.86 लाख की अधिक छूट अनुमति दी गई और ब्याज के अलावा ₹ 5.53 लाख के पूंजीगत प्राप्ति कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

(च) प्रभार: प्र. सीआईटी-3, पुणे, महाराष्ट्र; नि.व. 2012-13;

अनुमत कृषि आय: ₹ 1,294.76 लाख

एओ ने नवम्बर 2014 में धारा 143(3) के अंतर्गत नि.व. 2012-13 के लिए निर्धारण को ₹ 95.15 लाख की आय पर पूरा किया था। कुल आय की गणना करते समय फूलदार और सजावटी पौधों के निर्यात से अर्जित आय को व्यावसायिक आय माना गया था और तदनुसार निर्धारिती के ₹ 1,338.22 लाख की कृषि आय के दावे में से ₹ 43.45 लाख की राशि की अनुमति नहीं दी गई। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि उपरोक्त व्यावसायिक आय की गणना करते समय निर्यात टर्नओवर को ₹ 322.12 लाख के वास्तविक निर्यात टर्नओवर के प्रति ₹ 218.80 लाख के रूप में गलती से लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 33.52 लाख के कर प्रभाव सहित ₹ 103.32 लाख की अधिक छूट अनुमति दी गई थी।

(छ) प्रभार: प्र. सीआईटी-1, कोयम्बटूर, तमिलनाडु; नि.व. 2014-15;

अनुमत कृषि आय: ₹ 23.61 लाख

एओ ने निर्धारिती को कृषि आय, जिसमें ₹ 7 लाख तक बकरियों की बिक्री भी शामिल थी जिसे कृषि भूमि से प्राप्त आय नहीं माना जा सकता, के प्रति नि.व. 2014-15 के लिए निर्धारिती को ₹ 23.61 लाख की छूट अनुमति (अगस्त 2016) दी थी। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक रूप¹¹⁰ से यह पाया गया कि निर्धारिती की बकरियों को निर्धारिती की निजी संपत्ति नहीं माना जा सकता और तदनुसार आयकर हेतु बकरियों की बिक्री से प्राप्त आय निर्धारणीय है। छूट की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 2.16 लाख का कम कर उद्ग्रहण हुआ।

(ज) प्रभार: प्र. सीआईटी, बर्धवान, कोलकाता, पश्चिम बंगाल; नि.व. 2012-13;

अनुमत कृषि आय: ₹ 30 लाख

एओ ने निर्धारिती को ₹ 30 लाख की कृषि आय, जिसमें ₹ 16.66 लाख तक मछलियों की बिक्री से प्राप्त आय शामिल थी, जिसे कृषि भूमि से प्राप्त आय

¹¹⁰ वी. कालीराजन बनाम आईटीओ, 2001 77 आईटीडी 31 मैड

नहीं माना जा सकता, के प्रति छूट की अनुमति दी थी (मार्च 2015)। यह निर्णय¹¹¹ लिया गया कि जलाच्छादित भूमि जिसे किसी कृषि उद्देश्य हेतु उपयोग नहीं किया गया है, पर मछलीपालन से प्राप्त आय को कृषि से प्राप्त आय नहीं माना जा सकता, यहां तक कि मछली को भूमि उत्पादन नहीं माना जा सकता क्योंकि उनका मूल तत्व पानी है, अतः इनका कल्टिवेशन एवं देखभाल किसी भी प्रकार से कृषि पर निर्भर नहीं करती। गैर-कृषि आय हेतु गलत छूट अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 6.63 लाख का कम कर प्रभारित हुआ।

(च) प्रभार: प्र. सीआईटी-1, पुणे, महाराष्ट्र; नि.व. 2014-15;

अनुमत कृषि आय: ₹ 117.21 लाख

एओ ने निर्धारिती को कृषि आय, जिसमें ₹ 93.31 लाख के सुखे अंगुरों की बिक्री और ₹ 0.37 लाख की दूध की बिक्री आय शामिल थी, के प्रति नि.व. 2014-15 के लिए ₹ 117.21 लाख की छूट की अनुमति दी थी (दिसम्बर 2016)। चूँकि सुखे अंगूर (किशमिश) कृषि आधारित औद्योगिक उत्पाद है और दूध डेयरी उत्पाद है इसलिए इससे प्राप्त आय को कृषि भूमि से प्राप्त आय नहीं माना जा सकता। शीर्ष न्यायालय ने निर्णय¹¹² लिया कि दूध की बिक्री की नियमितता प्रमाणित थी और बेचे गए दूध की मात्रा ने दर्शाया कि निर्धारिती ने जो संचालित किया था वह दूध उत्पादन और वाणिज्यिक प्रस्ताव के रूप में इसे बेचने का नियमित व्यवसाय था। दावे की अननुमति में चूक के परिणामस्वरूप ₹ 28.95 लाख के कर प्रभाव सहित ₹ 93.68 लाख की अधिक छूट अनुमति दी गई थी।

5.10 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में जांचे गए 22.5 प्रतिशत मामलों में कृषि आय हेतु छूट अनुमति समर्थक दस्तावेजों जैसे भूमि अभिलेख, कृषि आय एवं व्यय के प्रमाण एवं दस्तावेजी साक्ष्य, जहां उपलब्ध थे, की प्रति जांच के सत्यापन के बिना दी गई। लेखापरीक्षा एओ द्वारा निर्धारण फोल्डरों/चर्चाओं तथा निर्धारण आदेशों के संदर्भ/में विस्तृत अभिलेखों की कमी से कृषि आय के आधार पर छूट के दावे की परिशुद्धता सुनिश्चित नहीं कर सकी। चूँकि, यह निर्धारित करना संभव नहीं था कि क्या मौजूदा प्रणाली यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुदृढ़ थी कि निर्धारितियों को निर्धारण प्रक्रिया में पर्याप्त जांच के बाद ही कृषि आय पर छूट अनुमति दी जा रही थी।

¹¹¹ कर्मा जयभारती बनाम आयकर अधिकारी, आईटीएटी, हैदराबाद, 2005

¹¹² सीआईटी बनाम आर. वेंकटस्वामी नायडू [1956] 29 आईटीआर 529 (एससी)

यद्यपि, 6,778 मामलों की नमूना संवीक्षा मामलों से प्राप्त 22,195 नमूनों में से जांच के आधार पर अपर्याप्त जांच या अपूर्ण दस्तावेजीकरण के आधार पर कृषि आय की छूट अनुमति के बारे में बताया गया है। आयकर विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुमति केवल पात्र निर्धारितियों को दी गई है तथा यह उचित दस्तावेजों तथा उनकी जांच पर आधारित है, जैसे बाद में सिफारिश की गई है, न केवल कृषि आय के शेष संवीक्षा मामलों की पुनजांच करनी चाहिए अपितु उन सभी मामलों की भी जांच करनी चाहिए, जहां आय की अनुमति कृषि आय के रूप में दी गई है।

डीजीआईटी (प्रणाली) ने उन 2,746 मामलों जहां विवरणी में कृषि आय ₹ एक करोड़ से अधिक थी, के संबंध में विवरणी फाइल करते समय डाटा प्रविष्टि त्रुटियों से संबंधित स्थिति रिपोर्ट मांगी थी। केवल 26 आयुक्तालय ने 327 मामलों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई थी। शेष 110 आयुक्तालय की स्थिति ज्ञात नहीं है। इस छोटे से नमूने में भी 36 अर्थात् 11 प्रतिशत मामलों में डाटा प्रविष्टि त्रुटियां देखी गई थी। यहां तक की इन्हें पूर्णत सुधारा भी नहीं किया गया था और इन एक तिहाई मामलों में त्रुटियां रह गईं।

अतः, यह चिंता का विषय है कि शेष मामले, जहां स्थिति रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई थी, के साथ-साथ वे मामले, जिनकी कृषि विवरणी की आय ₹ एक करोड़ से कम थी, में समान त्रुटियां थी। यह एएसटी डाटा को अविश्वसनीय बना देगी। ऐसे निरंतर डाटा प्रविष्टि त्रुटियों का कारण जांच का विषय है।

यह सिफारिश की जाती है कि:

- i) आयकर विभाग सभी आयुक्तालयों में उन सभी मामलों की 100 प्रतिशत जांच करे जहां दावा की गई कृषि आय निश्चित सीमा, उदाहरणार्थ ₹ 10 लाख या अधिक है और जांच तथा सुनिश्चित करे कि छूट अनुमति केवल योग्य निर्धारितियों को दी गई है तथा यह उचित दस्तावेजों एवं जांच पर आधारित है।
- ii) आयकर विभाग को कृषि आय के रूप में आय की छूट की अनुमति देने के लिए अपनी प्रणाली को मजबूत करना चाहिये क्योंकि मौजूदा प्रणाली छिद्रयुक्त और दुरुपयोग के लिए खुली है; जैसा कि अपनी नमूना लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षा द्वारा इसे सामने लाया गया है। अभिलेखों के सत्यापन में सम्यक तत्परता और उचित दस्तावेजों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

- iii) आयकर विभाग को निर्धारण राशि के बीच असंतुलन के कारणों की जांच करने, और एटीएस में दर्ज की गई राशि के रूप में बदनीयत से बचने की आवश्यकता है। यदि गलतियां प्रमाणिक हैं, तो प्रणाली में कमजोरी को खत्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि सभी परिस्थितियों में दो रिकॉर्डों में मेल होना चाहिए। वास्तव में, आयकर विभाग को यह जांचने की आवश्यकता है कि जब इलेक्ट्रॉनिक रूप में रिटर्न को दाखिल किया जाता है तो निर्धारण उसी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली रिटर्न पर नहीं किया जाता है, और क्यों एक आईटी प्रणाली के साथ सह अस्तित्व के लिए मैनुअल प्रक्रिया की अनुमति दी जाती है। आयकर विभाग को निर्धारिती या उसके प्रतिनिधि के साथ वास्तविक इंटरफेस समाप्त करने की दिशा में काम करना चाहिए।

अध्याय VI: धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं को छूटों की अनुवर्ती लेखापरीक्षा

6.1 प्रस्तावना

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 11, 12 और 13 के प्रावधानों का निर्वाह करने के विषयाधीन धारा 2(15) में परिभाषित धर्मार्थ या धार्मिक कार्यकलापों में लगे ट्रस्टों, संस्थानों और अन्य संगठनों को कर छूट का प्रावधान करता है। आयकर विभाग (आईटीडी) इन कर छूट प्रावधानों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है।

पहले, हमने निष्पादन लेखापरीक्षा में कर छूट योजना की कार्यप्रणाली की जांच की थी और जांच परिणामों को 2013 की सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 20 (धर्मार्थ न्यासों एवं संस्थाओं को छूट) में शामिल किया गया था। इस प्रतिवेदन में कुछ गलतियों को दर्शाया गया था जैसे (क) पर्याप्त दस्तावेजों के बिना अनुमोदन देना/पंजीकरण करना; (ख) लगातार बड़ा अधिशेष सृजित करने वाले ट्रस्टों को अनियमित छूट; (ग) निषिद्ध तरीके से निवेश करने पर आय का उपयोग; (घ) ट्रस्टों को प्राप्त विदेशी अंशदानों की मॉनिटरिंग न करना आदि।

जुलाई 2018 में लोक लेखा समिति (पीएसी) ने अपनी 104वीं रिपोर्ट में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की टिप्पणियों/सिफारिशों पर उनकी 27वीं रिपोर्ट (16वीं लोकसभा) में शामिल “धर्मार्थ ट्रस्टों और संस्थाओं को छूट” पर समिति ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्टों को व्यवसायिक लाभ के लिए वाणिज्यिक तौर पर चलाने का काम लिया गया और आयकर अधिनियम के प्रावधानों का बार-बार उल्लंघन किया गया था। समिति ने आयकर विभाग के सभी उल्लंघनों और निगरानी की विफलता की गंभीर प्रकृति पर चिंतित था कि क्या ट्रस्ट उन उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं जिनके तहत वे स्थापित किए गए हैं और यह भी सुनिश्चित करें कि इस तरह के ट्रस्टों द्वारा प्राप्त रियायत का कोई दुरुपयोग नहीं किया गया है।

समिति ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भी सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्टों के उल्लंघन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने और भविष्य में इस तरह के पुनरावृत्ति को रोकने के उपायों के बारे में सिफारिशें करने को अभिलाषित किया है। इस संबंध में, धर्मार्थ ट्रस्टों और संस्थाओं से संबंधित डाटा/सूचना के लिए अक्टूबर 2018 में सीबीडीटी से अनुरोध किया गया था। अप्रैल 2019 में छह महीने बाद ही डाटा प्राप्त हुआ था और यह प्रयोग करने योग्य नहीं था। इसलिए सीबीडीटी को 22 अप्रैल 2019 को संशोधित डाटा सेट देने को कहा

गया था। यह जानकारी अभी नहीं मिली है। सीबीडीटी द्वारा संपूर्ण तथा प्रयोग करने योग्य डाटा प्राप्त होने के बाद पैन इंडिया निष्पादन लेखापरीक्षा की जाएगी। इस दौरान, सीएजी की 2013 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 20 (धर्मार्थ न्यासों एवं संस्थाओं को छूट) में निहित धर्मार्थ ट्रस्टों और संस्थाओं को छूट की सीमित अनुवर्ती लेखापरीक्षा किया गया था; साथ ही साथ कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्यों में अनुपालन लेखापरीक्षा में धर्मार्थ न्यासों से संबंधित ऑडिट मुद्दों को देखा गया।

6.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

इस सीमित लेखापरीक्षा में भी, हमने ₹ 723.43 करोड़ के कर प्रभाव की 99 अनियमितताएं पाईं। लेखापरीक्षा में पाई गई कुछ अनियमितताएं निम्नानुसार हैं (क) संबंधित ग्रुप ट्रस्टों/संस्थाओं को आय/संपत्ति के विपथन को आय का उपयोग मानना; (ख) उन निर्धारितियों को छूट दी गईं जिनकी गतिविधियाँ धर्मार्थ प्रकृति की नहीं थी; (ग) अधिनियम में निर्दिष्ट उन प्रारूपों या स्वरूपों के अलावा ट्रस्टों द्वारा संचित धन के निवेश की निगरानी का अभाव; (घ) निर्धारित को छूट प्रदान की जहां विदेशी मुद्रा दान सहित स्वैच्छिक योगदान को दाता के विशिष्ट निर्देश के बिना कॉर्पस कोष के रूप में माना गया था; और (ङ) पंजीकरण रद्द नहीं करना जहां ट्रस्ट और संस्थानों की गतिविधियां अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं हैं। ये निष्कर्ष पूर्ववत् 2013 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 20 में भी शामिल की गई थी, इस प्रकार की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति होती रही और आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अननुपालन के बावजूद भी गलत छूट प्रदान की जाती रही। इसके अतिरिक्त हमें निम्नानुसार त्रुटियां भी पाईं: (क) व्यय और संचय की अनुमति जहां छूट से मना किया गया था; (ख) विदेशी विश्वविद्यालयों को दी गईं निधियों के उपयोग पर ट्रस्ट को छूट अनुमत; और (ग) निर्धारण सूचना प्रणाली (एएसटी) का अधिभार उद्ग्रहण करने में विफलता। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गयी है।

6.3 संबंधित ग्रुप ट्रस्टों/संस्थाओं को आय/संपत्ति के विपथन को आय का उपयोग मानना

धारा 10(23सी)(vi) में प्रावधान है कि किसी लाभ उद्देश्य हेतु नहीं बल्कि एक मात्र शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए विद्यमान किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान की आय में छूट तभी दी जाएगी जब संस्थान ने इसके आय

का उपयोग या इसका संचय उस उद्देश्य हेतु उपयोग के लिए पूर्ण रूप से और विशेष रूप से किया हो जिसके लिए इसकी स्थापना की गई है।

इसके अलावा, वि.व. 2014-15 के लिए धारा 10(23)(सी)(vi) के परन्तुक 12 में प्रावधान है कि जहां निधि या ट्रस्ट या संस्थान प्राप्ति वर्ष के दौरान इसकी आय का उपयोग नहीं करता और इसका संचय कर लेता है तो ऐसे संचय में से धारा 12ए के अंतर्गत पंजीकृत किसी ट्रस्ट या संस्थान या धारा 10(23)(सी)(iv) से (viए) के अंतर्गत संदर्भित संस्थान को किए गए किसी भुगतान या क्रेडिट को उन उद्देश्यों हेतु आय का उपयोग नहीं माना जाएगा जिसके लिए इन निधियों या ट्रस्टों या संस्थानों, जैसे भी मामला हो, की स्थापना की गई है। अधिनियम की धारा 11 में प्रावधान है कि ट्रस्ट के अंतर्गत धारित संपत्ति से प्राप्त आय की छूट तभी मिलेगी यदि इसे अधिनियम के अनुसार धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्य हेतु उपयोग या संचित किया गया हो।

अधिनियम की धारा 13(1)(सी)(ii) में प्रावधान है कि धारा 11 अथवा 12 के अंतर्गत धर्मार्थ न्यासों या संस्थाओं को छूट उपलब्ध नहीं होगी यदि न्यास की कोई आय या सम्पत्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धारा 13(3) में संदर्भित किसी विशेष व्यक्ति के लाभ के लिए लागू होती हैं। धारा 13(3) में निर्दिष्ट व्यक्ति न्यास का ऑथर अथवा संस्थान का फाउंडर हो; कोई व्यक्ति जिसने न्यास या संस्थान को 50,000 रूपए से अधिक राशि का अंशदान दिया हो; जहां ऐसा ऑथर, फाउंडर या व्यक्ति एक हिन्दु अविभाजित कुटुम्ब हो; न्यास का कोई ट्रस्टी या मैनेजर हो; किसी ऐसे ऑथर, फाउंडर, पर्याप्त अंशदान करने वाले व्यक्ति, सदस्य, ट्रस्टी या मैनेजर का कोई रिश्तेदार हो।

लेखापरीक्षा ने पुणे तथा मुंबई प्रभागों में ₹ 60.41 करोड़ के कर प्रभाव वाले तीन मामलों देखे जहां संस्थानों की आय/संपत्ति का संबंधित गुप्त ट्रस्ट को विपथन किया गया था और जहां इस विपथन को आय का उपयोग माना गया था। ऐसे दो मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

6.3.1 पीसीआईटी (ई), पुणे प्रभाग में नि.व. 2015-16 के लिए एक ट्रस्ट का संवीक्षा निर्धारण, धारा 10(23सी)(vi) के अंतर्गत छूट की अनुमति के पश्चात ₹ 54.50 करोड़ की आय निर्धारित करते हुए दिसम्बर 2017 में पूरा हुआ था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि शैक्षणिक कार्यकलाप करने वाले निर्धारिती ने ₹ 115.65 करोड़ की आय में से ₹ 80.00 करोड़ इसके संबंधित ट्रस्टों में से एक को दान कर दिए थे जिसे आय का उपयोग माना गया था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया, संबंधित पार्टी को किए गए ₹ 80.00 करोड़ के दान को शिक्षा उद्देश्यों हेतु आय का उपयोग नहीं माना जा सकता। इस प्रकार इस पर

कर लगाया जाना चाहिए। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 27.19 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 80.00 करोड़ की आय का अवनिर्धारण हुआ। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था।

6.3.2 सीआईटी (ई), मुंबई प्रभार में नि.व 2014-15 के लिए एक ट्रस्ट का संवीक्षा निर्धारण धारा 11 के अंतर्गत छूट अनुमति के बाद अक्टूबर 2016 में पूरा हुआ था। लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारिती ने एक कंपनी को स्कूल परिसर के किराए के प्रति ₹ 27.48 करोड़ की राशि का भुगतान किया था जहां ट्रस्ट का ऑथर-कम-ट्रस्टी, महानिदेशक था। पट्टा करार के अनुसार, ट्रस्ट को ₹ 7.33 करोड़ (₹ 20 प्रति वर्ग फीट की दर से गणना की गई) निर्धारित पट्टा किराए का भुगतान या ट्रस्ट की कुल प्राप्तियों का 85 प्रतिशत तक स्लैब वार विशुद्ध राजस्व के आधार पर अपेक्षित था, जो भी अधिक हो। ट्रस्ट के वार्षिक कुल संग्रह के आधार पर स्लैब पर 85 प्रतिशत की गणना की जानी थी।

यद्यपि निर्धारिती ने धारा 10(23सी)(vi) के तहत लाभ का दावा किया है, एओ ने आय की गणना में धारा 11 के प्रावधानों को लागू करने वाले मामले में आय का आंकलन किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि निर्धारिती अपने आय और व्यय लेखा में ₹ 10.92 करोड़ का घाटा दिखा रहा है, घाटा, मूल रूप से ऊपर बताए गए, आय और व्यय लेखा पर लगाए गए अतिरिक्त किराए के कारण है। अगर स्कूल द्वारा इस्तेमाल किए गए क्षेत्र के आधार पर तय दर से किराया का भुगतान किया होता, तो निर्धारिती केवल ₹ 7.33 करोड़ का भुगतान कर रहा होता और निर्धारिती को ट्रस्ट के उपयोग हेतु ट्रस्ट के लिए प्रयाप्त अधिशेष अर्जित हुआ होता। तथापि, यह देखा जा सकता है कि जहां ट्रस्टी प्रबंध निदेशक है, अधिनियम में परिकल्पित के अनुसार ट्रस्ट की वस्तु के लिए ट्रस्ट अपने उद्देश्यों के लिए आय को संचित करने के बजाय कंपनी को किराए की आड़ में उस कंपनी जिसमें ट्रस्टी प्रबंध निदेशक है को किराये के भुगतान के रूप में अर्जित अधिशेष अपवर्ती किया गया था। अतः, निर्धारिती ने धारा 10(23सी)(vi) और धारा 13(1)(सी)(ii) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इस प्रकार धारा 11 के अन्तर्गत ₹ 72.41 करोड़ की पूरी आय पर छूट को मना किया जाना चाहिए था। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 24.61 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 72.41 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ।

विभाग ने, लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार नहीं करते हुए, जवाब में कहा कि धारा 13(1)(सी)(ii) के प्रावधानों निर्धारिती पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि निर्धारिती ने अधिनियम की धारा 11 के तहत नहीं अपितु धारा 10 (23सी) के तहत छूट का दावा किया था। विभाग ने यह भी कहा कि निर्धारिती ने अधिनियम की

धारा 10(23सी) के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया और निर्धारिती द्वारा भुगतान किया गया किराया उचित और पूरी तरह एवं अनन्य रूप से ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए लागू होता है।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं है। धारा 10(23सी) के प्रावधानों के अनुसार शैक्षणिक संस्थान पूरी तरह से और अनन्य रूप से ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए अपनी आय या इसके संचयों का उपयोग करेगा। इस मामले में, किराए के समझौते को इस तरह से तैयार किया गया था कि संस्थान द्वारा देय किराया निर्धारिती की आय में वृद्धि की तुलना में बढ़ा है। इस प्रकार, आय के संचय के बजाय यह उस कंपनी को विपथित किया गया जिसमें ऑथर-कम-ट्रस्टी प्रबंध निदेशक होता है, जो धारा 10(23सी) के तीसरे परंतुक के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। किराया प्रपत्र इस तरीके से तैयार किया गया था कि लाभ उस कम्पनी को हो, जहां ट्रस्ट का ऑथर-कम-ट्रस्टी प्रबन्ध निदेशक हो।

यद्यपि निर्धारिती ने धारा 10(23सी) के तहत छूट का दावा किया, विभाग ने अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों के तहत निर्धारण पूरा किया। विभाग को यह पुष्टि करने की आवश्यकता है कि उक्त मामले में कौन सी धारा लागू है। निर्धारिती किसी भी स्थिति में अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन करता है।

6.4 उन निर्धारितियों को छूट दी गई जिनकी गतिविधियाँ धर्मार्थ प्रकृति की नहीं थी

अधिनियम की धारा 11 में प्रावधान है कि धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्य के लिए ट्रस्ट के तहत रखी गई संपत्ति से प्राप्त आय, कुल आय में शामिल नहीं होगी, यदि इसे धारा 11, 12 और 13 के प्रावधान के अनुसार भारत में धर्मार्थ उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया था। इसके अलावा, वित्त अधिनियम 2010 और 2015 द्वारा संशोधित धारा 2(15) बताती है कि सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की किसी अन्य वस्तु की उन्नति धर्मार्थ उद्देश्य के लिए नहीं होगी, यदि

- (i) इसमें व्यापार, वाणिज्य या व्यापार की प्रकृति में कोई भी गतिविधि को शामिल करना, या प्रतिफल के लिए किसी भी सेवा को प्रस्तुत करने की कोई गतिविधि भले ही प्रयोग या उपयोग की प्रकृति के बावजूद, या ऐसे गतिविधि से आय का प्रतिधारण और
- (ii) ऐसे कार्यकलाप से कुल प्राप्तियाँ ₹ 25 लाख से अधिक (1.4.2016 में कुल प्राप्तियों का 20 प्रतिशत) है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आईटीडी ने मुम्बई और पुणे प्रभार के दो मामलों में ₹ 12.23 करोड़ के कर प्रभाव में छूट प्रदान की, जहां निर्धारिती की गतिविधियां धारा 2(15) के अनुसार धर्मार्थ प्रकृति की नहीं थी। ऐसा ही एक मामला नीचे दर्शाया गया है।

6.4.1 पीसीआईटी (ई) पुणे प्रभार में, नि.व. 2013-14 के लिए एक ट्रस्ट की संवीक्षा निर्धारण मार्च 2016 में पूरा हुआ था, जिसमें धारा 11 के तहत ₹ 16.21 करोड़ की कटौती की अनुमति के बाद ₹ 57.75 करोड़ की आय का निर्धारण किया गया था। लेखापरीक्षा जांच में पता चला है कि निर्धारिती सम्पतियों की प्रतिभूति प्रदान करने में लगे हुए हैं, पट्टे के आधार पर प्लॉट दे रहे हैं, प्रतिफल पर पट्टे के लिए प्रतिफल आवासीय कॉलोनियों, दुकानों और वाणिज्यिक परिसरों आदि का निर्माण कर रहे हैं जो एक के लिए व्यापार, वाणिज्य या व्यावसाय के समान है। इसके अलावा, लाभ और हानि लेखा और आय की गणना से यह भी देखा गया है कि इस तरह की गतिविधियों से सकल प्राप्त धर्मार्थ गतिविधियों के लिए ₹ 25 लाख की स्वीकार्य सीमा से अधिक है। अतः धारा 2(15) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए संस्थान की गतिविधियों धर्मार्थ उद्देश्य की परिभाषा से अलग है और इसलिए निर्धारिती धारा 11 के तहत कटौती के लिए योग्य नहीं है। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 5.01 करोड़ के कर की कम उद्ग्रहण के साथ ₹ 16.21 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। मंत्रालय का जवाब प्रतीक्षित था।

6.5 व्यय और संचय की अनुमति जहां छूट से मना किया गया था

अधिनियम की धारा 11, ट्रस्ट के तहत रखी गई सम्पत्ति से प्राप्त आय में छूट का प्रावधान करती है, यदि यह आय अधिनियम के अनुसार धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्य के लिए उपयोग या संचय किया गया हो। इसके अलावा, धारा 164(2) यह प्रावधान करती है कि यदि धारा 11 के तहत छूट से मना किया जाता है तो ट्रस्ट की ऐसी आय अधिकतम मार्जिनल दर पर कर लगाया जाएगा। धारा 12ए के तहत पंजीकृत ट्रस्टों और संस्थाओं के लिए धारा 11, 12 और 13 के प्रावधान केवल आय निर्धारण के लिए लागू होते हैं। ये धाराएँ व्यय में कटौती के लिए प्रावधान नहीं करती हैं, लेकिन पूरी आय को छूट के रूप अनुमति देते हैं बशर्ते संबंधित धाराओं के प्रावधानों का पालन किया गया हो।

लेखापरीक्षा ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के 12 मामलों में देखा कि आयकर विभाग ने धारा 11 के तहत छूट के लिए मना कर दिया था लेकिन ₹ 108.29 करोड़

के कर प्रभाव के ₹ 322.42 करोड़ के व्यय के लिए कटौतियों की अनुमति दी गई थी। ऐसा ही एक मामला नीचे दर्शाया गया है।

6.5.1 सीआईटी(ई), मुम्बई प्रभार में, नि.व. 2014-15 के लिए एक ट्रस्ट की संवीक्षा निर्धारण दिसम्बर 2016 में पूरी हुई थी। एओ ने धारा 11 के तहत छूट से मना किया है। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि कुल आय की गणना करते समय ₹ 70.82 करोड़ के व्यय की अनुमति दी गई थी। चूंकि अस्वीकृत आय से खर्च की अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए पूरी आय पर कर लगाया जाना चाहिए। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 24.07 करोड़ के कर के कम उद्ग्रहण सहित ₹ 70.82 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ।

वस्तुतः, एक अन्य निर्धारिती (नि.व. 2014-15) के मामले में स्वयं आयकर विभाग ने दिसम्बर 2016 में धारा 143(3) के तहत पूरे किये गए एक निर्धारण में धारा 11 के तहत छूट से मना कर दिया था और कुल आय की संगणना में किसी भी व्यय की अनुमति नहीं दी। मंत्रालय का जवाब प्रतीक्षित था।

6.6 अधिनियम में निर्दिष्ट उन प्रारूपों या स्वरूपों के अलावा ट्रस्टों द्वारा संचित धन के निवेश की निगरानी का अभाव

अधिनियम की धारा 11(1)(ए) में प्रावधान है कि (i) धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्य के लिए ट्रस्ट के तहत रखी गई संपत्ति से प्राप्त आय कुल आय में शामिल नहीं होगी, यदि यह भारत में धर्मार्थ उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया था और (ii) जहां भारत में इस तरह के उद्देश्य के लिए उपयोग करने के लिए कोई भी आय संचित है या अलग से रख दी गई है जिस हद तक कि आय इतनी जमा हुई या अलग रखी गई, वह ऐसी संपत्ति से होने वाली आय के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं है। धारा 11(5) निर्धारित करती है कि धर्मार्थ ट्रस्टों द्वारा संचय या अलग रखे धन को निवेश या जमा करने के प्रारूपों और स्वरूपों में सरकारी बचत प्रमाणपत्रों में निवेश, डाकघर बचत बैंक/अनुसूचित बैंक के साथ किसी भी खाते में जमा, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की इकाईयों में निवेश, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की किसी प्रतिभूतियों में निवेश, वित्तीय संस्था, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी आदि के द्वारा जारी किए गए बाँडों में निवेश या जमा होंगे।

अधिनियम की धारा 13(1) प्रावधान करती है कि धारा 11 या 12 के तहत धर्मार्थ ट्रस्टों या संस्थाओं को छूट उपलब्ध नहीं होगी यदि ट्रस्ट की किसी आय या सम्पत्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, धारा 13(3) में संदर्भित किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति के लाभ के लिए लागू है। धारा 13(3) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति ट्रस्ट का ऑथर या संस्थान का संस्थापक है, कोई भी व्यक्ति जिसने

₹ 50,000 से अधिक राशि का ट्रस्ट या संस्थान में पर्याप्त योगदान दिया है, जहां ऐसा आँथर, संस्थापक या व्यक्ति एचयूएफ है, किसी भी ट्रस्ट का ट्रस्टी या प्रबंधक, ऐसे किसी आँथर, संस्थापक, पर्याप्त योगदानकर्ता, सदस्य, ट्रस्टी या प्रबंधक का कोई रिश्तेदार है। धारा 13(1)(डी)(i) निर्धारित करती है कि धारा 11 या 12 के तहत छूट तब लागू नहीं होती जब 30 नवम्बर 1983 के बाद धारा 11(5) में विनिर्दिष्ट किसी भी एक या एक से अधिक प्रारूपों या स्वरूपों के अलावा ट्रस्ट के किसी भी निधि का निवेश या जमा किया जाता है या निवेशित या जमा रहता है। धारा 13(1)(डी)(iii) धर्मार्थ ट्रस्ट को छूट की उपलब्धता नहीं करने के लिए भी प्रावधान करता है यदि सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी के शेयरों की बजाय किसी कम्पनी के शेयर या धारा 11(5) के तहत प्रारूप या स्वरूप के साधन के रूप में निर्धारित शेयरों को 30 नवम्बर 1983 के बाद ट्रस्ट या संस्थान द्वारा धारित किया गया है।

इसके अलावा, धारा 12ए(4) 01.10.2004 से शामिल किया है, यह निर्धारित करता है कि यदि ट्रस्टों की गतिविधियों को इस तरह से संचालित किया जा रहा है कि धारा 11 और 12 के प्रावधान धारा 13(1) परिचालन के कारण ऐसे ट्रस्ट या संस्थान की आय के पूरे या किसी भी हिस्से को बाहर करने के लिए लागू नहीं होते हैं तब, प्रधान आयुक्त या आयुक्त लिखित रूप में आदेश द्वारा इस तरह के ट्रस्ट या संस्थान के पंजीकरण को रद्द कर सकते हैं।

6.6.1 सीआईटी(छूट), मुम्बई प्रभार में, लेखापरीक्षा ने देखा कि नि.व. 2009-10 से 2014-15 के दौरान चार ट्रस्टों ने ₹ 4034.95 करोड़ का निवेश किया और एक ट्रस्ट ने अपनी समूह की कंपनियों के शेयरों में नि.व. 2012-13 में ₹ 2.02 करोड़ का निवेश किया, जो धारा 11(5) के साथ पठित धारा 13(1)(डी)(iii) के तहत एक निषिद्ध प्रणाली है। आयकर विभाग ने धारा 11 के तहत चार ट्रस्टों में छूट के निर्धारित के दावों को अस्वीकृत कर दिया। हालाँकि नि.व. 2012-13 के लिए ट्रस्ट के एक अन्य मामलों में, आयकर विभाग ने छूट को अस्वीकृत नहीं किया।

यह तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इन ट्रस्टों ने साल-दर-साल निवेश को संचालित करने वाले नियमों का उल्लंघन करना जारी रखा है और इसके साथ ही चूँकि एओ इस अनियमितता की जांच करने के लिए कदम उठाए बिना साल-दर-साल छूट को अस्वीकृत कर रहा है, इन निर्धारितियों को दिए गए धारा 12ए के तहत पंजीकरण की निरन्तरता की समीक्षा की जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, यह जांच करने की आवश्यकता है कि क्या ऐसी त्रुटियाँ चूक

अथवा भूल की थी। यदि ये त्रुटियां भूल की थी तो कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था।

6.6.2 धारा 13(1)(डी)(iii) के परंतुक (i) और (iए) के अनुसार धारा 13(1)(डी)(iii) के प्रावधान ट्रस्ट द्वारा रखी गई किसी सम्पत्ति पर लागू नहीं होगी, जहां इस तरह की संपत्ति 1.6.1973 को ट्रस्ट के कॉर्पस का हिस्सा बनती है या शेयरों में किसी भी अभिवृद्धि, ट्रस्ट को आवांछित बोनस शेयरों के माध्यम से कॉर्पस का हिस्सा बनता है।

सीआईटी (ई), मुम्बई प्रभार में, तीन ट्रस्टों ने धारा 11(5) के तहत निर्धारित माध्यमों के अलावा अन्य माध्यमों में निवेश जारी रखा। इन ट्रस्टों ने समूह कंपनी में 31.3.2014 को सामूहिक रूप से 55.55 प्रतिशत (₹ 76.90 लाख मूल्य के 2,24,478 शेयर) रखे थे जो जून 1973 से पहले निवेश किए गए थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि रिकॉर्ड में यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि निवेश इन ट्रस्टों के कॉर्पस/आय में 1.6.1973 को उससे पहले किए गए थे।

धर्मार्थ उद्देश्य के लिए निधि का उपयोग करने के बजाय समूह कंपनी की बहुसंख्यक हिस्सेदारी रखकर समूह कंपनियों के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए ट्रस्टों के कॉर्पस कोष का उपयोग किया जा रहा है। इसलिए, 1.6.1973 से पहले ऐसे ट्रस्टों द्वारा निवेश के लिए छूट के प्रावधानों की निरंतरता की समीक्षा की जानी चाहिए। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था।

6.7 विदेशी विश्वविद्यालयों को दी गई निधियों के उपयोग पर ट्रस्ट को छूट अनुमत

धारा 11(1)(सी) धर्मार्थ उद्देश्य के लिए 1 अप्रैल 1952 को या उसके बाद निर्मित ट्रस्टों को छूट प्रदान करता है जो अन्तर्राष्ट्रीय कल्याण को बढ़ावा देता है जिसमें भारत रुचि रखता है, भारत के बाहर इस तरह के उद्देश्य के लिए ऐसी आय को किस हद तक लागू किया जाता है बशर्ते कि बोर्ड ने सामान्य या विशेष आदेश से यह निर्देश दिया हो कि वह इस तरह की आय की प्राप्ति को व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं करेगा।

सीआईटी (ई), मुम्बई प्रभार में, ट्रस्ट के मामले में, लेखापरीक्षा ने देखा कि नि.व. 2009-10 से 2014-15 के दौरान ट्रस्ट (जुलाई 2008 में स्थापित) ने दो विदेशी विश्वविद्यालयों को ₹ 430.03 करोड़ के समतुल्य, दान कोष के निर्माण के लिए ₹ 232.89 करोड़ और परिसर में एक इमारत के अक्षयनिधि के लिए ₹ 197.14 करोड़ का दान दिया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सीबीडीटी ने आरंभ में मई 2010 में छूट हेतु ट्रस्ट के दावे को यह कहते हुए अस्वीकृत किया था (जून 2014) कि “ट्रस्ट का प्रस्तावित कार्य “अन्तर्राष्ट्रीय कल्याण जिसमें भारत रुचि रखता है”, को बढ़ावा देना नहीं है तथा अधिनियम की धारा 11(1)(सी) के प्रयोजन हेतु इसे नहीं माना जाता”। लेखापरीक्षा ने आगे यह पाया कि निर्धारित छूट के लिए दावे के रद्द होने के निर्णय से असंतुष्ट था। इसके बाद, सीबीडीटी ने अपना पहले का आदेश वापस लिया और 100 मिलियन डालर की राशि के लिए नि.व. 2009-10 से 2016-17 तक पूर्ण व्यापी ढंग से विदेशी दान पर ट्रस्ट को छूट की अनुमति देने वाला एक अन्य आदेश (नवम्बर 2015) जारी किया। सीबीडीटी के आदेश के बाद, नि.व. 2009-10 के बाद से ऐसे विदेशी अनुदानों के संबंध में ट्रस्ट को छूट की अनुमति दी गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सीबीडीटी के आदेश के आधार पर दी गई छूट निम्नलिखित कारणों से अनियमित है।

- (i) पहले रद्द किए गए आदेश को वापस लेना गलत है क्योंकि बोर्ड के पास अपने पहले के रद्द हुए आदेश की समीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है। सीबीडीटी ने अपनी टिप्पणी में खुद कानून मंत्रालय द्वारा एक अन्य मामले में दिये स्पष्टीकरण के तथ्य को सामने रखा है;

“यह सुव्यवस्थित कानून है कि समीक्षा करने का अधिकार एक निहित अधिकार नहीं है। यह कानून द्वारा प्रदत्त किया जाना चाहिए कि क्या विशेष रूप से या आवश्यक निहितार्थ है (कुछ उच्च न्यायालय इस विचार के है कि केवल अदालतों के पास अपने आदेशों की समीक्षा करने की अंतर्निहित शक्ति है)। चूंकि अधिनियम में यह प्रावधान नहीं है जो यह दर्शाता है कि निर्धारित प्राधिकारी को अपने पहले के आदेश की समीक्षा करने का अधिकार है, इसलिए यह माना जाता है कि निर्धारित प्राधिकारी अपने पहले के आदेश की समीक्षा के अधिकार का उपयोग करने की स्थिति में नहीं है।”

उपरोक्त दृष्टिकोण को ऐसे सभी पुनर्विचार के अनुरोधों में सीबीडीटी द्वारा लगातार अपनाया गया है।

- (ii) सीबीडीटी के द्वारा धारा 11(1)(सी) के तहत दिनांक 10 नवम्बर 2015 को आदेश पारित किए जाने के बाद, विभिन्न नि.व. के लिए, छूट प्रदान करने में एओ द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण तर्कसंगत नहीं था। नि.व. 2009-10 के लिए, मार्च 2016 में धारा 147 के

साथ पठित धारा 143(3) के तहत आदेश पारित करके एओ द्वारा छूट प्रदान की गई थी। नि.व. 2011-12 और नि.व. 2012-13 के लिए दिसम्बर 2015 में धारा 154 के तहत एओ द्वारा छूट प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त नि.व. 2011-12 और 2012-13 के लिए धारा 154 के तहत निर्धारण को फिर से खोलने हेतु, अभिलेखों में त्रुटियों की स्थिति स्पष्ट नहीं की गई थी चूंकि सीबीडीटी का आदेश निर्धारण आदेशों को पारित करने के बाद जारी किया गया था, इसे रिकॉर्ड से प्रतीत त्रुटि के रूप में नहीं माना जा सकता है।

तथ्य को देखते हुए कि सीबीडीटी के पास निर्धारिती के दावे को रद्द करने के उसके स्वयं के पूर्व आदेश की समीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है, सीबीडीटी द्वारा भारत से बाहर उपयोग की गई आय पर दी गई छूट सही नहीं थी। सीबीडीटी द्वारा पारित आदेश के कारण ₹ 135.62 करोड़ का कर प्रभाव हुआ।

6.8 निर्धारिती को छूट प्रदान की जहां विदेशी मुद्रा दान सहित स्वैच्छिक योगदान को दाता के विशिष्ट निर्देश के बिना कॉर्पस कोष के रूप में माना गया था।

धारा 11(1)(डी) में यह प्रावधान है कि दान को कॉर्पस दान रूप में तभी माना जा सकता है, केवल जब दानकर्ता इसे कॉर्पस का भाग बनाने के लिए विशिष्ट निर्देश देता है और इस तरह के दान को ट्रस्ट की कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा।

सीआईटी(ई), मुम्बई प्रभार में, नि.व. 2014-15 के लिए एक ट्रस्ट की संवीक्षा निर्धारण नवम्बर 2016 में पूरी हुई, जिसमें धारा 11 के तहत ₹ 75.45 करोड़ की अनुमत की गई थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि ट्रस्ट ने ₹ 13.89 करोड़ विदेश मुद्रा दान सहित ₹ 39.14 करोड़ का कॉर्पस प्राप्त किया। हालाँकि, अपेक्षित दानदाताओं के विवरण के साथ-साथ कॉर्पस दान की वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए विदेशी मुद्रा में प्राप्त दान पर विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत रिपोर्ट भी अभिलेखों में नहीं पायी गई। इसलिए, इसे कॉर्पस का हिस्सा बनाने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध नहीं थे। इसके अतिरिक्त, चूंकि विदेशी मुद्रा दान के स्रोत का पता नहीं था, आयकर विभाग को राउंड ट्रिपिंग की संभावनाओं को रोकने के लिए इसकी जांच करना आवश्यक है।

धारा 11(1)(डी) के प्रावधान के अनुसार दानकर्ता के विशिष्ट निर्देश के साथ राशि को कॉर्पस में लिया जा सकता है। इस मामले में इस प्रकार के निर्देश के

अभाव में इस राशि को वर्ष की आय रूप में लिया जाना चाहिए। अतः वर्ष के दौरान अर्जित ₹ 38.76 करोड़ के पूरे अधिशेष को कर के लिए प्रभारित किया जाना चाहिए था क्योंकि निर्धारिती द्वारा धारा 11(2) के तहत संचय की मांग नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 13.17 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था।

6.9 पंजीकरण रद्द नहीं करना जहां ट्रस्ट और संस्थानों की गतिविधियां अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं हैं

धारा 11(2) में यह प्रावधान है कि जहां आय का 85 प्रतिशत उपयोग नहीं किया जाता है या धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं माना जाता है परंतु संचित है या अलग रखी गई है, इस तरह की आय जो संचित या अलग से रखी गई है, को कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा बशर्ते ऐसा व्यक्ति एओ को उस उद्देश्य को बताते हुए निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित तरीके से विवरण प्रस्तुत करता है जिसके लिए आय संचित की जा रही है या अलग रखी जा रही है और इस तरह के संचय की अवधि है। धारा 12एए(3) सीआईटी को पंजीकरण रद्द करने का अधिकार देती है, यदि वह संतुष्ट है कि ट्रस्ट की गतिविधियां वास्तविक नहीं हैं या ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार गतिविधियां नहीं चलाई जाती हैं। इसके अलावा, 1.10.2014 से धारा 12एए(4), पंजीकरण रद्द करने का प्रावधान करती है यदि ट्रस्ट या संस्था की गतिविधियों को इस तरीके से चलाया जाता है कि धारा 11 और 12 के प्रावधान धारा 13 की उप-धारा (i) के परिचालन के कारण ऐसे ट्रस्ट या संस्थान की संपूर्ण या आंशिक आय को अलग करने में प्रयोग नहीं होते हैं। इसके अलावा, वित्त अधिनियम 2010 और 2015 की संशोधित धारा 2(15) प्रावधान करती है कि सामान्य जनोपयोगी किसी भी अन्य वस्तु की उन्नति एक धर्मार्थ उद्देश्य के लिए नहीं होगी, यदि इसमें व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की प्रकृति की किसी भी गतिविधि को शामिल करना है, किसी व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय के संबंध में किसी भी सेवा को प्रदान करने की कोई गतिविधि, एक उपकर या शुल्क या किसी अन्य मुआवजा के लिए, इस तरह की गतिविधि से आय के उपयोग या आवेदन या प्रतिधारण की प्रकृति के बावजूद और पिछले वर्ष के दौरान ऐसी गतिविधि या गतिविधियों से कुल प्राप्तियां, ऐसी गतिविधि या गतिविधियों से ₹ 25 लाख (1.4.2016 से कुल प्राप्तियों का 20 प्रतिशत) से अधिक हो।

6.9.1 सीआईटी (ई), मुम्बई प्रभार में, 15 मामलों में लेखापरीक्षा ने देखा कि नि.व. 2009-10 से धारा 2(15) के संशोधन के कारण, आयकर विभाग ने निर्धारणों के समय, देखा कि ऐसे ट्रस्टों की गतिविधियों को धारा 2(15) के

साथ पठित धारा 11(2) के उल्लंघन के कारण गैर-धर्मार्थ माना गया था और उन्हें अधिनियम के उद्देश्य के लिए वैध ट्रस्टों के रूप में नहीं माना गया था। आयकर विभाग ने ऐसे तीन ट्रस्टों का पंजीकरण रद्द कर दिया। चूंकि, इन ट्रस्टों ने अधिनियम के उद्देश्य के लिए धर्मार्थ ट्रस्ट के चरित्र को खो दिया, इसलिए धर्मार्थ उद्देश्य पर भविष्य के उपयोग के लिए धारा 11(2) के तहत संचित या अलग आय पर कर लगाया जाना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ब्यौरों के अभाव में इन ट्रस्टों के इस तरह के संचय का पता नहीं लगा सका और यह भी कि क्या विभाग ने इस तरह के संचय को रद्द करने पर कर लगाया था। आयकर विभाग को उन ट्रस्टों के संबंध में कर लगाने पर की गई कार्रवाई के विषय में स्पष्ट करने के लिए कहा गया जहां पंजीकरण रद्द किया गया था। उत्तर प्रतिक्षित है।

शेष 12 मामलों में, लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि विभाग ने अधिनियम के उद्देश्य के लिए इन ट्रस्टों की गतिविधियों को गैर धर्मार्थ माना है तथापि, इन ट्रस्टों के पंजीकरण को धारा 12ए के तहत रद्द नहीं किया गया था। इसलिए इन संस्थाओं के पंजीकरण की समीक्षा करने की आवश्यकता है और यदि उचित माना जाए तो छूट प्राप्त आय से संचित निधि को कर में लाया जा सकता है।

6.9.2 सीआईटी (ई), मुम्बई प्रभार में, नि.व. 2014-15 के लिए एक ट्रस्ट का संवीक्षा निर्धारण नवम्बर 2016 में धारा 11(2) के तहत ₹ 11.38 करोड़ की छूट देने के बाद पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष के दौरान ट्रस्ट ने चैरिटी के लिए ₹ 17.95 करोड़ की प्राप्तियों के प्रतिकूल ₹ 1.91 करोड़ (अर्थात् 10.64 प्रतिशत) प्रयोग किया। यह संचय ₹ 21.23 करोड़ के कॉर्पस कोष के अतिरिक्त है। लेखापरीक्षा ने आगे नि.व. 2012-13 एवं नि.व. 2013-14 के निर्धारण रिकॉर्ड से यह भी देखा कि ट्रस्ट ने चैरिटी के लिए ₹ 11.58 करोड़ और ₹ 14.68 करोड़ की प्राप्तियों के संबंध में क्रमशः ₹ 3.69 करोड़ (अर्थात् 31.86 प्रतिशत) और ₹ 1.64 करोड़ (अर्थात् 11.17 प्रतिशत) ही उपयोग किया है। यह संचय नि.व. 2012-13 और नि.व. 2013-14 के दौरान प्राप्त क्रमशः ₹ 15.06 करोड़ और ₹ 18.10 करोड़ के कॉर्पस कोष के अतिरिक्त है। इससे पता चलता है कि ट्रस्ट चैरिटी के लिए आय का उपयोग नहीं कर रहे थे और संचय के प्रावधान का दुरुपयोग करके इसे संचित कर रहे थे। पिछले कुछ वर्षों से चैरिटी के लिए थोड़ा उपयोग किया जाना यह दर्शाता है कि निर्धारिती का चैरिटी करने के लिए कोई उद्देश्य या योजना नहीं है। चूंकि, ट्रस्ट चैरिटी हेतु आय के उपयोग के लिए अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने में विफल रही है, इसलिए धारा 12ए के तहत ट्रस्ट के पंजीकरण की निरंतरता की समीक्षा की जानी आवश्यक है। मंत्रालय का जवाब प्रतीक्षित था।

6.10 निर्धारण सूचना प्रणाली (एएसटी) का अधिभार उद्ग्रहण करने में विफलता
वित्त अधिनियम, 2014 ने एसोसियेशन ऑफ परसन की कर योग्य आय पर 10 प्रतिशत की दर से अधिभार लगाया था, यदि आय ₹ 1.00 करोड़ से अधिक है। लेखापरीक्षा में ट्रस्ट के 33 मामलों में पाया गया कि, ₹ 1.00 करोड़ से अधिक की आय होने पर भी अधिभार नहीं लगाया गया था। इस चूक के परिणामस्वरूप उपकर सहित ₹ 212.38 करोड़ का अधिभार नहीं लगाया गया। ऐसे दो मामले नीचे दर्शाए गए हैं:

6.10.1 सीआईटी(ई), मुम्बई प्रभार में, नि.व. 2014-15 के लिए एक ट्रस्ट का निर्धारण ₹ 1,894.92 करोड़ में किया गया था। आयकर गणना फॉर्म से पता चला कि आयकर विभाग प्रणाली (एएसटी) उपकर सहित ₹ 58.55 करोड़ का अधिभार लगाने में विफल रही। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था।

6.10.2 सीआईटी(ई), मुम्बई प्रभार में, नि.व. 2014-15 के लिए ट्रस्ट का निर्धारण ₹ 893.24 करोड़ में किया गया था। आयकर गणना फॉर्म से पता चला कि आयकर विभाग प्रणाली उपकर सहित ₹ 27.60 करोड़ के अधिभार का उद्ग्रहण करने में विफल रही। मंत्रालय के उत्तर प्रतीक्षित था।

जैसा कि हमने ट्रस्टों से संबंधित निर्धारण के मामलों की सीमित संख्या में देखा, आयकर विभाग को उन तिथियों का पता लगाने की आवश्यकता है जिनके बीच प्रणाली द्वारा अधिभार लगाया जाने वाला था और उन सभी निर्धारितियों की पहचान करने के लिए जिनके द्वारा उस अवधि के दौरान अधिभार का भुगतान नहीं किया गया था और उसकी वसूली के लिए कार्रवाई की गई थी।

6.11 निर्धारणों में अनियमिततायें

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत, निर्धारण अधिकारी को संवीक्षा निर्धारण में निर्धारिती की कुल आय या हानि का सही निर्धारण करना है और उसके द्वारा भुगतान योग्य राशि का निर्धारण करने या इस तरह के निर्धारण के आधार पर उसे वापस करने की आवश्यकता है। सीबीडीटी ने समय-समय पर इस संबंध में निर्देश जारी किये हैं।

हमने ₹ 181.33 करोड़ के कर प्रभाव वाले हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में 23 मामलों में ट्रस्टों/संस्थानों को छूट की अनुमति देते समय निर्धारण में अनियमितताओं को देखा। पांच ऐसे मामले नीचे दर्शाए गए हैं।

6.11.1 सीआईटी(ई), मुम्बई प्रभार में, नि.व. 2014-15 के लिए एक ट्रस्ट में निर्धारण अधिकारी ने छूट के लिए निर्धारिती के दावे को मना किया। हालाँकि, लेखापरीक्षा संवीक्षा, में पता चला कि कुल आय की गणना करते समय निर्धारण

अधिकारी ने गलती से धारा 10(23सी)(iv) के तहत ₹ 125.57 करोड़ की सीमा तक छूट की अनुमति दी। गलती से ₹ 42.66 करोड़ के कर के कम उद्ग्रहण सहित ₹ 125.57 करोड़ की आय के कम निर्धारण का परिणाम है। जवाब में (फरवरी 2018) विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया। मंत्रालय का प्रतीक्षित था।

6.11.2 धारा 11(1) के नीचे स्पष्टीकरण (2) यह प्रावधान करता है कि यदि, पिछले वर्ष में, भारत में धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्य के लिए उपयोग की गई आय उस वर्ष के दौरान ट्रस्ट के अधीन रखी गई संपत्ति से प्राप्त आय के 85 प्रतिशत से कम हैं, या जैसा भी मामला हो, ट्रस्ट के अधीन अंश में रखी, किसी अन्य कारण के लिए किसी भी राशि, तब आय हो सकती, जब आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति के विकल्प पर, पिछले वर्ष के दौरान इस तरह के उद्देश्य के लिए आय का उपयोग माना जाएगा जिसमें आय प्राप्त की गई थी और आय इस तरह के उद्देश्य के लिए उपयोग माना गया हो आय की राशि की गणना में ध्यान नहीं रखा जाएगा।

पीसीआईटी (ई), कोलकाता प्रभार में, नि.व. 2015-16 के लिए एक ट्रस्ट का निर्धारण धारा 143(3) के तहत 'शून्य' आय के साथ अगस्त 2017 में पूरा हुआ था। एओपी को धारा 10(23सी)(vi) के तहत पंजीकृत किया गया था जिसका उद्देश्य शिक्षा प्रदान करना था इस प्रकार धारा 2(15) के तहत धर्मार्थ उद्देश्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। अगले वर्ष में आवेदन के लिए आय के संचय के रूप में निर्धारिती को धारा 10(23सी) के तहत ₹ 126.97 करोड़ की छूट दी गई थी। लेखापरीक्षा में देखा गया कि निर्धारण अधिकारी ने गलत तरीके से ₹ 45.04 करोड़ के बजाय ₹ 151.47 करोड़ की आय के अधिशेष का उल्लेख किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 106.43 करोड़ की छूट की अधिक अनुमति पर ₹ 36.16 करोड़ का संभावित कर प्रभाव था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, गलती को अक्टूबर 2018 में धारा 154 के तहत सुधार लिया गया था।

6.11.3 धारा 40(ए)(ii) में यह प्रावधान है कि किसी भी व्यवसाय या पेशे के लाभों या प्राप्तियों पर लगाए गए किसी भी दर या कर के कारण भुगतान की गई कोई राशि या उसके अनुपात में निर्धारण किया गया है, या अन्यथा, किसी भी लाभ या प्राप्ति के आधार पर कटौती योग्य नहीं है।

सीआईटी (ई), मुम्बई प्रभार में, नि.व. 2014-15 के लिए एक ट्रस्ट (कंपनी) में, निर्धारण अधिकारी ने छूट के लिए निर्धारिती के दावे का खंडन किया है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने आय की गणना में स्रोत पर काटा गया कर (टीडीएस) और अग्रिम कर के कारण ₹ 27.91 करोड़ की कटौती का

दावा किया गया। विभाग ने, कर योग्य आय की गणना करते हुए, पूर्वोक्त धारा के प्रावधान के कारण कर योग्य आय को उक्त में जोड़ने के बजाय कर योग्य आय से ₹ 27.91 करोड़ की उपरोक्त राशि कम कर दी थी। गलती से ₹ 18.97 करोड़ के कर के कम उद्ग्रहण सहित ₹ 55.82 करोड़ की आय के कम निर्धारण का परिणाम है। यदि, यह चूक की एक त्रुटि है, तो आयकर विभाग को सकल अक्षमता के लिए एओ के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और यदि ऐसी त्रुटि भूल की है, तो कानून के अनुसार कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मंत्रालय का जवाब प्रतीक्षित था।

6.11.4 सीआईटी (ई), बंगलुरु प्रभार में, नि.व. 2015-16 के लिए शैक्षणिक संस्थानों के संचालन की गतिविधि में लगे एक ट्रस्ट का निर्धारण, सितम्बर 2017 में ₹ 11.35 की आय के साथ पूरा हुआ। लेखापरीक्षा ने देखा कि एओ ने पिछले अतिरिक्त व्यय को आगे ले जाने को अनुमति नहीं देकर आदेश दिया। सीआईटी (ए) ने दिनांक 12.2.2018 के अपने आदेश के पैरा 5.2 और 5.3 में रिकॉर्डों के निर्धारण के साथ आंकड़ों के सत्यापन के बाद आय के उपयोग के रूप में पूर्ववती वर्षों के ₹ 58.99 करोड़ के अतिरिक्त व्यय (पहले के वर्षों से संबंधित) को आगे ले जाने की अनुमति देने के लिए एओ को निर्देश दिया। इसमें नि.व. 2009-10 से संबंधित ₹ 31.14 करोड़ का घाटा शामिल था। दिसम्बर 2016 में धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) और जनवरी 2018 में सीआईटी (ए) को दिए गए आदेश के तहत पारित किए गए नि.व. 2009-10 के लिए निर्धारण आदेशों से लेखापरीक्षा ने देखा कि आगे ले जाने के लिए कोई घाटा नहीं था। इस प्रकार, गलत सैटऑफ और ₹ 31.14 करोड़ के घाटे को आगे बढ़ाने के परिणामस्वरूप ₹ 10.58 करोड़ के संभावित कर प्रभाव का कम उद्ग्रहण हुआ।

6.11.5 सीआईटी(ई), बंगलुरु प्रभार में, नि.व. 2014-15 और नि.व. 2015-16 के लिए एक ट्रस्ट के निर्धारण, क्रमशः ₹ 55.64 करोड़ और ₹ 54.16 करोड़ की हानि में पूरे हुए थे। निर्धारिती, सार्वजनिक परिवहन सेवा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया, अधिनियम की धारा 12ए के तहत पंजीकृत था। एओ ने धारा 13(8) के साथ पठित धारा 2(15) के कारण धारा 11 के तहत कटौती के दावे का खंडन किया और इसकी आय को सामान्य व्यावसायिक आय के रूप में कर के लिए लाया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि आय की गणना करते समय, व्यवसायिक आय के प्रावधानों को समग्रता में लागू नहीं किया गया था बल्कि धारा 11 के अनुसार आय को अपनाते हुए गणना की गई थी। गलती से नि.व. 2014-15 और नि.व. 2015-16 के लिए ₹ 3.66 करोड़ और

₹ 16.78 करोड़ के संभावित कर सहित क्रमशः ₹ 8.23 करोड़ और ₹ 37.84 करोड़ की आय के कम निर्धारण का परिणाम है।

6.12 निष्कर्ष

वर्ष 2013 की निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 20 में पहले प्रदर्शित होने के बावजूद, लेखापरीक्षा में अभी भी अनियमितताओं के उदाहरण देखे जाते हैं

- आयकर विभाग ने संबंधित समूह ट्रस्टों/संस्थानों को ट्रस्टों द्वारा आय/सम्पत्ति के विपथन को आय का उपयोग माना गया,
- आयकर विभाग ने उन निर्धारितियों को छूट दी जिनकी गतिविधियां धर्मार्थ प्रकृति की नहीं थी,
- आयकर विभाग ने उन ट्रस्टों के पंजीकरण को रद्द करने की कार्रवाई नहीं की है जिनकी गतिविधियों को गैर-धर्मार्थ माना गया था,
- अधिनियम में निर्दिष्ट उन प्रारूपों या स्वरूपों के अलावा ट्रस्टों द्वारा संचित धन के निवेश की निगरानी करने के लिए आंतरिक नियंत्रण तंत्र कमजोर हैं; और
- आयकर विभाग ने निर्धारितियों को छूट प्रदान की जहां विदेशी मुद्रा दान सहित स्वैच्छिक योगदान को दाता के विशिष्ट निर्देश के बिना कॉर्पस कोष के रूप में माना गया था।

लेखापरीक्षा ने आगे ये उदाहरण देखे जाते हैं

- आयकर विभाग ने व्यय और संचय की अनुमति दी जहां छूट से मना किया गया था;
- नियमों के उल्लंघन में, आयकर विभाग ने धर्मार्थ आधार पर 1952 के बाद गठित ट्रस्ट को छूट दी यद्यपि निवेश एक विदेशी विश्वविद्यालय में किया था। उनके पास ऐसे आदेश की समीक्षा और पारित करने की शक्तियां नहीं थी; और
- आयकर विभाग का एएसटी अधिभार उदग्रहण करने में विफल रहा।

सीबीडीटी को, संसद में सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्टों के उल्लंघनों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, लेखापरीक्षा द्वारा आवश्यक डाटा/जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है। सीबीडीटी को न केवल उन मामलों की जो लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए हैं बल्कि अपवाद सभी ट्रस्टों के मामलों को समीक्षा करने की आवश्यकता है।

6.13 सिफारिशें

पीएसी ने “धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं को छूट” पर अपनी 27वीं रिपोर्ट (16वीं लोकसभा) में शामिल समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर अपनी 104वीं रिपोर्ट में भी यह सुझाव दिया था कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अंतरालों के उपाय और भविष्य में पुनरावृत्ति को कैसे रोकें पर सिफारिशें दें। इसलिए निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैं।

- i. सीबीडीटी, छूट देने से पहले यह सुनिश्चित करे कि अधिनियम में निर्धारित विभिन्न शर्तों का पालन ट्रस्टों द्वारा किया जाता है, और निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करने वाले ट्रस्टों के पंजीकरण की समीक्षा की जाती है।
- ii. सीबीडीटी धर्मार्थ ट्रस्ट या संस्थान द्वारा विदेशी दान के लिए पूर्व अनुमोदन को एक पूर्व-शर्त बनाने के प्रावधान में संशोधित करने पर विचार कर सकता है। सीबीडीटी एक सीमा, जैसेकि इस तरह के दान के लिए आय की 5 से 10 प्रतिशत, भी निर्दिष्ट करे।
- iii. सीबीडीटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन नहीं करने के मामलों में ट्रस्टी को भी उत्तरदायी बनाने के प्रावधान शामिल करने पर विचार करे।
- iv. धर्मार्थ ट्रस्टों और संस्थानों को छूट के लिए कुछ प्रावधानों यथा 1.4.1952 को या उसके बाद धारा 11(1)(सी), 30 नवम्बर 1983 के बाद धारा 13(1)(डी)(iii), 1.6.1973 से अनंतिम धारा 13(1)(डी)(iii) विशिष्ट तिथियों से हैं और अलग-अलग ट्रस्टों पर अलग तरीके से लागू होते हैं जिसे एक स्तर पर प्लेईंग क्षेत्र प्रदान नहीं करते हैं। सीबीडीटी उन ट्रस्टों पर लागू ऐसे प्रावधानों के लिए एक समापक उपनियम को सम्मिलित करते हुए एक स्तर के प्लेईंग क्षेत्र में लाने पर विचार कर सकता है, जिन कार्यों के आधार पर लाभ को बरकरार रखा है, जो अब निषिद्ध हैं, पहले लिया जा चुका है। ऐसे प्रावधानों के लिए एक समापक उपनियम सुनिश्चित करेगा कि अब हितलाभ किसी के लिए उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार, सभी प्रकार के ट्रस्टों और संस्थानों के साथ समान तरह से बर्ताव किया गया है। यह ट्रस्टों के निर्धारण में कठिनाईयों को कम करेगा, जब विभिन्न ट्रस्टों से विभिन्न प्रकार से बर्ताव होता है, और निर्धारण में त्रुटियों को कम करेगा। सीबीडीटी प्रभावित ट्रस्टों को नये प्रावधानों के साथ अनुपालन के लिए जैसेकि तीन वर्षों की एक अवधि देने पर विचार कर सकता है।

- v. चूँकि पिछली 2013 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 20 में बताए गए मामले जारी हैं, अतः आयकर विभाग को बिना अपवाद के सभी ट्रस्ट मामलों की समीक्षा करने तथा यह सुनिश्चित करने का परामर्श दिया जाता है कि उनको अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार छूट तथा रियायत की अनुमति दी गई है।
- vi. सीबीडीटी जांच करें कि क्या पाई गई गलतियां चूक अथवा भूल की हैं और यदि ये भूल की हैं, तो आयकर विभाग को कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।

अध्याय VII : एक समूह कंपनी के निर्धारणों की एकीकृत लेखापरीक्षा

7.1 प्रस्तावना

बड़े कर दाता निर्धारितियों का निर्धारण एक जटिल मुद्दा है और व्यापार की विविध प्रकृति, कई कटौतियों, संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन, विभिन्न लेखांकन नीतियों का पालन करने और कर योग्य आय पर इसके महत्वपूर्ण प्रभाव के कारण आयकर विभाग (आईटीडी) संवेदनशील हो गया है।

हमने नमूना जांच के आधार पर अपनी विभिन्न सहायक कंपनियों के साथ समूह¹¹³ की प्रमुख कंपनी की एकीकृत लेखापरीक्षा की। एफसी समामेलन/ डिमर्जर के कई वित्तीय लेन-देन कर रहा था, जिसका कर राजस्व और लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्र पर व्यापक प्रभाव है। वर्तमान में एफसी का निर्धारण सीआईटी (एलटीयू), मुम्बई प्रभार में, और समूह कंपनियों/संस्थाओं का निर्धारण विभिन्न प्रभारों जैसे सीआईटी-II, सीआईटी-III, सीआईटी-VIII, सीआईटी-XVII, सीआईटी (छूट) आदि करते हैं। समूह को मुख्य रूप से विभिन्न खंडों में वर्गीकृत किया जा सकता है जैसे तेल और गैस की निकासी, रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स, ट्रेजरी ऑपरेशंस का व्यापार प्रमुख कंपनी करेगी और समूह के सहयोगी कम्पनियां मुख्य रूप से तेल रिटेल, गैस परिवहन, निवेश आदि कार्यक्षेत्रों में कार्यरत हैं। इस एकीकृत लेखापरीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या गुणवत्ता निर्धारण पूरा करने के लिए आयकर विभाग विभिन्न निर्धारण प्रभार के बीच एक समूह की कंपनियों से संबंधित प्रसंगिक सूचना का आदान-प्रदान हुआ था या नहीं।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

7.2 एक समूह की कंपनियों के रिकॉर्ड की क्रॉस लिकिंग

धारा 143(3) प्रावधान करती है कि एओ को आय का सही निर्धारण और आकलन करना होगा और कर देय या प्रतिदेय का निर्धारण करना होगा, जैसा भी मामला हो। लेखाओं, रिकॉर्डों और रिटर्न के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों के साथ विभिन्न प्रकार के दावों की संवीक्षा निर्धारणों में विवरण की जांच अपेक्षित है। सीबीडीटी इस संबंध में समय-समय पर निर्देश भी जारी करती है।

¹¹³ समूह कंपनी एक समान शीर्ष कंपनी द्वारा नियंत्रित कंपनियों का संग्रह है।

सीआईटी-III, सीआईटी-VIII, सीआईटी-XVII और सीआईटी (छूट) जैसे अन्य प्रभारों में निर्धारित संबंधित दलों¹¹⁴ के रिकॉर्डों का निर्धारण की एक नमूना जांच से पता चला कि एफसी ने निवेश/अचल संपत्तियों की बिक्री और खरीद, ऋणों और अग्रिमों का विस्तार, वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री और खरीद, अन्य आय, दान आदि के रूप में संबंधित दलों के साथ कई लेन-देन किए थे। हमने एफसी के बही खाते और संबंधित दलों के बही खाते में दर्ज किए गए कुछ नमूनों में लेन-देनों में अन्तर को देखा जैसाकि नीचे तालिका 7.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 7.1: समूह कंपनियों के रिकॉर्डों की क्रॉस लिंकिंग							(₹ करोड़ में)		
क्रम सं.	संबंधित दल का नाम	प्रभार में एओ	नि.व.	लेन-दनों की प्रकृति	एफसी की बही खाते राशि	संबंधित दलों में बही खाते में दर्ज की गए राशि	अन्तर		
1	समूह कंपनी (जीसी)-1	डीसीआईटी-3 (3) (1), मुंबई	2012-13	वर्ष के दौरान एफसी द्वारा विस्तारित ऋण	2,625	2,113	512		
2	जीसी-1	डीसीआईटी-3(3)(1), मुम्बई	2013-14	वर्ष के दौरान एफसी द्वारा विस्तारित ऋण	7,684	7,735.14	51.14		
3	जीसी-2	डीसीआईटी-3(3)(1), मुम्बई	2012-13	एफसी द्वारा व्यावसायिक शुल्क का भुगतान	9.0	18.63	9.63		
4	जीसी-2	डीसीआईटी-3(3)(1), मुम्बई	2013-14	खरीद के कारण एफसी द्वारा भुगतान	68.49	52.51	15.98		

निर्धारण के रिकॉर्डों से यह देखा जाता है कि आयकर विभाग ने सीबीडीटी द्वारा वांछित सत्यता/ वास्तविकता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित दलों के साथ उपरोक्त महत्वपूर्ण लेन-देनों को आपस में जोड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था। यह इंगित करता है कि आयकर विभाग ऐसी समूह कंपनियों के एकीकृत निर्धारण की व्यवहार्यता का अन्वेषण कर सकता है।

¹¹⁴ कंपनी अधिनियम के अनुसार, किसी कंपनी के संदर्भ में संबंधित पार्टों का मतलब किसी भी कंपनी से है, जो ऐसी कंपनी को होल्डिंग, सहायक या सहयोगी कंपनी है।

आयकर विभाग ने सूचना के साझाकरण और विभिन्न निर्धारण प्रभारों में लेन-देनों की क्रॉस लिंकिंग के महत्व को स्वीकार (अप्रैल 2018) करते हुए कहा कि नि.व. 2015-16 की निर्धारण कार्यवाही के दौरान संबंधित दल के लेन-दनों (आरपीटी) के उद्देश्य के लिए निर्धारिती के बही खातों के सामंजस्य संवीक्षा की गई है। आयकर विभाग ने आगे लेन-देनों के सामंजस्य को प्रस्तुत किया जिनमें संबंधित दलों के बही खातों में अन्तर दर्शाए गए थे।

आयकर विभाग ने क्रम सं. 1 और 2 के संदर्भ में कहा कि निर्धारिती कंपनी को जीसी-1 की आरपीटी अनुसूची में सूचित आंकड़ों की तुलना में एफसी की आरपीटी अनुसूची में सूचित आंकड़ों के बीच के अंतर को सही कर लेने को कहा गया था। जवाब में, निर्धारिती कंपनी एफसी ने प्रस्तुत किया कि संबंधित दल लेन-देनों (आरपीटी) में अंतर “ब्याज अर्जित लेकिन देय नहीं” के कारण था।

इस संबंध में, यह कहना है कि यद्यपि आयकर विभाग ने राशि के अन्तर का कारण प्रस्तुत किया, इसमें निर्धारण वर्षों का विवरण नहीं दिया जिसमें उक्त मद अर्थात् “ब्याज अर्जित लेकिन देय नहीं” कर को प्रयार्य होगी।

क्रम सं. 3 के सन्दर्भ में, आयकर विभाग के उत्तर दिया कि निर्धारिती कंपनी को अंतर को सही कर लेने के लिए कहा गया था और निर्धारिती ने प्रस्तुत किया कि जीसी-2 को एफसी से ₹ 27.63 करोड़ प्राप्त हुए थे जिसमें परिचालन से राजस्व के कारण ₹ 9 करोड़ और खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए ₹ 18.63 करोड़ शामिल थे। चूंकि एफसी ने अपनी आरपीटी अनुसूची में प्रतिपूर्ति को छोड़कर लेन-देन दर्शाए हैं, ₹ 18.63 करोड़ के खर्च की प्रतिपूर्ति एफसी की आरपीटी अनुसूची में परिलक्षित नहीं होता है। खर्च की प्रतिपूर्ति को व्यावसायिक शुल्क के विवरण के खर्च के विरुद्ध निवल कर दिया गया है, जिसका सत्यापन जीसी-2 की निर्धारण कार्यवाही के दौरान किया गया था। क्रम सं. 4 के संदर्भ में आयकर विभाग ने निर्धारिती के प्रस्तुतिकरण पर पक्ष रखते हुए कहा कि जीसी-2 को एफसी से ₹ 61 करोड़ प्राप्त हुए थे जिसमें ₹ 52.51 करोड़ की परिचालन से आय और ₹ 8.29 करोड़ के पट्टा किराया के प्रमुख हिस्से में ₹ 0.2 करोड़ के अन्तर को पूर्णांकित करते हुए कर लगाने की पेशकश की गई थी।

इस संबंध में, यह कहना है कि यद्यपि आयकर विभाग ने निर्धारिती द्वारा बताए गए अंतर के कारण को प्रस्तुत किया है, हालाँकि, निर्धारितियों के संस्करण स्वीकार करते हुए जिन रिकॉर्डों पर आयकर विभाग ने विश्वास किया था, लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए थे। जैसे कि, लेखापरीक्षा संबंधित दल

के लेन-देनों के विवरणों को सत्यापित नहीं कर सका और इसलिए कोई भी टिप्पणी प्रस्तुत करने में अक्षम है।

संबंधित दल लेन-देनों के क्रॉस लिंकिंग/ सत्यापन के लिए, आयकर विभाग में सूचना साझाकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) चालित एक तंत्र जो सूचना का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम होगा, को विकसित करना और संबंधित दल के महत्वपूर्ण लेन-देनों को सामंजस्य में लाने की आवश्यकता है, क्योंकि यह एक निवारक के रूप में कार्य करेगा और कर योग्य आय के बचने की संभावना को भी कम करेगा। यद्यपि, लेन-देन में अन्तराल के सामंजस्य को आयकर विभाग द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, यह महसूस किया जाता है कि इस तरह के अभ्यास नियमित रूप में किए जाने चाहिए।

7.3 असंगत निवेश से भारी लाभांश का अर्जन

लेखापरीक्षा ने चार शेयरधारकों (एसएच) के नमूना जांच के आधार पर रिकॉर्डों को भी प्रति सत्यापित किया, जो सीमित देयता भागीदारी¹¹⁵ (एलएलपी) (अप्रैल 2010 में निगमित की स्थिति रखती है) प्रत्येक एफसी शेयरों का एक प्रतिशत से अधिक हिस्सा धारित कर रहे हैं। नामतः एसएच-1, (3.93 प्रतिशत), एसएच-2 (3.93 प्रतिशत), एसएच-3 (4.17 प्रतिशत) और एसएच-4 (3.86 प्रतिशत) उपरोक्त, एलएलपी के अधिकांश शेयर अन्य एलएलपी के पास थे जो समूह का हिस्सा है। क्योंकि उपरोक्त एलएलपी के मामले को संवीक्षा के लिए नहीं चुना गया था, आयकर विभाग से नि.व. 2012-13 से 2014-15 तक की आयकर विवरणियां (आईटीआर) की प्रति मांगी गई थी। इन आईटीआर में देखा गया था कि एलएलपी और एलएलपी के भागीदार के पंजीकृत कार्यालय समान थे। इस संदर्भ में, यह उन स्रोतों से देखा गया था। पब्लिक डोमेन में (कंपनी रजिस्ट्रार के डेटा के अनुसार) उपरोक्त पते पर, 350 से अधिक कंपनियां और एलएलपी पंजीकृत पाई गई थी लेकिन यह ज्ञात नहीं था कि क्या ये संस्थाएं नियमित रूप में अपनी आईटीआर दाखिल कर रही थी और इन संस्थाओं द्वारा नियमित व्यासायिक गतिविधियां की जा रही थी। जैसे कि ऐसी कंपनियों के पूरे ब्राहंड और उनके द्वारा प्रस्तुत की गई संयुक्त आय/हानि ज्ञात नहीं थी। इस प्रकार, कंपनियों की वास्तविकता को आयकर विभाग द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।

¹¹⁵ एलएलपी एक वैकल्पिक कॉर्पोरेट व्यवसाय रूप है जो एक कंपनी के सीमित देयता और साझेदारी के लचीलेपन का लाभ देता है। यह एक अलग वैधानिक संस्था है, जो अपनी परिसंपत्तियों को पूरी देयता है लेकिन एलएलपी में उनके समूह योगदान में साझेदारों की सीमित देयता है।

लेखापरीक्षा द्वारा दो एलएलपी नामतः एसएच-1 और एसएच-2 के संबंध में नि.व. 2012-13 के लिए आईटीआर का सत्यापन इंगित करता है कि उन्हें ₹ 102.14 करोड़ का लाभांश प्राप्त हुआ था। हालाँकि, एलएलपी की बैलेंस शीट दर्शाती है कि भागीदारों की पूंजी ₹ 0.09 करोड़ और ₹ 0.12 करोड़ और क्रमशः निवेश ₹ 0.09 करोड़ और ₹ 0.11 करोड़ था। इस प्रकार, यह प्रतीत हुआ कि बैलेंस शीट में परिलक्षित होने वाले निर्धारितियों को प्राप्त भारी लाभांश निवेश के अनुरूप नहीं था। यहां तक कि प्रति शेयर ₹ 10 के अंकित मूल्य पर, निर्धारितियों के निवेश पोर्टफोलियों को आदर्श रूप से ₹ 125 करोड़ से अधिक के निवेश को परिलक्षित करना चाहिए। यह उल्लेख करना उचित है कि संबंधित अवधि के दौरान एफसी शेयर का बाजार मूल्य ₹ 885 से ₹ 1149 के बीच रहा है। उपरोक्त स्पष्ट विसंगतियों के मद्देनजर, आयकर विभाग को निवेश के स्रोत और बही खाते में उक्त के परिलक्षित नहीं होने के कारणों को सत्यापित करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ करना चाहिए था। इसके अलावा, दो लगातार वर्षों में भारी लाभांश (प्रति वर्ष ₹ 100 करोड़ से अधिक) की प्राप्ति के बावजूद, उपरोक्त मामले सीएएसएस चयन के तहत संवीक्षा से भी बच गए। उपरोक्त लेखापरीक्षा निष्कर्ष केवल नमूना जांच किए गए मामलों के संबंध में है। इस तरह असंगत लाभांश प्राप्तियां शेष मामलों में भी मौजूद हो सकती है, जिन्हें आयकर विभाग द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।

आयकर विभाग ने जवाब में कहा कि एसएच-1, एसएच-2 और एसएच-3 के मामले संवीक्षा के लिए चयनित नहीं किए गए थे, हालाँकि मामले संवीक्षा के लिए अब चुने गए और धारा 147 (अप्रैल 2019) के तहत पुनः खोले गए हैं।

7.4 समूह कंपनियों के बीच ऋण एवं अग्रिम

7.4.1 हमने देखा कि समूह कंपनियों के बीच ऋण, अग्रिम और शेयर अंशदान के कई लेनदेन थे। सीआईटी-III प्रभार में, नि.व. 2014-15 के लिए जीसी-3, का निर्धारण पूरा करते हुए, आयकर विभाग ने अन्य बातों के साथ-साथ जीसी-4 के ₹ 9.20 लाख वरीयता शेयरों के मोचन (अक्टूबर 2013) से ₹ 90.24 करोड़ के पूंजीगत नुकसान को आगे ले जाने की अनुमति दी थी। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि जीसी-5 से प्राप्त (1 जनवरी 2012) इन वरीयता शेयरों में ₹ 4990 प्रति शेयर अर्थात् अंकित मूल्य का 499 गुना का भारी प्रीमियम था भले ही जीसी-4 का कोई पहचान योग्य व्यवसाय नहीं था और वर्षों से अल्प आय दर्शाई थी तथा अपवाद मर्दों के बाद प्रति शेयर (76.44) ऋणात्मक मूल

कमाई की थी। इसके अलावा जीसी-4 निर्धारिती सहित समामेलन की प्रक्रियाधीन था।

आयकर विभाग ने जवाब (मई 2017) दिया कि उपरोक्त वरीयता शेयर जीसी-5 के निवेश प्रभाग के अविलय पर निर्धारिती द्वारा प्राप्त हुए थे और उक्त शेयरों को जीसी-4 द्वारा अधिग्रहण की लागत पर भुनाया गया था। ये शेयर दीर्घकालिक पूंजीगत सम्पत्ति होने के कारण अधिग्रहण की लागत को अनुक्रमित किया गया जिससे ₹ 90.24 करोड़ का पूंजीगत नुकसान हुआ।

आयकर विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि आपत्ति, समूह कंपनियों द्वारा भुगतान (₹ 4990 प्रति शेयर) किए गए भारी प्रीमियम के संबंध में था जो मुख्य व्यापार या जीसी-4 की निवल कीमत के अनुरूप नहीं था। संयोग से यह भी देखा गया कि प्रासंगिक अवधि के दौरान, भारी कारोबार और मुनाफा कमाने वाला एफसी के शेयर लगभग ₹ 800 प्रति शेयर उधृत किया गया था। इस पृष्ठभूमि में ऋणात्मक निवल कीमत वाला जीसी-4 के वरीयता शेयरों के भारी प्रीमियम का भुगतान होना न्यायसंगत नहीं था। इसलिए, आयकर विभाग द्वारा समूह कंपनियों द्वारा भुगतान किए गए अत्यधिक प्रीमियम को अस्वीकार करने के लिए ऐसे प्राप्त/सब्सक्राइब किए गए शेयरों की पूर्ण लेखापरीक्षा ट्रेल को सत्यापित करने की अपेक्षा थी। भले ही अलग-अलग समूह कंपनियों के माध्यम से लेन-देन किया गया था, लेकिन उक्त को संबंधित प्रभारों को संदर्भित नहीं किया गया था और इसलिए यह प्रतीत हुआ कि आयकर विभाग के विभिन्न निर्धारण प्रभारों ने ऐसा कार्य किया जैसे कि वे एक ससंजक ईकाई के बजाय स्टैंडअलोन तरीके काम कर रहे थे।

7.4.2 अन्य मामलें में, यह देखा गया था कि जीसी-6 ने एफसी व संबंधित दलों (आरपी) आरपी-1, आरपी-2 से जीसी-7 के इक्विटी शेयरों की खरीद के लिए ₹ 8,304 करोड़ निवेश (नवम्बर 2012 से अप्रैल 2013 की अवधि के दौरान) किए थे। अप्रैल 2012 (जून 2013 के उच्च न्यायालय के आदेशानुसार) से जीसी-8 में जीसी-7 के विलय पर, जीसी-6 ने जीसी-9 को जीसी-8 (विलय पर प्राप्त हुए) के शेयर हस्तांतरित किए, ₹ 3321.60 करोड़ के पूंजीगत नुकसान के साथ जिसके बाद जीसी-1 में जीसी-6 का विलय (सितम्बर 2013) हो गया। इस प्रकार, कंपनियों के एक वेब के साथ शेयरों की खरीद, अदला-बदली की गई और कॉर्पोरेट पुनर्गठन की आइ में अल्पकालिक पूंजीगत हानि (एसटीसीएल) पैदा की गई थी।

आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को अस्वीकार (मई 2017) करते हुए कहा कि समामेलन और समामेलित कंपनी दोनों ही औद्योगिक उपक्रम नहीं हैं और इस तरह की समामेलन कंपनी अधिनियम की धारा 72ए के प्रावधानों के अनुसार समामेलन करने वाले कंपनी के नुकसानों को आगे ले जाने के लिए पात्र नहीं है। साथ ही, जीसी-1 ने इस अल्पकालिक पूंजीगत हानि को न तो समंजन किया है और न ही आगे बढ़ाया है।

आयकर विभाग का जवाब मान्य नहीं था चूंकि धारा 72ए केवल व्यापारिक हानियों और अनावशेषित मूल्यहास को आगे ले जाने से संबंधित है और निर्धारिती को पूंजीगत हानियों को आगे ले जाने से नहीं रोकता है। यह तथ्य कि इस तरह के नुकसान का दावा प्रथम वर्ष में समामेलित कंपनी द्वारा नहीं किया गया है, शेष सात लगातार वर्षों¹⁶ में इस तरह के एसटीसीएल का दावा करने से निर्धारिती को नहीं रोकता है। आगे इस मामलों में, आयकर विभाग को लेन-देन पर सवाल उठाना चाहिए था, जहां जीसी-7 के शेयरों को 5:3 के प्रतिकूल अनुपात में जीसी-8 के साथ अदला-बदली किया गया था, इस प्रकार जीसी-6, के लिए नुकसान पैदा कर रहा था, जो जीसी-7 के शेयरों को धारण किए हुए था।

7.4.3 हमने एफसी के निर्धारण रिकॉर्डों में देखा कि नि.व. 2011-12 के दौरान इसने जीसी-1 को ₹ 6,615 करोड़ का ब्याज रहित ऋण का विस्तार किया था। हमने आगे जीसी-1 के निर्धारण रिकॉर्डों में देखा कि इसने आरपी-3 को ऋण ₹ 2,261.85 करोड़ का विस्तार किया। हालाँकि, आयकर विभाग ने ऋण लेन-देनों की वास्तविकता के सत्यापन का कोई प्रयास नहीं किया। ऋण की वास्तविकता के सत्यापन करने के लिए, आयकर विभाग से लेखापरीक्षा के द्वारा आरपी-3 के रिकॉर्डों को मंगवाया था। इसके प्रत्युत्तर में, आयकर विभाग ने जवाब दिया कि आरपी-3 ने नि.व. 2012-13 से नि.व. 2014-15 के लिए अपने आईटीआर दर्ज नहीं किए थे क्योंकि कोई कर योग्य आय नहीं थी।

इस संबंध में, हमने यह भी देखा कि रिटर्न फाइलिंग को सुनिश्चित करने के लिए गैर-फाइलन प्रबंधन प्रणाली (एनएमएस) डेटा का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया गया है जो यह दर्शाता है कि उच्च धन मूल्य के लेन-देन को या तो पकड़ा नहीं गया था या यदि इसे पकड़ा भी गया था तो इसे डीआईटी/सीआईबी/

¹⁶ आयकर अधिनियम की धारा 74 प्रावधान करती है कि नि.व. के तुरन्त बाद के आठ निर्धारण वर्षों (नि.व.) के लिए अल्पावधि पूंजीगत हानि (एसटीसीएल) को आगे ले जा सकते हैं। जिसमें नुकसान की पहले गणना की गई थी। इसके अलावा, एसटीसीएल को किसी पूंजीगत प्राप्ति के प्रति सेट ऑफ कर सकता है।

एफआईयू¹¹⁷ द्वारा आगे जांच पड़ताल के लिए उपयोग नहीं किया गया था। इसलिए, ऐसी प्रणाली को लागू करने की आवश्यकता है जो उच्च धन मूल्य लेन-देन में शामिल गैर-फाइलरों को खोजें और उनके स्रोतों और धन के उपयोग को सत्यापित करता है। आयकर विभाग से जवाब प्रतीक्षित है (मार्च 2019)।

7.5 फ्लैगशिप कंपनी और उसकी समूह कंपनियों के निर्धारण की गुणवत्ता

7.5.1 धारा 80-आईए के तहत कटौती की गलत अनुमति

आयकर अधिनियम की धारा 80-आईए(1) के अनुसार, जहां एक निर्धारिती की सकल कुल आय में किसी भी पात्र व्यवसाय से किसी उपक्रम या उद्यम द्वारा प्राप्त कोई लाभ या मुनाफा शामिल है निर्धारिती को कुल आय की गणना में एक कटौती की अनुमति होगी, इस तरह के व्यवसाय में प्राप्त होने वाले लाभ और मुनाफा के सौ प्रतिशत के बराबर राशि धारा में निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन दस लगातार निर्धारण वर्षों के लिए है। इसके अलावा, यह व्यापार को (i) विकास शील या (ii) संचालन या रखरखाव या (iii) किसी भी बुनियादी ढाँचे की सुविधा को विकसित, संचालन और बनाए रखने वाले किसी भी उद्यम पर लागू होता है जो उस शर्त को पूरा करता है जिस शर्त के साथ इकाई ने केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य वैधानिक निकाय के साथ समझौता (i) विकासशील या (ii) संचालन और रखरखाव या (iii) एक नई अवसंरचना सुविधा को विकसित, संचालित और रखरखाव के लिए किया है।

7.5.1.1 सीआईटी-III, मुम्बई प्रभार में, जीसी-2 के मामले में नि.व. 2014-15 के लिए संवीक्षा निर्धारण पूरा करते हुए, आयकर विभाग ने धारा 80-आईए के तहत ₹ 6.87 करोड़ की कटौती को अनुमति दी। निर्धारिती ने अन्य दलों के साथ एफसी द्वारा निष्पादित त्रिपक्षीय करार के खिलाफ नदी 'X' से एफसी के पेट्रोकेमिकल्स परिसर तक पाइप लाइन के माध्यम से अपरिष्कृत पानी की आपूर्ति के व्यापार में लगा हुआ था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि प्रासंगिक अवधि के दौरान, निर्धारिती को एफसी से सहायक सेवाओं से ₹ 19.53 करोड़ और ₹ 17.31 करोड़ उत्पाद परिवहन सेवा शुल्क से प्राप्त हुए थे। इसके अलावा, या तो एफसी से या संबंधित कंपनियों से ₹ 84.83 करोड़ का सम्पूर्ण राजस्व प्राप्त हुआ था। यह रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों से प्रकट होता है कि निर्धारिती मुख्य रूप से एफसी के लिए उप-ठेकेदार था क्योंकि यह नगरपालिका निकाय

¹¹⁷ डीआईटी-आयकर महानिदेशक (जांच), सीआईबी-केन्द्रीय सूचना शाखा, एफआईयू-वित्तीय आसूचना इकाई

के साथ किए गए त्रिपक्षीय करार के पक्षकार नहीं थे और इसलिए धारा 80-आईए के तहत कटौती के लिए अयोग्य था। उक्त की अननुमति की चूक के परिणामस्वरूप ₹ 2.23 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण सहित ₹ 6.87 करोड़ का कम निर्धारण हुआ। नि.व. 2012-13 से पहले की अवधि के लिए 80-आईए के तहत कटौती पर इसी तरह की टिप्पणी पहले से ही धारा 80-आईए पर सीएजी की निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सूचना की गई थी।

आयकर विभाग ने जवाब दिया (मई 2017) कि निर्धारिती कंपनी अवसंरचना सुविधा का स्वामी है और सुविधा के लाभार्थी अर्थात् एफसी से परिवहन शुल्क प्रभारित किया गया था। इसके अलावा एफसी और निर्धारिती कंपनी के बीच दिनांक 25 अप्रैल 2008 के करार के अनुसार निर्धारिती अपनी परिवहन प्रणाली के प्रयोग द्वारा एफसी को सेवाएं प्रदान कर रहा था, इस प्रकार निर्धारिती को एफसी का उप-ठेकेदार नहीं कहा जा सकता।

आयकर विभाग का जवाब मान्य नहीं था क्योंकि निर्धारिती अपेक्षानुसार नगरपालिका निकाय के साथ त्रिपक्षीय करार में शामिल नहीं था। इसके अलावा, निजी सुविधा के मुद्दे पर जवाब शांत था जबकि अवसंरचना के विकास के लिए सार्वजनिक उपयोगिता की अवधारणा हमेशा अंतर्निहित है। निर्धारिती ने, त्वरित मामले में, व्यापक सार्वजनिक उपयोग के लिए बुनियादी ढांचा बनाने के लिए कोई निवेश नहीं किया था और केवल अपनी सहयोगी संस्था एफसी को अपरिष्कृत पानी परिवहन कर रहा था।

7.5.1.2 सीआईटी-III, मुम्बई प्रभार में, नि.व. 2012-13 के लिए जीसी-10 के मामले में, आयकर विभाग ने सकल कुल आय पर धारा 80.आईए के तहत कटौती की अनुमति दी जिसमें ₹ 6.23 करोड़ की पूंजीगत प्राप्ति और ₹ 111.29 करोड़ की अन्य स्रोतों से आय को शामिल किया गया था। शीर्ष “व्यापार के लाभ और प्राप्ति” के तहत आय को धारा 80-आईए के तहत कटौती को प्रतिबंधित करने को चूक के परिणामस्वरूप ₹ 117.51 करोड़ की कटौती की अधिक अनुमति, जिसके कारण ₹ 38.13 करोड़ के मैट क्रेडिट को आगे ले जाया गया। आयकर विभाग ने जवाब दिया (जुलाई 2018) कि धारा 80-आईए के तहत कुल योग्य कटौती ₹ 1,748.67 करोड़ की है और इसने ₹ 1,226.22 करोड़ सकल कुल आय को प्रतिबंधित कर दिया था।

आयकर विभाग का जवाब मान्य नहीं था चूंकि ₹ 1,748.68 करोड़ का धारा 80-आईए के तहत योग्य कटौती में से निर्धारिती की, शीर्ष “व्यापार और व्यवसाय से आय” के तहत आय केवल ₹ 1,108.17 करोड़ थीं और ₹ 6.22 करोड़ की आय पूंजीगत प्राप्तियां से संबंधित आय और अन्य स्रोतों से आय ₹ 111.28 करोड़ जो बुनियादी ढांचे के विकास से अर्जित आय से संबंधित नहीं थी। ₹ 1,226.28 करोड़ की कटौती की अनुमति से पूंजीगत प्राप्ति और अन्य स्रोतों से आय के विरुद्ध कटौती की अनुमति का परिणाम होगा जो धारा 80-आईए के तहत बुनियादी ढांचे की सुविधाओं के विकास, संचालन और रखरखाव से आय के लिए विधायी इरादा नहीं था।

7.6 बहीखाते लाभ के निर्धारण में गलतियां

अधिनियम की धारा 115 जेबी प्रावधान करती है कि सारी आय बही खाते के लाभ की गणना के उद्देश्य के लिए लाभ और हानि लेखा के माध्यम से डाला जाएगा। यह न्यायिक¹¹⁸ रूप से संघटित किया गया है कि प्राप्तियों के वर्ष में आयकर रिफंड पर प्राप्त ब्याज का हिसाब देना है।

7.6.1 सीआईटी (एलटीयू) मुम्बई प्रभार के तहत नि.व. 2009-10 से 2013-14 के एफसी के संवीक्षा निर्धारण में, हमने देखा कि निर्धारिती ने अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत आयकर रिफंड पर ब्याज प्रस्तुत किया, लेकिन इसे लाभ और हानि लेखा के माध्यम से नहीं डाला जिसके परिणाम स्वरूप उपयुक्त पांच निर्धारण वर्षों के लिए ₹ 64.80 करोड़ के मैट तहत कर के कम उद्ग्रहण के फलस्वरूप ₹ 346.57 करोड़ की बही लाभ की कम गणना हुई।

आयकर विभाग ने जवाब दिया (मई 2018) कि एओ को निर्धारिती द्वारा रखे गए सत्यपित बही खाते से परे जाने की शक्ति नहीं है। आगे यह कहा गया है कि 100 आयकर विभाग 131 में आईटीएटी मुम्बई के निर्णय के अनुसार, आयकर रिफंड पर ब्याज उस वर्ष में निर्धारित किया जाएगा जिसमें इसे प्रदान किया गया है और उस वर्ष में नहीं जिसमें देय हो जाता है, यह सामान्य प्रावधान के लिए उचित है और मैट प्रावधान के लिए नहीं है। आगे यह कहा गया कि कार्यवाही के मामले में अंतिम स्थिति तक नहीं पहुंचने के कारण, आय को सामान्य प्रावधानों के तहत प्रस्तुत किया गया था, लेकिन बही खाते में क्रेडिट नहीं किया गया।

¹¹⁸ मैसर्स अवाडा ट्रेडिंग कंपनी ट्रेडिंग लिमि. (100 आई टीडी 13) के मामलों में आईटीएटी मुम्बई स्पेशल बेंच गौथ एवेन्यू सेक्यूरिटीस बनाम डीसीआईटी के मामले के आईटीएटीर मुम्बई।

आयकर विभाग का जवाब मान्य नहीं था क्योंकि आयकर रिफंड पर ब्याज को अन्य स्रोतों से आय के तहत वर्गीकृत किया गया है और ऐसा होना लाभ और हानि लेखाओं का भाग होना चाहिए। इसके अलावा, बही खाते कंपनी अधिनियम की अनुसूची VI के भाग II के खंड 2(बी) के अनुसार तैयार नहीं किए गए थे, अन्य विषयों के अलावा जिसमें कहा गया है कि लाभ एवं हानि खाते में अनावर्ती लेनदेनों या विशिष्ट प्रकृति के लेनदेनों के संबंध में क्रेडिट या प्राप्तियां और डेबिट या व्ययों सहित प्रत्येक आर्थिक विशेषता का खुलासा किया जाएगा क्योंकि यह सीआईटी बनाम वीकेलाल इन्वेस्टमेंट कंपनी (पी.) लिमिटेड, 116 टैक्समैन, 104 के मामले में माननीय बोम्बे उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया था। अतः एओ को लेखाओं जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तैयार नहीं किए गए थे को रद्द करने का विकल्प था।

7.6.2 सीआईटी-III मुम्बई प्रभार में, नि.व. 2014-15 के लिए जीसी-II के मामले में निर्धारण पूरा करते हुए, आयकर विभाग ने मानक परिसंपत्ति के लिए प्रावधान और अन्य स्रोतों से आय को लाभ बही में वापस जोड़ने से छोड़ दिया। इस चूक के कारण ₹ 0.18 करोड़ के कर के कम उद्ग्रहण को शामिल करते हुए ₹ 0.86 करोड़ के बही लाभ की कम गणना की गई।

आयकर विभाग ने जवाब में कहा (मई 2017) कि निर्धारिती ने एक एनबीएफसी होने के कारण आरबीआई के दिशानिर्देश के अनुसार मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान किया था। हालांकि, जैसे धारा 115 जेबी एक अलग संहिता है, उपरोक्त प्रावधान आकस्मिक प्रकृति के नहीं होने के कारण लाभ बही में जोड़ा जाना अपेक्षित है। अन्य स्रोतों से आय को लाभ और हानि लेखा के माध्यम से न लाने के संबंध में यह कहा गया कि उक्त आय वि.व. 2014-15 में बुक किया गया क्योंकि उक्त संबंध में उद्यम कोष की सूचना वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद प्राप्त हुए।

आयकर विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यह मैसर्स सदरन टेक्नोलॉजी लिमिटेड बनाम जॉइंट सीआईटी कोयम्बटूर 187 टैक्समैन 346 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया था कि आरबीआई के दिशानिर्देशों का अधिनियम के प्रावधानों से अध्यारोहण नहीं कर सकते। इसके अलावा, यह मैसर्स ग्रोथ एवेन्यू सेक्यूरिटीयां बनाम डीसीआईटी के मामले में आईटीएटी मुम्बई द्वारा निर्णय दिया गया कि मुक्त पूंजीगत प्राप्ति लाभ और हानि लेखा के माध्यम से डाला जाना चाहिए।

7.7 पूंजीगत लाभ की गणना में गलतियां

7.7.1 सीआईटी (एलटीयू) मुम्बई प्रभार में, नि.व. 2013-14 के लिए एफसी की संवीक्षा निर्धारण में, हस्तांतरण कीमत निर्धारण अधिकारी (टीपीओ) ने कहा कि विदेशी सहयोगी उद्यमों (ईई) को एफसी द्वारा वरीयता शेयरों के हस्तांतरण के लेनदेन मूलतः ऋण का लेनदेन था और उक्त ऋण लेनदेन पर आदेय ब्याज की ओर ₹ 104.60 करोड़ का समायोजन किया गया। हालाँकि, निर्धारण अधिकारी (एओ) ने टीपीओ के निष्कर्षों का संज्ञान नहीं लिया और इन ईई के वरीयता शेयरों के हस्तांतरण से उत्पन्न एलटीसीएल ₹ 566.85 करोड़ की अनुमति दी। इस गलती से ₹ 122.61 करोड़ का संभावित कर प्रभाव पड़ा।

आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार नहीं करते हुए दावा किया (मई 2018) कि अधिनियम की धारा 92सीए (4) के अनुसार एओ को टीपीओ द्वारा निर्धारित एएलपी के अनुरूप कुल आय की गणना करनी है। चूंकि, वरीयता शेयरों के मोचन पर लेन-देन मूल्य टीपीओ द्वारा स्वीकार किया गया था इसलिए निर्धारिती द्वारा दावा किए गए ₹ 566.85 करोड़ के एलटीसीएल को अस्वीकार करने का कोई अवसर नहीं था। इसके अलावा, गैर-संचयी अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयरों में निवेश नि.व. 2009-10 में किया गया था जो टीपीओ द्वारा पुनः वर्णन किए बिना स्वीकार किया गया था।

जवाब मान्य नहीं था क्योंकि एनसीसीपी में निवेश के मुद्दे के मामले के सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद टीपीओ द्वारा विस्तार से जांचा गया था और यह निष्कर्ष निकाला गया था कि एनसीसीपी में निवेश कुछ नहीं था बल्कि ब्याज आय को कर देयता में बचाने के लिए वरीयता शेयरों के स्वरूप के तहत अग्रिम ऋण का आपसी करार या मैसर्स मैकडोवल कंपनी लिमिटेड बनाम सीटीओ 154 आईटीआर 148 के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार, एओ को काल्पनिक एलटीसीएल को अस्वीकार करने के लिए तार्किक कार्रवाई को शुरू करना चाहिए जो निर्धारिती द्वारा प्रयोग किए गए संभाव्य युक्ति थी। अतः आयकर विभाग को राजस्व के संबंध में मुद्दे की पुनः जांच कर सकता है।

7.7.2 धारा 48 के नीचे तीसरे परन्तुक के अनुसार, सूचीकरण का लाभ सरकार द्वारा जारी किए गए पूंजी सूचक बांडों के अलावा अन्य बांडों या डिबेचरों पर स्वीकार्य नहीं है। एफसी के मामले में, आयकर विभाग ने अधिनियम के प्रावधान के उल्लंघन में नि.व. 2012-13 के दौरान बांडों (पूंजी सूचक बांडों के अलावा) पर सूचीकरण के लाभ की अनुमति दी जो ₹ 26.78 करोड़ संभाव्य कर प्रभाव को शामिल करते हुए ₹ 123.78 करोड़ की एलटीसीएल की अनियमित गणना का उदाहरण है। आयकर विभाग का जवाब प्रतीक्षित है।

7.8 व्यासायिक आय की गलत संगणना

निर्धारण अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि संवीक्षा निर्धारणों को पूरा करते हुए गलतियों से बचे और अपीलीय प्राधिकार के आदेशों को लागू करने में सावधानी बरतें। इसके अलावा, बोर्ड संवीक्षा निर्धारण को पूरा करते हुए आय और कर की सही गणना के लिए सभी क्षेत्रीय संरचनाओं को समय-समय पर निर्देश जारी करता है।

7.8.1 जीसी-12 (अब एफसी में विलय) के मामले में, नि.व. 2003-04 में आयकर विभाग ने कुछ खर्चों (₹ 102.28 करोड़) को राजस्व व्यय ठहराया, जिसे पूंजीगत व्यय के रूप में दावा किया गया था और उसी पर मूल्यहास की अनुमति दी गई। हालाँकि, अप्रैल 2015 में बोम्बे हाईकोर्ट का निर्णय जीसी-12 के पक्ष में गया और व्यय को राजस्व व्यय के रूप में अनुमति दी थी। हमने देखा कि नि.व. 2003-04 के बाद से स्वीकार्य उक्त मूल्यहास को नि.व. 2007-08, 2010-11 और 2012-13 में वापस नहीं ले लिया गया जिसके परिणाम स्वरूप ₹ 15.79 करोड़ की आय का कम निर्धारण तथा परिणामतः ₹ 5.30 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

आयकर विभाग ने कहा (मई 2018) के लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार्य है। आगे की उपचारात्मक कार्रवाई प्रतीक्षित है।

7.8.2 हमने देखा कि नि.व. 2010-11 और 2011-12 के दौरान एफसी की एक इकाई की धारा 80-आईबी(9)¹¹⁹ के तहत कटौती के लिए मूल्यहास पर गणना करते हुए, आयकर विभाग ने नियमित मूल्यहास की अनुमति देने के

¹¹⁹ किसी उपक्रम को कटौती की राशि लाभ का सौ प्रतिशत होगी, यदि उपक्रम खनिज तेल के शोधन में लगा हुआ है।

अलावा संबंधित विगत वर्षों के दौरान बने संयंत्र और मशीनरी के ब्लॉक के संबंध में अतिरिक्त मूल्यहास की अनुमति भी दी।

हालाँकि, नि.व. 2012-13 और 2013-14 के दौरान उपरोक्त कटौती पर गणना करते हुए आयकर विभाग ने अतिरिक्त मूल्यहास की अनुमति के विचार को छोड़ दिया। नि.व. 2012-13 एवं 13-14 की प्रासंगिक अवधि के दौरान संयंत्र और मशीनरी के तहत निवल परिवर्तन क्रमशः ₹ 2066.40 करोड़ और ₹ 2001.95 करोड़ था।

आयकर विभाग ने जवाब दिया (मई 2018) कि अतिरिक्त मूल्यहास पर भी गणना किया जाता है, तो यह कर तटस्थ होगा, क्योंकि 80-आईबी (9) के तहत स्वीकार्य कटौती में कमी होगी, हालाँकि धारा 32 के तहत मूल्यहास में समरूपी वृद्धि होगी और परिणामस्वरूप कुल आय में परिवर्तन नहीं होगा और इसी तरह राजस्व को कोई नुकसान नहीं है।

जवाब पर पुनर्विचार की आवश्यकता है क्योंकि प्रारंभिक वर्षों में उच्च मूल्यहास बाद के वर्षों में कम डब्ल्यूडीवी के अग्रेनयन तथा धारा 80-आईबी (9) के तहत कटौती के कालातीत होने पर परिणामी उच्च कर योग्य आय, की ओर ले जाएगा।

7.8.3 सीआईटी-VIII, मुम्बई प्रभार में नि.व. 2013-14 के लिए निर्धारिती जीसी-13 ने ₹ 27.97 करोड़ की हानि के लिए आय की मूल विवरणी भरी थी और उक्त ₹ 18.05 करोड़ की हानि के लिए संशोधित किया गया था। हालाँकि, निर्धारण पूरा करते हुए, आयकर विभाग से आय के संशोधित विवरणी का संज्ञान लेना छूट गया। परिणामस्वरूप ₹ 3.22 करोड़ के संभावित कर प्रभाव को शामिल करते हुए ₹ 9.91 करोड़ के अधिक नुकसान का अग्रेनयन हुआ।

आयकर विभाग ने पैरा (सितम्बर 2017) को स्वीकार किया और गलती को परिशोधित किया।

7.9 निष्कर्ष

हमने देखा कि सत्यता/वास्तविकता को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित दलों के भौतिक लेन-देनों को क्रॉस लिंक करने में आयकर विभाग के प्रयास में कमी थी। आयकर विभाग के अपने विभिन्न प्रभारों के बीच सूचना के साझाकरण की एक प्रणाली का अभाव है जिसके कारण समूह कंपनियों का निर्धारण स्टैंडअलोन


तरीके से पूरा होता है जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दे गायब हो जाते हैं जिसका प्रभाव कर योग्य आय के निर्धारण पर पड़ता है। कॉर्पोरेट समूहों के पुनर्गठन के कारण कर विलय/अविलय के मामले में समस्या और बढ़ जाती है।

अगर यहां मजबूत/समर्पित प्रणाली होती तो निर्धारण की गुणवत्ता बेहतर होती।

आयकर विभाग में समूह कंपनियों से संबंधित सूचना साझाकरण के लिए आईटी चालित तंत्र को भी रखा जाए ताकि प्रभावशाली रूप में सूचना का उपयोग करें एवं राजस्व के रिसाव को रोक सकें।


हमने इसे जुलाई 2018 में वित्त मंत्रालय को उनकी टिप्पणियों के लिए संदर्भित किया। मंत्रालय का प्रत्युत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2019)।

नई दिल्ली
दिनांक: 03 जुलाई 2019


(संजय कुमार)
प्रधान निदेशक (प्रत्यक्ष कर-1)

प्रतिहस्ताक्षर

नई दिल्ली
दिनांक: 03 जुलाई 2019


(राजीव महर्षि)
(भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक)

परिशिष्ट

परिशिष्ट 2.1 (संदर्भ: पैराग्राफ 2.2.4)

निर्धारण में त्रुटियों के राज्यवार मामले						
राज्य	2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा के लिए चयनित इकाईयों में पूर्ण लिए गए निर्धारण	2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा में जांचें गए निर्धारण	लेखापरीक्षा आपत्तियाँ ¹²⁰ (सं.)	त्रुटी सहित निर्धारण (सं.)	लेखापरीक्षा आपत्तियों का कुल राजस्व प्रभाव (₹ करोड़ में)	त्रुटी पूर्ण सहित निर्धारणों का प्रतिशत (कॉल. 5/कॉल. 3x100)
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	17,533	16,948	1,394	1,343	1,499.00	7.92
असम	4,766	4,738	430	430	27.95	9.08
बिहार	4,196	4,052	247	247	184.46	6.10
छत्तीसगढ़	5,443	4,310	184	123	91.62	2.85
दिल्ली	30,264	27,382	1,521	1,342	2,556.98	4.90
गोवा	1,947	1,934	87	87	83.58	4.50
गुजरात	14,722	14,443	1,118	1,002	1,044.63	6.94
हरियाणा	6,566	6,306	740	670	457.01	10.62
हिमांचल प्रदेश	1,231	1,202	249	219	94.16	18.22
जम्मू एवं कश्मीर	1,346	1,329	91	87	15.46	6.55
झारखंड	1,881	1,851	168	139	82.68	7.51
कर्नाटक	13,710	13,380	1,151	1,071	1,634.84	8.00
केरल	9,779	9,339	724	675	658.79	7.23
मध्य प्रदेश	14,710	13,035	1,124	1,124	558.00	8.62
महाराष्ट्र	1,34,203	79,273	5,150	4,311	13,597.38	5.44
ओड़िशा	7,935	6,581	518	497	460.99	7.55
पंजाब	5,619	5,554	485	408	712.71	7.35
राजस्थान	18,328	17,424	825	825	134.60	4.73
तमिलनाडु	23,057	21,983	2,025	1,914	1,644.16	8.71
यूटी चंडीगढ़	1,643	1,642	144	116	28.27	7.06
उत्तराखंड	2,980	2,661	98	95	127.79	3.57
उत्तर प्रदेश	24,247	23,905	1,040	952	776.18	3.98
पश्चिम बंगाल	33,530	32,000	2,556	2,398	2,100.19	7.49
कुल	3,79,636	3,11,272	22,069	20,075	28,571.43	6.45

¹²⁰ कम निर्धारण एवं निगम कर, आयकर तथा अन्य प्रत्यक्ष कर की अधिक निर्धारण की सभी लेखापरीक्षा आपत्तियाँ शामिल हैं।

परिशिष्ट 2.2 (संदर्भ: पैराग्राफ 2.2.6)

स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए निगम कर एवं आयकर के संबंध में कम निर्धारण के श्रेणीवार विवरण		
		(₹ करोड़ में)
उप श्रेणी	त्रुटियों की सं.	कर प्रभाव
क. निर्धारणों की गुणवत्ता	6,778	5,628.19
क. आय तथा कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियां	1,867	2,513.51
ख. कर, अधिभार आदि की गलत दर का लगाना	907	870.39
ग. विवरणी प्रस्तुत करने में देरी, कर भुगतान में देरी आदि के लिए ब्याज/ शास्ति का न करना / उद्ग्रहण	3,875	1,716.67
घ. अतिरिक्त या अनियमित प्रतिदाय/ प्रतिदाय पर ब्याज	84	145.43
ङ. अपीलीय आदेश को प्रभाव देते समय निर्धारण में त्रुटी	45	382.19
ख. प्रशासन कर रियायतों / छूटों/ कटौतियों का प्रशासन	7,867	15,435.02
क. निगमों को दी गई अनियमित छूटें/ कटौती/ राहतें	419	1,735.21
ख. ट्रस्टों/ फर्मों/ सोसाइटियों को दी गई अनियमित छूट/ कटौती/राहतें	341	131.49
ग. व्यक्तियों को दी गई अनियमित छूटें/ कटौती राहतें	310	64.48
घ. व्यवसायिक व्यय की गलत अनुमति	5,617	10,954.95
ङ. मूल्य हास / व्यापार हानि/ पूंजीगत हानि की अनुभवी में अनियमितताएँ	1,155	2,534.83
च. डीटीएटी राहत की गलत अनुमति	25	14.06
ग. चूकों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय	2,779	3,067.95
क. मेट/ टनेज कर आदि सहित विशेष प्रावधानों के तहत	289	760.35
ख. अस्पष्टीकृत निवेश/ नकद क्रेडिट आदि	439	405.41
ग. पूंजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण और संगणना	710	811.96
घ. आर्म्स लेंथ प्राइस गलत अनुमान	64	1.82
ङ. पाटी या पटिन, नाबालिग बच्चे को समेकित करने में आदि की आय को समेकित करने में चूक	58	49.51
च. घर संपत्ति से मिलने वाली आय की गलत गणना	254	117.82
छ. वेतन आय की गलत गणना	350	379.73
ज. टीडीएस/ टीसीएस के प्रावधानों को लागू करने में चूक	615	541.35
घ. अन्य	3,655	3,220.59
कुल	21,079	27,351.75

परिशिष्ट 2.3 (संदर्भ: पैराग्राफ 2.4.4)

मंत्रालय को भेजे गए ड्राफ्ट पैराग्राफ के संबंध में आपत्तियों का श्रेणीवार ब्यौरा		
उप श्रेणी	मामले	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
क. आकलनों की गुणवत्ता	203	1398.31
क. आय तथा कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ	60	591.37
ख. कर, अधिभार आदि की गलत दर गलाना	34	471.16
ग. विवरणी प्रस्तुत करने में देरी, कर भुगतान में देरी आदि के लिए ब्याज/ शास्ति का उद्ग्रहण न करना/ कम उद्ग्रहण करना	100	250.21
घ. अधिक या अतिरिक्त अनियमित में प्रतिदाय/ प्रतिदाय पर ब्याज	4	30.98
ङ. अपीलीय आदेश का प्रभाव देते समय निर्धारण में त्रुटि	5	54.59
ख. कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन	167	3188.82
क. को दी गई अनियमित छूटें/ कटौतियाँ/ राहतें	27	477.25
ख. ट्रस्टों निगम/ फर्मों/ सोसाइटियों को दी गई अनियमित छूटें/ कटौती/ राहतें	6	3.66
ग. व्यक्तियों को दी गई अनियमित छूटें/ कटौती/ राहतें	2	0.58
घ. व्यवसायिक व्यय की गलत अनुभावी	59	901.27
ङ. मूल्य की अनुभावी में अनियमितताएँ हास व्यापार हानि/ पूंजीगत हानि	73	1806.06
ग. चूकों के कारण आकलन से छूटने वाली उपाय	68	364.64
क. मेट/टनेज़ कर आदि सहित विशेष प्रावधानों के तहत	29	100.65
ख. पूंजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण और संगणना	12	22.92
ग. आय की गलत गणना	7	51.73
घ. टीडीएस/ टीसीएस के प्रावधानों को लागू करने में चूक	3	127.26
ङ. अस्पष्टीकृत निवेश/ नकद क्रेडिट आदि	6	46.79
च. आर्म्स लेंथ प्राइस का गलत आकलन	11	15.29
घ. अन्य	34	245.95
कर/ब्याज का अधिक प्रभार	34	245.95
कुल	472	5197.72

परिशिष्ट 2.4: (संदर्भ: पैराग्राफ 2.6.2)

वि.व. 2017-18 में उपचारात्मक कार्रवायी समयवर्जित होने वाले मामले		
राज्य	लेखापरीक्षा आपत्तियाँ जहां उपचारात्मक कार्रवायी समयवर्जित हो गयी	
	मामले	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	-	-
असम	52	4.21
बिहार	505	78.88
छत्तीसगढ़	40	12.00
दिल्ली	6	0.14
गोवा	10	10.62
गुजरात	155	221.81
हरियाणा	73	51.02
हिमांचल प्रदेश	148	7.25
जम्मू एवं कश्मीर	18	0.15
झारखंड	20	7.57
कर्नाटक	34	118.39
केरल	102	46.65
मध्य प्रदेश	62	14.63
महाराष्ट्र	407	242.98
ओडिशा	387	945.58
पंजाब	119	9.25
राजस्थान	53	65.44
तमिलनाडु	288	779.83
यूटी चंडीगढ़	5	0.01
उत्तराखंड	-	-
उत्तर प्रदेश	50	22.86
पश्चिम बंगाल	205	95.90
कुल	2,739	2735.17

परिशिष्ट 2.5 (संदर्भ: पैराग्राफ 2.7.2)

वि.व. 2015-16 से 2017-18 के दौरान अभिलेखों के गैर-प्रस्तुतीकरण के विवरण					
राज्य	वि.व. 2017-18 के दौरान मांगे गए रिकॉर्ड्स	वि.व. 2017-18 के दौरान अप्रस्तुत रिकॉर्ड्स	वि.व. 2017-18 के दौरान अप्रस्तुत रिकॉर्ड्स की प्रतिशत	वि.व. 2016-17 के दौरान अप्रस्तुत रिकॉर्ड्स की प्रतिशत	वि.व. 2015-16 के दौरान अप्रस्तुत रिकॉर्ड्स की प्रतिशत
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	18,715	985	5.26	5.10	N.A
असम	4,766	28	0.59	0.03	0.36
बिहार	4,389	299	6.81	8.26	14.05
छत्तीसगढ़	4,339	13	0.30	1.12	0.00
दिल्ली	35,961	7,713	21.45	18.60	23.20
गोवा	1,748	43	2.46	6.01	2.79
गुजरात	25,460	610	2.40	4.14	2.71
हरियाणा	6,639	317	4.77	0.86	7.87
हिमाचल प्रदेश	1,297	68	5.24	0.00	17.75
जम्मू एवं कश्मीर	1,346	17	1.26	0.16	1.39
झारखंड	1,918	39	2.03	1.45	5.37
कर्नाटक	14,066	793	5.64	7.10	7.31
केरल	10,251	514	5.01	3.11	11.36
मध्य प्रदेश	14,651	1,710	11.67	13.85	17.56
महाराष्ट्र	99,643	8,557	8.59	6.80	6.74
ओड़िशा	7,795	541	6.94	9.44	29.36
पंजाब	5,862	298	5.08	0.12	15.49
राजस्थान	17,586	1,713	9.74	7.96	6.38
तमिलनाडु	36,165	4,115	11.38	16.18	13.16
यूटी चंडीगढ़	1,649	1	0.06	3.01	45.90
उत्तराखंड	1,800	28	1.56	0.63	21.35
उत्तर प्रदेश	24,384	408	1.67	3.47	4.86
पश्चिम बंगाल	36,776	2,386	6.49	7.43	5.30
कुल	3,77,206	31,196	8.27	8.29	10.74

संकेताक्षर

एसीआईटी	सहायक आयकर आयुक्त
एक्ट	आयकर अधिनियम, 1961
एएलपी	आर्म्स लेंथ कीमत
एओ	निर्धारण अधिकारी
एओपी	व्यक्तियों का समूह
एएसटी	एसेसमेंट इन्फोर्मेशन सिस्टम
एवाई	निर्धारण वर्ष
सीएसएस	कम्प्यूटर एंडिड स्क्रीन सिस्टम
सीबीडीटी	केंद्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड
सीसीआईटी	मुख्य आयकर आयुक्त
सीआईटी	आयकर आयुक्त
सीआईटी(आई)	आयकर आयुक्त (अपील)
सीएसओ	केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय
सीटी	निगम कर
डीजीआईटी (सिस्टम)	आयकर महानिदेशक (सिस्टम)
डीओआर	राजस्व विभाग
डीआरपी	विवाद समाधान पैनल
डीटी	प्रत्यक्षकर
एफसी	फ्लैगशिप कंपनी
एफसीआरए	विदेशी योगदान व्यवस्थापन अधिनियम
एफवाई	वित्तीय वर्ष
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीटीआर	सकल कर रसीद
आईटी	आयकर
आईटीएटी	आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण
आईटीबीए	इन्कम टैक्स बिजनेस एप्लीकेशन
आईटीडी	आयकर विभाग
आईटीओ	आयकर अधिकारी
आईटीआर/रिटर्न	आयकर विवरणी
जेसीआईटी	संयुक्त आयकर आयुक्त
एलएलपीएस	सीमित देयता भागीदारी
एलटीसीएल	दीर्घकालिक पूंजीगत हानि
पीएसी	सार्वजनिक लेखा समिति
पीएएन	स्थायी खाता संख्या
पीआईएल	जनहित याचिका

प्री.सीसीए	प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक
प्री.सीसीआईटी	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त
एमएटी	न्यूनतम वैकल्पिक कर
एमओपी	कार्यालय प्रक्रिया मनुअल
एमआर	विविध रिकॉर्ड्स
एनबीएफसी	गैर बैंकिंग वित्त कंपनी
एनएमएस	गैर फाइलर प्रबंधन प्रणाली
आरपीटी	संबंधित पार्टी लेनदेन
आरओसी	कंपनी पंजीयक
रूल्स	आयकर नियम, 1962
टीसीएस	स्रोत पर संग्रहित कर
टीडीएस	स्रोत पर कर की कटौती
टीपी	स्थानांतरण मूल्य
टीपीओ	स्थानांतरण निर्धारण अधिकारी

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in